26 मार्च, 1980

लोक सभा वाद–विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[दूसरा सत्र]



(खंड 3 में अंक 11 से 14 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 12, बुधवार, 26 मार्च 1980/6 चैत्र, 1902 (शक)

विषय

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 203 से 206 1—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 207 से 219, 219क, तथा 220 से 222 18—30

अतारांकित प्रश्न संख्या— 1676 से 1875 तथा 1875 क 30—180

सभा पटल पर रखे गए पत्र 180—188

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में 188—189

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना:—

आसाम को आर्थिक नाकाबन्दी और उससे उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के समाचार 189—208

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन 189

श्री योगेन्द्र मकवाना 189

श्रीमती इंदिरा गांधी 190

श्री चन्द्रपाल शैलानी 203

श्री राम विलास पासवान 204

श्री इन्द्रजीत गुप्त 205

महानगर परिषद् के विघटन की घोषणा के बारे में

श्री अटल विहारी वाजपेयी 209

श्री पी० वेंकटसुब्बैया 210

फिलस्तीनी स्वाधीनता संगठन के नई दिल्ली स्थित कार्यालय को पूर्ण राजनयिक मान्यता देने के बारे में वक्तव्य 210

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित 211

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह† इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले

(1) केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के कोयम्बटूर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र को स्वतंत्र निकाय का दर्ज दिया जाना । 212

श्री ईरा मोहन 212

(2) गैस चैम्बर में दम घुटने से नौसेना डाकयार्ड, विशाखापत्तनम के दो कर्मचारियों की मृत्यु 213

श्री समर मुखर्जी 213

(3) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात के पिण्डों का इकट्ठा हो जाना 214

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 214

(4) सैंट स्टीफन कालेज, दिल्ली के एक छात्र की हत्या 214

श्री चन्द्रपाल शलानी 214

(5) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में भूखमरी की स्थिति 215

श्री मनोरंजन भक्त 215

बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में संकल्प 215—283

श्री मूल चन्द डागा 215

श्री अटल विहारी वाजपेयी 217

श्री संजय गांधी 218

श्री सी० एम० स्टीफन 229

श्री सी० टी० दण्डपाणि 243

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत 249

श्री जार्ज फर्नान्डीस 250

श्री शिव प्रसाद साहू 254

श्री एच० के० एल० भगत 256

श्री चित्त बासु 259

श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियान 262

श्री चिरजी लाल शर्मा 264

श्री जैल सिंह 266

पारित करने का प्रस्ताव

आधे घण्टे की चर्चा

सोने की नीलामी की जांच 283—290

डा० फारुक अब्दुल्ला 283

श्री आर० वेंकटरमन 285

श्री अर्जुन सेठी 287

श्री के० लक्प्पा 287

श्री रामावतार शास्त्री 288

लोक सभा

बुधवार, 26 मार्च , 1980/6 चैत्र, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बज समवेत हुई)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए भूमि

†

*203 **श्री अमरसिंह, बी० राठवा :**
श्री अहमद एम पटेल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और किस सरकारी एजेन्सी के माध्यम से भूमि आवंटित की जा रही है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चरणजीत चानना : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) गुजरात के अमरेली, बांसकंठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कुथ मेहसाना, पंचमहाल, साबरकंठा तथा सुरेन्द्रनगर जिलों को वितीय संस्थानों से रियायती वित्त प्राप्त करने के लिए पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है। इन जिलों में से पंचमहाल, भड़ौच तथा सुरेन्द्रनगर केन्द्रीय निवेश सहायता पाने के भी हकदार हैं और इन जिलों में स्थापित एकक अचल निवेश के 15 प्रतिशत की दर से जो अधिक से अधिक 15 लाख रुपये होंगी सहायता पाने के भी पात्र हैं।

(ख) उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन करना राज्य सरकार का काम है।

(ग) गुजरात में औद्योगिक उद्यमियों को शेड़ों तथा भूखंडों का आवंटन गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा किया जाता है।

श्री अमर सिंह राठवा : मंत्री जी ने बतलाया है कि गुजरात के कुछ जिलों को पिछड़ा हुआ माना हुआ है, लेकिन हमारे यहां बड़ौदा जिला ऐसा जिला है, जिसमें आदिवासी प्रजा ज्यादा है, सूरत जिले में भी ऐसी ही स्थिति है। मैं चाहता हूं कि इन जिलों

के लिये भी पिछड़ेपन के आदेश दिये जाने चाहियें। जो उद्योग वहां पर चलते हैं वे शहरीकरण से प्रभावित हैं, यदि आप इनको पिछड़ा जिला घोषित कर देंगे तो जो मजदूर और किसान शहरों में काम करने के लिये आते हैं और जहां कम मजदूरी देकर उनको लूटा जाता है, उनके लिये ग्रामों में छोटे उद्योगों की स्थापना करके उनको काम दिया जा सकता है और उनके लिये रोज़ी-रोटी की व्यवस्था हो सकती है। क्या सरकार के पास इस तरह की कोई योजना है ?

श्री चरणजीत चानना : हम माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझाव पर, योजना आयोग के साथ परामर्श करके विचार करेंगे। योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये एक समिति बनाई है ।

श्री अमर सिंह राठवा : जिन क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पर भी मुख्य शहरों में ही उद्योग शुरू किये जाते हैं, इससे आदिवासी क्षेत्रों को या जहां पर पिछड़े लोग ज्यादा रहते हैं उनको लाभ नहीं पहुंचता है। क्या सरकार के पास इन जगहों पर उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है ?

श्री चरणजीत चानना : यह काम के राज्यों की सलाह पर होता है जिन जिलों को पिछड़ा डिक्लेअर किया गया है, उनके लिये प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी, जिस ने सब बातों को स्टडी कर के किया है । इस एरिये के लिए अगर कोई प्राबलम आपके सामने हो, तो आप हमको बतला दीजिये, हम उसको भी इस कमेटी को रेफर कर देंगे । जो बातें आनरेबिल मेम्बर साहब ने कही हैं, वे सारी डिटेल्स वे हम को दे दें और हम उनको देख लेंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह : सरकार ने ज़िलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किया है। क्या सरकार जिलों की बजाय तालुकों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने पर विचार करेगी ताकि उद्योगों के विकास का अधिक समान वितरण हो सके ?

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने एक संगत प्रश्न पूछा है। जहां तक देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध है, हम इसके लिये दो क्षेत्र लेते हैं। एक तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को और दूसरे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को। अब चाहे जिला हो या उसका कोई भाग, दोनों ही आ जाते हैं। यह व्यवस्था पहले ही है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान उद्योगों सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त के अध्याय 6 और नीतियों तथा प्रक्रिया सम्बन्धी अध्याय 1 की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री सोमजीभाई डमोर : इंडस्ट्री शुरू करने के लिए जो कन्सेशन्स दिये जा रहे हैं, वे हरिजन और आदिवासियों के लिए भी हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हरिजन और आदिवासी अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, क्या उनको 100 परसेन्ट लोन और दूसरी सुविधाएं और ज्यादा आप देने के लिए तैयार हैं ?

श्री चरणजीत चानना : यह जो आपका प्रश्न है, यह इन्डस्ट्रियली बेकवर्ड एरियाज का है। जातियों के आधार पर ऐसे एरियाज नहीं बने हैं परन्तु ऐसा होता है और यह को-इन्सीडेंस की बात है कि ये दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं लेकिन कास्ट्स की बेसिस पर

अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है और सारा काम एकोनामिक बेसिस पर किया जाता है।

श्री जयदीप सिंह : श्री दिग्विजय सिंह ने जो प्रश्न पूछा है उसके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि गुजरात में 3 जिलों को पिछड़े जिले घोषित किया गया है। अब ये 3 जिले पिछड़े जिले नहीं रह गये हैं वास्तव में इन जिलों के कई भाग काफी विकसित हैं और कुछ भाग पिछड़े हुए हैं और इसीलिये यह प्रश्न पूछा गया है इस समय इन जिलों के विकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं और यह क्षेत्र बड़ौदा जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के निकट हैं।

श्री चरणजीत चानना : मैं सभा को बता चुका हूं कि श्री शिवरामन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिसका नाम पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति है। यह समिति उन क्षेत्रों की नीतियों आदि के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन कर रही है। यह समिति उस मामले पर भी विचार कर रही है जिसे माननीय सदस्य ने उठाया है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : यह जो प्रश्न किया गया है, उसमें तीन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, उनको पिछड़ा हुआ जाहिर किया गया है। इसके अलावा बनासकांठा, मेहसाना और अमरेली भी पिछड़े हुए जिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उनको भी पिछड़ा घोषित करेंगे ?

श्री चरणजीत चानना : आनरेबिल मेम्बर को यह सूचित किया गया है, हाऊस को यह जो प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में सूचित किया गया है लेकिन जो इशू अभी आनरेबिल मेम्बर ने रेज किया है, इस प्रकार के जो इशूज़ हैं, उनके बारे में **नेशनल कमेटी आन दि डेवलपमेंट आफ बेकवर्ड एरियाज** कंसिडर कर रही है। जब तक उस कमेटी का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री जेवियर अरबकल : माननीय मंत्री ने बताया है कि एक उप-समिति इन परियोजनाओं को मंजूरी दिये जाने तथा उनकी योजनाओं पर विचार कर रही है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ एकक बुरी तरह असफल रहे हैं। क्या सरकार ने इन औद्योगिक एककों की असफलता पर विचार किया है और क्या वह इन एककों को कुछ मदद देने पर विचार कर रही है।

श्री चरणजीत चानना : जहां तक क्षेत्रों की पहचान करने संबंधी सिद्धांतों का संबंध है, वह समिति जिसका मैंने उल्लेख किया है इन सिद्धांतों पर पुनर्विचार नहीं कर रही है। सिद्धांत वही हैं। यह समिति तो इन क्षेत्रों के विकास आदि के संबंध में विचार कर रही है। यदि कुछ क्षेत्रों की ओर समिति का ध्यान दिलाया गया तो समिति उन पर भी विचार करेगी।

श्री बी० के० नायर : हमें औद्योगिक रूप से पिछड़े और औद्योगिक रूप से कम पिछड़े क्षेत्रों के बीच विभेद करना होगा। केरल में हम महसूस करते हैं कि हम औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। सभी सुविधाओं के उपलब्ध होने के बावजूद हमारे राज्य में कोई भी

नया औद्योगिक एकक स्थापित नहीं किया जा रहा है। अतः औद्योगिक एकक स्थापित करते समय क्या सरकार पिछड़े राज्यों पर विचार करेगी? क्या माननीय मंत्री एक ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे केन्द्र द्वारा किया जाने वाला पूंजी निवेश देश भर में जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जा सके ?

श्री चरणजीत चानना : माननीय मंत्री जिले की बात करते करते राज्य की बात करने लग गये हैं। वास्तव में जिला राज्य का एक भाग होता है। इन क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले मानने का उद्देश्य उन क्षेत्रों का अधिक विकास करना है और इस प्रकार राज्यों का भी विकास हो जाता है। यदि आप औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची को देखें तो आप पायेंगे कि औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में ऐसे जिलों और क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस प्रकार यह प्रश्न औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत आ जाता है।

तारापुर परमाणु बिजली घर में दुर्घटना

*204 **श्री सतीश अग्रवाल** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मार्च, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "मेजर न्यूक्लीयर मिसहैप एवर्टेड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे खतरों से बचने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) तारापुर पावर रिएक्टर के समुचित अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तारापुर परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट को ईंधन बदलने के बाद चालू करने से पहले जब उसके विभिन्न भागों की नेमी हाइड्रो-टैस्टिंग की जा रही थी, तब यह पाया गया कि रिसर्कुलेशन लूपों की बाई-पास लाइनें कई जगह से मामूली सी लीक कर रही हैं । इस प्रकार की आवधिक टैस्टिंग निरीक्षण सभी रिऐक्टरों में किए जाते हैं । लाइनों के लीक होने से बिजलीघर को या उसके आस-पास के इलाके को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ था ।

(ग) बिजलीघर में खतरों की रोक-थाम के लिए अनुरक्षण संबंधी सुप्रमाणित पद्धतियों के अनुसार काम किया जाता है तथा ऐसा करने के परिणामस्वरूप ही, लीक करने वाली जगहों का पता लगा था । इस कारण, अनुरक्षण-कार्य करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सतीश अग्रवाल : माननीय मंत्री ने संभवतः उस दुर्घटना का उल्लेख किया है जो फरवरी के तीसरे सप्ताह में हुई थी । क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि क्या एक और दुर्घटना 14 मार्च, 1980 को हुई थी जिसमें रेडियो धर्मी जल भवन में प्रवेश कर गया था । यह उस समय हुआ जब मुख्य शीतक ट्यूबों को 6 इंच वाईपास लाइन में दरारों की मरम्मत की जा रही थी । इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप दूषित जल खुली वाईपास लाइन से निकल कर रिएक्टर भवन में प्रवेश कर गया जहां से इसे बाहर निकाला गया । इसके कारण कितनी रेडियो धर्मिका उत्पन्न हुई और क्या यह सच है कि ऐसी दुर्घटना 14 मार्च को भी हुई थी ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मेरे विचार में माननीय सदस्य शायद यह नहीं जानते कि यह वास्तव में एक दुर्घटना नही थी। दिसम्बर, 1979, जनवरी और फरवरी, 1980 के महीनों में पुनः ईंधन सप्लाई करने का काम चल रहा था और यह काम फरवरी के मध्य तक लगभग पूरा हो गया था । इस यूनिट को पुनः आरम्भ करने के लिये तैयार करने से पहले इस प्रणाली के विभिन्न भागों की हाइड्रा-टैस्टिंग चल रही थी और उस समय यूनिट के रिसर्कुलेशन लूप की वाईपास लाइनों में कुछ मामूली दरारों का पता चला ।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि इसका पता कब चला । हमें इसका पता नेमी हाइड्रो टैस्ट के दौरान लगा ।

दोषपूर्ण पाइप का धातुकर्मीय परीक्षण करने का भी निर्णय किया गया था । उसके लिये इस पाइप के एक टुकड़े को काटा गया । इस टुकड़े के स्थान पर दूसरा टुकड़ा लगाये जाने तक, द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग करके एक आइस प्लग बनाया गया जिससे पानी के रिसने को रोका जा सके । यह आइस प्लग सुरक्षित रहा ।

यह दूसरी घटना है जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं । इस आइस प्लग को वहां लगाया गया था परन्तु दुर्भाग्यवश 12 घंटे के बाद यह आइस प्लग अलग हो गया । पानी के रिसने को रोकने के लिये एक और प्लग लगाया गया । पाइप लाइन से रिसने वाले पानी के रिसर्कुलेशन द्वारा कोर में पानी के अपेक्षित स्तर को कायम रखा गया ।

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमान मेरा प्रश्न एकदम सरल है । माननीय मंत्री तो उन टिप्पणों को पढ़ रहे हैं जो उन्हें विभाग ने दिये हैं । मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह घटना जिसके बारे में सभा में उत्तर दिया गया है, फरवरी के तीसरे सप्ताह में हुई थी और इस घटना के बारे में समाचार पत्रों में समाचार 2 मार्च को छपा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूसरी दुर्घटना 14 मार्च को हुई थी जिसके परिणामस्वरूप रेडियो धर्मी जल रिएक्टर-बिल्डिंग में प्रवेश कर गया था ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं समझी । यद्यपि माननीय सदस्य बहुत पुराने और अनुभवी हैं। मैं आशा करता हूं कि वे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे ।

बात यह है कि रूटीन जांच के समय इस रिसन का पता चला । जिस दूसरी घटना का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं वह उस समय की है जब जांच की जा रही

थी तब पानी के रिसन को रोकने के लिए बर्फ का प्लग व्यवहार किया गया था । तब घटना घटी थी परन्तु जब उक्त प्लग हट गया तब किसी और दुर्घटना के लिए एक और प्लग रख लिया गया था । आप जिस घटना का उल्लेख कर रहे हैं वह वही घटना है ।

श्री सतीश अग्रवाल : 14 मार्च को ?

श्री सी0 पी0 एन0 सिंह : हां, 14 मार्च को । पहला 29-9-1979 को बन्द हो गया था । और रूटीन हाईड्रो जांच किए जाने पर रिसन का पता चला था । आप जिस घटना का उल्लेख कर रहे हैं वह पहली घटना थी । और 14 मार्च को आईस-प्लग हट गया । वह दूसरी दुर्घटना है जिसके बारे में आप बता रहे हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने इसी प्रश्न में रेडियो-सक्रियता के बारे में पूछा था । मेरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर नहीं दिया गया है । प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न है ?

श्री सतीश अग्रवाल : यह कैसे हो सकता है ? मेरे पहले प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । उस विशेष सन्दर्भ में मैंने रेडियो-सक्रियता के बारे में पूछा था क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री ने 19 मार्च, 1980 को इस सभा में बताया था कि :

> "न तो राजस्थान स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र में हाल में हुए खराबी के कारण और न तारापुर स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र में रि-सर्किलुशन लूप के बाई-पास में रि-क्यूलिंग करते समय ही कोई उल्लेखनीय रेडियो सक्रियता हुई है ।"

मैंने अपने प्रथम प्रश्न के अन्तिम भाग में यह जानना चाहा था कि रेडियो-सक्रियता क्या है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि कोई उल्लेखनीय रेडियो-सक्रियता नहीं हुई है । तब कितनी रेडियो-सक्रियता हुई है ।

श्री सी0 पी0. एन0 सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने रेडियो-सक्रियता संबंधी-पहलू के बारे में पूछा है । मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो रिसन देखा गया कोई खतरा तब भी नहीं हो सकता जब रिएक्टर चालू हों । रिसन को रोकने तथा रिएक्टर को सुरक्षित रूप से बंद हो जाने की व्यवस्था है । ऐसी डिजाइन बनाई गई है कि पूरी शक्ति से चालू रिएक्टर में 24" के टुटन हो जाने पर भी रेडियो-सक्रियता के बाहर आए बिना रिएक्टर को सुरक्षित रूप से बंद किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहली अनुपूरक के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

श्री के० लकप्पा : नियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या ऐसी दुर्घटनाओं के संबंध में संबंधित विनिर्माताओं ने कोई गारन्टी दी थी, यदि दी थी तो क्या भारत सरकार ने

कोई हरजाने या क्षतिपूर्ति का दावा किया है या मरम्मत के लिय कहा है । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि चू कि हमारे रिएक्टर तथा अमेरिकी रिएक्टरों की डिजाईन एक समान है और दोनों रिएक्टर लाईट वाटर का उपयोग कर रहे हैं क्या भारत सरकार ने अमेरिकी युनिट से इस तकनीक का पता लगाने की कोशिश की है कि वे अपने रिएक्टरों में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक अपना रहे हैं यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : गारन्टी के बारे में मुझे देखना होगा, परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के रिएक्टरों का प्रचालन विश्व के अन्य भागों, विशेष कर संयुक्त राज्य अमेरीका, यूरोप तथा जापान में भी है और उन में भी पाईपिन्ग सिस्टम में रिसन की घटनाएं हुई हैं । संबंधित पाइपों की जांच तथा निर्माण उनके निर्माण के समय प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार हुआ था।

श्री मगन भाई बरोट : मेरा प्रश्न जिज्ञासा से अधिक चिन्तावश है । क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या बडौदा स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र में कुछ दिन पहले इसी प्रकार की दुर्घटना हुई थी। क्या इस दुर्घटना के पीछे किसी की शरारत हो सकती है । इसलिए जिन परिस्थितियों में माननीय मंत्री महोदय ने इसे एक दुर्घटना न बता करके एक घटना बताया है क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या जांच से इसका पता चला है कि इसके पीछे सिर्फ लापरवाही हो नहीं बल्कि शरारत की भी संभावना हो सकती है यदि ऐसा है तो सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : जिस दुर्घटना का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : मुझे आश्चर्य है कि क्या माननीय मंत्री महोदय के पास पिछले एक वर्ष के दौरान तारापुर परमाणु बिजली घर के बंद होने संबंधी आंकड़े हैं, क्या उन्होंने अंन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने जिसने तारापुर प्लांट बेचा था घटिया और खराब सामग्री बेची है और इस सौदे मे भारत सरकार को धोखा दिया है। क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है ।

श्री सी० पी० एन० सिंह: माननीय सदस्य ने जो कहां हैं उसकी हम निश्चय ही जांच करवाये गे।

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : पिछले एक वर्ष के दौरान हुई घटनाओं की संख्या के बारे में क्या स्थिति है। क्या उनके पास इसका कोई आंकड़ा है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यह दुर्घटना नहीं थी । यह सिर्फ कुछ ऐसा था जिसका रुटीन जांच में पता चला। जहां तक दुर्घटनाओं की संख्या का प्रश्न है, मैं इसे देखूंगा।

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : कृपया प्रश्न में जो पूछा गया है उसे पढ़ें "तारापुर में दुर्घटना" मैंने पिछले एक वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या पूछी थी । मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि इस विशेष मामले में क्या हुआ ।

श्री सी० पी० एन० सिंह: माननीय सदस्य कृपया एक दूसरे माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न को देखें जिसमें यह कहा गया था कि यह दुर्घटना थी, परन्तु उत्तर यह है कि यह दुर्घटना नहीं है।

श्री एम० एस० संजीवी राव: माननीय मंत्री के उत्तरसे हमें प्रसन्नता हुई है,कि हमारे योग्य वैज्ञानिकों ने तारापुर स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र में रिसन का पता लगा लिया। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता चला है कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया गया कार्य अदभुत था। मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए उन्हें क्या पुरस्कार दिया जाने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री भी जानती हैं कि जनता पार्टी के 2½ साल के शासन के दौरान उन्होंने हमारी पार्टी द्वारा निर्मित उत्कृष्ट आधार भूत ढांचों को काफी नुकसान पहुंचाया है। आप उस बात से पूर्णत: अवगत हैं कि फ्रांस ने भी जो ऊर्जा उत्पादन क. लगभग 15% बिजली पदा कर रही है, 1985 तक 50% उत्पादन करने की योजना बनाई है : मैं यह जानना चाहूगा कि वर्तमान सरकार इसका सुनिश्चत करने के लिए कौन सा कदम उठा रही है ताकि हमारे वैज्ञानिकों के मनोबल को उचित रूप से बढ़ाया जा सके ताकि देश को एक सही परमाणु नीति मिल सके।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों को उत्तेजित नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी ने यह नहीं कहा है कि जनता पार्टी ने संयंत्रों का नुकसान पहुंचाया है। परन्तु उन्होंने किया यह कि विज्ञान को बदनाम किया और यह सत्य है कि वैज्ञानिकों ने हतोत्साहित महसूस किया और अनेक बार जब उन्हें सम्मिलित रूप से कार्य करना चाहिए था तब उन्होंने अलग-अलग कार्य किए। इसके परिणामस्वरुप काम प्रभावी रूप से नहीं हो सका। मनोबल को एक दम ऊंचा करना इतना आसान नहीं है। परन्तु हम कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचती हूं . . . . (व्यवधान) 1930 से पूर्व भारत में विज्ञान नहीं था, श्री ज्योतिर्मय बसु, शायद उस समय आप ब्रिटिश राष्ट्रजनों के साथ कुछ कर रहे थे--मुझे मालूम नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : माननीय मंत्री के इस उत्तर से कि यह दुर्घटना नहीं है यह प्रश्न उठता है कि उसमें रेडियो सक्रियता तथा नुकसान की मात्रा कितनी है। अपने उत्तर के दौरान मंत्री महोदय ने कहा कि दोबारा ईधन डालने के बाद रिएक्टर को चालू करने पर "रिसर्कलेशन लूप" के "बाई-पास लाईन" में छोटा रिसन दिखलाई पड़ा। दूसरे शब्दों में, रिसन तब वहां मौजूद थे जब आपने रिएक्टर को बंद किया था और इसमें इंधन डालना शुरु किया था। ये रिसन जब देखे गये उस समय तक जो हुआ वह पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि आपने रिएक्टर को इस महिने के 20 तारीख को चालू करने का निश्चय किया। परन्तु बिना किसी सूचना के आपने पुन: कहा है कि तारापुर से एक बहुत रहस्यपूर्ण घोषणा आई है कि एक पखवाड़े का और विलंब कर दिया गया है। क्या होगया है?आपने कहा कि 14 तारीख को कुछ नहीं हुआ, यह दुर्घटना नहीं थी, कुछ प्लग, अतिरिक्त प्लग तथा कुछ ऐसे ही था। क्या हुआ? यद्यपि सार्वजनिक रूप से यह वायदा किया गया था कि रिएक्टर को 20 तारीख को चालू कर दिया जाएगा फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। एक पखवाड़े तक के लिए क्यों स्थगित कर दिया गया। तीसरी बात यह है कि क्या यह तथ्य नहीं है कि तारापुर ग्रामिणों को वहां से हटाने के कदम उठाए गए थे और क्या यह भी तथ्य नहीं है कि तारापुर के अनेक कर्मचारियों का आजकल बम्बई के एक अस्पताल मे इलाज चल रहा है क्योंकि वे रेडियो सक्रियता के शिकार हो गए थे।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैं समझता हूं कि तारापुर के संबंध में माननीय सदस्य की चिन्ता बहुत जरूरी और अच्छी है। उन्होंने तारापुर के ग्रामीणों के हटाए जाने के बारे में कहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि घटना घटने से पहले ही निवारक उपाय

करना बेहतर होता है और हमने यही किया है । उन्होंने कतिपय लोगों के हस्पताल में चिकित्सा करवाने की बात कही है । आपको मालूम होना चाहिए कि "बैक-अप प्लग" के "इन्सुलेशन" के प्रचालन के संबंध में कुल 26 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे । स्वास्थ्य प्रक्रिया के अनुसार इन सभी व्यक्तियों पर रेडियो-सक्रियता के प्रभाव की जांच की गइ है और स्थानोपरान्त उन पर रेडियो सक्रियता का कोई प्रभाव नहीं देखा गया ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । आपने पहले कहा था कि इसे 20 तारीख को चालू किया जाएगा और इसे स्थगित कर दिया गया । दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय अब स्वीकार कर रहे हैं कि ग्रामीणों को हटाया जा रहा है ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : नहीं, नहीं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने कहा कि वे निवारक उपाय कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: : प्रत्येक उत्तर पर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने कहा है कि हम एतियाती उपाय कर रहे हैं । क्या आपने उन्हें हटा दिया है या हटाने जा रहे हैं ? जहां तक उन्हें चिकित्सा सहायता देने का संबंध है मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि उस कार्य में कितने लोग लगे हैं । रिएक्टर में दरार का पता उस समय लगा जबकि उसमें दोबारा ईंधन भरा जा रहा था । जब रिएक्टर को बन्द किया और उसमें फिर से ईंधन भरा तब अचानक इस दरार का पता चला जबकि वह पहले से ही वहां थी । और उस समय वहां विद्यमान अनेकों व्यक्ति रेडियो धर्मिता से प्रभावित हुए । क्या वह सब इस समय बम्बई के अस्पताल में नहीं हैं ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : जी, नहीं । मैंने इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया है । मेरी समझ में नहीं आता कि सदस्य महोदय इसे समझ क्यों नहीं रहे हैं । मैं उन्हें इसे फिर से स्पष्ट करता हूं । व्यक्तियों पर किसी प्रकार की रेडियो धर्मिता का प्रभाव नहीं पड़ा है । जांच करने के बाद उन सबको रेडियो धर्मिता के प्रभाव से मुक्त पाया गया । रिएक्टर के चालू करने के संबंध में माननीय सदस्य ने समय का प्रश्न उठाया है । इस संबंध में मैं उन्हें बता दूं कि जल संबंधी जांच की योजना 3 अप्रैल, 1980 को बनाई गई थी । इस परीक्षण के बाद रिएक्टर को चलने के लिये कुछ समय आवश्यक है और यह समय 2–3 सप्ताह तक .....

श्री जार्ज फर्नान्डीस : परन्तु आपने यह घोषणा नहीं की कि यह 20 तारीख से चालू होगा ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि रिएक्टर को चालू करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, प्रक्रिया संबंधी कुछ पहलू भी होते हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें बात की जानकारी है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तारापुर के मुख्य पात्र के रेडियो वैज्ञानिक परीक्षण से पता चला है कि उसमें कुछ छिपी हुई बारीक दरारें हैं और यदि हां, तो क्या वे उन पर पड़ने वाले दबाव के कारण खतरनाक हैं । तारापुर परियोजना क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है इसलिए

ऐसी स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अमरीकी सरकार अथवा जनरल इलेक्ट्रिक सप्ला कम्पनी ने यह आश्वासन दिया है कि इस प्रकार का दोष युक्त पात्र सप्लाई करने के कारण होने वाली हानि की वे पूर्ति करेंगे ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : सदस्य महोदय ने कई प्रश्न किए हैं । सबसे पहले मैं उन्हें धातु संबंधी पहलू के बारे में बताना चाहता हूं । उन्होंने धातु के कमजोर पड़ जाने के बारे में पूछा है। पाइपों के टुकड़ों की जांच गहराई से की जाती है और आश्वयक कदम उठाये जाते हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरा प्रश्न यह था कि भारतीय वैज्ञानिकों ने मुख्य पात्र का रेडियो वैज्ञानिक एक्सरे परीक्षण किया है और उन्होंने कुछ छिपी हुई दरारें पाई हैं । क्या यह सम्भावित खतरा है अथवा नहीं और यदि इससे खतरे की सम्भावना है तो अमरीकी सरकार ने इसके कारण होने वाली किसी भी हानि की पूर्ति करने का क्या आश्वासन दिया है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य प्रश्न से अलग की बात पूछ रहे हैं । इसके लिये मुझे अलग से सूचना दी जाये ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय: अनुपूरक प्रश्नों में यह बात नहीं आती ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि क्या वास्तव में कोई दुर्घटनाएं हुई हैं । इस संबंध में मैं निश्चित नहीं । परन्तु इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह तथ्य है कि इस दरार का पता उस समय चला जबकि उसकी प्रारम्भिक जांच की जा रही थी और हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि उस समय रिएक्टर चालू नहीं था । पाइप में यह दरारें पहले से ही थीं । मेरा प्रश्न यह है कि यदि रिएक्टर चालू हो जाता या वह चालू होता तो क्या किसी बड़ी दुर्घटना के होने की संभावना थी, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : जी, नहीं । यह एक सामान्य परीक्षण था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनका कहना है कि यह एक सामान्य जांच थी । सौभाग्यवश हम बच गये, क्योंकि उस समय रिएक्टर चालू नहीं था, जबकि यह जांच की जा रही थी । परन्तु मान लीजिये रिएक्टर चालू होता और उसमें ये दरारें पहले से होतीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वे दे चुके हैं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : तारापुर विद्युत संयंत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है । मेरे माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं । एक तो यह कि क्या कोई वहां कार्य कर . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न को दोहरा रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया गया है और सदन को मंत्री महोदय से उत्तर पाने का अधिकार है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति जो उस समय संयंत्र में काम कर रहे थे जबकि इस दरार का पता चला, अभी भी अस्पताल में हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उन्हें क्या चिकित्सा दी जा रही है ।

दूसरे . . . (व्यवधान) यह प्रश्न का दोहराना नहीं है । मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं और मुझे यह प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले प्रश्न के सिलसिले में पूछ सकते हैं, परन्तु आप दो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय आप दोहरी नीति नहीं अपना सकते । मेरा प्रश्न पहले प्रश्न से संबंधित है और मुझे इसकी अनुमति दी जानी चाहिये । (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि एतियाद के तौर पर गांव वालों से गांव छोड़ने को कहा गया था और यदि हां, तो क्या उन्हें वापिस आने को कहा गया है अथवा उन्हें वापिस आने की अनुमति दी गई है और इस संबंध में क्या जांच करने का निर्णय किया गया है, जिससे यह पता चल जाये कि अब वातावरण इतना सुरक्षित हो गया है कि जो गांव के लोग अपने स्थानों से गये थे उन्हें वापिस आने की अनुमति दी जा सकती है ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य का प्रश्न सर्वथा उचित है । इसकी सुरक्षा के संबंध में बहुत ही कठोर प्रक्रिया होनी चाहिये और इस पहलू पर निश्चय ही ध्यान दिया जायेगा । जहां तक अस्पताल में भर्ती किये जाने वाले लोगों का संबंध है हमारी जानकारी में उन्हें सामान्य जांच के बाद जाने दिया गया ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि क्या अभी भी अस्पताल में कोई भर्ती है । हमें इस साधारण से प्रश्न को पूछने का अधिकार है ।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) खड़ी हुई--

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्हें सामान्य जांच के बाद भेज दिया गया और इसलिये उनके वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी । श्री नीरेन घोष ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधानमंत्री खड़ी हुईं और डरकर बैठ गईं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री नीरेन घोष को बुला चुका हूं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया गया है और आप दूसरे सदस्य को बुला रहे हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री खड़ी हुई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीरेन घोष ।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : क्या आपने नीरेन घोष को इसी प्रश्न के संबंध में बुलाया है या अगले प्रश्न के लिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी प्रश्न के लिये ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं उनके बोलने के बाद अथवा उससे पहले जब भी आप चाहें उत्तर दे सकती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीरेन घोष ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि क्या अभी भी कोई व्यक्ति अस्पताल में है । इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : क्या अब मैं उत्तर दे सकती हूं ।

सबसे पहल हमारी जानकारी में कोई भी व्यक्ति गांव छोड़कर नहीं गया । दूसरे 26 व्यक्तियों में से 16 की जांच की गई और कोई गलत बात नहीं पाई गई । कोई भी व्यक्ति इलाज के लिये अस्पताल में नहीं है ।

मेरे सहयोगी पहले ही स्पष्ट रूप से बता चुके हैं, क्योंकि अन्य देशों में भी इस प्रकार की दरारें पड़ती हैं और ऐसा पिछले 5–6 वर्ष से होता आ रहा है । इस कारण विभिन्न पाइपों के जोड़ों की जांच होती रहती है तथा इसकी मरम्मत के कार्य में काई खतरा नहीं है । उन्होंने यह भी बताया है कि रिएक्टर का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 24 इंच की पाइप लाइन के पूरी क्षमता के चलाये जाने पर भी वह भली प्रकार काम कर सके । यह मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न का उत्तर है ।

श्री मनोरंजन भक्त : यदि हम इस तरह प्रश्न पूछते रहे तो अन्य प्रश्न रह जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री निरेन घोष : प्रधान मंत्री ने कहा कि जनता सरकार के काल में कुछ परियोजनाएं चालू नहीं की गईं और वैज्ञानिक हतोत्साह हो गये थे । यदि हां, तो वे कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं और वर्तमान सरकार ने क्या निर्णय लिया है ? और जैसा कि देखा गया है जी० ई० सी० द्वारा माल की सप्लाई दोषपूर्ण है और ईंधन के लिए हमें अमरीका पर निर्भर रहना पड़ता है, इन बातों को देखते हुए क्या भारत की रिएक्टरों को स्वयं बनाने, उनका डिजाइन तैयार करने और विखण्डनीय पदार्थों, भारी पानी और सभी संघटक पुर्जों का निर्माण तथा उत्पादन करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वे कौन सी योजनाएं हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : प्रश्न बहुत बड़ा है । मैं नहीं समझती कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत पूछा जा सकता है ।

उन्होंने वैज्ञानिकों के बारे में पूछा । यह प्रश्न खास-खास परियोजनाओं का नहीं है । बात ऐसी है कि सरकार के कुछ सदस्यों ने ऐसे विचार व्यक्त किये कि वे इसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप नहीं मानते । उदाहरणार्थ खुद तत्कालीन प्रधान मंत्री ने कहा कि मैं शान्तिपूर्ण विस्फोट में विश्वास नहीं करता । निसन्देह यह एकमात्र वक्तव्य नहीं था । विज्ञान तथा वैज्ञानिक कार्य के बारे में ऐसे अन्य वक्तव्य दिये गये और, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने महसूस किया—हो सकता है उनका काम लाभप्रद न समझा गया हो—कि उन्हें उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया जितना उन्हें हम समझते हैं और जितना वे समझते हैं कि उन्हें होना चाहिए ।

औद्योगिक विकास में गिरावट

***205. श्री चित्त बसु :** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979–80 के दौरान औद्योगिक विकास में गिरावट रही है

(ख) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं ; और

(ग) गिरावट को रोकने और विकास की गति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) द्वारा जारी किए गये औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक अनुसार, जो नवम्बर, 1979 तक उपलब्ध है, अप्रेल–नवम्बर, 1979 की अवधि में विकास दर 0.3 प्रतिशत रही जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में यह 7.9 प्रतिशत थी ।

(ग) औद्योगिक उत्पादन में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदमों में, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गहन मानिटरिंग करके क्षमता की पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु जहां आवश्यक हो, अपेक्षित आयात करना, सुधरे हुए श्रमिक संबंध तथा अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि करना शामिल है ।

श्री चित्त बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि भारतीय वाणिज्य महा मंडल ने भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिसमें आर्थिक प्रगति के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया था जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ ये सुझाव थे कि बड़े घरानों को कोयला, विद्युत उत्पादन, सड़क परिवहन तथा इस्पात उद्योग में प्रवेश दिया जाये, बड़े घरानों के प्रतिनिधियों को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के निदेशक मंडल में स्थान दिया जाये, सरकारी क्षेत्र के कतिपय उद्योगों को दीर्घकाल परीक्षण तथा ठेके के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जाये और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कतिपय उपबन्ध हटा दिये जायें और श्रमिकों को अनुशासन में लाने के लिए और अधिक बड़े उपाय किये जाएं यदि सरकार को यह ज्ञापन मिला था तो क्या सरकार की औद्योगिक नीति में पूर्णतः उलट-फेर करने की मांग हीं है और आर्थिक पुनरुद्धार के लिए भारतीय वाणिज्य महामंडल द्वारा दिये गये इस विशिष्ट ज्ञापन के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : यह सच है कि भारतीय वाणिज्य महामंडल ने एक ज्ञापन दिया जिसमें बहुत-सी बातें वे हैं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । किन्तु भारत में किसी अन्य व्यक्ति की तरह उन्हें भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का हक है और हरत व्यक्ति जो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, यह नहीं सोच सकता कि उसका दृष्टिकोण सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा, अधिक से अधिक मैं यह कह सकता हूं कि मुझे कई ज्ञापन मिले हैं उन सभी पर विचार हो रहा है और कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री चित बसु : : महोदय, क्या यह कोई जवाब है? मैंने यह नहीं कहा कि भारतीय वाणिज्य महा मंडल को ज्ञापन देने का हक नहीं है : मैं यह जाना चाहता था कि जो बातें उन्होंने उठाई हैं उनके बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

श्री आर0 वेंकटरामन : मैंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय: : आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए :

श्री चित बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में समूची औद्योगिक नीति की पूरी जांच करने तथा फेर-बदल करने का है और क्या यह भी सच है कि न्यून पंजीकरण तथा क्षमता का क्रम प्रयोग के कारण विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में, यह इन्कारी हो रही है । यदि हां, तो सरकार का विचार उन कार्यवाहियों के अतिरिक्त, जिनका उल्लेख इन कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में किया गया है, क्या विशेष कार्यवाही करने का है ?

श्री आर० वेंकटरामन : श्री मान, औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में हर वक्तव्य पर सरकार विचार कर रही है । इस माने में इसका अर्थ पूरी तरह उलट-फेर नहीं होता कि इन तीस सालों में हमारी जो औद्योगिक नीति रही है और जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं उसका परित्याग कर दिया जायेगा । दूसरी ओर, उसे सुदृढ़ बनाया जायेगा, हम इसे औद्योगिक प्रगति तथा विकास के लिए और अधिक कारगर बना रहे हैं । उनके प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है सरकार क्षेत्र से है । माननीय सदस्य को मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी नीति सरकारी क्षेत्र के कार्य में सुधार करने की है और हम सरकारी क्षेत्र को हर सुविधा प्रदान करेंगे जिसके अन्तर्गत अधिक पूंजीगत संसाधन, सुविधाओं का बेहतर उपयोग और कच्चे माल का और अधिक आयात तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वृहत्तर सुविधाएं शामिल हैं । ये बातें हैं जिन पर हम ध्यान दे रहे हैं ।

श्री विक्रम महाजन : : क्या यह सच है कि 1979–80 में औद्योगिक विकास की गति में जो गिरावट आई है उसका मुख्य कारण भूतपूर्व सरकार की अक्षमता थी जिससे देश की अर्थ व्यवस्था धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हो गई ? क्या यह बात सच है ?

श्री आर० वेंकटारमन : श्रीमान, जनता ने बिना किसी सन्देह के इसका फैसला दिया, है ।

श्री दिग्विजय सिंह : यह स्पष्ट है कि 1977–78 में, जब प्रशासन स्थिर था औद्योगिक विकास दर 7.9% थी किन्तु 1979 में, जब सरकार में पूर्णतः अस्थिरता थी और वह अपने आन्तरिक कलहों में उलझी हुई थी, औद्योगिक विकास दर में 0.3% गिरावट आई। स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास के लिए राजनैतिक स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है । मैं जानना चाहता हूं कि 1980 में औद्योगिक विकास दर का क्या अनुमान लगाया गया है ।

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य ने 1979–80 में विकास दर में जो गिरावट आई उसके अपने अनुमान से कारण बताये हैं । यह स्पष्ट रूप से सच है कि जब तक आर्थिक क्षेत्र में सुदृढ़ तथा निश्चित दिशा नहीं अपनायी जाती, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता । हमारा दृढ़ विश्वास है कि 1979–80 के दौरान देश को आर्थिक क्षेत्र में वह निश्चित दिशा नहीं मिली जिसकी उसे आवश्यकता थी ।

जहां तक हमारी नीति का सम्बन्ध है, जैसा मैंने पहले बताया है, हम आधारभूत ढांचे को सुदृढ करेंगे, बिजली अधिक पैदा करेंगे और उसे उद्योग को उपलब्ध करायेंगे ताकि वे उस मन्दी से मक्ति पा जायें जिसके वे शिकार हुए हैं ।

श्री ज्योतर्मय बसु : : श्रीमन, आर्थिक मामलों के एक दैनिक समाचार-पत्र ने बताया है कि औद्योगिक उत्पादन की प्रगति की दर गत वर्ष 7.6 प्रतिशत की तुलना में चालू वर्ष में शून्य होने की आशा है। क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि जनता सरकार के शासन के पिछले वर्ष में प्रगति की दर कैसे 7.6 प्रतिशत रही किन्तु इस वर्ष शून्य हो गई ? कमी किस क्षेत्र में है ।

श्री चरनजीत चानना : मैंने जो मासिक आंकड़े पढ़कर सुनाये हैं, माननीय सदस्य को उनमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा । उनसे माननीय सदस्य को प्रगति की दर की जानकारी मिल जायेगी :

1978–79 और 1979–80 के बीच औद्योगिक प्रगति दर इस प्रकार रही :—

अप्रैल	+2.1 इसे आप सर्वोत्तम समझें।
मई	—1.7
जून	—0.3
जुलाई	—1.3
अगस्त	+1.5
सितम्बर	0.4
अक्टूबर	2.5

मैं (—) आंकड़े पढ़ रहा था :

श्री ज्यातिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह था कि देश के आर्थिक मामलों के एक प्रमुख दैनिक समाचर पत्र के अनुसार 1978–79 में जनता सरकार के शासन काल में 7.6 प्रतिशत प्रगति दर थी। इसी प्रशासन में राजनैतिक अस्थिरता के समय जून मास से जब राजनतिक जोड़-तोड़ शुरू हुए सहमत होंगे कि इसके पीछे श्रीमती गांधी का हाथ था अब यह 7.6 प्रतिशत से घटकर शून्य केसे हो गई।

श्री चरनजीत चानना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैं उनसे केवल उस समय तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध करूंगा जब कि मैं उनको पिछले शासनकाल से श्रीमती गांधी के नेतृत्व में वर्तमान शासन काल में लाऊं।(व्यवधान)

जब मैं औसतों की जिक्र कर रहा हूं तो मेरा अभिप्राय 1978–79 और 1979–80 के बीच के महीनों से है। मैं नवम्बर के बारे में कह रहा था, इस महीने में यह 0. 6 थी। (अन्तर्धा) 7.6 प्रतिशत तो गत वर्ष का योग था। मास वार आंकड़ों से आप स्थिति की गहराई तक पहुंच सकते हैं। अपने शासनकाल के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रगति दर निकालने का एक फामूला है जिसमें अनेक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। 0.3 जिसका माननीय सदस्य हवाला दे रहे हैं, वह दो महीनों को छोड़कर जनता शासनकाल की दर है।

प्रो० मधु दंडवते : आपने अन्य व्यक्तियों से मिलकर जनता सरकार को गिरा दिया।

एक माननीय सदस्य : श्री दंडवते ने कहा है कि उस समय जनता पार्टी डायलायसिस पर थी।

प्रो० मधु दंडवते : चाहे हम डायलायसिस पर हों, पर आप तो निष्क्रीय थे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मंत्री महोदय मासवार आंकड़े देने के प्रयास कर रहे थे ताकि हम समझ सके कि जनता शासनकाल की शून्य प्रगति से हम प्लस प्रगति की स्थिति में आ गये है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि सरकार औद्योगिक नीति का पुनरीक्षण करने जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि पुनरीक्षण किस दिशा में किया जायेगा।

श्री चरनजीत चानना : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही प्रश्न पूछा है कि क्या हम शून्य प्रगति को प्लस प्रगति में डालने जा रहे हैं। यह सही है लेकिन यह एक दुष्कर कार्य है, जिसके लिये हमने कार्य आरम्भ कर दिया है। लोग इसे देख रहे है। आर्थिक मापदण्ड से यह पहले ही स्पष्ट होने लगा है।

हमारी औद्योगिक नीति का पहला अध्याय हमें जनता शासन से मिले क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा आपका प्रश्न अन्तिम होगा।

श्री के० लकप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, गत $2\frac{1}{2}$ वर्षों से औद्योगिक उत्पादन में निरन्तर गिरावट दिखाई दे रही हैं। जनता सरकार के शासनकाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अनुशासन में काम नहीं कर रहे थे तथा सारा ढांचा ही टूट रहा था क्योंकि भूतपूर्व सरकार ने हस्तक्षप न करने की नीति अपनाई। सरकारी क्षेत्र की व्यवस्था तथा इसके कार्यकरण में असंतोष के कारण प्रगति निरन्तर नगण्य होती रही। इन सब कारणों से एसी स्थिति आ गई की देश में सरकारी उपक्रमों ने ठीक प्रकार काम नहीं किया। मैं इन परिस्थितियों से जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी उपक्रमों में अनुशासन लागू करने तथा भूतपूर्व सरकार की नीति को वदलने के लिय मंत्रालय एक उच्च स्तरीय समिति वनायगा ताकि अधिकाधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हो तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता का सही उपयोग हो?

श्री चरनजीत चानना : हम माननीय सदस्य की टिप्पणी का स्वागत करते हैं किन्तु मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमने जनवरी 1980 में औद्योगिक आधारभूत ढांचे के सम्वन्ध में एक मंत्रिमंडलीय समिति स्थापित की है जो इस पर विचार कर रही है कि पिछली दो सरकारों द्वारा पहुंचाय गये नुकसान को किस तरह दूर किया जाये।

औद्योगिक संयंत्रों के चलने से उत्पन्न प्रदुषण को रोकना

*206 **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या उद्योग मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग मंत्रालय नये औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करते समय संयंत्रों के चलने के कारण वड़े पैमाने पर होने वाले प्रादूषण तथा मादक उच्छिष्ट पदार्थों को रोकने के लिये शर्तें लगाता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये पूर्वोपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में और क्या उपाय किये जाने का विचार है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना): (क) जी, हां ;

(ख) आशय पत्र में दी गई मानक शर्त इस प्रकार है:

"सरकार का समाधान होने तक वायु, जल तथा भूमि प्रदूक्षण के निवारणार्थ पर्याप्त कदम उठाये जायेंगे। प्रदूषण विरोधी अभ्यूपाय जिस राज्य में औद्योगिक उपक्रम का कारखाना स्थापित होगा उसी राज्य के मानदण्डों के अनूसार किये जायेंग" ।

(ग) जैसा कि औद्योगिक लाइसेंसों में किया जा रहा है प्रदूषण नियंत्रण की शर्तों विषयक अभ्यूपायों के करने हेतू उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। औद्योगिक उपक्रमों से अपनी सावधित रिपोटों में प्रदूषण के निवारणार्थ उठाये गये कदमों में अधिष्ठापित किये गये उपकरण व्यय, प्रदूषण नियंत्रण अभ्यूपाय आदि का ब्यौरा देने को कहा जायेगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : प्रदूषण रोकने के लिये विधियों की कमी नहीं है। इस बारे में सैकड़ों केन्द्रीय और राज्य विधियां हैं। कठिनाई इन विधियों की क्रियान्वित की है। इन विधियों को ठीक तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अतः प्रथमतः मे मंत्री महोदय से पूछना चाहता हुं कि वह बताये कि प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी इन विधियों को क्रियान्वित करने के लिये वह क्या विशिष्ट उपाय करना चाहते है। दूसरे, एक ओर औद्योगिक विकास और दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण की परस्पर विरोधी बात को देखते हुए, क्या वह लघु उद्योगों को शोधन संयंत्रों और इन प्रदूषण नियंत्रण इन उपायों के संचालन हेतु कर-प्रोत्साहन अनुदान या ऋण देना चाहते है।

डा० चरणजीत चानना : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को मालूम ही होगा कि जब कानून बनाया जाता है तो उस समय क्रियान्विति अभिकरण भी स्थापित किया जाता है। इस मामले में क्रियान्विति अभिकरण निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय है।

जहां तक स्थानीय स्तर की क्रियान्विति का सम्बन्ध है लाइसेंस दिये जाने के बाद राज्य सरकार क्रियान्विति कार्य करती है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है राज्य सरकार लघू उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिये पहले से ही सहायता दे रही है। इसके लिये व्यवस्था की गई है। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले की ओर हमारा ध्यान दिलाये तो हम सारी बात पर विचार करके उसपर कार्यवाही करने हेतु उसे सम्बन्धित मंत्रालय को भेज देंगे।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : शायद माननीय सदस्य को मालूम नही है कि हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में इसका उल्लेख किया हुआ है। हम इस सारी बात का

समन्वय करने के लिये एक विशेष विभाग स्थापित कर रहे हैं। हमने ऐसे लोगों की पहले ही समिति बनाई हुई है जो यथासंभव शवच इन उपबन्धों का उचित क्रियान्वयन करने के लिये बहुत इच्छक है।

प्रश्णों के लिखित उत्तर

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का पुनर्गठन

*297 श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों ने बदली हुई राजनीतिक स्थिति को देखते हुए त्यागपत्र दे दिया ; और

(ख) क्या सरकार का विचार आयोग का पुनर्गठन करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के अध्यक्ष भी भोला पासवान शास्त्री, संसद् सदस्य ने आयोग की अध्यक्षता से त्याग पत्र देने के लिये अपना पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि वे इस लिये त्याग पत्र दे रहे हैं ताकि नई सरकार जैसा उचित समझे आयोग का गठन कर सके।

(ख) आयोग के पुनर्गठन के संबंध में कोई अभी निर्णय नहीं किया गया है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर अनुसन्धान परियोजनाएं

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

श्री इन्द्र जीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका का स्मिथसोनियन इंस्ट्रीट्यूशन भारत-पाक सीमा पर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक अनुसंधान परियोजना प्रायोजित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का प्रयोजन और उसको अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) उक्त परियोजना में कौन-कौन सी भारतीय एजेंसियां सहयोग कर रहीं है ; और

(घ) क्या सचकार ने परियोजना के सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं की जांच कर ली है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क), (ख) और (ग) : विज्ञान और प्रा-द्योगिकी विभाग को एक प्राथमिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका शीर्षक है "1972 से आज तारीख तक के आवृत्तिमय लैंडसेंट मौसम उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करते हुए समयअनुक्रमिक मौसमी विश्लेषण द्वारा राजस्थान तथा भारतीय उप-महाद्वीप के दूसरे भागों की शुष्क/अर्द्ध शुष्क भूमी में हो रहे परिवर्तनों का मानीटरन"। इस परियोजना का प्रयोजन आंध्र विश्वविद्यालय (भू-इंजीनियरी विभाग) तथा स्मिथसोनियन इंस्ट्रीट्यूशन द्वारा किया गया है इस परियोजना के अन्तर्गत 1,32,31,000 रुपये की कुल लागत से जिसमें 15,36,575

डालर का अमरीकी डालर संघटक होगा, 5 वर्ष की अवधि के दौरान अध्ययन कार्य की परिकल्पना की गई है।

(घ) किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सरकार सुरक्षा संबंधी पहलुओं समेत परियोजना के सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करेगी।

परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यकरण के बारे में समिति

*209 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या परमाणु उर्जा विभाग ने अपने कार्यकरण में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिये एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति में कौन-कौन व्यक्ति हैं और इसके निर्देश पद क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति को "भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर आफीसर्स ऐसोसिएशन" का कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव ने विभाग की प्रशासनिक एवं प्रबंध व्यवस्था सम्बन्धी क्रियाविधियों और पद्धतियों के पुनरीक्षण के लिये एक आंतरिक समिति का गठन किया था।

(ख) समिति के गठन के आदेश में दिये गये समिति के सदस्यों के नाम और उनके निर्देश पद इस उत्तर के विवरण में दिये जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) समिति के अनुरोध पर, भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर आफीसर्स एसोसिएशन ने एक पत्र भेजा था, जिसमें विभिन्न सुझाव दिये गये थे। वे सुझाव मुख्यतः निम्नलिखित के बारे में थे :—

(एक) वैज्ञानिकों की कार्य प्रणाली और सेवा संबंधी शर्तों में सुधार;

(दो) निर्णय लेने के कार्य का विकेन्द्रीकरण और लोकतंत्रीकरण;

(तीन) वैज्ञानिक सूचना का स्वतंत्रतापूर्वक दिया जाना;

(चार) कार्मिकों से संबंधित नीति के निरधारण और नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण में वैज्ञानिकों के चुने हुए प्रतिनिधियों की और भी बड़ी भूमिका;

(पांच) वैज्ञानिकों को अन्य संगठनों में रोजगार पाने के लिये प्रोत्साहित करना;

(छः) रिहायशी आवास की व्यवस्था।

विवरण

इस विभाग और इसके संघटक यूनिटों में काम-काज के लिये अपनाई जाने वाली प्रशासनिक तथा प्रबन्ध-व्यवस्था संबंधी क्रियाविधियां तथा पद्धतियां कुछ सयम से चली आ रही हैं तथा

अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि काम को और भी ज्यादा दक्षता शीघ्रता और सरलता से निपटाने के लिये कुछ क्षेत्रों में सुधार और संशोधन किये जा सकते हैं।

2. संगठन के दायित्वों के विशेष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, सामान्य मसलों तथा वर्तमान में प्रत्यायोजित शक्तियों की पर्याप्तता के संदर्भ में इस मामले का अध्ययन विस्तार से करने की दृष्टि से निम्नलिखित समिति बतनाई जाती है :—

1. श्री एम. पंचप्पा : (अध्यक्ष)
   अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
2. श्री वाई. वी. पै, : परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि
   संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
3. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के दो प्रतिनिधि
   (भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक द्वारा नामित किये जाने हैं)
4. डा. एम. आर. श्रीनिवासन, : विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग
   निदेशक, विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग
5. श्री एन. श्रीनिवासन, : रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र
   परियोजना निदेशक, रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र
6. श्री के. कुप्पुस्वामी, : (सचिव)
   वित्त एवं लेखा अधिकारी,
   मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना

3. समिति यह कार्य इस तथ्य को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए करेगी कि प्रशासन की परिसमाप्ति अपने आप में नहीं हो जाती और परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे संगठन में प्रशासन के लिये अपनाये जाने वाले किसी भी साधन, कार्याविधि या पद्धति की युक्तियुक्ता और प्रभावोत्पादकता इस बात से आंकी जायेगी कि वह विभाग के वैज्ञानिक और प्रोद्योगिक कार्यो को आगे बढ़ाने में कितनी सहायक है।

मोहिनी मिल्स में तालाबन्दी

210 **श्री नारायण चौबे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोहिनी मिल्स के प्रबन्धकों ने बेलघोरिया स्थित अपने कारखाने में तालाबन्दी घोषित कर दी है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने मिल का संचालन अपने अधिकार में लेने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का क्या निर्णय है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग). मोहिनी मिल्स लि०, बेलधोरिया के प्रबन्धकों ने 28-2-80 से अपनी मिलों में तालाबन्दी घोषित कर दी है। प्रबंधक वित्तीय अड़चनों के कारण कामगरों को भुगतान नहीं कर सके थे जिससे कामगरों द्वारा आन्दोलन किया गया तथा सुरक्षा उपाय के रूप में तालाबंदी घोषित की गई। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कारखाने को अपने हाथ में लिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु जनवरी, 1978 में राज्य सरकार ने उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इस कारखाने के कार्यों की जांच करने हेतु एक जांच समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था। 11 मई, 1978 को एक जांच समिति गठित की गई थी किन्तु कम्पनी ने इस जांच-पड़ताल के विरुद्ध कलकत्ता हाई कोर्ट से अगस्त, 1978 में आदेश प्राप्त कर लिया था। मामला अभी भी न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है।

लिखाई और छपाई के कागज के बारे में अन्तर्देशीय विपणन स्थिति का अध्ययन

211. **श्री समर मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लिखाई और छपाई के कागज के बारे में अन्तर्देशीय विपणन स्थिति का कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख). जी, हां। सरकार ने कागज उद्योग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं तथा आधारभूत मामलों की जांच करने के लिये मई, 1978 में कागज तथा गत्ता उद्योग के संबंध में एक कार्यकारी दल गठित किया था। कार्यकारी दल के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) कलचरल कागज की समग्र आवश्यकताओं तथा संभावित माँग के अनुसार तैयार करना और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक नीति संबंधी रूप-रेखा का सुझाव देना,

(2) कागज उद्योग की मूल्य निर्धारण तथा वितरण नीति संबंधी प्रणाली की जांच करना तथा इस संबंध में उपयुक्त नीति संबंधी रूपरेखा का सुझाव देना।

अध्ययन दल ने वर्ष 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसकी योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

कागज के आयात पर रोष

212. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कागज उद्योग ने 50,000 टन कागज के आयात करने संबंधी प्रस्ताव पर रोष प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

*213. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में 16,000 से अधिक अनधिकृत निर्माण हैं ; और

(ख) निजी और सरकारी भूमि पर नये अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और क्या सरकार ऐसे निर्णय को संज्ञेय अपराध बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

हथकरघा बुनकर

214. **श्री मूलचन्द डागा** : : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में हथकरघा बुनकरों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने बुनकर सहकारी समितियों के सदस्य हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): सरकार के पास हथकरघा बुनकरों की संख्या के कोई आंकड़े नहीं हैं। तथापि 31 मार्च, 1979 को देश में हथकरघे की कुल संख्या 38·91 लाख थी। जिसमें से 12.68 लाख हथकरघे सहकारी समितियों के अन्तर्गत ले लिये गये थे।

चीनी उद्योग के लिए उचित मूल्य ढांचा

215. **श्री के० लकप्पा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत ब्यूरों चीनी उद्योग के लिये उचित मूल्य ढांचे पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्यूरो द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की संभावना है।

उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : (क) इस मामले पर कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग तथा औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ख) चूंकि अध्ययन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, अतः उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय बता सकना संभव नहीं है।

औद्योगिक नीति की समीक्षा

216. **श्री चित्त माहटा :**

डा० फारूक अब्दुल्ला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई केन्द्रीय सरकार का विचार देश की वर्तमान औद्योगिक नीति की समीक्षा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख). सरकार पिछली सरकार की अन्य नीतियों के साथ औद्योगिक नीति की भी संवीक्षा करना चाहती है।

दिल्ली में दिन दहाड़े होने वाली डकैतियों की संख्या में वृद्धि

*217. **श्री चन्द्र भान आठरे पाटिल :** क्या गृह मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछले कुछ सप्ताहों के भीतर राजधानी में दिन दहाड़े होने वाली डकैतियों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके कारण जीवन असुरक्षित हो गया है ; और

(ख) गत तीन महीनों के भीतर पुलिस के पास कितनी घटनाओं की रिपोर्टें लिखाई गई और उनमें से कितनी घटनाओं के अपराधियों को पकड़ा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). दिसम्बर 1979 से फरवरी, 1980 के 12 सप्ताहों के दौरान दिन दहाड़े होने वाली डकैतियों और दिसम्बर, 1978 से फरवरी, 1979 के महीनों के दौरान दिन दहाड़े होने वाली डकैतियों के साप्ताहिक आंकड़ों के तुलनात्मक विवरण नीचे दिये गये हैं :—

	दिसम्बर, 1978	दिसम्बर, 1979
1	2	3
प्रथम सप्ताह	4	6
द्वितीय सप्ताह	10	..
तृतीय सप्ताह	2	3
चतुर्थ सप्ताह	5	..
जोड़ .	21	9

	जनवरी, 1979	जनवरी, 1980
1	2	3
प्रथम सप्ताह	5	2
द्वितीय सप्ताह	6	3
तृतीय सप्ताह	1	6
चतुर्थ सप्ताह	1	2
जोड़ .	13	13

	फरवरी, 1979	फरवरी, 1980
1	2	3
प्रथम सप्ताह	4	3
द्वितीय सप्ताह	8	5
तृतीय सप्ताह	1	3
चतुर्थ सप्ताह	2	10
जोड़ .	15	21
कुल जोड़	49	43

इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि राजधानी में दिन दहाड़े होने वाली डकैतियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है और लोगों में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है।

2. 1–12–79 से 29–2–80 के दौरान सूचित किये गये 43 मामलों में से 4 रद्द कर दिये गये हैं। बाकी मामलों में से 33 में जांच पड़ताल की जा रही है, 4 में चालान किया गया है और 2 मामलों को फाइल कर दिया गया क्योंकि उनका पता नहीं चला। इन मामलों में 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 5 व्यक्तियों का चालान किया गया और उनके मामले विचाराधीन हैं।

दैनिक मजदूरी श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करना

*218. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने उन दैनिक मजदूरी श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में सभी मंत्रालयों को एक परिपत्र जारी किया है जिन्होंने एक निश्चित अवधि तक सेवा कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में उन्हें नियमित किये जाने के बारे में क्या शर्तें हैं और उसके लिए सेवा की कितनी अवधि आवश्यक है ;

(ग) क्या भारत सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत उन दैनिक मजदूरी श्रमिकों की सेवा नियमित की जा सकती है जिन्होंने 250 दिनों से अधिक अवधि तक सेवा कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में प्रक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि जो दैनिक मजदूरी के श्रमिक निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें नियमित समूह "घ" रिक्तियों पर नियुक्त किया जाए ।

(ख) तथा (ग) समूह "घ" पदों पर दैनिक मजदूरी के श्रमिकों की नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें अनुबन्ध में दी गई है ।

(घ) दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किए गए नैमित्तिक कर्मचारियों को, यदि सम्बन्धित विभाग में कोई नियमित समूह "घ" पद की रिक्ति होती है तो निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करने के बाद नियुक्त कर दिया जाता है ।

विवरण

भाग (ख) तथा (ग) :—दैनिक मजदूरी के श्रमिकों की नियमित समूह "घ" पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें ।

(1) किसी दैनिक मजदूरी के श्रमिक द्वारा नियमित किए जाने की तारीख को प्रत्येक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान दैनिक मजदूरी श्रमिक के रूप में कम से कम 240 दिन की सेवा (सेवा के विच्छेद की अवधियों सहित) की जानी चाहिए । दैनिक मजदूरी के रूप में की गई सेवा के विच्छेद की अवधियों को ध्यान में रखा जाता है बशर्ते कि एक बार की गई लगातार सेवा की अवधि छः महीने से अधिक हो ।

(2) किसी दैनिक मजदूरी के श्रमिक को नियमित पद पर नियुक्ति की तारीख को अधिकतम आयु सीमा की दृष्टि से पात्र होना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए, दैनिक मजदूरी के श्रमिक को अपनी वास्तविक आय में से उस

अवधि को कम करने की अनुमति दी जाती है जो उसने दैनिक मजदूरी के श्रमिक के रूप में बिताई हो ।

(3) दैनिक मजदूरी के श्रमिक के पास उक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए ।

कमजोर वर्गों का निरन्तर दमन और तिरस्कार

*219. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के सभी कठोर उपबंधों के बावजूद देश में हरिजन, अल्पसंख्यक और अन्य दलित वर्ग दमन और तिरस्कार से पीड़ित होते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या औचित्य है कि केन्द्र का विचार अभी तक राज्य सरकारों के जरिए ही इसका समाधान ढूंढने का है और वह स्वयं प्रायः मूकदर्शक बना रहना चाहता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितने राज्यों ने कोई सर्वेक्षण कराया है और विशेष न्यायालयों की स्थापना करके कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों और उनके कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों के बावजूद जिन व्यक्तियों के नागरिक अधिकार अधिनियम में आते हैं, वे दमन तथा अनादर से पीड़ित होते रहते हैं ।

(ख) केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय में एक विशेष सेल स्थापित किया है जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्य का प्रबोधन करता है । अनुसूचित जातियों की काफी जनसंख्या वाले अनेक राज्यों की सरकारों ने भी अधिनियम के तुरन्त तथा कारगर प्रवर्तन के लिए विशेष सेल स्थापित किये हैं । भारत सरकार ने अधिनियम के प्रवर्तन के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना शुरू की है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है । भारत सरकार द्वारा अधिनियम के अधिक प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया जा रहा है ।

(ग) गुजरात, कर्नाटक और केरल सरकारों ने इन राज्यों में कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है, जहां अस्पृश्यता से उत्पन्न असमर्थताएं संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए अपेक्षाकृत जटिल हैं । अनुसूचित जातियों की काफी जनसंख्या वाली राज्य सरकारों को भारत सरकार की सलाह पर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 जिलों में आरम्भ करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है । इस विषय में कार्रवाई करने के लिये अन्य राज्य सरकारों से जोरदार तरीके से आग्रह किया जा रहा है ।

आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाने का प्रस्ताव

*219-क. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदालतों में चल रहे सभी आपराधिक मामलों की प्रक्रिया में जांच और सुनवाई दोनों ही चरणों में शीघ्रता करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) और (ख) विधि आयोग के 41वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तृत संशोधन शुरू किया गया था । पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया था और एक नई दंड प्रक्रिया संहिता 1973–अधिनियमित की गई थी । इस संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1978 के दौरान और संशोधन किया गया । नई संहिता में मामलों की शीघ्र जांच और विचारण को ध्यान में रखते हुए कई प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन किए गए हैं । इस संबंध में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन इस प्रकार हैं :—

(1) मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और कम से कम 10 वर्ष के कारावास के दंडनीय अपराधों के संबंध में उच्च सीमा 90 दिन और अन्य अपराधों के संबंध में 60 दिन जांच के दौरान व्यक्तियों को हिरासत में रखने के लिए निर्धारित की गई है । इसका उद्देश्य केवल विचारणाधीन कैदियों की संख्या कम करना ही नहीं था वरन जांच करने वाले अधिकारियों के मन में कार्य शीघ्रता से करने की भावना भी उत्पन्न करना था ।

(2) जहां किसी अपराध में कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा दंडनीय है वहां यदि जांच छः महीने के अन्दर पूरी न की गई है तो उसे रोका जा सकता है ।

(3) जिन अपराधों में दो साल तक के कारावास की सजा दंडनीय है, उनका सरल प्रक्रिया से (पुरानी संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष के मुकाबले) समन मामलों के रूप में विचारण किया जाएगा ।

(4) साक्षियों को समन डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं ।

(5) छोटे मामलों में अभियुक्त समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की राशि को न्यायालय को भेजकर डाक द्वारा अपराध स्वीकार कर सकता है ।

(6) संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है ।

(7) सेशन मामलों में मामले को सुपुर्द करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है ।

(8) औपचारिक साक्षियों के लिए मौखिक जांच की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है ।

(9) विचारण अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी किया जा सकता है यदि अभियुक्त कार्रवाई में लगातार व्यवधान डालता है ।

(10) अंतर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध पुनः विचार की शक्ति को वापस ले लिया गया है ।

(11) स्थानान्तरण की याचिकाओं की सूचना पर कार्रवाई को आवश्यक रूप से बंद करने की व्यवस्था को हटा दिया गया है ।

(12) मामलों के संक्षिप्त विचारण के क्षेत्र को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है।

(13) सेशन न्यायालयों को, अपने पूर्ववर्ती द्वारा लिए गए साक्ष्य के स्तर से आगे मामले पर सुनवाई को जारी रखने की शक्ति प्रदान की गई है । पुरानी संहिता की व्यवस्थाओं के अनुसार यह व्यवस्था मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक लागू थी ।

2. कई जटिल कारणों से वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें आपराधिक न्यायालयों में अनेक मामले अनिर्णीत पड़े हैं । ऐसी परिस्थितियों में न्यायिक प्रशासन में सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है । विधि आयोग की इस टिप्पणी के होते हुए भी कि देश में कानूनी तथा न्यायिक प्रणाली मूल रूप से ठोस और कुल मिलाकर उपयुक्त है, इस प्रक्रिया में जब कभी कमियों का पता लगेगा, सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

3. न्यायालयों में बकाया आपराधिक मामलों के इकट्ठे होने का एक कारण आपराधिक न्यायालयों की अपर्याप्त संख्या का होना है । सातवें वित्त आयोग ने 15 राज्यों में 402 आपराधिक न्यायालयों की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान की सिफारिश की है । वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिन राज्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनको प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है ।

नारियल जटा बोर्ड के विकास के लिए निर्धारित राशि

*220. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या उद्योग मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) नारियल जटा उद्योग के विकास हेतु नारियल जटा बोर्ड द्वारा उपयोग किए जाने के लिए वर्ष 1978–79 और 1979–80 के दौरान कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया है और कितनी राशि व्यपगत हो गई है ; और

(ग) इस रुग्ण उद्योग के लिए आवंटित राशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) . (क) से (ग) :

(लाख रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	मंजूर की गई राशि	बचत	बचत के कारण
1978-79 .	102.06	57.80	44.26	अनुसंधान एवं विकास योजना को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि भवन का निर्माण पूरा नहीं हो सका। अनुसंधान और विकास उपस्करों तथा मशीनरी को आयात अधिष्ठापित नहीं किया जा सका। गैर आयोजना बचत भारत सरकार द्वारा लागू किये गये आर्थिक अभ्युपायों के कारण हुई है।
1978-80 .	120.75	58.90	61.85	

महाराष्ट्र औद्योगिक तथा निवेश निगम द्वारा रबड़ के गर्भ निरोधक बनाने के लिए आवेदन पत्र

*221. **द्वी आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम ने रबड़ के गर्भ निरोधक की मांग की तुलना में उसकी उपलब्धता में अनुमानित कमी को देखते हुए संयुक्त क्षेत्र में रबड़ के गर्भ निरोधक बनाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ;

(ख) राज्य निगम का प्रस्ताव किस तिथि को प्राप्त हुआ ;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में अधिक विलम्ब किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव को किस तिथि तक अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) 6 सितम्बर, 1979।

(ग) तथा (घ). नीति संबंधी कई मामलों पर परिवार कल्याण विभाग द्वारा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से विचार किया जा रहा है, इसके पूरा हो जाने पर ही निर्णय लिया जाएगा ।

पुलिस व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन

*222. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पुलिस व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) . केन्द्रीय सरकार ने देश में पुलिस कार्य कलापों में सुधार लाने के लिए उपायों का सुझाव देने के वास्ते पहले ही राष्ट्रीय पुलिस आयोग नियुक्त कर दिया है । राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अब तक तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं । यह प्रस्ताव है कि इन रिपोर्टों की प्रतिलिपियां जांच के लिए तथा ऐसी सिफारिशें स्वीकार करने के लिए, राज्य सरकारों को परिचालित की जाए जिनका पुलिस के प्रभावशाली ढंग से काम काज करने पर सीधा प्रभाव पड़ता है ।

अगिया–मेधीपारा–फुलबाड़ी–तुरा सड़क का सुधार

1676. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय सरकार ने अगिया-मेधीपारा-फुलबाड़ी-तुरा सड़क का सुधार करने की योजना पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना का अनुमोदन किया है और उसे स्वीकृति दे दी है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 333.72 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अगिया-मेधीपारा-फुलबाड़ी-तुरा सड़क के सुधार के लिए योजनाएं स्वीकृति की गई हैं ।

टायरों की मांग

1677. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टायरों की मांग बढ़ती जा रही है और इसके देश में विद्यमान उत्पादन क्षमता से बढ़ जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस परियोजना को स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया है, जो केन्द्रीय सरकार को पहले भेजी गई थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया था कि वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिवर्ष 4 लाख टायरों तथा ट्यूबों की क्षमता का प्रस्तावित गुजरात टायर परियोजना को स्वीकृति देने हेतु इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया को निदेश दिये जायें। राज्य सरकार को बता दिया गया था कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक 5 लाख टायर तथा ट्यूब की क्षमता वाला नया एकक भी अर्थजीव्य नहीं होगा व एक नये एकक की स्थापना करने की अपेक्षाअतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के लिए विद्यमान क्षमता में ही पर्याप्त विस्तार किया जाना अधिक मितव्ययितापूर्ण, द्रुत-कार्यशील तथा लाभप्रद है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा मानक किराया से अधिक वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाना

1678. **श्री सी० टी० दंडपाणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में यह कहा है कि दिल्ली नगर निगम मानक किराया से अधिक गृह कर वसूल नहीं कर सकता है ;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम मानक दर से अधिक वार्षिक मूल्य के निर्धारण पर जोर दे रहा है ;

(ग) क्या इस आशय के अभ्यावेदन सरकार को भेजे गए हैं ;

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम को मानक किराया का फार्मूला घोषित करने के लिए निर्देश करने का है जिससे गलत मूल्य निर्धारण न हो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ). दिवान दौलत राय कपूर आदि बनाम नई दिल्ली नगर पालिका तथा अन्य मामले में सिविल अपील सं० 1143–44/73 तथा 1201 (एन)/1973 में दिनांक 20–12–1979 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भवन का वार्षिक मूल्य दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर निश्चित किए जाने वाले मानक किराए के उपायों द्वारा सीमित किया जाएगा।

निगम के अनुसार उपर्युक्त निर्णय को घोषित करने से पूर्व नगर पालिका अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 116 जो सम्पत्ति कर के लिए भूमि तथा भवनों के निर्धारणीय मूल्य दर को निर्धारण करने के लिए व्यवस्था करता है, के अन्तर्गत किसी भूमि तथा भवन के संबंध में वास्तविक सहमतिपूर्ण किराया उचित तथा युक्तिसंगत किराया होता था जिसकी आशा वर्षनुवर्ष की जाती थी और तदनुसार सम्पत्ति कर का मूल्यांकन निश्चित करने में ऐसी संपत्ति के संबंध में जो किराए पर थी और ऐसी संपत्ति के संबंध मानक किराया जो या तो दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन किराया नियंत्रक द्वारा कानूनी तौर पर निर्धारित किराए पर थी और इस प्रकार निर्धारित मानक किराए पर विचार किया जाता था और ऐसी संपत्ति जो स्वामी के अपने कब्जे में होती थी उसका मानक किराया दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (उसकी धारा 6 या धारा 9) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता था। दिल्ली नगर निगम द्वारा उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार आवेदन पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिया है जो अभी अनिर्णीत है।

दिल्ली नगर निगम को कुछ व्यक्तियों तथा गृह स्वामी एसोसिएशन से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं और उन पर अंतिम निर्णय तभी लिया जाएगा जब उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार आवेदनों का उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटान किया जाएगा ।

दिल्ली नगर निगम के अनुसार उन्होंने किसी बल प्रयोग का तरीका नहीं अपनाया है । इसके अतिरिक्त निगम की गलत तथा भ्रान्तिपूर्ण कार्रवाई के विरूद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 169 के अधीन पीड़ित पक्षकार के लिए राहत के उपाय उपलब्ध हैं जिसमें मूल्यांकन आदि के विरुद्ध अपील की व्यवस्था है ।

निगम के अनुसार मानक किराए के लिए किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 में भूमि तथा भवनों का मानक किराया निर्धारित करने के लिए उसमें सूत्र दिए गए हैं जिसका निर्धारण अनेक प्रकार से किया जा सकता है जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है ।

एच० एम० टी० का जापान की मैसर्ज "सिटीजन" नामक कम्पनी के साथ सहयोग

1679. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की 'सिटीजन' नामक एक औद्योगिक कम्पनी जो घड़ियों का निर्माण करती है और जिसके साथ एच० एम० टी० का सहयोग है, इलैक्ट्रानिक्स घड़ियों के निर्माण के लिए एच० एम० टी० को तकनीकी जानकारी देने के लिए तैयार है ?

(ख) क्या एच० एम० टी० ने स्वीकृति के लिए कोई योजना प्रस्तुत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एच० एम० टी० ने इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन किया है जिसमें प्रथम चरण में 95 लाख रुपये का निवेश होगा। यह आवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

1680. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों (1977–80) के दौरान देश के पर्वतीय एवं आदिवासी क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने से इन्कार करने पर किसी फर्म/कंम्पनी/औद्योगिक गृह के लाइसेंस रद्द किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसी दोषी कम्पनियों को भविष्य में कोई लाइसेंस प्राप्त करने से रोका गया था ;

(घ) यदि हां, तो उनमें से ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें रोका गया था ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) :(क) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय का गठन 1-11-73 को हुआ था । पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए 1-11-73 से 31-12-79 तक की अवधि में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों में से वर्ष 1977-78 व 1979 के दौरान लाइसेंस क्रियान्वित न करने के कारण 107 औद्योगिक लाइसेंस प्रतिसंहृत/रद्द किए गए ।

पर्वतीय/आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में अलग से जानकारी नहीं रखी जाती ।

(ख) संलग्न विवरण में प्रतिसंहृत/रद्द किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की राज्यवार स्थिति दी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) कानून के अंतर्गत इस बारे में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है ।

विवरण

पिछड़े क्षेत्रों के लिए 1-11-73 से 31-12-79 तक की अवधि में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों में से वर्ष 1977 से 1979 के दौरान प्रतिसंहृत/रद्द किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की राज्यवार स्थिति बताने वाला विवरण ।

राज्य	प्रतिसंहृत/रद्द किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1 आंध्र प्रदेश	8
2 बिहार	1
3 गोआ, दमन और द्वीप	1
4 गुजरात	6
5 हरियाणा	2
6 कर्नाटक	6
7 केरल	2
8 मध्य प्रदेश	11
9 महाराष्ट्र	7
10 उड़ीसा	1
11 पांडिचेरी	1
12 पंजाब	4
13 राजस्थान	8
14 तमिलनाडु	18
15 उत्तर प्रदेश	17
16 पश्चिम बंगाल	14
योग	107

26 मार्च, 1980 को उत्तर देने के लिए

विदेशों में रहने वाले भारतीय आन्तरिक्ष वैज्ञानिक

1681. **श्री एन० ई० होरो:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से अन्तरिक्ष अनुसन्धान में विशेष योग्यता रखने वाले कितने भारतीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई और वे किन-किन देशों में कार्य कर रहे थे; और

(ख) इनमें से कितने वैज्ञानिक बसने के लिए पुनः विदेशों में चले गए ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन में छः वैज्ञानिक/इंजीनियर एवं अन्तरिक्ष विभाग द्वारा मुख्य रूप से समर्थित संस्थान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में आठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई है । वे जिन देशों में कार्य कर रहे थे, वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) संयुक्त राज्य अमरीका	9
(2) फ्रांस	1
(3) यू० के०	2
(4) सोवियत संघ	1
(5) पूर्वी अफ्रीका	1

(ख) दो ।

तमिलनाडु में उद्योगों का अधिग्रहण

1682. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1975–79 के दौरान उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18एए अथवा 18एएफए अथवा 18ए के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य में किसी औद्योगिक उपक्रम अथवा किन्हीं उपक्रमों का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक उपक्रमों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उपक्रम किस प्रकार के हैं; और

(घ) उपक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) दो ।

(ग) दोनों सूती वस्त्र उपक्रम हैं ।

(घ) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18एए के अन्तर्गत दि तमिलनाडु टैक्सटाइल कारपोरेशन निम्नलिखित अवधियों के लिए "एक प्राधिकृत व्यक्ति" के रूप में इन उपक्रमों का प्रबन्ध कर रहा है:—

(1) कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुडुकोट्टई	23–12–76 से 22–12–1981 तक

(2) सोमासुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स, मुथानन्दल, जिला रामानाथापुरम . . . . . 4-11-1977 से 3-11-1982 तक

सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में पांच दिन काम होना

1683. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोल और डीजल, जिसका अत्याधिक अभाव हैं की बचत करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में केवल पांच दिन काम करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तदनुसार कार्यालय के दैनिक घंटों में भी वृद्धि की जायेगी; और

(ग) इस बारे में कोई निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क), (ख) तथा (ग) सरकार सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार कर रही है ।

रविवारों और राजपत्रित अवकाश के दिनों के लिए समयोपरि भत्ते के भुगतान में भेद-भाव

1684. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्मचारियों, विशेषकर अराजपत्रित कर्मचारियों में इस बात पर काफी असंतोष है कि रविवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाश के दिनों में उनके द्वारा किए गए काम के बदले उन्हें समयोपरि भत्ते की अदायगी के मामले में उनके साथ भेद भाव किया जाता है ;

(ख) क्या एक ही विभाग में काम करने वाले व अन्य कर्मचारियों की तुलना में मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निजी कर्मचारियों को हर मास अधिक समयोपरि भत्ता दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि कोई भेद-भाव है तो इसको समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिनों में कार्य के लिए समयोपरि भत्ते के बदले प्रतिपूरक छुट्टी मंजूर करने सम्बन्धी अनुदेश सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं । सरकार को इस कारण से हुए ऐसे किसी असंतोष की जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग). सरकारी अनुदेशों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को एक माह के दौरान देय कुल समयोपरि भत्ता, उसकी मासिक परिलब्धियों के एक-तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए । यद्यपि आमतौर पर यह सीमा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों

के "वैयक्तिक कर्मचारियों" पर लागू होगी, किन्तु विशिष्ट मामलो में और सम्बन्धित अधिकारी के यह प्रमाणित करने पर कि यह लोक हित में आवश्यक है, उन्हें उनकी परिलब्धियों के 50 प्रतिशत तक समयोपरि भत्ते की अदायगी की जा सकती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक एसोसिएशन चारकुलिया, जिला सिंहभूम, बिहार द्वारा संकल्प

1685. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी सामाजिक-शैक्षिक सांस्कृतिक एसोसिएशन, चारकुलिया जिला सिंहभूम, बिहार के 13वें वार्षिक आम सभा की बैठक का संकल्प प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो संकल्प की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान् । संसद् सदस्य श्री ए० के० राय द्वारा यथा प्रेषित संकल्प की एक प्रति 25–2–1980 को प्राप्त हुई थी और उसी दिन पावती भेज दी गई थी ।

(ख) संकल्प की प्रति संलग्न है । संकल्प की बिहार सरकार में और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों में जांच की जा रही है ।

आदीवासी सामाजिक शैक्षिक और सांसकृतिक एसोसियेशन, बिहार मुख्यालय चाकुलिया, डाकघर तथा थाना चाकुलिया, जिला सिंहभूम बिहार की 13वी वार्षिक आम सभा की बैठक का संकल्प

रजिस्टर्ड सं० 33/1966–67

स्थान : घाटशिला, डाकघर घाटशिला, थाना घाटशिला, जिला सिंहभूम तारीख 1 अप्रैल, 1979

आदिवासी सामाजिक शैक्षिक सांस्कृतिक एसोसिएशन विहार की आम सभा की 13वीं बैठक डा० हजाम चरण माझी, डी० एच० एम० एस० की अध्यक्षता में 1 अप्रैल, 1979 को हुई जिसमें कार्यकारी वाडी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आम सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव अंगीकार एवं पारित किया गया :

1. भारत के संथाल भारत भूमि के मूल निवासी हैं और देश की वास्तविक परम्परा के प्रतीक है, उनके जीवन के अध्ययन से भारत की सामाजिक एवं धार्मिक परम्परा का पता लग सकता है । इस भारतीय उपमहाद्वीप में वे वैदिक काल से पहले से रह रहे हैं । अब वे भारत के कुछ राज्यों विशेष रूप से बिहार, बंगाल, असम, तथा उड़ीसा में संकेन्द्रित हो गए हैं । संथाल जो "मरांग बोरो" देवता "जहर हरा" देवी के पक्के पुजारी हैं साल के पवित्र पादपों के पवित्र स्थान "सरना" के अद्वितीय पुजारी हैं, अनार्य सभ्यता को बनाए हुए हैं ।

2. यह एसोसिएशन प्रस्ताव करती है कि संथालों के निजी कानून को मान्यता देकर भारत सरकार भारतीय संथालों के रिवाज तथा तरीकों को सुरक्षित बनाएं ।

3. भारत के संथाल वहीं संथाल भाषा बोलते हैं, अलग संथाली (ओलचिकी) ओललिपि में लिखते हैं। यही लिपि ऐसी है जिसमें संथाली शब्दों को सही रूप में लिखने की क्षमता है। संथाली लिपि (ओलचिकी) संथोली शब्दों की ध्वनि को प्रकट करने में वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त है। संथाली बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य, संथाली भाषा के अनोखे उच्चारण के उद्देश्यपूर्ण स्वर विज्ञान के लिए उपयुक्त संथाली भाषा आवश्यक है और उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। ये ऐसोसिएशन प्रस्ताव करता है कि ओलचिकी लिपि में संथोली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया जाए।

4. यह एसोसिएशन प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार की सीधी देखरेख में भारतीय संथालों के लिए "अखिल भारतीय संथाली शिक्षा बोर्ड' बनाया जाए ताकि संथाल शिक्षा का एक समान माध्यम प्राप्त कर सकें।

जैसा कि भारत के संथाल छात्रों को अलग अलग शिक्षा दी जाती इसलिए यह एसोसिएशन 18, 19 तथा 20 फरवरी, 1977 को बेतकुन्द्री दाही, झार ग्राम में सम्पन्न अखिल भारतीय आदिवासी संथाल परिषद् के प्रस्ताव को स्वीकृत करता है और राज्य सरकार से अनुरोध करता है कि सहारे, सान और वेषाख के महीने के पूर्ण चन्द्र को सहारे हरियन और मक मारें के त्यौहारों के दिन सरकारी छुट्टी घोषित की जाए। वाहा फालगुन का 5वां दिन है। यह एसोसिएशन सरकार से अनुरोध करता है कि प्रगनाओं द्वारा निर्णीत सामाजिक झगड़ों में हस्तक्षेप करने से दूर रहें।

5. सामाजिक झगड़ों के विचारण एवं अंतिम निर्णय के लिए संथाल न्याय पद्धति को मान्यता दी जाए।

6. रेडियो तथा टेलीविजन शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक माध्यम है। अखिल भारतीय रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण की वर्तमान पद्धति पहले जेसी है जो सामुदायिक विकास एवं शिक्षा के प्रभावी प्रयोजन की पूरा नहीं करता है। इस प्रकार जहां तक विश्व की कृषि, वागवानी और वर्तमान घटनाओं से संबंधित सामूहिक शिक्षा का संबंध है, अखिल भारतीय केन्द्र जैसे कलकत्ता, रांची, कटक, आदि में संथालों के लिए स्वीकृत संथाली कार्यक्रम तथा उसके लिए स्वीकृत समय बहुत कम है, जो विल्कुल सहायक नहीं है बल्कि नुकसानदायक है।

इसलिए यह एसोसिएशन प्रस्ताव करता है कि संथाली तथा अन्य संबद्ध भाषाओं के लिए घाटशिला में तत्काल एक अलग आखिल भारतीय रेडियो केन्द्र स्थापित किया जाए।

डा० एच० सी० माझी
अध्यक्ष
आदिवासी सामाजिक शक्षिक सांस्कृतिक एसोसिएशन, विहार।

वैजनाथ सोरेन,
जनरल सेक्रेटरी
आदिवासी सामाजिक शैक्षिक सांस्कृतिक एसोसिएशन, विहार।

एफ०आई०सी०सी० आई० के प्रतिनिधि मंडल की सोवियत संघ की यात्रा

1686. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत में गैरसरकारी क्षेत्र के उद्योग को नई दिशा देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो पेशकशक का ब्यौरा क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख). सरकार को पता लगा है कि भारतीय निजी क्षत्र की कम्पनियों तथा फर्मों के मध्य सहयोग के संवर्द्धन हेतु एक ओर सोवियत संघ तथा दूसरी ओर सोवियत विदेश व्यापार संगठन ने रूचि दिखाई है ।

पश्चिम जर्मनी की कम्पनी साइमन से भारत हवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड का सहयोग

1687. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या उद्योग मंत्री दिनांक 9 मार्च, 1980 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "प्रोव इन टु साइमंस डील लीकेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के वारे में यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने पश्चिम जर्मनी की कम्पनी साइमंस से सहयोग करने का प्रस्ताव किया था और इस समय यह वार्ता किस चरण में है ;

(ख) क्या प्रस्तावित सहयोग प्रवंध के वारे में जानकारी को वाहर वताने के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के एक कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, और इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस वर्ष के प्रारम्भ से इस विषय पर पश्चिम जर्मनी की इस कम्पनी के किसी निदेशक ने सरकार अथवा भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के किन्हीं अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां । वी० एच० ई० एल० ने पश्चिम जर्मनी की मे० सीमेंस के साथ एक तकनीकी सहयोग करार के लिए आवेदन दिया है जो कि अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) श्री के० विजयचन्द्रन जव 1977 और 1978 में भारत हैवी इलक्ट्रिकल्स लि०, नई दिल्ली के कारपोरेट कार्यालय के प्रवन्धक के रूप में कार्य कर रहे थे, कम्पनी की तथाकथित सूचना जो कि गुप्त तथा सुग्राही थी, अनधिकृत रूप से प्रकट की थी । अतः वी० एच० ई० एल० के अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1975 के अनुसार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उन्हें एक आरोप-पत्र दिया गया था और दिसम्बर, 1979 में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय के विभागीय जांच आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

ग्रेड दो से ग्रेड एक में पदोन्नति के लिए वर्ष 1979 सम्बन्धी प्रवर सूची को अन्तिम रूप दिया जाना

1688. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों को ग्रेड दो से ग्रेड एक में पदोन्नति के लिए वर्ष 1979 संबंधी प्रवर सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या प्रवर सूची में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए संगत तारीख 1 जुलाई ही मानी गई है जैसी कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड एक और सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए) विनियम, 1964 में व्यवस्था है, और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड-II नहीं है । वर्ष 1979 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नति के लिए प्रवर सूची तैयार की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) . केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I तथा चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियम, 1964 में "प्रवर सूची तैयार किए जाने वाले कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई" के संदर्भ में प्रवर सूची तैयार किए जाने की व्यवस्था है । चूंकि प्रवर सूची तैयार करने की कार्रवाई 1979 में ही शुरू की गई थी, इसलिए पात्रता भी 1-7-1979 के संदर्भ में ही मानी गई है । किन्तु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में दायर किये गये मामले

1689. **श्री थाक्षाई एम० करुणानिधि :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के ऐसे आदेशों, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा स्थायीकरण के समय आरक्षण के उपबंधों के पक्ष में जारी किए गये हैं, को चुनौती देने वाले कितने मामले जनवरी, 1977 से फरवरी, 1980 तक उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में दायर किये गये ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) न्यायालयों द्वारा कितने मामलो में अंतरिम "स्टे" दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) "स्टे" आदेशों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) तथा (ख). विभिन्न न्यायालयों में दायर उन मामलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं, जिनमें गृह मंत्रालय को पक्षधर बनाया गया है :—

(*i*)	उच्चतम न्यायालय	9
(*ii*)	अन्य उच्च न्यायालय	18
(*iii*)	योग	27
(*iv*)	प्रारम्भिक नियुक्ति से संबंधित	कोई नहीं
(*v*)	पदोन्नति से संबंधित	24
(*vi*)	स्थायीकरण से संबंधित	1
(*vii*)	रिक्तियों को आगे ले जाने से संबंधित	1
(*viii*)	पदों बनाम रिक्तियों में आरक्षण से संबंधित	1

(ग) रेल मंत्रालय, डाक एवं तार महानिदेशालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय भांडागार निगम के विरुद्ध 4 मामलों में उपर्युक्तता की शर्त सहित वरिष्टता द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के आदेशों के कार्यान्वियन को उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। किन्तु वाद में उच्चतम न्यायालय ने रेल मंत्रालय तथा डाक एवं तार महानिदेशालय को दिया गया स्टे समाप्त कर दिया था।

(घ) जिन मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू करने से रोक दिया गया था उन मामलों में सरकार ने जहां संभव हो स्थगन आदेश रद्द कराने के लिए प्रति-शपथ पत्र दायर किए हैं। उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दिए गए आदेशों के बचाव के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाता है।

जबलपुर में उद्योगों की स्थापना

1690. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुविधाओं और संसाधनों की दृष्टि से जबलपुर उद्योगों की स्थापना के लिए एक उपयुक्त स्थान है ;

(ख) क्या रक्षा संस्थाओं को छोड़कर जबलपुर में कोई बड़ा उद्योग अब तक स्थापित नहीं किया गया है ;

(ग) क्या जबलपुर में सिरोहा के निकट गैर सरकारी क्षेत्र में बर्मा शैल द्वारा विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन करने वाला एक कारखाना स्थापित किया जाना था और इसकी नींव भी रख दी गई थी और वहां गोदाम आदि का भी निर्माण हो गया था ;

(घ) क्या बाद में इसको गिरा दिया गया था और इसकी सामग्री आदि की नीलामी कर दी गई थी और कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था ;

(ङ) विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करने वाले कारखाने का प्रस्ताव किन परिस्थितियों में अस्वीकृत किया गया था ; और

(च) क्या जबलपुर में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कोई नया बड़ा अथवा मध्यम उद्योग की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) जबलपुर जिले में रक्षा प्रतिष्ठानों के आलावा और भी अनेक बड़े और मझौले उद्योग हैं।

(ग) इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड द्वारा सिरोहा में सरकारी क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ तैयार करने के एक कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया था और राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार एक अस्थायी भंडारण शेड का निर्माण किया गया था। उसकी आधार शिला रखने के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है।

(घ) अस्थायी शेड गिरा दिया गया है और इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी ने प्रस्तावित एकक को सिहोरा से कोरवा के विद्यमान एकक स्थल में ही ले जाने का निश्चय किया है ।

(ङ) इंडो-बर्मा पेट्रोलियम का विचार कोरवा में एक मिले-जुले एकक की स्थापना करने का है । लगता है कि स्थापना स्थल को बदलने का निर्णय आर्थिक एवं प्रशासकीय आधार पर किया गया है ।

(च) जबलपुर जिले के पाटन में निजी क्षेत्र में 9000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाली एक रोलिंग मिल की स्थापना करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ?

महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों को दंड

1691. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों को दण्ड देने सम्बंधी कानून प्रायः अपराधियों को दण्ड देने में असफल रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या खामियां दूर करने के लिए उक्त कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) : सरकार को अभ्यावेदन और पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अभिवेदन किया गया है कि बलात्कार से संबंधित कानून में खामियां हैं और इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है । यह निर्णय किया गया है कि इस प्रश्न को विधि आयोग को भेजा जाए कि क्या महिलाओं की अधिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बलात्कार से संबंधित कानून और आपराधिक कानून के किसी अन्य पहलू में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

खोकराबड़ सीमावर्ती सड़क को पर्यटकों के लिए खोल देना

1692. **श्री भगवान देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के सिंध प्रान्त से भारत आने वाले और भारत से सिंध प्रांत जाने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या और उनको हो रही वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार खोकरावड़ सीमा सड़क (जिला बाड़मेर), राजस्थान को खोल कर उन्हें सुविधाएं देने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में कठिनाइयां क्या हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह सड़क कब तक खोल दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क), (ख) और (ग): इन्डो-पाकिस्तान शिमला समझौता 1974 के अधीन खोकरावड़ मुनाबाव भूमि सीमा, दोनों देशों के बीच यात्रा करने का एक निर्धारित रास्ता है । तथापि, इस रास्ते को खोलने के लिए पाकिस्तान सरकार की सहमति और सहयोग आवश्यक होगा ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-एक) में पदों का शामिल किया जाना

1693. **श्री सूरजभान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-एक) में 1 जनवरी, 1980 को कितने पद शामिल किये गये ;

(ख) 1 जनवरी, 1980 को उन पर कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा के और अन्य श्रेणी-एक के अधिकारी नियुक्त किये गये और कितने पदों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी नियुक्त किये गये ;

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-एक) के कितने ऐसे अधिकारी थे जो 1 जनवरी, 1980 को अवर सचिवों के अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुके थे ;

(घ) उपरोक्त नियुक्तियों में से कितने व्यक्ति पदोन्नति के पात्र थे और कितने व्यक्तियों को अभी तक पदोन्नति का पात्र नहीं समझा गया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अवर सचिव तथा उसके समकक्ष पद किसी सेवा के संवर्ग में शामिल नहीं हैं, बल्कि उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I, राज्य सिविल सेवाओं तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के पैनल में शामिल पात्र अधिकारियों में से भरा जाता है । इसलिए 1-1-1980 को अवर सचिवों तथा उसके समकक्ष किसी पद को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सम्मिलित किया गया नहीं कहा जा सकता ।

(ख) इस विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-1980 को 230 पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य श्रेणी-I की सेवाओं के अधिकारी और 481 पदों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी कार्य कर रहे थे ।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

मद्रास परमाणु बिजली परियोजना में बिजली का उत्पादन

1694. **श्री ईरा अनबरासू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिल स्थित मद्रास परमाणु बिजली परियोजना में बिजली के उत्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार बिजली के उत्पादन की प्रक्रिया को तेज करने के लिये उचित कदम उठायेगी, और

(ग) वहां वस्तुतः बिजली उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) विलम्ब के मुख्य कारण हैं : बड़े उपस्करों के निर्माण में सामने आई समस्यायें, निर्माताओं की कार्यशालाओं में श्रमिक अशांति और बिजली की

कटौती के कारण हुआ विलम्ब, तथा कुछ देशों द्वारा कुछ उपस्करों और कुछ प्रकार की सामग्री के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों से उत्पन्न कठिनाइयां ।

(ख) तथा (ग) जी, हां । पहले यूनिट के सन् 1980 के अन्त तक और दूसरे यूनिट के सन् 1983 के आरम्भ में तैयार हो जाने की आशा है । बिजली का उत्पादन उसके बाद शुरू किया जाएगा ।

सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों की पदोन्नतियों के अवसरों में विषमता को दूर करने का निर्णय

1695. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सैनिक अधिकारियों तथा सनिक अधिकारियों की पदोन्नतियों के अवसरों में विषमताओं को दूर करने तथा उनके पदनामों (रेन्कों) में परिवर्तन से सम्बन्धित अपने विचाराधीन प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन. सिंह) : (क) से (ग) : सशस्त्र सरंचना और रक्षा सेवाओं की विशिष्ट सेवा शर्तों पर आधारित है । इसलिये उनकी सिविलियन संवर्गों के साथ तुलना नहीं की जा सकती । सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में पदोन्नति के अवसरों की हाल ही में समीक्षा की है और ब्रगेडियर तथा अन्य दोनों सेवाओं में उनके समकक्ष रैंक के अफसरों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिये अफसर संवर्ग की समीक्षा की है : इसके ब्योरे इस प्रकार हैं :—

(1) मेजर और अन्य दोनों सेवाओं में उनके समकक्ष पदों के लिये पदोन्नति के अवसरों की लगभग 60 प्रतिशत व्यवस्था की गई है । इनमें से 20 प्रतिशत पदोन्नति चयन ग्रेड के माध्यम से की जायेगी ।

(2) लेफ्टिनेंट कर्नल और अन्य दोनों सेवाओं में उनके समकक्ष पदों के लिये पदोन्नति के अवसर की लगभग 50 प्रतिशत व्यवस्था कर दी गई है । इसमें से भी लगभग 10 प्रतिशत पदोन्नति चयन ग्रेड के माध्यम से की जायेगी ।

(3) थल सेना में लें० कर्नल/कर्नल के 125 पदों का दर्जा बढ़ा कर ब्रगेडियर कर दिया गया है । वायु सेना में ग्रुप कैप्टन के 10 पदों का दर्जा बढ़ा कर एयर कमोडोर कर दिया गया है । नौसेना के लिये कमांडर के 52 पदों का दर्जा बढ़ा कर कैप्टन करने के लिये सरकार सिद्धान्तः सहमत हो गई है ।

सैनिक अभ्यास के कारण जिन लोगों को वैयक्तिक हानि होती ह उन्हें मुआवजा देना

1696. **श्री विरधी चन्द्र जैन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना, राजस्थान में भारत-पाक सीमा से लगे कई स्थानों पर हर वर्ष अभ्यास करती है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है ;

(ख) क्या इन अभ्यासों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय लोगों को हुई वैयक्तिगत क्षति की रक्षा विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाता है ; यदि हां तो उसका मान-दण्ड क्या है और मुआवजा मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है

(ग) क्या इसमें राज्य के पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया जाता है, यदि हां, तो कौन सा पदाधिकारी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) उन व्यक्तियों की जिलावार सूची क्या है जिन्हें सेना ने अब तक मुआवजा दिया है ;

(ड़) उन व्यक्तियों का जिलावार, विवरण क्या है जिनके मामले विचाराधीन हैं ; और

(च) किस निश्चित तारीख तक उनके मामले निपटा दिये जायेंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : दूसरे राज्यों में स्थित यूनिटों की तरह राजस्थान स्थित यूनिटें भी नियिमित रूप से प्रशिक्षण अभ्यास करती हैं।

(ख) इस प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान जान अथवा माल को हुई कोई क्षति या किसी व्यक्ति को आई चोट के लिये थल सेना विभाग द्वारा स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों से परामर्श करके मुआवजा दिया जाता है। स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों को किसी एक दुर्धटना में, प्रत्येक मामले में एक हजार रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक का मुआवजा देने का अधिकार है। इसके अलावा चांदमारी क्षेत्र में हुई दुर्धटना में किसी की मृत्यु हो जाने पर वे दो हजार रुपये तक और चोट लगने के मामले में 500 रुपये का अनुग्रह पूर्ण मुआवजा दे सकते हैं। मुआवजे की इससे अधिक रकम सरकार द्वारा मंजूर की जाती है।

(ग) मुआवजा तय करने के लिये राज्य सरकार के स्थानीय राजस्व अधिकारियों को भी सहयोजित किया जाता है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों द्वारा अपने निगमों के लिए सीमेंट का आयात

1697. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम की मार्फत विदेशों से सीमेंट आयात करक पर्याप्त मात्रा में सीमेन्ट उपलब्ध नहीं किया जा रहा

और क्या इस बात को ध्यान में रखकर सामान्य लाइसेंसों द्वारा आयात करने के लिये छूट दिये जाने का प्रस्ताव है, और जिसकी दरें सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों तथा उनके विभिन्न निगमों को अपनी जरूरत के अनुसार सीमेंट आयात करने के लिये उन्हें छूट देने का विचार है और क्या किसी राज्य ने इस तरह की मांग की हैं और यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय लिया गया और इस तरह की छूट न देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना:) (क) और (ख). देश में सीमेंट की उपलब्धि बढाने की दृष्टि से चालू वर्ष में बीस लाख मीट्रिक टन सीमेंट का आयात करने हेतु राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत किया गया है। इस मात्रा का आयात करने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकारों ने सीधे ही सीमेंट का आयात करने हेतु निजी पार्टियों को अनुमति देने का प्रस्ताव किया था। इन अनुरोधों पर विचार किया गया और राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया था कि उनके प्रस्तावों से सहमत होना संभव नहीं है। फिर भी गुजरात सरकार ने बाद में एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें गुजरात इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को 60 हजार मीट्रिक टन सीमेन्ट का सीधे ही आयात करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस अनुरोध की जांच की जा रही है।

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के बारे में राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत

1698. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के बारे में राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्ष 1979–80 के लिये केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिये निर्धारित की गई राशि पूरी तरह से उपयोग में लाई गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो अब तक, राज्यवार, कितनी राशि दी गई है और उपयोग में लाई गई है और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कि यह धनराशि व्यपगत न हो अथवा राज्यों द्वारा इसे अन्य कार्यों के लिये प्रयोग में न लाया जाये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). जनजाति उप-योजना 1978–83 और वार्षिक जनजाति उप-योजना 1979-80 को तैयार करने के लिये संबंधित राज्यों को भेजे गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सार विवरण [i] में दिया गया है।

(ग) और (घ). वर्ष 1979–80 अभी भी चालू है और व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राज्य योजना से जनजाति उप-योजना क्षेत्रों को राशि और विशेष केन्द्रीय सहायता राशि का विवरण, विवरण II पर है। राज्यों ने राशि का गैर-अपवर्तक के सिद्धान्त को स्वी-

कार कर लिया है और अधिकतर मामलों में धनराशि को राज्य बजट में दिखाया गया है। अग्रिम योजनायें बनाकर समय पर स्वीकृतियां जारी करके और क्षेत्र में उचित कार्यान्वयन के द्वारा धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जाना है।

विवरण I

जनजाति उप-योजना को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का सार

जनजाति उप-योजना 1978–83 और वार्षिक उप-योजना 1979-80 को तैयार करने के लिये गृह मंत्रालय ने राज्य योजना सचिवों और जनजाति आयुक्तों को 3 मई, 1978 को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये थे।

2. जनजाति उप-योजना 1978–83 और 1979-80 को तैयार करने के लिये संबंधित विभागों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न उपाय निम्न प्रकार थे :—

(i) कार्यक्रम तैयार करने में आई. टी. डी. पी. को एक यूनिट माना जाय।

(ii) इसमें राज्य योजना कार्यक्रम, केन्द्रीय मंत्रालय कार्यक्रम और विशेष केन्द्रीय सहायता सहित क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास प्रयत्न शामिल हैं, इस प्रकार इसको राज्य योजना से अधिक विस्तृत परिवेश दिया जाता है।

(iii) कार्यक्रम बनाने में प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं और जनजाति समुदाय से इसकी अनुकूलता पर बल दिया जाता है।

3. वर्ष 1978–79 के लिये राज्य उप-योजना और परियोजना-वार वार्षिक योजनाएं पहले ही बना दी गई हैं और अंतिम रूप दे दिया गया है। वार्षिक-योजना और परियोजना रिपोर्टें आधार प्रदान करती हैं और मध्य-अवधि योजना बनाने के लिये इस आरंभिक विन्दु माना जा सकता है।

4. इस पृष्ठभूमि पर तीन प्रकार का कार्य शुरू किया जाना था, नामत :

(i) 1978–83 की परियोजना योजनाएं तैयार करना ;

(ii) राज्य स्तर पर क्षेत्रीय उप-योजना, 1978–83 तैयार करना ;

(iii) जनजाति उपयोजना 1978–83 की विस्तृत रूपरेखा तैयार करना। तीनों कार्य में से प्रत्येक का भिन्न उद्देश्य हैं। परियोजना-वार योजनाओं का लक्ष्य स्थानीय संगतता के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना है, इस प्रकार से राज्य स्तर कार्यक्रम नियोजन की सीमा शर्तों का स्पष्टीकरण करती है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय योजना ने प्रत्येक क्षेत्र में जनजातियों के लिये उनके स्रोत क्षमता और अन्तक्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में विस्तृत सापेक्ष महत्वता प्राप्त की है। इनका उद्देश्य केन्द्रीय मंत्रालयों और विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा संबंधित क्षेत्र आवश्यक अनुपूरकों की पहचान करने का भी है। तीसरा कार्यक्रम विस्तृत नीति रूपरेखा और राज्य स्तर पर कुल वित्तीय पैरामीटर और अन्तर्-क्षेत्रीय प्राथमिकता को भी उपलब्ध कराता है। इन तीनों कार्यक्रमों को जनजातीय उपयोजना प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिये उपयुक्त रूप से अनुकूल बनाया जाना था।

5. प्रथम उपयोजना 1974-79 मोटे तौर पर क्षेत्रीय अपृथककरण तथा उसके गणितीय एकीकरण की थी, परन्तु उससे इन क्षेत्रों की समस्या पर ध्यान आकर्षित करने तथा उसमें संभाव्य संस्रोतों का पता लगाने में सहायता मिली। 1978–83 की उप-योजना को जनजातीय विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ सुव्यवस्थित क्षेत्रीय विकास योजना बनाना था। इसलिये यह आवश्यक है कि उपयोजना 1978–83 के लिय निवेश का समस्त स्तर क्रमशः प्रायोजित किया गया और इन वित्तीय पैरामीटरों के अन्तर्गत परस्पर क्षेत्रीय प्राथमिकता का निर्णय किया गया। निवेश के स्तर का निर्णय जनजातीय क्षेत्रों के विकास के स्तर के सम्पूर्ण विचार उनकी समावेश क्षमता, और वृद्धि की दर जो सम्पूर्ण राज्य की तुलना में अगले 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के लिये इस क्षेत्रों के लिये अनुमानित की गई है को देखते हुए किया जायेगा। यह निवेश राज्य योजना, केन्द्रीय मंत्रालयों की योजना तथा गृह मंत्रालय की विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त किया जायेगा। यदि क्षेत्रीय उपयोजना 1978–83 तथा जनजातीय उप-योजना 1978–83 की रूपरेखा पर्याप्त विस्तार से तैयार की जाये जिनमें स्पष्ट रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा उनके अन्तर को बताया जाता तो राज्यों के लिये यह संभव होता कि वे विशिष्ट केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय मंत्रालय निधियों से पर्याप्त पूरक धनराशि प्राप्त कर सकते थे।

6. योजना आयोग ने उप-योजना 1978–83 तैयार करने के लिये अलग से मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा उसे बनाने के लिये विस्तृत ढांचा उपलब्ध किया। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि राज्य योजना के पूर्व उप-योजना तैयार करने के लिये कार्रवाई प्रारंभ करें क्योंकि परियोजना स्तर पर और क्षेत्रीय प्राधिकारियों तथा जनजातीय आयुक्तों द्वारा भी मूल कार्य करने की आवश्यकता होती है।

विवरण II

जनजाति उप-योजना 1979–80

रुपये लाखों में

राज्य का नाम	राज्य योजनाओं से धन	विशेष केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1537.38	374.10
2. असम	1000.00	325.80
3. बिहार	6525.00	972.10
4. गुजरात	3920.00	566.20
5. हिमाचल प्रदेश	795.60	125.00
6. कर्नाटक	315.00	48.00
7. केरल	158.75	40.00
8. मध्य प्रदेश	7053.30	1918.90
9. महाराष्ट्र	4583.00	380.00
10. मणिपुर	1117.00	126.00

11. उड़ीसा	5850.76	991.10
12. राजस्थान	3334.46	537.00
13. तमिलनाडु	204.00	55.00
14. त्रिपुरा	850.99	130.00
15. उत्तर प्रदेश	59.27	31.20
16. पश्चिम बंगाल	1774.31	314.00
17. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	262.98	43.00
18. गोवा दमन और दीव	18.00	22.00
	39359.80	7000.00

कुमारधुबी इंजीनियरी वर्क्स का बन्द किया जाना

1699. **श्री शिबु सोरेन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कुमारधुबी इंजीनियरी वर्क्स पिछले छः महीनों से बन्द पड़ा हुआ है जिसके फलस्वरूप कारखाने के 5,000 कर्मचारियों को बिहार राज्य के धनबाद जिले में व्याप्त सूखे और अकाल के इन दिनों में अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ रही है ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि प्रबन्ध व्यवस्था को इलाहाबाद बैंक द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के लिये लम्बी बातचीत चली थी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से नया निदेशक बोर्ड बनाकर कारखाने को फिर से चालू किया जा सके; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिनांक 8 दिसम्बर, 1979 को पटना में हुई बैठक में इस पर कोई निर्णय लिया जा सका था ;

(घ) क्या यह सच है कि कुमारधुबी इंजीनियरी वर्क्स एक लाभप्रद कारखाना है जिसमें कीमती मशीनें लगी हुई हैं और इसलिये इसे बन्द रखना राष्ट्रीय क्षति है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने का विचार है ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी, हां । किन्तु कारखाने में कर्मचारियों की संख्या लगभग 2,300 है न कि 5,000।

(ख) जी, हां। यह अन्य बातों के साथ साथ इस आधार पर हुआ कि हीटगेर्स ग्रुप की अन्य कम्पनियों के चार हिस्सों में 37.99% शेयर इलाहाबाद बैंक को 4/00 रु०

में बेचे जायेंगे और 25% शेयरों के लिये मताधिकार भी इलाहाबाद बैंक को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा और नया निदेशक मण्डल गठित किया जायेगा जिसके सदस्य सरकारी क्षेत्र के एककों/बैंकों से लिये जायेंगे। इसके अलावा राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा भी कुछ वित्तीय सहायता/सुविधा दी जानी थी।

(ग) बिहार सरकार के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 8-12-79 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार एकक को फिर से चालू करने के बारे में निर्णय लिया गया था जो इस शर्त के अधीन था कि पुनः स्थापन योजना से यह प्रकट हो कि यह लाभप्रद है किन्तु एकक के लाभप्रद होने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(घ) यदि कम्पनी द्वारा अपेक्षित निधियां इसे उपलब्ध कराई जातीं और अच्छा प्रबंधक वर्ग नियुक्त किया जाता तो कुमारधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स कुछ समय में लाभप्रद बन सकता था। सरकार भी इस बात के लिये उत्सुक है कि कम्पनी को बन्द न रखा जाये।

(ङ) जी हां, कम से कम सम्भव समय में।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रों में कार्य कर रहे गैर-असमियों के परिवारों का प्रत्यावर्तन

1700. **श्री एस आर० एस० एस० अप्पालानायडु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रों में कार्य कर रहे गैर-असमी अपने परिवारों को देहरादून स्थित अपने मुख्यालय में भेज रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनके प्रत्यावर्तन के लिये समुचित प्रबंध किये गय हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

लाइसेंसों के लिए आवेदन

1701. **श्री पी० जे० कुरियन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये वर्ष 1979-80 के दौरान सरकार को उद्योग-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) वर्ष के दौरान कुल कितने आवेदनों को निपटाया गया ; और

(ग) वर्तमान समय में कितने आवेदन विचाराधीन पड़े हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बरनजीत चानना) : (क) 1-4-79 से 29-2-80 तक की अवधि में उद्योग वार प्राप्त उद्योग-वार औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्रों की संख्या को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कुल 1434 आवेदन-पत्रों में 1 से 727 आवेदन-पत्र निपटा दिये गये हैं।

(ग) 20-3-80 को 707 आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हुए थे जिसमें से 299 मामले नियत समय से अधिक अवधि में है।

विवरण

क्रम सं०	अनुसूचित उद्योग का नाम	प्राप्त औ० ला० संबंधी आवेदन-पत्रों की संख्या	निपटाये गये औ० ला० संबंधी आवेदन-पत्र	अनिर्णीत पड़े हुए औ० ला० संबंधी आवेदन-पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	धातुकर्मी उद्योग (लौह तथा अलौह)	187	97	90
2.	ईंधन	2	..	2
3.	प्राइममूवर्स (विद्युत जनित्रणों को छोड़कर)	4	2	2
4.	विद्युत उपकरण	125	64	61
5.	परिवहन	31	13	18
6.	औद्योगिक मशीनरी	64	23	41
7.	मशीनी औजार	10	7	3
8.	कृषि मशीनें	5	3	2
9.	विविध मैकेनीकल तथा इंजीनियरी उद्योग	121	80	41
10.	वाणिज्यिक कार्यालयीय तथा घरेलू उपस्कर	11	6	5
11.	औद्योगिक उपकरण	17	9	8
12.	वैज्ञानिक उपकरण	3	2	1
13.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	296	147	149
14.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्म तथा कागज	2	2	..
15.	रंजक पदार्थ	10	6	4
16.	दवाइयों तथा भेषज	116	51	65
17.	वस्त्र (रंगे छपे अथवा अन्य प्रकार से परिष्कृत वस्त्रों सहित)	47	20	27
18.	कागज और लुगदी सहित कागज आदि	8	26	42

1 2	3	4	5
19. ऊनी	5	4	1
20. किण्वन उद्योग	8	2	6
21. खाद्य परिरक्षण उद्योग	94	57	37
22. वनस्पति तेल तथा वनस्पति	72	26	46
23. रबड़ की वस्तुएं	5	3	2
24. चमड़ा, चमड़े का सामान तथा पिकर्स	9	6	3
25. ग्लास (कांच)	13	8	5
26. चीनी मिट्टी	11	6	5
27. सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	94	53	41
28. इमारती लकड़ी उत्पाद	2	2	..
29. विविध उद्योग	2	2	..
योग	1434	727	707

प्रतिभा पलायन

1702. **श्री मगनभाई बरोट :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और टक्नोलोजी के अनेक प्रतिभावान व्यक्ति बेहतर नौकरी, भविष्य और कमाई के लिए दूसरे देशों में चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने व्यक्ति विदेशों को गए हैं; और

(ग) उन व्यक्तियों को वापिस लाने अथवा वापिस आने के लिए आकर्षित करने के बारे में सरकार के क्या ठोस प्रस्ताव और योजना हैं, ताकि उनकी प्रतिभा का देश में ही उपयोग हो सके ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न कारणों से विदेश गए वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ग) फिलहाल विदेशों में रह रहे प्रतिभावन भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को भारत में विकास कार्यों में उपयोग करने के लिए एक योजना 1976 में शुरू की गई थी । "भारतीय मूल के स्वदेश छोड़ कर गए विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी स्थानान्तरण" से संबंधित एक नई योजना का हाल ही में भारत सरकार और यू०एन०डी०पी० के बीच अनुमोदन किया गया है । दोनों ही योजनाओं द्वारा विदेशों में काम कर रहे/बसे भारतीय, अन्त में उपयुक्त संस्थाओं को अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे । भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी कार्मिकों की स्वदेश वापसी को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा पहले से किए गए अन्य उपाय हैं--विदेशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के नाम दर्ज करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में 'विदेशों में भारतीय' नाम से एक पृथक खण्ड का रखा जाना, विदेशों से वापिस आ रहे सुयोग्य भारतीय

वैज्ञानिकों के लिए अस्थाई व्यवस्था करने के लिए सी०एस०आई०आर० द्वारा संचालित 'वैज्ञानिक पूल' की योजना, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या विश्वविद्यालयों में अल्प-कालिक और अधिसंख्य नियुक्तियां, और एक पैकेज योजना, ताकि भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद भारत वापिस आ सकें और यहां अपने उद्योग शुरू कर सकें ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए 1978 की चयन सूची में संशोधन

1703. **श्री जय नारायण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए 1978 की चयन सूची में संशोधन किया गया था और उसे विस्तृत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, 1978 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा चयन ग्रेड की प्रवर सूची के आकार को 13 अधिकारियों के नामों की एक पूरक सूची जारी करके 37 से बढ़ा कर 50 किया गया था ।

(ख) अनेक अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर 13 अधिकारियों के नाम जोड़े गए थे । पूरक सूची, पात्र अधिकारियों के मामलों की पुनरीक्षा करने के बाद जारी की गई थी ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के निदेशक बोर्ड का चेयरमैन

1704. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली का नियंत्रण दो बोर्डों, निदेशक बोर्ड तथा प्रशासन बोर्ड द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या समिति की स्थापना से ही निदेशक बोर्ड का चेयरमैन निश्चित रूप से गृह मंत्रालय का वरिष्ठतम अधिकारी, यथा, सचिव या अतिरिक्त सचिव से नीचे के दर्जे का नहीं होता है;

(ग) क्या समिति के कार्य काल के पूरे 15 वर्ष बीत जाने के बाद, निदेशक बोर्ड के चेयरमैन का दर्जा कम करके फरवरी, 1978 से संयुक्त सचिव के दर्जे के समान कर दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या समिति वित्तीय दृष्टि से वर्ष 1978 और 1979 के दौरान कोई सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान् 1 मार्च, 1978 में यह निर्णय किया गया था कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के एक संयुक्त सचिव को समिति के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया जायेगा।

(घ) इस परिवर्तन के कारण ये थे कि संयुक्त सचिव तथा अपर सचिव के रैंक के अधिकारियों, जो निदेशक थे को इतना समय नहीं मिल पाता था कि वे समिति के रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दे पाते। अतः यह निर्णय किया गया था कि निदेशक तथा उप सचिव स्तर के अधिकारियों को निदेशक बोर्ड में नामित किया जाए और संयुक्त सचिवों में से किसी एक को अध्यक्ष मनोनीत किया जाए।

अन्य कारण यह था कि चुने गए निदेशक प्रायः अधिकतर लिपिकों तथा सहायकों के संवर्गों से लिए जाते हैं तथा अनुभाग अधिकारी अथवा अवर सचिव स्तर के अधिकारी कभी-कभी ही रुचि लेते हैं। इस संदर्भ में यह आवश्यक समझा गया था कि सरकारी पक्ष का स्तर भी उपयुक्त ही रखा जाए। वर्ष 1978 तथा 1979 के दौरान समिति में कोई वित्तीय सुधार नहीं हुआ था।]

माजगांव गोदी में निर्मित जहाज और नौकाएं

1705. श्री विजय एन० पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977--79 के दौरान मजगांव गोदी, बम्बई में कितने जहाज और अन्य नौकायें बनाई गयी ;

(ख) इनमें से कितनों को क्रयादेश पर विदेशों को बेचा गया और कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) क्या जहाज बनाने के लिये विदेशों से कोई नये क्रयादेश प्राप्त हुये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) माझगांव डॉक लिमिटेड ने जनवरी 1977 से दिसम्बर 1979 की अवधि में 10 पोतों तथा 56 बजरों का निर्माण किया।

(ख) इनमें से 7 पोतों तथा 43 बजरों का विदेशों को निर्यात कर दिया गया और इस प्रकार 24.79 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई गई।

(ग) जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में साधा गांव में महिला से बलात्कार

1706. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिनजर थाने के थानेदार और दो पुलिस सिपाहियों ने 18 फरवरी, 1980 को साधा गांव में एक विवाहित महिला से बलात्कार किया था;

(ख) क्या इस आशय की एक रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई है ;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) संबंधित पुलिस कर्मियों/अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि कालिनजर के थानेदार और दो सिपाहियों ने 17/18 फरवरी, 1980 की रात को एक विवाहित महिला के साथ बलात्कार किया था ।

(ख) जी, हां, श्रीमान् ।

(ग) गांव साधा, थाना कालिनजर, की निवासी श्रीमती उर्मिला ने शिकायत की थी कि 17/18 फरवरी 1980 की रात को कालिनजर के थानेदार और दो सिपाहियों ने उसके पति को उनके घर से इस बहाने से पकड़ा था कि उसने डाकुओं और गुण्डों को आश्रय दिया था । जब श्रीमती उर्मिला ने अपने पति को रिहा करने के लिए पुलिस दल से अनुरोध किया तो थानेदार और दो सिपाहियों ने उसके साथ कथित बलात्कार किया ।

(घ) 19-2-80 को थाना कोतवाली बांदा में थानेदार, कलिनजर और दो सिपाहियों के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 376 के अधीन एक अपराध दर्ज किया गया था । जिला बांदा के विशेष अन्वेषण स्टाफ द्वारा मामले की प्रारम्भिक जांच की गई । इसके पश्चात् मामला अपराध शाखा, सी० आई० डी०, उत्तर प्रदेश को जांच के लिए सौंप दिया गया और बलात्कार के कथित मामले में अन्तर्ग्रस्त संबंधित पुलिस कर्मचारियों को पुलिस लाईन में तबादला कर दिया गया और उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हानि

1707. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को गत कुछ वर्षों से हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो हानि का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निगम के श्रमिकों की जांच के लिये समिति की नियुक्ति करने तथा यदि सम्भव हो तो दोषियों के विरुद्ध आवश्यक दीवानी और फौजदारी कार्रवाई करने की मांग का सरकार को पता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) 1977–78 में 30.26 करोड़ रुपये तथा 1978–79 में 27.25 करोड़ रुपये की हानि हुई । 1979–80 मे भी 30 करोड़ पये तक की हानि होने का अनुमान है। हानियां मुख्यत: कम उत्पादन तथा उत्पादकता के कारण हुई हैं । जिसका कारण मुख्यत: असंतोषजनक औद्योगिक संबंध और उत्प्रेरण, बिजली मे अनिर्धारित रुकावट सहित कम म.. ता में बिजली की सप्लाई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) एच०ई०सी० के असंतोषजनक कार्य से सरकार पूरी तरह अवगत है तथा इसके कार्य संचालन के विभिन्न पहलुओं के गहन अध्ययन के पश्चात् स्थिति में सुधार करने के लिए कई एक उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ।

पश्चिम जर्मनी को विद्युत जनरेटरों और ट्रांसफारमरों के लिये ऋयादेश

1708. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977–78 और 1978–79 के दौरान पश्चिम जर्मनी को भारी मात्रा में विद्युत जनरेटरों और ट्रांसफार्मरों की सप्लाई के लिए कोई ऋयादेश दिया गया था;

(ख) क्या जेनरेटरों और ट्रांसफार्मरों का निर्माण भारत में भी होता है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारत्मक हों तो जेनरेटरों और ट्रांसफारमरों का आयात करने के क्या कारण थे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) इस मंत्रालय ने पश्चिम जर्मनी से विद्युत जेनरेटरों तथा ट्रांसफार्मरों का आयात करने के बारे मे किसी मामले पर कार्यवाही नहीं की है । फिर भी ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 1978–79 में आयात के निम्न-लिखित दो प्रस्तावों पर कार्यवाही की थी :—

(1) ट्राम्बे पावर स्टेशन विस्तार परियोजना के लिए 500 मे० वाट के एक जेनरेटर सेट के आयात के लिए टाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का प्रस्ताव ;

(2) बम्बई के निकट उरन में अधिष्ठापन के लिए 60 मे० वाट के 4 गैस टर्बाइन सेटों का आयात करने के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड का प्रस्ताव ।

(ख) तथा (ग) जेनरेटरों तथा ट्रांसफार्मरों का भारत में निर्माण होता है लेकिन गैस टर्बाइन का निर्माण अभी देश में नहीं होता है । जहां तक 500 मे० वाट जेनरेटों का

सम्बन्ध है ये 1978-79 तक देश में नहीं बनाये जा सकते थे । किन्तु बी०एच०ई०एल० ने प्रौद्योगिकी ग्रहण कर ली है तथा देश में उनके निर्माण की क्षमता का शनैः शनैः विकास कर रही है ।

गैर कानूनी हथियारों को कब्जे में लेना

1709. **श्री के० सी० पांडे :**
श्री राम लाल राही :
श्री तारीक अनवर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता और लोकदल की शासनावधियों में बिना लाइसेंस वाले हथियारों और गोला बारूद में वृद्धि हुई थी जिसके परिणामस्वरूप अपराधों की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-कानूनी हथियारों को जब्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि समाज विरोधी तत्व गैर-कानूनी हथियारों का उपयोग करके उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन गैर-कानूनी हथियारों को कब तक कब्जे में लेने का विचार है और अपराधियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : गैर-कानूनी कब्जे में रखे गए शस्त्रों की संख्या और गोलाबारूद की मात्रा का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाने के लिए सरकार के पास कोई साधन नहीं हैं । बिना लाइसेंस के शस्त्र और गोला-बारूद का रखना, कानून के अधीन संज्ञेय अपराध है । जब इस प्रकार के मामले ध्यान में आते हैं तो बिना लाइसेंस के शस्त्रों को जब्त करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यवाई की जाती है ।

(ग) और (घ) कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा बिना लाइसेंस के शस्त्रों का प्रयोग करके दंगे कराने के प्रयत्नों की कुछ खबरें हैं । इन को शस्त्र अधिनियम, 1959 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, जिनमें ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, के अन्तर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है ।

बसों की आवश्यकता तथा उनका उत्पादन

1710. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बसों की कुल कितनी आवश्यकता है और उनका कितना उत्पादन होता है ; और

(ख) उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) परिवहन, मिट्टी हटान तथा कृषि सम्बन्धी मशीनों के लिए योजना आयोग (1979) द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने 1979-80 के लिए 66,500 नग तथा 1980-81 में 73,200 नग वाणिज्यिक वाहनों की मांग का अनुमान लगाया है। मांग के पिछले रुख से पता चलता है कि बसों की आवश्यकता वाणिज्यिक वाहनों की कुल आवश्यकता का लगभग 30% है और 1980-81 के लिए बसों के लिए ये आंकड़े 21,960 बैठते हैं। वर्तमान औद्योगिक एककों ने 1978-79 में 14,275 तथा 1979-80 के प्रथम दस महीनों (अप्रैल 79 से जनवरी 80 तक) में 11,407 बसों का उत्पादन किया।

(ख) निवेश सहायता, तकनीकी सहायता के साथ-साथ अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके भी उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं।

रक्षा सेवाओं के संवर्गों का पुनरीक्षण

1711. डा० वसन्त कुमार पंडित :
श्री सी० टी० दण्डपाणि :
श्री एन० के० शेजवलकर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं के तीनों वर्गों की विस्तृत संवर्ग समीक्षा पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) क्या रक्षा सेवाओं के तीनों वर्गों के अध्यक्षों के पिछले वर्ष कागजात सरकार को भेज दिए थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनमें दिए हुए प्रमुख सुझाव क्या थे और उनमें से प्रत्येक पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने सेनाध्यक्षों से प्राप्त प्रस्ताव पर ब्रिगेडियर और समकक्ष स्तर के अफसरों के पदोन्नति अवसरों में वृद्धि करने के लिए अफसरों के संवर्ग की समीक्षा की है। इस बारे में अनुमोदित प्रस्ताव के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) मेजर और अन्य दोनों सेवाओं के समकक्ष पदों के लिए पदोन्नति के अवसर लगभग 60 प्रतिशत किए गये हैं, जिसमें से 20 प्रतिशत चयन ग्रेड के माध्यम से किये जायेंगे।

(2) लेफ्टिनेंट कर्नल और अन्य दोनों सेनाओं में समकक्ष पदों के लिए पदोन्नति के अवसर 50 प्रतिशत किए गये हैं। इसमें भी लगभग 10 प्रतिशत पदोन्नति चयन ग्रेड के माध्यम से की जायेगी।

(3) थल सेना में ले० कर्नल/कर्नल के 125 पदों का दर्जा बढ़ा कर ब्रिगेडियर कर दिया गया है। वायु सेना में ग्रुप कैप्टन के 10 पदों का दर्जा बढ़ा

कर एयर कोमोडोर कर दिया गया है । नौसेना के लिए कमांडर के 52 पदों का दर्जा बढ़ा कर कैप्टेन करने के लिए सरकार सिद्धान्ततः सहमत हो गई है ।

2. मेजर जनरल और उससे ऊपर और अन्य दोनों सेवाओं में उनके समकक्ष अफसरों के पदोन्नति के अवसरों से संबंधित प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है।

पटसन की कीमत में गिरावट के कारण भारतीय पटसन निगम को हानि

1712. **श्री नीरेन घोष** : : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन की कीमत में गिरावट के कारण भारतीय पटसन निगम को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा तथा राशि की हानि की संभावना है; और

(ग) भारतीय पटसन निगम को होने वाली हानि से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख). कच्चे पटसन मूल्यों की वर्तमान प्रवृत्ति से ऐसा भी संभव है कि भारतीय पटसन निगम को स्वयं प्राप्त किए हुए भाण्डारण पर हानि उठानी पड़ेगी । हानि की ठीक ठीक राशि का हिसाब भारतीय पटसन निगम द्वारा अपने भण्डार वास्तविक रूप से बेच देने के पश्चात् ही लगाया जा सकता है ।

(ग) भारतीय पटसन निगम को समय-समय पर निम्नलिखित कदम उठाने के सुझाव दिए गए हैं :—

(1) भारतीय पटसन निगम द्वारा किए जाने वाले ऊपरी खर्चों को कम करने के लिए सहकारी समितियों को अधिकाधिक शामिल करना ।

(2) सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत हाथ में ली गई पटसन मिलों की ओर से अभिकरण के आधार पर कच्चे पटसन की खरीद करके, एक प्रयोगात्मक अभ्युपाय के रूप में वाणिज्यिक कार्यों को बढ़ाना ।

(3) सोमिति मात्रा में कच्चे पटसन का निर्यात करने संबंधी संभावना का पता लगाना ।

मुअत्तल कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा

1713. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार मुअत्तल कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा देती है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अब तक इस सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) कोई भी मुअत्तल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मुअत्तली की अवधि के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का स्वयं लाभ नहीं उठा सकता है क्योंकि मुअत्तल कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती है। किन्तु, उसके परिवार द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि परिवार के सदस्यों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत लेने का हक सरकारी कर्मचारी द्वारा छुट्टी लेने पर निर्भर नहीं है और वे यह सुविधा सामान्य शर्तों के अध्यधीन स्वतंत्र रूप से तब तक उठा सकते हैं जब तक सरकारी कर्मचारी सेवा में रहता है।

(ख) छुट्टी यात्रा रियायत के दावे सारे देश में फैले हुए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में यात्रा भत्ता विलों को पास करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पास किए जाते हैं। इस प्रकार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास ऐसे निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्राप्त की है और न ही इस प्रकार के आंकड़े इस विभाग द्वारा मोनीटर ही किए जाते हैं।

सम्पत्ति के नष्ट करने के संबंध में कानून बनाने का प्रस्ताव

1714. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पत्ति के नष्ट करने को प्रज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) 23-11-1978 को राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक 1978 में अनेक उपबंध हैं, जिनमें सम्पत्ति के नुकसान के लिए कठोर दण्ड निर्धारित है। विधेयक के तत्संबंधी उपबंधों का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—652/80]।

प्रस्तावित धाराओं के अधीन अपराधी का वर्गीकरण प्रज्ञेय अथवा अप्रज्ञेय के रूप में करने के प्रश्न पर विचार विधेयक के अधिनियमित होने के बाद किया जाना था। परन्तु छठी लोक सभा के भंग होने पर विधेयक समाप्त हो गया।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 संबंधी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विधेयक ने इन उपबंधों (धारा 430-ए को छोड़ कर) को समाविष्ट किया था। विधेयक के साथ संयुक्त समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों को परिचालित की गई थी और उनसे विधेयक के उपबंधों पर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया था। किसी राज्य सरकार ने इन उपबंधों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी।

वर्तमान सरकार ने समाप्त हुए विधेयक के उपबंधों पर अभी तक विचार नहीं किया है।

इंडियन एक्सप्लोसिव्स की क्षमता बढ़ाने के लिए इससे मिला प्रस्ताव

1715. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एक्सप्लोसिव्स से अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मैसर्स इन्डियन एक्सप्लोसिव्स ने क्षमता के विस्तार के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है । किन्तु, हाल ही में कार ट्रेजिंग मशीनों के आयात के लिए स्वीकृति दी गई है ताकि उपक्रम खनन कार्यों के लिए अपेक्षित छोटे डायामीटर की विस्फोटक सामग्री की उपलब्धता बढ़ा सके । इस स्वीकृति से उपक्रम की लाइसेंस प्राप्त क्षमता में किसी प्रकार विस्तार नहीं होगा ।

मेघालय और असम से बेदखल किये गये लोगों का पुनर्वास

1716. **श्री मुकुन्दमंडल** :: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेघालय और असम से बेदखल किए गए व्यक्तियों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दिए जाएंगे ।

राजस्थान परमाणु बिजली घर का कार्यकरण

1717. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :**
श्री सतीश अग्रवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान परमाणु बिजली घर अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त बिजली घर को चालू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी हां । राजस्थान परमाणु बिजली घर का पहला यूनिट सन् 1973 से व्यावसायिक स्तर पर काम कर रहा है । 1973, 74, 75 तथा 76 में इसके कार्य-निष्पादन के अपेक्षित स्तर से नीचे रहने के मुख्य कारण

डिजाइन के मामूली से दोष तथा कनाडा द्वारा दिये गये टर्बाइन के ब्लेडों का सही ढंग से बना न होना थे । 1977 तथा 1978 में कार्य-निष्पादन अपेक्षित स्तर से नीचे रहने के कारण हड़ताल तथा श्रमिक अशांति थे ।

(ग) आशा है कि दूसरा यूनिट सन् 1980 में चालू हो जायेगा ।

नारियल-जटा (कायर) बोर्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

1718. **श्री ई० बालनन्द :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय क्वायर बोर्ड कर्मचारी संघ सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाया है जिनमें नारियल-जटा बोर्ड में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उसके बाद अवसर देने से इन्कार किया गया है ;

(ख) क्या प्रशासन अधिकारी के पद को, जो किसी अनसूचित जनजाति के उम्मीदवार को मिलना था, सितम्बर, 1979 से रिक्त रखा गया है ; और

(ग) सरकार ने अ० जा०/अनु० ज० जा० के प्रत्याशियों के पदोन्नति कोट से संबंधित वर्तमान नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां । आल इंडिया क्वायर बोर्ड स्टाफ यूनियन ने बोर्ड के एक कर्मचारी की प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने के विरुद्ध एक अभ्यावेदन दिया था और यूनियन ने इस पदोन्नति से प्रभावित बोर्ड के एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी का मामला भी पेश किया था । तत्पश्चात् सरकार से आदेश मिलने पर पदोन्नत उसके पुराने पद पर परवर्तित कर दिये जाने पर वह कर्मचारी मामले को न्यायालय में ले गया ।

(ख) चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन पड़ा हुआ है और सरकार ने भी बोर्ड को नियुक्ति नियमों के बनने तक पदों को न भरने का निदेश दिया है अतः प्रशासनिक अधिकारी के पद को भरा नहीं जा सकता ।

(ग) सरकार ने कॉयर बोर्ड को सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति को अभ्यार्थियों के पदोन्नति से कोटे से संबंधित नियमों का कठोरता से अनुपालन किए जाने का सुनिश्चय करने का निदेश दिया है ।

गुजरात में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन

1719. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों को स्थापित करने के लिए काफी संख्या में लोगों ने औद्योगिक प्लाट प्राप्त किये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य के पिछड़े जिलों में उद्योगों को लगाने हेतु जिन व्यक्तियों को प्लाट दिये गये थे उनमें से कुछ व्यक्तियों ने अपने उद्योग नहीं लगाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो जिन्होंने उद्योग नहीं लगाये हैं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क), (ख) और (ग) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के लिए स्थल का आवंटन करना, क्षेत्र का विकास करना, शेड बनाना और उद्यमियों के लिये शेडों तथा प्लाट आवंटित करना राज्य सरकारों का काम है ।

आवंटित धनराशि का दिल्ली प्रशासन द्वारा उपयोग न किया जाना

1720. **श्रीमती कृष्णा शाही** : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ योजनाओं को कार्यान्वित न किए जाने के कारण दिल्ली प्रशासन ने 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 12 करोड़ रुपए की योजना राशि खर्च नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं को कार्यान्वित न किए जाने का क्या कारण है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1979–80 के लिए अनुमोदित कुल परिव्यय में से 31 जनवरी, 1980 तक दिल्ली प्रशासन द्वारा लगभग 54.26 करोड़ रुपए की धनराशि बिना खर्च रह गई थी । फिर भी योजना राशि के उपयोग के संबंध में स्पष्ट स्थिति केवल वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रकट होगी ।

(ख) उप राज्यपाल ने राशि के उपयोग की निम्न प्रतिशतता की जांच करने के लिए श्री आर० एस० कृष्णन, भूतपूर्व वित्त सचिव, दिल्ली प्रशासन और श्रीमती अहलूवालिया, मुख्य लेखा अधिकारी की एक समिति गठित की है ।

टेलीविजन का निर्माण करने के लिए एक बड़ी कम्पनी को लाइसेंस देना

1721. **श्री आर० के० महालगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक सुप्रसिद्ध विदेशी ब्रांड नाम के अन्तर्गत टेलीविजन सेटों का निर्माण करने और बेचने के लिए एक बड़ी कम्पनी को लाइसेंस दिया है;

(ख) उपरोक्त कम्पनी का नाम क्या है, उपरोक्त लाइसेंस के अन्तर्गत प्रतिवर्ष इस कम्पनी को कितने टेलिविजन सेटों का निर्माण किस ब्रांड नाम से करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या सरकार की यह नीति है और सोधी समिति की यह सिफारिश है कि टेलीविजन सेटों का निर्माण लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हो ; और

(घ) इस बड़ी कम्पनी को निर्माण-क्षेत्र में अनुमति देने के क्या कारण हैं जो घोषित राष्ट्रीय नीति के अनुसार मुख्य रूप से लघु क्षेत्र के एककों के लिए निर्धारित किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए किसी बड़ी कम्पनी को हाल में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है । तथापि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों से छूट प्राप्त एककों को उपलब्ध स्वयमेव पंजीकरण योजना के अन्तर्गत मेसर्स वुश इण्डिया लिमिटेड को प्रतिवर्ष बीस हजार दूरदर्शन सेटों के निर्माण के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय से पंजीकरण दिलवाया गया है । इस पंजीकरण द्वारा कम्पनी को किसी विशिष्ट ब्रांड के नाम के प्रयोग का अधिकार नहीं दिया गया है ।

(ग) सरकार की यह नीति है कि जब कभी नई क्षमता निर्मित की जाए तो लघु उद्योग क्षेत्र को तरजीह दी जाए । सोंधी समिति ने यह सिफारिश की है कि जिन दूरदर्शन रिसीवरों के संयोजन पर 2,000/–रुपये प्रति सेट से कम की लागत आती है उन्हें लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा जाए ।

(घ) तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा मेसर्स वुश इण्डिया लिमिटेड को पंजीकरण प्रदान करने का कारण यह है कि औद्योगिक लाइसेंस से छूट प्राप्त करने के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत, उन्हें इस प्रकार का पंजीकरण स्वयमेव प्राप्त करने का अधिकार है ।

विदेशों में दौरे पर गए हुए भारतीय विशिष्ट व्यक्तियों को उपहार

1722. **श्री के० प्रधानी** : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में सरकारी दौरे पर गए हुए भारतीय विशिष्ट व्यक्तियों को मिलने वाले उपहारों के बारे में रिकार्ड रख रही है ;

(ख) क्या भारतीय विशिष्ट व्यक्तियों को मिलने वाले सभी उपहारों को सरकार के पास जमा करवाया जाता है,

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय विशिष्ट व्यक्तियों को जो उपहार मिले थे उन सभी को सरकार के पास जमा करवाया गया था, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) विदेशी अभिदाय (विनियम अधिनियम 1976 की धारा 4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को जब वह भारतीय किसी शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में दान या उपहार स्वरूप दिए गए विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने या प्रतिधारित करने का नियंत्रण विदेशी अभिदाय (दोनों या उपहारों का प्रतिधारण या भेंट) विनियम 1978 द्वारा होता है ।

इन विनियमों के अनुसार दान या उपहार स्वरूप कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की विधिवत् सूचना उसे प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर भारत सरकार को देनी पड़ती है ।

ऐसा प्रत्येक दान या उपहार भारत में बाजार मूल्य निर्धारित करने पर एक हजार रुपए से अधिक होता हो तो उसे सरकारी माल खाने में जमा करने की आवश्यकता होती है। बशर्ते कि प्राप्त कर्त्ता के लिए ऐसे दान या उपहार को नकद भुगतान पर खरीदने का विकल्प होगा जिसका निर्धारण भारत में बाजार भाव मूल्य पर एक हजार रूपयों के अन्तर से भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दान या उपहार जिसका भारत में बाजार भाव निर्धारित करने में एक हजार रुपये से अधिक नहीं है उसे प्राप्त कर्त्ता को संधारण करने के लिए वापस किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को जब वह एक ही शिष्टमंडल में हो एक से अधिक दान या उपहार प्राप्त होते हैं वहां ऐसा व्यक्ति उनमें से केवल एक ही दान या उपहार प्रतिधारण करने का हकदार होगा।

(ग) और (घ) जहां भारतीय विशिष्ट व्यक्तियों को ऐसे, दान या उपहार दिए गए यदि वे उपर्युक्त उपबंधों के अन्तर्गत आते हों, तो उन्हें सरकार को सौंपा गया। किन्तु इन दानों या उपहारों के संबंध में ब्यौरा प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि इससे संभवतः दाताओं के लिए उलझन पैदा होगी।

औद्योगिक विकास के लिए सर्वेक्षण

1723. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े जिलों की औद्योगिक विकास क्षमताओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार के सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा और विशेष रूप से उड़ीसा के ढाकानाल जिले के लिये इस प्रकार का सर्वेक्षण किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के सभा पटल पर रखी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख) राज्य सरकारों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा राज्यों के पिछड़े जिलों में औद्योगिक क्षमता संबंधी सर्वेक्षण किए गए हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने निम्नलिखित राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों के लिए औद्योगिक क्षमता संबंधी सर्वेक्षण किए हैं :—

आन्ध्र प्रदेश, असम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा तथा नगर हवेली, गोवा दमन और द्विव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश।

आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दादरा तथा नगर हवेली, पांडिचेरी, सिक्किम, गोवा दमन और द्विव तथा हिमाचल प्रदेश ने भी सूचित किया है कि उन्होंने अपने राज्यों के पिछड़े जिलों में औद्योगिक क्षमता संबंधी सर्वेक्षण किए हैं।

(ग) और (घ) . भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उड़ीसा के बारे में किये गये औद्योगिक क्षमता संबंधी सर्वेक्षण की रिपोर्ट एक समूल्य प्रकाशन है तथा भा० औ० वि० बैंक से उपलब्ध है। स्थानीय जिला उद्योग केन्द्रों ने उड़ीसा के धेनुकानाल जिले के बारे में वर्ष 1979–80 और 1980–81 के लिए एक कार्यवाही योजना बनाई है। 1979-80 तथा 1980-81 के बारे में संबंधित कार्यवाही योजना का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

	एककों की संख्या		निर्धारित निवेश (रु० लाखों में)	
	1979–80	1980–81	1979–80	1980–81
शिल्पी अभिमुख . .	201	267	11.47	7.50
लघु उद्योग एकक . .	85	85	58.59	71.81

लगभग 3600 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है।

शहीदनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा कथित हिंसा

1724. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री झारखण्डे राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में शहीदनगर के लोगों और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं पर 1 मार्च, 1980 को पुलिस बड़े पैमाने पर की, गई कथित हिंसा के बारे में कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्राप्त हुई एक शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि मुजामिल नामक एक व्यक्ति की पत्नि अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। पुलिस ने उसकी ओर से हस्तक्षेप किया और उसे दूर ले जाना चाहा। उसके पति और उसके व्यक्ति उसे तब तक छोड़ने के लिए राजी न थे जब तक उसके अभिभावकों के साथ समझौता न हो जाए और लड़की को दिए गए आभूषण वापस न किए जाएं। कुछ लोगों ने बिना समझौते के उसको बाहर ले जाने पर आपत्ति की और उसको पुलिस दल से जिसके साथ लड़की का पिता था, बचाने का प्रयत्न किया। इस कार्यवाही में पुलिस तथा लोगों के बीच तर्क-वितर्क हो गया जिसके परिणामस्वरूप झगड़ा हो गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने लोगों पर क्रूरतापूर्ण हमला किया। मकानों पर छापे मारे गए, लोगों को बाहर घसीटा गया तथा पीटा गया। हमले का लक्ष्य सी० पी० आई० का एक स्थानीय कार्यालय भी था और कुछ सी० पी० आई० के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया था

(ग) इस घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस ने भा० द० सं० की धारा 147/149/332, 353/224/225 के अधीन एक मामला दर्ज किया है और मामले की आगे जांच की जा रही है

राजनीतिक हत्याओं में वृद्धि

1725. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गत तीन वर्षों के दौरान राजनीतिक हत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में हुई ऐसी हत्याओं की संख्या क्या है ; और

(ग) पिछली सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क), (ख) तथा (ग) : आंध्र प्रदेश असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम राज्यों और अंडेमान तथा निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर तथा नगर हवेली दिल्ली, गोवा, दमण, तथा दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

शेष राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के बारे में सूचना की प्रतिक्षा है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

कलेंडर वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राजनैतिक हत्याओं की संख्या और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण ।

राज्य का नाम	इन वर्षों के दौरान की गई हत्याओं की संख्या			मामलों में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई
	1977	1978	1979	
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	7	25	45	पुलिस द्वारा मामलों को दर्ज करने, जांच करने और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की गई थी । राज्य सरकार ने जहां कानून और व्यवस्था कायम रखना और ऐसे अपराधों की घटनाओं को कम करना आवश्यक था, अतिरिक्त बल की तैनाती को सुनिश्चित किया था ।

1	2	3	4	5
असम	शून्य	शून्य	2	दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और एक जीप पकड़ी गई है। भा० द० सं० की धारा 302/326/307/426/427 के अधीन मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	— —
केरल	39	21	34	पुलिस द्वारा मामले को दर्ज करने, जांच करने और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में तुरन्त कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हत्या के घटनास्थल पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किये जाते हैं।
मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	—
पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	—
सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	—
अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	—
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	—
चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	—
दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	—
दिल्ली	1	शून्य	शून्य	अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसका चालान किया गया और दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया था।
गोवा, दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	—
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	—
पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	—

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

1826. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन की दर क्या है ;

(ख) क्या पेंशन की राशि में वृद्धि करने के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(ग) पेंशन के लिए विचाराधीन पड़े हुए आवेदनों की संख्या कितनी है और उन पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) एक जीवित स्वतंत्रता सेनानी को स्वीकृत न्यूनतम पेंशन 200 रुपए प्रतिमाह है। परिवारों की अवस्था में यह उसके आकार के अनुसार 100 रुपए से 200 रुपए प्रति माह है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की मंजूरी के लिए कोई आवेदन प्रारम्भिक जांच के लिए लम्बित नहीं है। परन्तु 36,488 मामलों को फाइल कर दिया गया है। सभी, आवेदकों को सूचित कर दिया गया है कि उनके मामलों को यातनाओं के दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य और/अथवा राज्य सरकार की विशिष्ट सिफारिश के अभाव के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। जब अपेक्षित सूचना प्राप्त होती है, मामलों को पुनः चालू किया जाता है और पात्र मामलो में पेंशन स्वीकृत की जाती है।

खड़गपुर में आधुनिक 'फांउंडरी' की स्थापना

1727. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाईन-निर्माण के प्रयोग में आने वाली ढलवां लोहे की विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये खड़गपुर में आधुनिक 'फाउंडरी' स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में कपास उत्पादन

1728. **श्री आर० पी० गायकवाड़**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : रूई का उत्पादन राज्य से संबंधित विषय है। फिर भी, गहन रूई जिला कार्यक्रम (आई० सी० डी० पी०) को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। गुजरात में यह कार्यक्रम 1971-72 से चलाया जा रहा है। 1979-80 के दौरान यह कार्यक्रम राज्य में कुल 98.93 लाख रु० की लागत से केन्द्र राज्य के बीच 50:50 के अनुपात से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना को 1980-81 में भी जारी रखने का विचार है।

टिशु कागज का निर्माण

1729. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिशु कागज का निर्माण करने के लिए वर्ष 1979–80 के दौरान एकाधिकार गृहों तथा अन्य संगठनों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) लाइसेंस समिति द्वारा उनमें से कितने आवेदन-पत्रों की लाइसेंस देने के लिये सिफारिश की गई थी और क्या इस प्रयोजन के लिये नये लाइसेंस जारी किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) वर्ष 1979-80 में टिशु पेपर के उत्पादन के लिए 6 आवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) आवेदनों में से एक आवेदन रद्द कर दिया गया है तथा एक आवेदन पार्टी से अपेक्षित जानकारी न मिलने के कारण बन्द कर दिया गया है । शेष 4 आवेदनों पर अभी विचार किया जा रहा है । टिशु पेपर का उत्पादन करने संबंधी आवेदनों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

पेटेन्ट और डिजाइनों के पंजीकरण के लिए आवेदन

1730. **श्री राम विलास पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों की शाखाओं और सहायक कंपनियों ने गत पांच वर्षों के दौरान कितने पेटेन्ट और डिजाइनों के पंजीकरण के लिये आवेदन किया और उन देशों की कंपनी/शाखा के आवेदनों का उद्योगवार वार्षिक ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान पंजीकरण के लिये स्वीकार किये गये प्रत्येक देश के पेटेन्ट और डिजाइनों का उद्योग-वार ब्यौरा और आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मंत्रालयों में तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

1731. **डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी** : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में 1970 से 1979 के बीच तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों की मंत्रालयवार/विभागवार तथा वर्ष-वार संख्या क्या है और तदर्थ आधार पर उनकी नियुक्ति का वर्ष बताते हुए उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जहां तदर्थ कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है और उनकी वरीयता निर्धारित कर दी गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार हिन्दी के प्रयोग में लगातार वृद्धि को देखते हुए उन तदर्थ हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों की सेवाओं को नियमित करने और उनकी वरीयता निर्धारित करने का है, जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से अधिकांश ने आयु सीमा पार कर ली है और वे अब और किसी सरकारी सेवा में नहीं लिये जा सकते और उनके वरिष्ठ होने के बावजूद उन्हें सबसे कनिष्ठ माना जाता है क्योंकि उनकी सेवायें नियमित नहीं हुई हैं ; और

(घ) यदि भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर हां में हो, तो उनकी सेवाओं को कब तक नियमित कर दिया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) वर्ष 1970 से 1978 की अवधि के दौरान मंत्रालयों/विभागों में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए हिन्दी टंककों, आशुलिपिकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना प्रश्न सं० 9376 के आश्वासन की पूर्ति के सम्बन्ध में दिनांक 2-2-80 को सदन के पटल पर रख दी गई थी। सूचना के विवरण की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 652-क/80] शेष सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे एकत्रित होते ही सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) तथा (घ) . प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में पूरी सूचना एकत्रित होने पर ही पूरे आंकड़े उपलब्ध होंगे और इन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उत्पादित साबुन

1732. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1979 से फरवरी, 1980 के दौरान, महीनेवार हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उत्पादित प्रत्येक किस्म के साबुन का थोक मूल्य क्या था;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि हिन्दुस्तान लीवर ने अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिये अपने द्वारा उत्पादित साबुनों में कुल वसीय पदार्थ का अनुपात कम करके उनकी गुणवत्ता को गिरा दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) मूल्य नियंत्रण न होने के कारण अलग-अलग निर्माताओं द्वारा प्रत्येक नाम (ब्रांड) के साबुन के फुटकर मूल्यों के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते है। अतएव सूचना मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड से प्राप्त की गयी है और वह संलग्न विवरण में दी गयी है। इसमें बताये गये नवीनतम मूल्यों में बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) आई० एस० आई० प्रभावीकरण स्वैच्छिक है तथा इस योजना के अन्तर्गत अभी तक मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने प्रभावीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है। फिर भी, 1978-79 में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा बनाये गये पांचों ब्रान्ड सहित नहाने के 22 लोकप्रिय साबुन के ब्रान्डों का आई० एस० आई० द्वारा अध्ययन किया गया था। सभी ब्रान्डों में चर्बी आई० एस० आई० के मानकों के ही अनुरूप पाई गई थी। कंपनी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने जो साबुन बनाए हैं, उनमें कुल मिलाकर चर्बी की मात्रा के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सनलाइट तारीखों का मूल्य	प्रति इकाई रुपये
1-1-1979	1.10
1-3-1979	1.25
18-3-1979	1.20
1-4-1979	1.24
25-4-1979	1.14
24-7-1979	1.22
17-8-1979	1.30
21-9-1979	1.39
24-12-1979	1.46
लाइफबाय	
तारीखों का मूल्य	
1-1-1979	1.25
1-3-1979	1.30
18-3-1979	1.27
1-4-1979	1.31
25-4-1979	1.28
24-7-1979	1.35
17-8-1979	1.46
21-9-1979	1.51
24-12-1979	1.67
लक्स टायलेट स्टेंडर्ड	
1-1-1979	1.35
1-3-1979	1.40
1-4-1979	1.43
25-4-1979	1.37
24-7-1979	1.45

तारीखों का मूल्य	प्रति इकाई रुपये
17-8-1979	1.55
21-9-1979	1.63
24-12-1979	1.71
रेक्सोना स्टैंडर्ड	
1-1-1979	1.37
1-3-1979	1.42
1-4-1979	1.45
25-4-1979	1.39
24-7-1979	1.46
17-8-1979	1.57
21-9-1979	1.64
24-12-1979	1.72
लक्स टायलेट और रक्सोना मिलेनियर	
1-1-1979	0.41
1-3-1979	0.42
1-4-1979	0.43
25-4-1979	0.42
24-7-1979	0.45
27-8-1979	0.48
21-9-1979	0.50
24-12-1979	0.53
सरल	
1-1-1979	0.90
1-3-1979	0.94
18-3-1979	0.92
25-4-1979	0.90
सिरिल	
1-1-1979	1.84
1-3-1979	1.91

1	2
25-4-1979	1.83
24-7-1979	1.93
17-8-1979	2.03
21-9-1979	2.15
24-12-1979	2.25
लाइफबॉय पर्सनल को—मूल्य	
1-1-1979	1.27
1-3-1979	1.32
1-4-1979	1.35
25-4-1979	1.30
24-7-1979	1.37
17-8-1979	1.49
21-9-1979	1.57
24-12-1979	1.67
लक्स सुप्रीम को—मूल्य	
1-1-1979	2.19
1-3-1979	2.27
1-4-1979	2.30
25-4-1979	2.21
24-7-1979	2.31
17-8-1979	2.40
21-9-1979	2.52
24-12-1979	2.62

टैल्को द्वारा निर्मित ट्रक और बस चेसिसों का काले बाजार में बेचा जाना

1733. **श्री आर० एल० पी० वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टैल्को लेलैण्ड तथा उसकी सहायक संस्थाओं द्वारा निर्मित ट्रक और बस चेसिसों को अत्यधिक ऊंची दरों पर काले बाजार में बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्रमशः सरकारी कर्मचारी और संसद सदस्यों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता कोटा और वी० आई० पी० कोटे को फिर से लागू करने हेतु इसकी वितरण प्रणाली को अपने अधिकार में लेने का है ; और

(ग) इस मामले में निर्णय लिये जाने की सम्भावना कब तक है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) टेल्कों तथा अशोक लेलड द्वारा निर्मित ट्रक तथा बसों की बाजार में अधिक मांग है क्योंकि ग्राहक इन्हें अधिक पसन्द करते हैं। निर्माताओं ने बताया है कि इन चैसिसों के लिए काफी लम्बी प्रतीक्षा सूची है। अपने डीलरों के माध्यम से ग्राहकों को चैसिस वितरण करने के लिए निर्माताओं ने एक उचित प्रक्रिया अपनाई है। निर्माता निरीक्षण तथा नियन्त्रण कर रहे हैं ताकि कोई गोल-माल न हो सके। किसी ग्राहक को भी डीलर को अधिकृत मूल्य से अधिक कीमत नहीं देनी पड़ती है।

(ख) ट्रकों तथा बस चैसिसों के वितरण को अधिकार में लेने तथा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों तथा संसद् सदस्यों को कोटा आवंटित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1980–81 के लिए केरल की वार्षिक योजना को अन्तिम रुप देना

1734. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि वर्ष 1980–81 के लिए केरल की वार्षिक योजना को योजना आयोग द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) वर्ष 1980–81 के लिए केरल की वार्षिक योजना को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) तक उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुमान को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने वर्ष 1980–81 के लिए केरल की वार्षिक योजना का आकार निर्धारित किया है।

हाथरस में बिजिती काटन मिल में पारियां

1735. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कि

(क) उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में हाथरस में बिजिती काटन मिल में कितनी पारी में काम हो रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का उस मिल में तीन पारी आरम्भ करने का विचार हैं ताकि वहां पर और श्रमिकों को रोजगार दिया जा सके और यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) मिल पहले से ही तीन पारियों में काम कर रही है और 31-12-1979 को कामगारों की संख्या 866 थी। किन्तु रोजगार का वास्तविक स्तर बिजली की उपलब्धता के स्तर के आधार पर भिन्न भिन्न होता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मोतीपुर (बिहार) में सैनिक स्कूल

1736. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में मोतीपुर स्थान पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने के बारे में एक भूतपूर्व विधायक, श्री बालेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा पेश किए गए गैर-सरकारी संकल्प को स्वीकार किया था और मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को इस की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, यदि हां, तो क्या कार्रवाई आरम्भ की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सी० पी० एन० सिंह (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय को बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

नेपाली भाषा को मान्यता

1737. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने और भारत संविधान की आठवीं अनुसूची में उसे शामिल किए जाने की लगातार मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत के नेपाली भाषी नागरिकों को यह मांग मानने का निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में कमी

1738. **श्री ए० नील लोहियादपन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में कमी होती जा रही है,

(ख) यदि हां, तो भारत में उत्पादित हथकरघा वस्तुओं में लम्बाई के हिसाब से वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान उत्पादन में हुई वास्तविक कमी कितनी-कितनी थी, और

(ग) हथकरघा क्षेत्र में होने वाले उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1976-77 में उत्पादन 24,600 लाख मीटर हुआ था जो 1978-79 में बढ़कर 27,200 लाख मीटर हो गया । 1979-80 में उत्पादन 29,000 लाख मीटर होने का अनुमान है ।

हरियाणा में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

1739. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में हरियाणा राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए जारी लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) भारत सरकार के पास अभी तक लम्बित मामलों की संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) लघु क्षेत्र में संयंत्रों तथा उपकरणों पर 10 लाख रु० से कम निवेश वाले उद्योग की स्थापना करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक नहीं है । लघु उद्योग की श्रेणी में न आने वाले आवेदन पत्रों के मामले में हरियाणा राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1978 तथा 1979 में उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 29 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे । जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का विस्तृत ब्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज" में प्रकाशित किया जाता है, जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) हरियाणा में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के 28 आवेदन पत्रों (31-12-79 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में से) पर विचार किया जा रहा है ।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हथकरघा विकास योजनायें

1740. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन हथकरघा विकास योजनाओं को अधिक सक्रियता के साथ पुनः लागू करने का है जिन्हें 1977 से पूर्व बीस-सूत्री कार्यक्रम में अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हथकरघों और दस्तकारी की वस्तुओं को उचित महत्वपूर्ण और प्रोत्साहन देने तथा बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उन पर विशेष ध्यान देने को देखते हुए, सरकार का विचार कपड़ा विभाग से भिन्न एक पृथक हथकरघा एवं दस्तकारी की वस्तुएं विभाग स्थापित करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

महाराष्ट्र में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की सूची का प्रकाशन

1741. **श्री रतन सिंह राजदा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट्रों की एक सूची प्रकाशित की है ;

(ख) क्या सरकार का उक्त सूची को पूर्णतया समाप्त करने का इरादा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने इन विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट्रों की नियुक्ति केवल तीन वर्षों की अवधि के लिए की थी ; और

(घ) यदि हां; तो महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट्रों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (घ) राज्य सरकार ने अपनी सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना संख्या एस० ई० एम० 1780 सी० दिनांक 26 जनवरी, 1980 में 3417 विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट्रों के नामों की एक सूची प्रकाशित की है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की कार्य अवधि तथा अधिसूचित 26 जनवरी, 1980 दो वर्षों के लिए है ।

बदरपुर (आसाम) स्थित कछार पेपर मिल के बन्द होने का खतरा

1742. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बदरपुर (आसाम) स्थित कछार पेपर मिल (हिन्दुस्तान कागज निगम का एक एकक) एन० सी मिल्स के कच्चा माल न मिलने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिये धनराशि के नियतन के अभाव के कारण बन्द होने के खतरे का साम ना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विकास-धनराशि उपलब्ध करा कर उत्पादन में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा अपेक्षित कच्चा माल वसूल करने के लिये निगम का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बीरभूम में उद्योगों की स्थापना

1743. **श्री गदाधर साहा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीरभूम देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां नये औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये राज्य सरकार की सहायता करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कौन सा स्थल चुना गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन देती है :—

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रियायती पुनर्वित्त योजना
2. सीड/मार्जित राशि सहायता
3. आयकर में राहत
4. देश की प्रतिबन्धित मदों को छोड़कर अन्य मदों के लिए नए एककों का पूंजीकरण तथा विद्यमान एककों का विस्तार करना
5. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श
6. ब्याज राजसहायता
7. कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं
8. ग्रामीण शिल्पी कार्यक्रम
9. जिला उद्योग केन्द्र ।

(ग) तथा (घ) : किसी राज्य के पिछड़े क्षत्रों में उद्यमियों द्वारा औद्योगिक एककों के स्थापना स्थलों के आवंटन का निर्णय संबंधित राज्यों सरकारों द्वारा किया जाता है । यद्यपि, वर्ष 1979–80 में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 1.30 लाख रुपये तथा 1.69 लाख रुपये के अचल निवेश वाले 57 तथा शिल्प प्रधान 74 एककों और उसी अवधि में क्रमशः 46.70 लाख रुपये तथा 60.72 लाख रुपये के अचल निवेश वाले 40 तथा 52 लघु एककों का पता लगाया गया है ।

जनता सरकार द्वारा देशद्रोह के मुकद्दमें वापस लिये जाना

1744. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध देश द्रोह जैसे महत्वपूर्ण मुकद्दमों जनता पार्टी सरकार द्वारा वापिस ले लिए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मुकद्दमों की संख्या कितनी है और क्या सरकार का विचार ऐसे मुकददमों की पुनः जांच के लिए न्यायपालिका को निर्देशित करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जनता सरकार ने बड़ौदा डाइनामाइट मामले को वापस लेने का आदेश दिया था । मामले को वापिस लेने के आवेदन में

अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि "केन्द्रीय सरकार ने लोक हित तथा परिवर्तित परिस्थितियों में सभी अभियुक्तों पर मुकदमा न चलाने की इच्छा व्यक्त की है । मुकदमें को वापस लेने के लिए चीफ़ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली ने सहमति दे दी थी ।" मुकदमें वापस लेने के इस आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दो अपराध संशोधन याचिकाएं दायर की गई थीं । एक याचिका 31-3-77 को श्री बाल किशन गुप्त द्वारा तथा दूसरी याचिका 13-5-77 को श्री राजिन्द्र कुमार जैन द्वारा दायर की गई थी । दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोनों याचिकाएं रद्द कर दी गई थीं । श्री राजिन्द्र कुमार जैन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी सर्वोच्च न्यायालय ने इसको 3-5-79 को स्वीकार कर लिया था और यह अभी न्यायालय में लम्बित है ।

जनता सरकार द्वारा वापस लिए गए अन्य महत्वपूर्ण मामलों और देशद्रोह के मामलों के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

सूचना प्राप्त होने के पश्चात् मामलों की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

200 मेगावाट के चक्र दाब (साइकिल प्रेशर) में वृद्धि

1745. **श्री समर मुखर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 200 मे० वा० के चक्र दाब को 120 एटमोस्फीयर से बढ़ा कर 150 एटमोस्फीयर कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह परिवर्तन करने का निर्णय लेने से पहले तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी, हां । 200/210 मे० वाट सेट उपलब्ध है जो कि 130 तथा 150 एटमोस्फीयर चक्र दावों के लिए बनाये गये हैं । ग्राहक ही अन्तिम पैरामीटरों का निर्णय करते हैं ।

(ख) तथा (ग) जी, हां । 130 एटमोस्फीयर चक्र दाब की तुलना में 150 एटमोस्फीयर चक्र दाब में ईंधन की खपत में 1 प्रतिशत की बचत होती है । दाब (प्रेशर) में हुई वृद्धि के कारण उपकरण की लागत में मामूली वृद्धि आर्थिक रूप से इस बचत के कारण उचित है ।

ऊर्जा ईंधन/गैस का उत्पादन करने के लिए हार्यासिथ का अनुसंधान

1746: **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हार्यासिथ (जल पर पनपने वाला पौधा) में ऊर्जा ईंधन/गैस उत्पादित करने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : विभिन्न प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान कार्य से यह पता लगा है कि शुष्क और कटी हुई जल हायसिंथ को जल के साथ 1:2 अनुपात में या पशुओं के गोवर के साथ 1:1 अनुपात में मिलाए जाने पर पर्याप्त मात्रा में जैव गैस तैयार किया जा सकता है । जिन अनुसंधान संस्थाओं में यह कार्य किया जा रहा है वे हैं : सैन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल), श्री परशक्ति कालेज फार वुमन, कार्टेलम, गोवर गैस रिसर्च स्टेशन अजितमल (उत्तर प्रदेश), युनिवर्सिटी आफ़ एग्रिकल्चरल साइंसिज़, बंगलौर नागार्जुन सागर इंजीनियरिंग कालेज, हैदराबाद, अनुप्रयुक्त रसायन विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जोरहाट । यह पाया गया है कि जल हायसिंथ में शुष्क भार आधार पर लगभग 26 प्रदिशत अपरिष्ठत प्रोटीन 26 प्रतिशत तंतु (फाइवर) 17 प्रतिशत भस्म और 8 प्रतिशत उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट हैं । इस प्रकार यह जैव गैस और जुगाली न करने वाले पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त चारे का स्त्रोत हो सकती है । प्रमुख समस्या है कि इस खरपतवार में जलांश अधिक होता है । आजकल संपाचित्र के एक ऐसे उपयुक्त अभिकल्प का विकास किया जा रहा है जिसमें जल-हायसिंथ का प्रयोग किया जाए।

कीनटनाशक औषधियों के कम उत्पादन के कारण

1747. श्री समर मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीटनाशक औषधियों की 3000 से भी अधिक लघु एकक अपनी अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम, अर्थात् केवल 15 से 20 प्रतिशत ही उत्पादन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसका कारण राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा इन एककों से माल उठाने की मनाही करना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरन जीत चानना): (क) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय देश में कीटनाशक औषधियों के बनाने वाले लगभग 400 लघु एकक कार्यशील हैं । यह बात सही है कि इन एककों में से अधिकांश एकक अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं ।

(ख) विभिन्न प्रकार की कीटनाशक औषधियों की आवश्यकता हेतु अनुमानित मांग की अपेक्षा लघु क्षेत्र में अधिष्ठापित आंकी गई क्षमता अधिक है । इसके अलावा, बड़े तथा मझौले एककों में ऐसे कीटनाशकों के बनाने की क्षमता पर्याप्त है । तकनीकी कच्ची सामग्री की समय-समय पर आने वाली कमियों ने भी इस उद्योग विशेषकर लघु क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग को बुरी तरह से प्रभावित किया है ।

(ग) डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा एन० एम० ई० पी० के लिए विभिन्न स्त्रोतों से की गई कीटनाशकों की खरीद प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न रही है। कुछ सीमा तक इससे कीटनाशी औषध निर्माता एककों के क्षमता के उपयोग में अन्तर आया हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सीमेंट की सप्लाई

1748. **श्री के० प्रधानी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सीमेन्ट सप्लाई करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना): (क) तथा (ख) : जी हां, राज्य सरकारों से सीमेंट की सार्वजनिक बिक्री तथा वितरण पर नियंत्रण रखने के लिये प्रभावी योजनाएं बनाने की आवश्यकता के बारे में कहा गया है। जिस योजना का सुझाव दिया गया था उसकी प्रमुख विशेषताओं में सीमेंट स्टाकिस्टों को कानूनी ढंग से लाइसेंस देना, उत्पादकों से स्टाकिस्टों को हटाकर राज्य सरकारों द्वारा सीमेंट व्यापारियों की सीधे नियुक्ति करना परमिट प्रणाली लागू करना तथा इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारियों का सृजन करना शामिल है। इसके अनुसार 16 राज्य सरकारों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने सीमेंट के सार्वजनिक वितरण के लिए अपनी योजनाएं लागू कर दी हैं।

कोका कोला को लाइसेंस न दिया जाना

1749. **श्री दया राम शाक्य :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में तदर्थ आयात लाइसेंस के लिये कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के अनुरोध को क्यों ठुकराया गया, जबकि उनको ऐसा तदर्थ लाइसेंस पिछले अनेक वर्षों से मिलता आ रहा था।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम द्वारा वर्ष 1977 में एक तदर्थ आयात लाइसेंस स्वीकृत किए जाने के लिए दिए गए आवेदन पत्र में कोई अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व ही कंपनी ने भारत में कोका कोला सांद्रणों का उत्पादन करना बन्द कर दिया था।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक का भारत से बाहर छुट्टी पर जाना

1750. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक (इंजीनियरिंग), डा० एच० एन० अरण जुलाई, 1979 में भारत से बाहर छुट्टी पर गये थे ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डा० शरण ने स्विट्जरलैंड में परामर्शदात्री सेवा प्रारम्भ कर दी है ;

(ग) सरकार का विचार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हितों के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही करने का है क्योंकि डा० शरण की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में गोपनीय और गुप्त प्रकार की सूचना सहित समस्त प्रकार की जानकारी तक पूरी पहुंच है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ विवादों को देखते हुए डा० शरण के पूर्ववृत्तों की जांच-पड़ताल करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) (क) जी, हां। वह 16 जुलाई, 1979 से 13 अगस्त, 1979 तक स्वीकृत अवकाश पर चले गए थे जिसे बाद में 1 अक्तूबर, 1979 तक बढ़ा दिया गया था। अवकाश पर रहते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र भेजा था जिसे 15 अक्तूबर 1979 से स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा के जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकरण का मूल्यांकन

1751. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना से अब तक, इनके कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) वर्ष 1978–79 के दौरान उड़ीसा के प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्यमियों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) यद्यपि, सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकरण का कोई समग्र मूल्यांकन नहीं किया गया है किन्तु जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा उड़ीसा के लघु तथा कुटीर एककों को दी गई सहायता संबंधी जानकारी मासिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में प्राप्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र के लिए जिला उद्योग केन्द्र की एक क्षेत्रीय समन्वय समिति है जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

(ख) 1978–79 की अवधि में उड़ीसा के प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दी गई सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा राज्य में जिलों उद्योग केन्द्रों द्वारा दी गई सहायता

1978-79

क्रम सं०	जिला उद्योग का नाम	क्या कार्य की योजना तैयार की गई	पता लगाये गए उद्यमियों की सं०	किये गये नए पंजी-करणों की संख्या	स्थापित किये गये नये एककों की संख्या शिल्पी	लघु उद्योग	कुल	उन रुग्ण एककों की सं० जिन्हें सहायता दी गई	वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई मुद्रा संबंधी सहायता
1	2	3	4	5	6	6क	6ख	7	8
									(रु० लाखों में)
1.	बालासोर	हां	317	276	340	97	437	6	9.92
2.	बोलनजीर	हां	338	307	76	71	147	16	14.82
3.	फूलबनी	हां	260	165	26	45	71	17	17.36
4.	कटक	हां	1409	1417	1088	313	1401	29	89.14
5.	धनकनाल	हां	253	356	224	103	327	13	7.41
6.	गनजाम	हां	927	636	2431	128	2559	13	37.26
7	क्योनझर	हां	51	155	—	33	33	4	4.93
8.	कोरापूट	हां	166	149	101	48	149	5	18.78
9.	कालाहांडी	हां	164	193	20	29	49	11	6.10
10.	मयूरभंज	हां	223	162	22	109	131	1	11.48
11.	पुरी	हां	418	475	1529	157	1686	39	50.53
12.	सम्भलपुर	हां	402	506	102	157	259	—	21.15
13.	सुन्दरगढ़	हां	680	344	15	82	97	8	25.34
	योग :		5608	5141	5974	1372	7346	162	314.22

औद्योगिक विकास में उड़ीसा का दर्जा

1752. श्री अर्जुन सेठी : : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास क्षेत्र में उड़ीसा राज्य का क्या दर्जा रहा है ;

(ख) क्या कोई गिरावट आई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय निवेश की क्या मात्रा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन सकल मूल्य संबंधी आंकड़े 1976–77 तक ही उपलब्ध हैं, 1974-75 में औद्योगिक उत्पादन में उड़ीसा का 16वां स्थान था लेकिन 1975–76 तथा 1976-77 में इसने 15वां स्थान प्राप्त कर लिया है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय निवेश की मात्रा संबंधी आंकड़े सरकारी उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित किये जाते हैं और ये आंकड़े वर्ष 1977–78 तक के उपलब्ध हैं । उड़ीसा के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संकल निवेश के आंकड़े 1976–77 तथा 1978 से 31 मार्च तक क्रमश: 519.6 करोड़ रुपये, 646.5 करोड़ तथा 654.41 करोड़ रुपये थे ।

गैर-टैक्सटाइल प्रयोजनों के लिए विद्युतचालित करघों के लिए आवेदन-पत्रों की संख्या

1753. **श्री ए० के० राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा आयुक्त के पास, विसंवाहन (इन्सुरेलशन) कपड़ा बनाने के लिये गैर-टैक्सटाइल प्रयोजनों हेतु, विद्युतचालित, करघों की स्थापना के लिये, छः मांस से भी अधिक समय से विचाराधीन पड़े आवेदन पत्रों की राज्यवार संख्या के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन पर शीघ्र ही निर्णय के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) (क), (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभापटल पर रख दी जायेगी ।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनीडो) का सम्मेलन

1754. **श्री अटर बिहारी वाजपेयी** : : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में दिल्ली में सम्पन्न संयक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनी डो) सम्मेलन में तीसरे विश्व के देशों के लिये क्षेत्रीय उत्पादन क्षेत्रों का पता लगाने के विशेष प्रयासों से संबंधित बातचीत का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विकसित देशों और तीसरे विश्व के देशों के बीच मतभेद किन बातों पर हैं; और

(ग) सम्मेलन के अन्त पर पारित किये गये अंतिम संकल्प पर केन्द्रीय रूप से नियोजित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों का क्या रुख था और क्या इनमें से किन्हीं देशों ने संकल्प के लिये मतदान करते समय भी अन्तिम संकल्प से बाहर कोई वक्तव्य दिया था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) मूलतः यूनिडो के तृतीय महासम्मेलन में हुए विचार-विमर्श का उद्देश्य लीमा में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकासशील देशों में औद्योगिक उत्पादन की गति को तेज करना रहा है। इसी संदर्भ में महासम्मेलन में सीमा में निश्चित किए गए लक्ष्यों का क्षेत्रीय, मध्यावधि तथा क्षेत्रवार परिप्रेक्ष्यों में विभाजन करने पर विचार तथा अपेक्षाकृत गतिशील लाभ के आधार पर उद्योग क्षेत्र को उन्नत देशों से विकासशील देशों में ले आने का विचार किया गया था।

(ख) समुन्नत एवं विकासशील देशों के बीच मुख्यतः मतवैभिन्नय के क्षेत्र ये हैं :—

सीमा लक्ष्य के क्षेत्रीय मध्यवर्ती तथा क्षेत्रवार परिप्रेक्ष्य में विभाजन, उद्योगों का उन्नत देशों से विकासशील देशों में से आया जाना, परामर्श की पद्धतियों विषयक नियमावली उत्तर-दक्षिण विश्वनिधि का सृजन करना तथा गम्भीर रूप से प्रभावित हुए देशों के लिये विशेष अभ्युपाय करना।

(ग) केन्द्रीय रूप से नियोजित अर्थ व्यवस्था ने नई दिल्ली घोषणा तथा कार्य योजना के अपनाए जाने के हक में अपना मत दिया तथा बहुमत से पास हो जाने के पश्चात् नई दिल्ली घोषणा तथा कार्य योजना के कतिपय भागों के संबन्ध में अपनी आशंकाए प्रकट करते हुए एक वक्तव्य दिया।

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची

1755. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों द्वारा किये जाने वाले उत्पादन के लिये आरक्षित वस्तुओं की सूची में जनवरी, 1980 से क्या-क्या घट/बढ़ की गई है ;

(ख) इस प्रकार की घट/बढ़ किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या लघु उद्योगों के हित की सुरक्षा के लिये सरकार का विचार इन प्रशासकीय आदेशों पर आधारित आरक्षण को वैधानिक आरक्षण में बदलने का है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

(ग) विद्यमान आरक्षण का स्वरूप पहले ही कानूनी है।

माचिसों पर उत्पादन-शुल्क का प्रभाव

1756. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यन्त्रीकृत क्षेत्र, गैर-यंत्रीकृत क्षेत्र और कुटीर उद्योग क्षेत्र में माचिसों के उत्पादन के आधार पर गत वर्ष माचिसों पर लगाये गये अलग-अलग उत्पादन शुल्कों का माचिस उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) विभिन्न उत्पादन शुल्कों के परिणामस्वरूप इन तीनों के प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार में कितनी अनुमानित वृद्धि/कमी हुई ; और

(ग) यदि वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये उपरोक्त भाग (क) और (ख) के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो तुलनात्मक तिमाही अथवा मासिक आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में डकैतियां और हत्यायें

1757. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1979 से दिसम्बर, 1979 और जनवरी, 1980 से आज तक उत्तर प्रदेश में, जिलावार, डकैती और हत्या के कितने मामले दर्ज किए गए हैं ;

(ख) इन मामलों में जिलावार कितने अपराधी पकड़े गए हैं और कितने अपराधी अभी तक फरार हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अपराधों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) तक अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

वर्ष 1979 की चयन सूची में शामिल करने के लिए अधिकारियों की ग्राह्यता

1758. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड I और सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति हेतु) विनियमन 1964 में यह व्यवस्था है कि चयन सूची में शामिल करने के लिए अधिकारियों की ग्राह्यता निर्धारित करने के लिए संदर्भ तिथि कलैंडर वर्ष की पहली जुलाई होनी चाहिए जब चयन सूची तैयार की जाती है चाहे चयन सूची किसी भी वर्ष की हों; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979 के लिये चयन सूची में जिस पर कलैंडर वर्ष 1980 में अभी तक विचार किया जा रहा है शामिल करने हेतु अधिकारियों की ग्राह्यता निर्धारित करने के लिये क्या तिथि निर्धारित की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बय्या

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड I और चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियमावली, 1964 में यह व्यवस्था है कि किसी "पात्र अधिकारी" का अर्थ एक ऐसे अधिकारी से है जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली 1962 के नियम 12 के अधीन उस कलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिस में प्रवर सूची तैयार की जाती है, सेवा के ग्रेड I अथवा चयन ग्रेड, जो भी स्थिति हो, में नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाए ।

(ख) 1979 की प्रवर सूची में शामिल करने के लिए अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए अपनाई गई तारीख 1-7-1979 है । किन्तु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

वर्ष 1979 की प्रवर सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए अधिकारियों की पात्रता

1759. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड I में पदोन्नति और सलेक्शन ग्रेड) विनियम, 1964 के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I की प्रवर सूची में शामिल किये जाने वाले पात्र अधिकारी की पात्रता उस कलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से मानी जाती है जिसमें प्रवर सूची तैयार की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1979 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड की प्रवर सूची 1980 में तैयार की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या 1979 की प्रवर सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की पात्रता पर उक्त विनियमों के अनुसार 1–7–1980 को आधार मान कर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : जी हां श्रीमान् ।

(ख) वर्ष 1979 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I की प्रवर सूची तैयार करने के लिए 1979 में ही कार्यवाई आरम्भ कर दी गई थी ।

(ग) और (घ) वर्ष 1979 की प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकारियों को पात्रता पर पहली जुलाई, 1979 के संदर्भ में विचार किया जा रहा है । किन्तु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड II के अधिकारियों की ग्रेड I में पदोन्नति हेतु 1979 के लिए चयन सूची तैयार करना

1760. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय श्रेणी के केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की प्रथम

श्रेणी में पदोन्नति से संबंधित विनियमों में उपबन्ध है कि चयन सूची जिस वर्ष की है इस बात की ओर ध्यान दिये बिना जिस वर्ष चयन सूची तैयार की जाये वह उस कलेंडर वर्ष की पहली जुलाई के संदर्भ में तैयार की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1979 के लिए चयन सूची जो कलेंडर वर्ष 1980 में अभी भी तैयार की जा रही है तैयार करने के लिये विनियमों के उपबंधों को सही ढंग से लागू किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में कोई भी ग्रेड II नहीं है । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में पदोन्नति को शासित करने वाले विनियमों में उस कलेंडर वर्ष की पहली जुलाई जिस वर्ष में प्रवर सूची तैयार की जाती है के संदर्भ में प्रवर सूची तैयार करने की व्यवस्था है ।

(ख) तथा (ग) चूंकि वर्ष 1979 की प्रवर सूची को तैयार करने की कार्रवाई 1979 में ही प्रारम्भ की गई थी, इसलिए अधिकारियों की पात्रता की गणना भी पहली जुलाई, 1979 के संदर्भ में ही की गई है । किन्तु, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, ऊटी, तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धित आदेशों का कार्यान्वयन

1751. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये नियुक्ति/पदोन्नति/स्थायीकरण के समय आरक्षण की व्यवस्था करने वाले भारत सरकार के आदेशों को उनके जारी किये जाने की तारीख से ही हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कं० ऊटी, तमिलनाडु में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन आदेशों को कार्यान्वित न करने के लिये कौन जिम्मेवार हैं;

(ख) क्या कार्यान्वित किये गये हैं, तो संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कं० ऊटी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठन ने कुछ अधिकारियों द्वारा दिये गये जाली प्रमाण पत्रों के बारे में अभ्यावेदन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०, (एच० पी० एफ०) उटकमंड ने सूचित किया है कि कम्पनी इन आदेशों को कार्यान्वित कर रही है ।

(ख) संवर्ग-वार विवरण निम्न प्रकार है :—

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनु० जाति	अनु० जनजाति
(क) अधिकारी 700–1300 रु० तथा इससे अधिक वेतनमान में . .	191	6	1
(ख) अनुभाग अधिकारी/पर्यवेक्षक 600–1020 रु० के वेतनमान में . . .	200	8	1
(ग) कर्मचारियों की श्रेणियां (अर्थात् 540–22—870 रु० तथा इससे निम्न वेतनमानों में)	2161	360	34

टिप्पणी :—समूह "ग" में सेनिटरी कर्मचारी जो 275–6–390 रु० के हैं, वेतनमान शामिल नहीं हैं।

(ग) 31 दिसम्बर, 1979 तक 21 कर्मचारियों के बारे में इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि वे अनुसूचित जाति के समुदायों के नहीं हैं। जांच करने पर पता चला है कि इन कर्मचारियों में से केवल एक कर्मचारी वास्तव में अनुसूचित जाति का था और शेष 2 व्यक्तियों में से केवल 4 व्यक्तियों को आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों के रूप में भर्ती किया गया था जबकि शेष व्यक्ति सामान्य रिक्तियों पर नियुक्त किये गये थे। जिन 4 व्यक्तियों को आरक्षित पदों पर नियुक्त किया गया था तथा जिन्हे तत्पश्चात् गैर-अनुसूचित जाति का पाया गया था, उनमें से दो व्यक्तियों की सेवाएं तो समाप्त कर दी गई थीं और अन्य दो व्यक्तियों को उनके निम्नतम ग्रेड में पदावनत कर दिया गया था। इसके अलावा प्रबन्ध समिति राजस्व प्राधिकारियों से इस बात का पता लगा रही है कि क्या पुटडी वाननस कर्मचारियों को अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले उत्तर को ध्यान में रखकर इन कर्मचारियों के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

गैर-अनुसूचित जातियों के 44 कर्मचारियों द्वारा जाति सम्बन्धी जाली प्रमाणपत्र पेश किया जाना

1762. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-अनुसूचित जातियों के 44 कर्मचारियों ने जाति सम्बन्धी जाली प्रमाण-पत्र पेश करके हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, ऊटी में आरक्षित कोटे पर नियुक्तिया ले ली हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ऊटी के अ०ज०/अ०जन०जा० एसोसियेशन उपरोक्त मामले को लेकर पिछले 7 वर्षों से प्रबन्धकों तथा सरकार को अभ्यावेदन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और जानबूझ कर की गई इस चूक के लिये कौन उत्तरदायी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (घ). हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (एच०पी०एफ०), ऊटकमण्ड ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर 1979 तक उसे 21 कर्मचारियों के बारे में इस आशय की शिकायतें मिली ह कि वे अनुसूचित जाति के समुदायों के नहीं हैं । जांच करने से पता चला है कि इन कर्मचारियों में से केवल एक कर्मचारी ही अनुसूचित जाति का था और शेष 20 कर्मचारियों में से केवल 4 व्यक्तियों को आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों के रूप में नियुक्त किया गया था तथा शेष अभ्यर्थी सामान्य रिक्तियों पर नियुक्त किए गए थे । जिन 4 व्यक्तियों को आरक्षित पदों पर नियुक्त किया गया था जिन्हें तत्पश्चात् गैर अनुसूचित जाति का पाया गया था उनमें से दो व्यक्तियों की सेवाएं तो समाप्त कर दी गई थीं और अन्य दो व्यक्तियों को उनके निम्नतम ग्रेड में परावर्तित कर दिया गया था । इसके अलावा प्रबंधक राजस्व प्राधिकरण से इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या पट्टड़ी वानानस् से संबंधित कर्मचारियों को अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया जा सकता है । राजस्व प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले उत्तर को ध्यान में रख कर इन कर्मचारियों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ऊटी में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या

1763. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, ऊटी में वर्ष 1964 से 1974 और 1976 से 1979 दिसम्बर के दौरान नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या का संवगवार, ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि में उनमें से संवर्गवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कुल कर्मचारी कितने थे ; और

(ग) क्या उनकी संख्या में कोई कमी हुई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसको कब तक पूरा किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

(ग) मुख्य रूप से वर्ग "क" और "ख" में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कम संख्या में हैं । यह कमी कम्पनी के अन्दर व खुले बाजार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त और योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को न मिलने के कारण हुई है । कम्पनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के प्रयास कर रही है और वह इस कमी को पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करती रहेगी ।

विवरण

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी में वर्ष 1964 से 1978 तक और 1976 से 1979 तक नियुक्त किए गए कुल कर्मचारियों तथा उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियुक्त किए नए कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण ।

वर्ष	श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1964	वर्ग "क"	3	—	—
	वर्ग "ख"	—	—	—
	वर्ग "ग"	92	9	—
	वर्ग "घ"	71	28	—
1965	वर्ग "क"	—	—	—
	वर्ग "ख"	47	—	—
	वर्ग "ग"	47	11	—
	वर्ग "घ"	93	13	7
1966	वर्ग "क"	—	—	—
	वर्ग "ख"	15	1	—
	वर्ग "ग"	103	2	—
	वर्ग "घ"	124	26	—
1967	वर्ग "क"	10	—	—
	वर्ग "ख"	16	—	—
	वर्ग "ग"	132	4	—
	वर्ग "घ"	177	48	—
1968	वर्ग "क"	9	—	—
	वर्ग "ख"	1	—	—
	वर्ग "ग"	117	8	—
	वर्ग "घ"	105	44	—

वर्ष	श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1969 . . .	वर्ग "क"	5	—	—
	वर्ग "ख"	2	—	—
	वर्ग "ग"	54	2	—
	वर्ग "घ"	230	57	2
1970 . . .	वर्ग "क"	7	—	—
	वर्ग "ख"	5	1	—
	वर्ग "ग"	83	12	—
	वर्ग "घ"	32	1	—
1971 . . .	वर्ग "क"	4	—	—
	वर्ग "ख"	—	—	—
	वर्ग "ग"	74	26	1
	वर्ग "घ"	—	—	—
1972 . . .	वग "क"	4	—	—
	वर्ग "ख"	—	—	—
	वर्ग "ग"	101	18	—
	वर्ग "घ" (स्वीपर)	7	7	—
	वर्ग "घ"	—	—	—
1973 . . .	वर्ग "क"	3	—	—
	वर्ग "ख"	—	—	—
	वर्ग "ग"	6	1	—
	वर्ग "घ" (स्वीपर)	—	—	—
	वर्ग "घ"	—	—	—
1974 . . .	वर्ग "क"	—	—	—
	वर्ग "ख"	—	—	—
	वर्ग "ग"	73	12	1
	वर्ग "घ" (स्वीपर)	—	—	—
	वर्ग "घ"	—	—	—
1975 . . .	वर्ग "क"	14	3	—
	वर्ग "ख"	—	—	—
	वर्ग "ग"	196	43	5
	वर्ग "घ" (स्वीपर)	8	8	—
	वर्ग "घ"	—	—	—

1	2	3	4	5
1976 . . .	वर्ग "क"			
	वर्ग "ख"			
	वर्ग "ग" (स्वीपर)			
1977 . . .	वर्ग "क"	1	1	—
	वर्ग "ख"	—	—	—
	वर्ग "ग"	200	36	10
	वर्ग "ग" (स्वीपर)	—	—	—
	वर्ग "घ"	—	—	—
1978 . . .	वर्ग "क"	3	—	—
	वर्ग "ख"	15	—	—
	वर्ग "ग"	126	32	8
	वर्ग "ग" (स्वीपर)	—	—	—
	वर्ग "घ"	—	—	—
1979 . . .	वर्ग "क"	2	—	—
	वर्ग "ख"	36	1	—
	वर्ग "ग"	217	16	4
	वर्ग "ग" (स्वीपर)	4	4	—
	वर्ग "घ"	—	—	—

राज्यवार औद्योगिक प्रगति

1764. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने राज्यों में औद्योगिक प्रगति के लिए अप्रैल, 77 से जनवरी, 80 तक की अवधि के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यों में कितने प्रतिशत औद्योगिक प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि वापस की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ग). वर्ष 1977–78, 1978–79 और 1979–80 के लिए उद्योग के राज्यवार योजना परिव्यय और वास्तविक/प्रत्याशित व्यय विवरण–1 में दिए गए हैं ।

(ख) जनवरी, 1976 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों की संख्या तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर एक समान मानक कार्यप्रणाली के अपनाने की सिफारिश की थी । लेकिन, केवल आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने अभी तक इस कार्यप्रणाली को अपनाया है और केवल ये राज्य ही औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों को नियमित रूप से प्रकाशित करते रहे हैं । उपलब्ध संबंधित आंकड़े विवरण –2 में दिए गए हैं ।

विवरण–I

उद्योग और खनिज के लिए वर्ष 1977–78, 1978–79 और 1979–80 के लिए राज्यवार योजना परिव्यय और व्यय ।

(लाख रु०)

राज्य	1977–78		1978–79		1979–80	
	योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय	योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय	योजना परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश . .	1125	1170	1154	1635	1074	1056
2. असम . .	456	274	470	419	550	550
3. विहार . . .	1252	1152	1437	1496	1350	1348
4. गुजरात . .	1410	2216	1295	1948	1962	3128
5. हरियाणा . .	256	169	298	231	368	411
6. हिमाचल प्रदेश . .	175	164	241	248	241	305
7. जम्मू और कश्मीर .	621	644	569	585	617	824
8. कर्नाटक . .	840	1133	1175	1187	1875	2575
9. केरल . . .	1561	1747	1645	2125	1700	3796
10. मध्य प्रदेश . .	644	691	748	689	800	784
11. महाराष्ट्र . .	1939	2295	2875	2710	2675	3013
12. मणिपुर . .	191	174	209	171	155	170
13. मेघालय . .	98	116	235	236	198	209

1	2	3	4	5	6	7
14. नागालैंड	74	123	128	124	165	187
15. उड़ीसा	434	441	530	532	700	706
16. पंजाब	1604	1119	1250	1137	1196	1189
17. राजस्थान	431	589	819	900	1106	1275
18. सिक्किम	93	90	109	86	115	119
19. तमिलनाडु	1281	1500	1392	1569	1550	1671
20. त्रिपुरा	62	52	97	112	141	157
21. उत्तर प्रदेश	3389	3383	3406	3288	3600	4210
22. पश्चिम बंगाल	1733	1633	1589	1445	2394	2612
जोड़ राज्य	19669	20875	21671	22873	24532	30295

विवरण –II

राज्य	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक			पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	1976–77	1977–78	1978–79	1977–78	1978–79
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश (आधार 1970)	158.2	165.6	184.1	4.7	11.2
हरियाणा (आधार 1970–71)	163.8	177.2	उ०न०	8.2	उ०न०
कर्नाटक (आधार 1970)	136.9	146.3	उ०न०	6.9	उ०न०
तमिलनाडु (आधार 1970)	137.6	142.1	163.8	3.3	15.3
उत्तर प्रदेश (आधार 1970–71)	136.0	138.7	160.3	2.0	15.6

जबलपुर छावनी के नजदीकी क्षेत्र में किसानों की बेदखली

1765. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर छावनी के आसपास के क्षेत्र में से किसानों को अपने फलोद्यानों से बेदखल करने के लिए, जो वर्षों से उनके स्वामित्व में है और सैकड़ों किसानों की जीविका

का साधन है, कार्यवाही की जा रही है बावजूद इसके कि उन्होंने बेदखली के खिलाफ बार-बार अपील की है और बोर्ड के कई निर्वाचित पार्षदों ने उनकी अपील का समर्थन किया है; और

(ख) क्या इस विवाद को निपटाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :(क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

यह रिपोर्ट मिली है कि जिन इलाकों से किसानों को बेदखल किया जा रहा है वहां कोई बाग-बगीचे नहीं हैं । रक्षा विभाग के पास लगभग 305 एकड़ भूमि अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं से अधिक थी जिसे अल्पाविध के लिए कृषि पट्टे पर दे दिया गया था । पट्टे की शर्तों में यह प्रावधान है कि जब आवश्यकता होगी तब इस भूमि को वापस ले लिया जाएगा । पट्टे पर दी गई इस भूमि में से लगभग 165 एकड़ भूमि की रक्षा विभाग को जरूरत पड़ गई इसलिए दिसम्बर 1976 तक 106 एकड़ भूमि वापस ले ली गई । 56 एकड़ भूमि के पट्टेदारों ने मामले न्यायालय में उठा दिए थे इसलिए उसे वापस लेने में कुछ समय लग गया । इस भूमि की सेना को अभी भी आवश्यकता है या नहीं इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । शेष 143 एकड़ भूमि के मामले में यह जांच की जा रही है कि पट्टेदार इस भूमि को पट्टे पर रखे रहने के पात्र हैं या नहीं । इस बात की जांच की जा रही है कि पट्टे की शर्तों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ है ।

तमिलनाडु में कोलावई झील में नौसैनिक अड्डे की स्थापना

1766. **श्री इरा अनरासु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में चेंगालपट्ट में कोलावई झील में नौसैनिक अड्डे की स्थापना का काम पूरा करने संबंधी परियोजना को लिया जायेगा; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस परियोजना को पूरा करने में अब तक हुई प्रगति क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तमिलनाडु में चेंगालपट्ट में नौसेना बेस स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु में सबसे अधिक निर्धन समुदाय

1767. **श्री इरा अनबरासु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सर्वाधिक निर्धन समुदाय कौन सा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस समुदाय के हितों के संरक्षण और उसके कल्याण के लिए उचित कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तमिलनाडु में "वन्नीयाकुल क्षेत्रीय समुदाय" की जीवन निर्वाह स्थिति

1768. श्री इरा अनवरासु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में "वन्नीयाकुल क्षेत्रीय समुदाय" से संबंधित लोगों की जीवन-निर्वाह स्थिति का पता लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, ताकि सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके ;

(ख) इन लोगों के संबंध में पिछड़ी जाति आयोग के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है, यदि हां तो क्या सरकार का उसे स्वीकार करने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार का पिछड़ी जाति आयोग के तत्कालीन चेयरमैन काका कालेलकर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) पिछड़ा वर्ग आयोग को अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ।

(घ) अब स्थापित किया गया पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य बातों के साथ पहले नियुक्त किए गए पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों की भी जांच करेगा ।

सर्वाधिक पिछड़े समुदायों का वर्गीकरण

1769. श्री इरा अनवरासु :क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ समुदायों का जिन्हें सर्वाधिक पिछड़े समुदायों के रूप में पंजीकृत किया जाना है, वर्गीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है ताकि ऐसे समुदायों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष उपबन्ध किए जा सकें, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"परमाणु विस्फोट" सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार

1770. श्री उत्तम राव पाटिल :क्या प्रधान मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शान्ति पूर्ण उद्देश्यों के लिए भी परमाणु विस्फोट न करने की एकतरफा घोषणा के सम्बन्ध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) भारत सरकार परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिमय प्रयोजनों के लिए, जिनमें शांतिमय प्रयोजनों हेतु किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण भी शामिल हैं, करने की अपनी नीति पर कायम है ।

[सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लिए नई वर्दी लागू करना

1771. श्री उत्तम राव पाटिल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लिये नई वर्दी लागू करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नई वर्दियां कब तक लागू की जाएंगी और इस सम्बन्ध में कब तक अनुदेश जारी किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सशस्त्र सेना कार्मिकों को नई वर्दी देने के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा योजनाएं

1772. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे केन्द्रीय मंत्रालय कौन-कौन से है जो देश के आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाते है और इनके लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाते हैं ;

(ख) वार्षिक योजनाओं में, मंत्रालयवार, आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है और उन्हें कितनी राशि दी गई है ;

(ग) इसके लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ उनके मंत्रालय द्वारा क्या पहल की गई है ; और

(घ) किन-किन मंत्रालयों द्वारा उप-योजना क्षेत्रों वाले राज्यों को योजनाएं तैयार करने, जन-जातीय उप-योजना क्षेत्रों में निर्धारित निधियों की व्यवस्था करने तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए धन निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए विचार-विमर्श किए गए हैं । इसके बारे में प्रधान मंत्री ने भी सम्बन्धित मंत्रालयों को पत्र लिखें हैं ।

(घ) कुछ मंत्रालयों अर्थात् ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शी निदेश जारी किए गए हैं।

केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई राशियों का विवरण।

विवरण

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना का नाम	उप-योजना क्षेत्र 1979-80 के लिए निर्धारित की गई राशि (रु० लाखों में)
1	2	3	4
1.	कृषि	(1) वानिकी . .	510.00
		(2) भूमि तथा जल संरक्षण .	415.00
		(3) पशु पालन . .	160.00
		(4) फसल अभिमुखा कार्यक्रम .	22.00
		(5) लघु सिंचाई तथा जल प्रबंध .	55.00
		(6) मत्स्य उद्योग .	25.00
2.	ग्रामीण विकास . .	(1) जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक बाजारों का विकास .	30.00
		(2) प्रयोगिक पोषण कार्यक्रम (ए० एन० पी०) . .	13.26
3.	शिक्षा तथा समाज कल्याण .	(1) गैर-औपचारिक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम . .	150.00
		(2) छात्रवृत्तियां . .	2.00
		(3) एन० सी० ई० आर० टी०- विशेष पाठ्यक्रम तैयार करना, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए पाठ्यसमग्री और जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिमूलन कार्यक्रम, अध्ययन आदि .	10.00
		(4) स्कूल-स्तर पर गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम .	150.00

1	2	3	4
		(5) व्यवसायीकरण . .	15.00
		(6) एकीकृत बाल विकास सेवाएं	107.75
		(7) प्रौढ़ स्त्रियों के लिए कार्य-साधक साक्षरता .	40.61
4.	नौवहन तथा परिवहन	केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजना .	1050.00
5.	डाक तथा तार म० नि०	जनजातीय क्षेत्रों में दूर संचार .	750.00
6.	ऊर्जा	ग्रामीण विद्युतीकरण .	2800.00
7.	नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी विकास के लिए) .	300.00
8.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	(1) समुदाय स्वास्थ्य स्वयं सेवक	266.00
		(2) बहुद्देश्यीय श्रमिकों का प्रशिक्षण तथा रोजगार . .	117.80
		(3) दृश्य हानि की रोकथाम और अंधेपन पर नियंत्रण .	85.26
		(4) टी०बी० नियंत्रण .	17.32
		(5) कुष्ठ रोग नियंत्रण . .	25.50
		(6) एस०टी०डी० .	1.43
		(7) रा०म०उ०का० (ग्रामीण) .	457.80
		(8) फाईलेरिया नियंत्रण .	1.60

पुलिस हिरासत में उत्पीड़न के कारण मौतें

1773. श्री ए० के० राय :
श्री शिबू सोरेन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पुलिस हिरासत में उत्पीड़न के कारण हुई मोतों के बारे में बार-बार प्रकाशित होने वाले समाचारों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में देश में ऐसे मामलों की संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पटेल नगर, नई दिल्ली से एक हरिजन महिला का उसकी पुत्री सहित अपहरण

1774. श्री उत्तम राव पाटिल क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 जून, 1979 को पटेल नगर नई दिल्ली से एक हरिजन महिला का उसकी नाबालिग पुत्री सहित अपहरण कर लिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपहृत महिला के पति ने 15 जून, 2 जुलाई और अगस्त 1979 के किसी दिन पटेल नगर पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली के थानाध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज करायी थी ;

(ग) क्या पटेल नगर पुलिस स्टेशन द्वारा परेशान किए जाने के संबंध में भूतपूर्व प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को शिकायत की एक प्रति भी दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो पटेल नगर पुलिस स्टेशन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और महिला तथा उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण करने वाले अपराधियों का पता लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) हरिजन महिला के पति ने अपहरण के बारे में डी०डी० सं० 34-क दिनांक 15-8-79 के तहत थाने पटेलनगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी । इसके पश्चात इस संबंध में 2-2-79 और 29-8-79 को शिकायतें प्राप्त हुई । शिकायत में उसकी अल्पवयस्क पुत्री का कोई उल्लेख नहीं था । महिला वयस्क है और स्वेच्छा से अपने यार के साथ गई थी । वह अब वापस आ गई है और अपने भाई के साथ रह रही है ।

(ग) शिकायत की प्रति जो प्रधान मंत्री, गृह मंत्री को दी गई बताई गई है, का पता नहीं चल रहा है ।

(घ) चूंकि कोई संज्ञेय अपराध साबित नहीं हुआ, अतः अपराधियों का पता लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में रियायत

1775. श्री एस० आर० ए० एस० आघालानायडू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक लाइसेंस नीति में और वह भी विशेषरूप से सीमेन्ट, कागज और रसायन पदार्थों के सम्बन्ध में वर्तमान कमी को ध्यान में रखते हुए रियायत देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) इन वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

(ख) सरकार देश में प्रमुखतः विद्यमान क्षमताओं का बेहतर उपयोग करके तथा जहां आवश्यक हो वहां नई क्षमताओं को मंजूरी देकर और अन्ततः आयातों द्वारा सीमेंट, कागज तथा रसायनों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रत्येक प्रयास कर रही है ।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में थारू जाति को शामिल किया जाना

1776. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थारू जाति को अनुसूचित जन-जातियों को सूची में शामिल करने के लिये भारतीय थारू कल्याण महासंघ, डाक घर हर्नाटांड, बरास्ता नारायणपुर, पश्चिमी चम्पारण, बिहार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तंत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमन् । भारतीय थारू कल्याण महासंघ, जिला पश्चिमी चम्पारन, बिहार ने ज्ञापन में थारू जाति को बिहार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था।

(ग) बिहार राज्य को अनुसूचित जनजातियों की सूची में थारू समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 1978 से संबंधित संयुक्त समिति को भेजा गया था जो छठी लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया है। फिर भी, मामला सरकार के विचाराधीन है और उपयुक्त समय पर मामले पर निर्णय लिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण पर एन०सी०सी०एफ० की रिपोर्ट

1777. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण पर एन० सी० सी० एफ० की अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसमें दिये गये विभिन्न सुझावों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को इस बीच कार्यान्वित कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है और विलम्ब के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुबय्या) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) रिपोर्ट अक्तूबर, 1979 में प्राप्त हुई थी। यह रिपोर्ट एक प्रकार की पैकेज पुनर्वास परियोजना है। मुख्य सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ समिति के कार्य प्रणाली के निम्नलिखित पहलुओं से सम्बन्धित हैं :

(1) मूल्य नीति की पुनरीक्षा ;

(2) खरीद में सुधार--पूर्ति कार्य विधि ;

(3) फुटकर निकासी का विकास/पर्यवेक्षण;

(4) लेखा प्रणाली में सुधार ;

(5) वित्तीय सहायता और सम्बन्धित मामले :

(6) उधार का चुकाना तथा सम्बन्धित मामले ;

(7) पुनर्वास परियोजना के कार्यान्वियन के लिये उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन।

(ग). (घ) और (ङ) : इन सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है।

श्रेणी–I के पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

1778. **श्री जय नारायण** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को श्रेणी I के पदों के भीतर पदोन्नति के बारे में सरकार के आदेश क्या हैं तथा ये कब जारी किये गय थे ;

(ख) क्या यह सच है कि श्रेणी-I के पदों के भीतर पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई आरक्षण नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मार्गदर्शन के लिये फिर से आदेश जारी करने का है कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित आदेशों का उनके नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नतियों के संबंध में पूरी तरह से पालन किया जाये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 27–11–1972 के आदेश संख्या 27/2/71 स्थापना (अनु. जा.) द्वारा सभी वर्गों अथवा श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में, आरक्षण की व्यवस्था की गई है बशर्ते कि वे उपयुक्त

हों। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 20-7-74 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/41/73-स्थापना (अन. जा.) द्वारा अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये समूह "ग" से समूह "ख" के भीतर और समूह "ख" से समूह "क" की निम्नतम सीढी (रंग) में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 23-12-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/74-स्थापना (अन. जा.) द्वारा ऐसे पदों पर जिनका अन्तिम वेतन रु. 2250/-प्रति मास है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का, जो इन रिक्तियों को संख्या के भीतर है, जिनके लिये प्रवर सूची तैयार की जानी है, उस सूची में सम्मिलित किया जायेगा, बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिये अयोग्य न पाये जाये। इन सभी आदेशों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका, 5वां संस्करण 1978 में संकलित किया गया है (प्रतियां संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं)।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये समूह "क" की निम्नतम सीढी (रंग) के बाद चयन द्वारा पदोन्नतियों में कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण यह है कि समूह "क" में चयन पदों के उत्तरदायित्व ऊंचे होते है और रिक्तियों की संख्या कम होती हैं। इन स्तरों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसुजित जनजातियों के उम्मीदवारों के दावों तथा प्रशासन की कार्यकुशलता की आवश्यकताओं के बीच उच्चतर कोटि के संतुलन को ध्यान में रखना अपेक्षित होता है इसके अतिरिक्त, यदि इन उच्चतर स्तर के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो अनुसुचित जातियों/अनुसुचित-जन जातियों के कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा बहुत अधिक संख्या में अधिग्रहण हो सकता है जिससे सेवाओं के सामान्य मनोबल पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) इस विषय में मंत्रालय/विभाग पहले हे ही अनुदेशों से पूर्णतया अवगत है और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 3-5-1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3601/5/75 स्थापना (अन. जा.) द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि सेवाओं में अनुसुचित जातियों तता अनुसुचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित आरक्षण तथा अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने के मामलों में उपयक्त कार्रवाई करने के कष्ट के लिये इस सम्बन्ध में कोई नये अनुदेश जारी करना आवश्यक पतीत नहीं होता।

राजधानी में घातक सड़क दुर्घटनायें

1779. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में घातक सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है और 1970 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना हुई ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में हुई घातक सड़क दुर्घटनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों में अधिकांश पैदल यात्री और साइकिल सवार थे ;

(घ) यदि हां, तो इन दुर्घतनाओं की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ; और

(ङ) क्या घातक सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को सरकारी निधि में से मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और अदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजधानी में सूचित की गई घातक सड़क दुर्घटनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

विवरण

वर्ष	घातक दुर्घटनाएं	मारे गये व्यक्ति
1977	658	694
1978	686	717
1979	726	763

(ग) जी हां, श्रीमन शिकार हुए पैदल यात्री और साईकिल सवारों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	पैदल यात्री	साईकिल सवार
1977	297	146
1978	315	126
1979	297	142

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) चोट लगने वाले और कुचले गये पीडितों को मुआवजा देने की एक योजना नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के विचाराधीन है :

विवरण

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) सड़कों पर यातायात की मात्रा को दृष्टि में रखते हुए सड़कों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम गति सीमा को कम कर दिया गया है।

(2) विभिन्न क्षेत्रों में यातायात के स्वतंत्र आवागमन को सुविधा जनक बनाने और दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिये विभिन्न उपायों, जैसे एक तरफा यातायात भारी और मध्यम भार वाहनों के चलाने पर रोक, धीरे चलने वाले वाहन और वाहन खड़े करने आदि पर प्रतिबंध को लागू किया गया है।

(3) यातायात नियमों को लागू करने के कार्य को तेज किया गया है। वर्ष 1978 में 4,46,147 चालानों की तुलना में वर्ष 1979 में 5,74,043 चालान किये गये हैं।

(4) प्रदर्शनियों, झण्डों, भाषणों के माध्यम से और पत्रिकाएं आदि को वितरित करके वाहन चालकों, स्कूली बच्चों और पैदल चलने वाले यात्रियों आदि को सड़क सुरक्षा की शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य सड़क का प्रयोग करने वालों में सड़क का उचित ज्ञान पैदा करना है।

(5) सड़कों की दशा में सुधार करने, चौरहों के बनावट और सड़कों की मरम्मत करने आदि के लिये समय-समय पर प्रस्ताव किये जाते हैं।

(6) दिल्ली मोटर वाहन नियम में यह व्यवस्था करने के लिये इसकी संशोधित किया गया है कि भारी मोटर वाहनों (बस और ट्रक सहित) को चलाने का लाइसेंस उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाये जिनके पास हल्के वाहन चलाने का कम से कम दो साल का लाइसेंस रहा हो।

(7) शहर में चलने वाली मिनि बसों सहित सभी यात्री बसों की गति को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से सीमित करने के लिये उनमें गति नियंत्रक लगाये गये हैं। यह इंजन के आर. पी. एम. को डीरेट करके और निर्धारित स्तर तक ईंधन पम्प का शीलिंग करके प्राप्त किया गया है।

(8) बसों और ट्रकों की हैडलाईट के ऊपरी आधे भाग को काला रंगने को आवश्यक बनाने के लिये दिल्ली मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया गया है।

(9) सिक्स लेन केरिजवेज वाली सभी सड़कों पर, जहां साईकल पथ और या सर्विस रोड उपलब्ध है, साईकलों और धीरे चलने वाले वाहनों को केवल इन्हीं सड़कों का प्रयोग करने दिया जाता है और वाहन पथ पर नहीं चलने दिया जाता है। तीव्र और सुलभ, यातायात को सुनिश्चित करने के हित में वाहन पथों पर, अंतिम दाहिना पथ भी कारों के लिये है, मध्य पथ स्कूटरों और आटोरिक्शा और अंतिम बायां पथ ट्रकों और बसों के लिये आरक्षित है।

(10) चौरोहों और अत्यधिक यातायात वाली सड़कों के विधुतीकरण करने के लिये जोरदार अभियान चलाया गया है।

(11) जन परिवहन वाहनों को उपयुक्तता प्रमाण पत्रों को देने की पद्धति को सुव्यवस्थित किया गया है और वह सुनिश्चित करने के लिये अधिक सावधानी बरती जाती है कि ये प्रमाण पत्र केवल उन्हीं वाहनों को दिय जाये जो सड़क पर चलने के लिये पूर्ण रूप से उपयुक्त हों निजी वाहनों के लिय यह आवश्यक करने हेतु कि वे वाहन के निर्माण के समय से 15 साल बाद उपयुक्तता प्रमाण पत्र को प्राप्त करें, मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित किया गया है।

(12) क्षमता से अधिक भार लादने और अन्य परिवहन और यातायात के उल्लंघनों के विरूद्ध समय-समय पर तेज अभियान चलाया जाता है। वर्ष

1979 के दौरान 45,625 मुकदमें चलाये गये, 3192 वाहनों को जब्त किया गया, 264 परमिटों और 556 ड्राईविंग लाइसेंसों को निलंम्बित किया गया।

(13) सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के एजेंसियों के वाहनों को उनके रखरखाव के स्तर को सुनिश्चित करने के लिये उनके कार्यालयों में परिवहन निदेशालय दिल्ली के रोड सुरक्षा निरीक्षक द्वारा जांच की जाती हैं। वाहन-चालक लाइसेंसों और कंडक्टर लाइसेंसों की भी इसी प्रकार जांच की जाती है। पाई गई कमियों की रिपोर्ट इन एजेंसियों को की जाती है और इनकों दूर करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम रखा जाता है।

पोर्ट ब्लेयर में होटल का निर्माण करने के लिए जमीन का अधिग्रहण

1780. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी राजनैतिक नेता ने सहकारी समिति की आड़ में होटल का निर्माण करने के लिये पोर्ट ब्लेयर सिटी के मध्य में किसी तरह जमीन प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो सोसाइटी ने पंजीकरण के लिये किस तिथि को आवेदन पत्र दिया था, पंजीकरण की तिथि क्या है, शेयर धारियों की संख्या क्या है, जमीन का आवंटन करने के लिये आवेदनपत्र किस तिथि को दिया गया और आवंटन की तिथि क्या है ;

(ग) क्या सरकार जानती है कि सरकार ने सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु बिना मुआवजा दिए स्थानीय लोगों से उक्त जमीन अधिग्रहीत की थी, यदि हां, तो यदि सरकार को उक्त जमीन की आवश्यकता नहीं है तो उसे उसके मूल मालिक को वापिस न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को उक्त आवंटन रद्द किये जाने हेतु अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : मुख्य आयुक्त ने सहकारी आधार पर चलाये जाने के लिये एक केफिटिरिया और आवास गृह के निर्माण के लिये अण्डमान व निकोबार सहकारी केफिटिरिया लि० के सचिव को एबर्डीन (पोर्ट ब्लेयर) में 480 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की थी जिसका आशय पर्यटकों और पारगमन यात्रियों के लिये सस्ते तथा स्वच्छ आवास की व्यवस्था करना था। अण्डमान व निकोबार सहकारी केफिटिरिया लि० ने 14 अक्तुबर, 1978 को पंजीकरण के लिये आवदन किया था और उसी तारीख को सहकारी समितियों, अण्डमान व निकोबार प्रशासन के पंजीकार द्वारा पंजीकरण कर दिया गया था। जब पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र फाइल किया गया था तो उस समय शेयर धारकों की संख्या 12 थी (जबकि अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह सहकारी समिति विनियम, 1973 की धारा 5 के अधीन कोई सहकारी समिति बनाने के लिये कानूनी

दृष्टि से 10 शेयर धारक जरूरी थे)। 30 जून 1979 को शेयर धारकों की संख्या 35 थी। स्थल के आवंटन के लिये आवेदन पत्र मूल रूप से 17 दिसम्बर, 1978 को दिया गया था, जिसकी सिफारिश सहकारी समितियों के पंजीकार द्वारा 19 दिसम्बर, 1978 को की गई थी: आवंटन 1 जून, 1979 को स्वीकृत किया गया था और किस्त वसूल करने के बाद 19 जून, 1979 को लाइसेंस जारी किया गया था।

2. उक्त भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई थी, बल्कि अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने राजस्व सहायक आयुक्त द्वारा 20 नवम्बर, 1958 के जारी किये गये आदेश के अधीन 20 वर्ष पहले इसके भूतपूर्व ग्राही श्री जय लाल से पुनः प्राप्त की थी। ऐसे मामलों में जहां प्रशासन द्वारा भूमि पुनः प्राप्त की जाती है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। जिस व्यक्ति से भूमि पुनः अधिग्रहण की गई थी, उसे भूमि वापस करने का भी प्रश्न नहीं उठता।

3. अण्डमान व निकोबार प्रशासन का अध्यक्ष, लोकल बार्न एसोसियेशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें मांग की गई थी कि नगरपालिका क्षेत्र में किये गये वर्तमान भूमि आवंटन रद्द कर दिये जाये क्योंकि ये किसी सिद्धान्त के बिना और नियमों का उल्लंघन करके किये गए थे। अण्डमान व निकोबार द्वीप प्रशासन ने सूचित किया है कि मुख्य आयुक्त (इस मामले में पहला) ने आवंटन अंडमान व निकोबार एल. आर. विनियम, 1966 के अधीन निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियों और उसके अधीन बनाये गय नियमों के अनुसार किये गये थे जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर आवास स्थल आवंटित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी है।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा नियम, 1978 सम्बन्धित प्रारूप नियमों के बारे में प्राप्त हुई टिप्पणियां

1781. श्री टी० एस० नेगी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (ग्रुप 'ए' और 'बी' पद) सम्बन्धित प्रारूप नियमों के बारे में संसद सदस्यों की टिप्पणियां क्या थीं;

(ख) क्या संसद सदस्यों और सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुई टिप्पणियों के प्रकाश में अब नियम 2 का खण्ड (ग) का उप खण्ड (एक निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

"इन नियमों की अधिसूचना की तारीख की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट 1"; और

(ग) यदि हां, तो क्या परवर्ती सभी खण्डों से 20 अगस्त, 1977 की तारीख को निकाल दिया गया है ताकि इन नियमों के प्रकाशन की तारीख की विभागीय उम्मीदवारों के रूप में सभी तदर्थ हिन्दी अधिकारियों को ऐक जैसा घोषित किया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) उक्त सेवा के प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में माननीय संसद सदस्यों (कुछ भूतपूर्व सदस्यों सहित) से प्राप्त सुझावों का यह आशय था कि:—

(1) प्रस्तावित संवर्ग में शामिल किये जाने वाले हिन्दी अधिकारियों आदि की पात्रता को निश्चित करने के लिये संगत तारीख वह तारीख होनी चाहिये जिसकों नियम लागू किये जाते है न कि 20 अगस्त, 1977 जो प्रारूप में दी गयी है;

(ii) हिन्दी अधिकारियों के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यतायें एम० ए० के बजाय हिन्दी में स्नातक डिग्री होनी चाहिये ; और

(iii) अधीनस्थ कार्यालयों, विशेषत: केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों के पद भी प्रस्तावित सामान्य संवर्ग में शामिल किये जाएं।

(ख) तथा (ग) : प्राप्त हुए सुझावों को ध्यान में रखकर प्रारूप नियमों की आगे जांच की जा रही है।

हैदराबाद में दूसरा राजभाषा सम्मेलन

1782. **श्री सूरज भान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे राजभाषा सम्मलन के बारे में कितनी प्रगति हुई है जिसे हैदराबाद में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव था:

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : दूसरा राजभाषा सम्मेलन 30 अगस्त, 1979 से सितम्बर, 1979 तक हैदराबाद में होना निश्चित हुआ था । किन्तु कुछ घटनाओं के कारण यह नहीं बुलाया जा सका। दूसरा सम्मेलन करने के लिये नई तारीखें अभी निश्चित नहीं की गई हैं।

नेपा पेपर मिल्स, मध्य प्रदेश के दूषित जल का शुद्ध करना

1783. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपा पेपर मिल्स के दुषित जल को, जो मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के जल में मिल रहा है, शुद्ध करने के लिये जिस योजना को सरकार ने स्वीकृति दी थी तथा अनुमोदित किया था, वह असफल हो गई है और जल अभी भी दूषित हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो दूषित जल को शुध करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) सरकार ने जिस योजना को अनुमोदित किया था उसके असफल होने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क), (ख) और (ग) दी नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, नेपा नगर ताप्ती नदी का जल प्रदूषण रोकने के लिये मिल में 89 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाला एक दूषित जल शोधक संयंत्र स्थापित करने की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। योजना कार्यान्वयन की अंतिम अवस्था में है तथा आगामी कुछ ही महीनों में परीक्षण संचालन प्रारम्भ किये, जाने की आशा है। अत: इस अवस्था में योजना के असफल होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आपात स्थिति की ज्यादतियों के मामले वापस लेने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश

1784. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भंग विधान सभाओं वाले नौ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सभी राज्यपालों को आपात स्थिति की ज्यादतियों के सभी मामलों को वापस लेने की पूर्ण अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वापस लिये गये अथवा समाप्त होने दिये गये मामलों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उपग्रह का चालू होना

1785. **श्री चित्त बसु** :

श्री मगन भाई बरोट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1981 तक भारतीय उपग्रह अस्तित्व में आ जाएगा ;

(ख) भारतीय उपग्रह के चालू होने से संचार साधनों को क्या सम्भावित लाभ मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारतीय उपग्रह (इन्सैट--I) प्रणाली के अब 1982 की प्रथम तिमाही में, प्रचालन में होने की संभावना है।

(ख) इन्सैट--I अन्तरिक्षयान में दो उच्च शक्ति के एस०--बैण्ड प्रेषानुकर होंगे, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में संवर्धित सामुदायिक अभिग्राहियों द्वारा ग्रहण करने के लिये उपग्रह से राष्ट्र व्यापी सीधा दूरदर्शन प्रसारण करने में तथा स्थलीय दूरदर्शन एवं रेडियो ट्रांसमीटरों के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय जालकार्य प्रदान करने में सक्षम होंगे।

(ग) अब तक इस पर लगभग 28.14 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

श्रेणी एक संवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदों का भरा जाना

1786. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के मामले हुए हैं कि गृह मंत्रालय के विभिन्न विभागों में श्रेणी-एक संवर्ग के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों को गत

तीन वर्षों के दौरान पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से इन जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को नियुक्ति द्वारा उचित रूप से भरा नहीं गया है; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक पद अनारक्षित घोषित कर दिये गये थे, हालांकि उन पदों पर नियुक्ति के लिये इन जातियों से योग्य और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) जहां पर नियुक्ति के लिये पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध थे वहां पर कोई आरक्षित रिक्ति अनारक्षित नहीं की गई है।

पश्चिम बंगाल में बस चैसिस की कमी

1787. **श्री चित्त बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में बस चैसिस की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) चालू वर्ष में उनकी कुल आवश्यकता कितनी है तथा निश्चित उपलब्धता कितनी हैं ; और

(घ) यदि कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में टेल्क मेकों की बस चैसिस की बुकिंग तथा वास्तविक सप्लाई के बीच काफी समय का अन्तर है।

(ख) टेल्को तथा अशोक लेलैंड द्वारा निर्मित वाणिज्यिक वाहन प्रायः ग्राहक अधिक पसन्द करते है। निर्माताओं ने बताया है कि देश में इन वाहनों की काफी लम्बी प्रतीक्षा सूची है।

(ग) मैं० टेल्को ने बताया है कि अप्रैल, 1979 से फरवरी; 1980 की अवधि में पश्चिम बंगाल को 216 बस चैसिस डिलीवर किये गये हैं। मैं० अशोक लेलैंड ने भी इस अवधि में इस राज्य को 121 बस चैसिस डिलीवर किये है। 1-3-80 को मैं० टेल्को तथा अशोक लेलैंड के पास क्रमशः 464 तथा 138 चैसिसों की डिलीवरी के आर्डर बकाया थे।

(घ) निवेश सहायता, तकनीकी सहायता तथा अतिरिक्त क्षमता का सृजन करके देश में वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिये सरकार द्वारा कदम उठाये गये है। सरकार ने मैं० टेल्को को पश्चिम बंगाल को बस चैसिसों की सप्लाई बढाने की भी सलाह दी है।

रुई का आयात

1788. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष, 1978–79 और 1979–80 के दौरान किस किस्म की रूई किस-किस देश से आयात की गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमारे देश में रूई का उत्पादन जरूरत से अधिक होता है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश में रूई उत्पादकों को बचाने के लिये रूई के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं।

(ख) रूई वर्ष 1978–79 में रूई का बिल्कुल भी आयात नहीं किया गया था और चालू रूई वर्ष 1979–80 में भी रूई का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) रूई के पिछले दो मौसमों से देश में रूई की संभरण स्थिति काफी अच्छी है।

(घ) विदेशों से रूई का आयात करने को कोई प्रस्ताव नहीं है ।

छोटे विमानों का निर्माण

1789. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में छोटे फीडर विमानों के निर्माण करने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ऐसे विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रही हैं जिनके अंतर्गत विदेशी निर्माताओं के सहयोग से एक ऐसे छोटे विमान को संयुक्त रूप से विकसित किया जा सके और उसका उत्पादन और विपणन किया जा सके। जो अन्य कार्यों के अलावा फीडर सेवाओं के लिये भी इस्तेमाल में लाया जा सके।

कलकत्ता में सीमेंट की कमी

1790. **श्री समर मुखर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सीमेंट की कमी के कारण कलकत्ता में विकास कार्य पिछड़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट की सप्लाई में जो कमी आई है उसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) चूंकि देश में सीमेंट की उपलब्धता सीमेंट की मांग से कम है अतः इस कमी के कारण सम्भवतः कलकत्ता में कुछ निर्माण कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा हो।

(ख) सरकार देश में सीमेंट की विद्यमान क्षमता का अधिक उपयोग करके, नई क्षमता स्वीकृत करके और सीमेंट का आयात कर के सीमेंट की उपलब्धता को बढाने हेतु सभी प्रयास कर रही है।

मादक अपशिष्टों को विदेशों और विशेष रूप से विकासशील देशों में उतारने का अमरीकी फर्मों का प्रयास

श्री सतीश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटिश जनरल 'न्यू साईंटिस्ट" में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ अमरीकी फर्में भारतीय पर्यावरण संबंधी कानूनों से कतराने के लिये विदेशों में और विशेष रूप से विकासशील देशों में मादक अपशिष्टों को उतारने का प्रयास कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात से स्वयं को आश्वस्त कर लिया है कि भारत को आने वाले जहाजी बेड़े में कोई ऐसा मादक अपशिष्ट तो नहीं है जो कि तीसरे देश के जहाजों के माध्यम से भारत में अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां। ब्रिटिश पत्रिका 'न्यू साइंटिस्ट' के 7-2-1980 और 21-2-1980 के अंकों में यह समाचार प्रकाशित किया गया था।

(ख) देश में अन्तर्राष्ट्रीय समद्री खतरनाक माल संहिता एव विधायन के प्रावधानों यथा भारतीय पत्तन अधिनियम तथा व्यापारिक नौ परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत, पत्तन प्राधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विषालु अपशिष्टों के जहाजों द्वारा देश में लाने पर रोक लगा सकते है। भारतीय समुद्र तट रक्षक प्राधिकारी भी अपने प्रादेशिक जलों और तटवर्ती क्षेत्रों में विषालु अपशिष्टों को समद्र में फैकने पर प्रतिबन्ध लगा सकते है। इन समाचारों को ध्यान में रखते हुए संबंधित अभिकरणों को इस बारे में सतर्क रहने के लिये चेतावनी दी जा रही है।

कागज का आयात

1792 : श्री शिव कुमार सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान विभिन्न देशों से कागज का आयात करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत क्या है और किस-किस किस्म का कागज आयात किया जायेगा तथा किन-किन देशों से आयात किया जा रहा है ; और

(ग) कागज के आयात के परिणाम-स्वरुप स्वदेशी उद्योग पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से इस उद्योग को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना :) (क) और (ख) : जी हां। मुद्रकों, प्रकाशकों तथा आम जनता की जरूरत वाली किस्मों के कागज का आयात किया जायेगा। आयात की सीमा देश में कागज की उपलब्धता तथा मूल्य प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जायेगी। आयात के ठेके अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तावों के आधार पर दिये जायेंगे तथा इस प्रकार के ठेकों पर अंतिम निर्णय हो जाने के बाद ही मूल्य तथा आयात के स्रोतों का पता चल सकेगा।

(ग) कागज का आयात करने की योजना मांग तथा देश में उपलब्ध मात्रा के अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से चलाई जा रही है। इस प्रकार के आयात से देश के कागज उद्योग पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।

गुजरात में औद्योगिक एककों को सस्ती दर पर भूमि का आंवटन

1793. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक औद्योगिक एककों को काफी सस्ते मूल्य में भूमि का आबंटन किया गया जिनको अन्यथा ये प्लाट नहीं मिलने थे क्योंकि उनको गुजरात राज्य में केन्द्रीय/राज्य सरकार से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं थीं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामले कितने है और उनको भूमि आबंटित किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नेपा नगर पेपर मिल्स के सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना

1794. श्री शिव कुमार सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश में नेपा नगर पेपर मिल्स के सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना का अनमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो एसे उद्योगों का ब्योरा क्या हैं, और

(ग) ऐसे उद्योगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख) उपक्रम ने उद्योग निदेशक, मध्य प्रदेश के परामर्श से नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, नेपानगर

के लिये सहायक उद्योग स्थापित करने की निम्नलिखित योजनाओं को चूना है :—

पार्टी का नाम	उत्पादन वस्तु
पेपर कोर एन्टरप्राइजेज	पेपर कोरेस
कीचेम एन्टरप्राइज	फिटकरी
ए० के० गुप्ता	चूना
सलूजा एन्टर प्राइज	पेपर शीटिंग

(ग) ऐसे उद्योगों के लिये भारत सरकार द्वारा कुछ भी वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

गुजरात के भड़ौच जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस

1795 : **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के भंडौच जिले से डी० जी० टी० डी० के पास औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण लेने के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये थे ;

(ख) कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास कोई आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़ा हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) गुजरात राज्य के भड़ौच जिले में उद्योग लगाने के लिये 1-1-1979 से 29-2-1980 तक की अवधि में तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास 55 आवेदन-पत्र औद्योगिक लाइसेंस के लिये तथा 23 आवेदन पत्र पंजीकरण के लिये आये थे।

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में प्राप्त 17 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र तथा 9 पंजीकरण आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये।

(ग) तथा (घ) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास 18 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन-पत्र तथा 2 पंजीकरण आवेदन-पत्र अनिर्णीत हैं । ये अनिर्णीत आवेदन-पत्र विचार-विमर्श की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

"किस्सा कुर्सी का" मामले के लिए गैर-सरकारी वकील की नियुक्ति

1796. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "किस्सा कुर्सी का" मामले में वकालत के लिए किसी गैर-सरकारी वकील को नियुक्त किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसे फीस के रूप में कितनी रकम अदा की जा चुकी है और कितनी अभी दी जानी है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया): (क) तथा (ख) सर्वश्री राम जेठमलानी, अधिवक्ता, बम्बई, एस० बी० जयसिधानी, अधिवक्ता, बम्बई और अवतार सिंह, अधिवक्ता, नई दिल्ली को क्रमश: 18-2-78, 6-3-78 तथा 12-8-77 को नियुक्त किया गया था और उन्होंने 16-1-80 तक कार्य किया ।

सर्वश्री जोगिन्दर सिंह वासु, अधिवक्ता, चण्डीगढ़ और एम० एल० नन्दा, अधिवक्ता, चण्डीगढ़ को दिनांक 17-1-1980 से उच्चतम न्यायालय में मामले पर बहस करने के लिए विशेष काउन्सल के पद पर नियुक्त किया गया है ।

श्री राम जेठमलानी द्वारा कोई फीस नहीं ली गई थी ।

श्री एस० बी० जयसिंधानी को रु० 1,62,000 भुगतान किया जा चुका है और उन्हें रु० 3000 दिये जाने बाकी हैं । श्री अवतार सिंह को रु० 21,300 का भुगतान किया गया है ।

श्री जोगिन्दर सिंह वासु को किसी, राशि का भुगतान नहीं किया गया है, किन्तु उसे रु० 17,850 की राशि का भुगतान किया जाना है । श्री एम० एल० नन्दा के सम्बन्ध में अभी तक कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ है ।

दक्षिण कनारा में एक विस्फोटक कारखाने की स्थापना

1797. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक एक्सप्लोसिव लिमिटेड का दक्षिण कनारा में गोआ की "चोगुले" नामक कम्पनी के साथ मिल कर एक विस्फोटक कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव स्वीकार किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरन जीत चानना) : (क) जी, हां । मैसर्स कर्नाटक एक्सप्लासिव्स लिमिटेड को दक्षिण केनरा में प्रतिवर्ष 20 हजार मीट्रिक टन की क्षमता के एक विस्फोटक एकक की स्थापना करने के लिये एक लाइसेंस जारी किया गया है । इस कंपनी का संबंध मैसर्स चोगुले एण्ड कंपनी प्रा० लिमिटेड, गोवा द्वारा किया गया है ।

(ख) विदेशी सहयोग व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है । 10 हजार मीट्रिक टन क्षमता की आयातित मशीनें स्थापना स्थल पर पहुंच चुकी है । इस वर्ष के उत्तरार्ध में परीक्षण उत्पादन होने लगने की आशा है ।

राज्यों को दिए गए लाइसेंस/आशय पत्र

1798. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों को राज्यवार, कितने लाइसेंस, आशय पत्र दिए गए,

(ख) उपरोक्त वर्षों में राज्यवार लाइसेंसों और आशय पत्रों के लिए कितने आवदन पत्रों को अस्वीकृत किया गया, और

(ग) ऐसे लाइसेंसों और आशय पत्रों के लिए आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) विस्तृत ब्यौरे देने वाला एक विवरण (अनुबन्ध-I) संलग्न है ।

(ख) एक विवरण (अनुबन्ध-II) संलग्न है ।

(ग) मुख्यत: निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कारणों से औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए जाते हैं :—

(1) प्रस्तावित उत्पादन वस्तु की पहले ही पर्याप्त क्षमता विद्यमान हो या उसके लिए स्वीकृति/लाइसेंस दिए जा चुके हों ;

(2) योजनाएं चालू औद्योगिक नीति (एम० आर० टी० पी०/फेरा एककों या लघु एककों को आरक्षण से संबंधित नीतियों सहित) के अनुरूप न हो ;

(3) स्थापना-स्थल संबंधी नीति के अनुरूप एककों की स्थापना न की जा रही हो ;

(4) योजनाएं (क) सही तरह से न बनाई गई हों (ख) तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ न हों।

(5) आवेदकों द्वारा क्षमता का अपर्याप्त उपयोग ।

विवरण

वर्ष 1978–79 से 1979–80 (फरवरी, 1980 तक) की अवधि में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों /(औ० ला०) व आशयपत्रों (आ० पत्र) के राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1978–79		1979–80 (फरवरी, 80 तक)	
		औ० ला०	आ० पत्र	औ० ला०	आ० पत्र
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	12	31	18	44
2.	अंडमान एंड निकोबार .	1	1	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश .	—	—	—	—
4.	असम . . .	—	4	4	—
5.	बिहार . . .	11	8	2	5
6.	चंडीगढ़ . .	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6
7.	दादरा एण्ड नगर हवेली .	—	—	—	—
8.	दिल्ली . . .	6	4	7	2
9.	गोवा, दमन और दीव .	1	3	—	2
10.	गुजरात . .	46	84	51	104
11.	हरियाणा . .	14	24	12	25
12.	हिमाचल प्रदेश . .	3	12	1	3
13.	जम्मू एंड कम्मीर . .	3	5	1	—
14.	कर्नाटक . .	27	24	23	35
15.	केरल . . .	5	14	10	10
16.	एल० एम० एंड ए० आइसलैन्डस	—	—	—	—
17.	मध्य प्रदेश . .	8	29	10	27
18.	महाराष्ट्र . .	99	95	106	93
19.	मणिपुर . .	—	—	—	—
20.	मेघालय . .	—	—	—	1
21.	मिजोरम .	—	—	—	—
22.	नागालैण्ड . .	—	—	—	—
23.	उड़ीसा . . .	4	10	6	4
24.	पांडिचेरी . .	—	1	—	1
25.	पंजाव . .	11	18	11	23
26.	राजस्थान . .	14	28	8	32
27.	तमिलनाडु . .	27	31	23	28
28.	त्रिपुरा . .	:—	—	—	—
29.	उत्तर प्रदेश . .	26	37	32	29
30.	पश्चिम वंगाल . .	26	27	25	27
31.	राज्य जो दर्शाये नहीं गये .	3	2	1	2
	योग	348	492	351	497

अनुबंध–II

उद्योग (विकास एवम् विनियमन्) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों में से वर्ष 1978–79 व 1979–80 (फरवरी, 1980 तक) के दौरान अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की राज्यवार जानकारी देने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1978–79	1979–80 (फरवरी' 80 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25	24
2.	अंडेमान तथा निकोबार	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
4.	आसाम	4	2
5.	विहार	7	6
6.	चंडीगढ़	2	1
7.	दादरा और नगर हवेली	1	1
8.	दिल्ली	10	2
9.	गोआ, दमन, और दीव	4	5
10.	गुजरात	41	52
11.	हरियाणा	14	18
12.	हिमाचल प्रदेश	6	9
13.	जम्मू और काश्मीर	5	3
14.	कर्नाटक	19	26
15.	केरल	4	7
16.	एल एम० और ए० आइसलैंड्स	—	—
17.	मध्य प्रदेश	23	20
18.	महाराष्ट्र	97	83
19.	मणीपुर	—	—
20.	मेघालय	—	1
21.	मिजोरम	—	—
22.	नागालैंड	—	—

1	2	3	4
23.	उड़ीसा	12	7
24.	पांडिचेरी	1	—
25.	पंजाब	15	14
26.	राजस्थान	14	26
27.	तमिलनाडु	16	23
28.	त्रिपुरा	—	—
29.	उत्तर प्रदेश	29	30
30.	पश्चिम बंगाल	39	37
31.	राज्य जो दर्शाए नहीं गए . . .	—	—
	योग :	388	397

विदेशी तकनीकी जानकारी का आयात

1799. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों में कितने मामलों में तकनीकी जानकारी का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) श्रेणीवार ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऐसे आयात की अनुमति दी गई है और इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा का तथा अन्य भुगतान किया गया और इन वर्षों के दौरान इस कारण कितना भुगतान किया जाना है; और

(ग) सरकार ने ऐसी अनुमति देते समय क्या मापदण्ड अपनाया था और प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात में पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनणीत चानना) : (क) 1977 से 1979 के तीन वर्षों में विदेशी सहयोग के 841 मामलों में स्वीकृति दी गई थी।

(ख) विदेशी सहयोगी के नाम, बनाई जाने वाली वस्तु विदेशी इक्विटी सहभागिता (यदि कोई हो तो) सहित भारतीय आवेदक के विदेशी सहयोग के प्रस्ताव की स्वीकृति तिमाही सूचियों में दी जाती है। इन सूचियों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

प्रत्येक विदेशी सहयोग के करार के संबंध में विदेशीं मुद्रा निर्गम से संबंधित सूचना औद्योगिक स्वीकृति सचि ालय में एक ही स्थान पर नहीं रखी जाती है।

(ग) सरकारी नीति यह है कि प्रौद्योगिकी का आयात चयनात्मक आधार पर f या जायेगा व केवल जटिल प्रकार के उच्च प्राथमिकता वाले क्षत्रों में अथवा निर्यातोन्मुख उद्यमों के लिये ही इसकी अनुमति प्रदान की जायेगी ।

राजभाषा समिति के सदस्यों के साथ दौरे पर जाने वाले अधिकारी

1800. **श्री जी० वाइ० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा समिति कार्यालय तथा राजभाषा कार्य के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों के साथ दौरे पर जाने वाले अधिकारियों के कर्त्तव्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) दौरे के कार्यक्रम आरम्भ करने तथा दौरे पर समिति के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिये अन्य समन्वय कार्य करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) जब समिति दौरे पर जाती है तो उसके साथ कितने अधिकारियों के जाने तथा किन-किन विशिष्ट कृत्यों के लिय जाने की आवश्यकता होती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) तथा (ख) समिति के कार्यालय का काम समिति को सब प्रकार की सचिवालयीन सहायता देना है। दौरों के समय साथ जाने वाले अधिकारियों का मुख्य काम समिति के सदस्यों के दौरा कार्यक्रम और विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण कार्यक्रम का समन्वय करना तथा अन्य मामलों में आवश्यक सहायता प्रदान करना होता है। जहां तक इस बात का संबंध है कि किन कार्यालयों का निरीक्षण किया जाए, इस पर समिति की उपसमितियों के संयोजक/सदस्य आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श करते हैं व समिति के उपाध्यक्ष/अध्यक्ष की सहमति से इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।

(ग) समिति के कार्य के संबंध में समिति के सदस्यों को मिलने वाला यात्रा भत्ता, दैनिक, भत्ता, आदि लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय द्वारा दिया जाता है। समिति के कार्यालय पर गत तीन वर्षों में हुए व्यय का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष 1976–77	3,63,000.00
वर्ष 1977–78	6,06,000.00
वर्ष 1978–79	6,81,000.00

(घ) पूरी समिति अब तक किसी दौरे पर नहीं गई है। हां, समिति की विभिन्न उपसमितियां समय-समय पर दौरों पर जाती रही हैं और प्रत्येक के साथ सामान्यत: एक अवर सचिव/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी तथा उसकी सहायता के लिए एक कनिष्ठ कर्मचारी तथा एक आशुलिपिक दिया जाता है। इन कर्मचारियों के मुख्य काम उप समिति को आवश्यक सहायता देना, निरीक्षण कार्यक्रम का समन्वय करना और दौरे के दौरान आयोजित बैठकों की कार्रवाई अंकित करना आदि हैं। उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त समिति के उप सचिव तथा सचिव भी कभी कभी उपसमितियों के साथ दौरे पर जाते हैं।

असम आंदोलन में अधिकारियों द्वारा भाग लिए जाने के बारे में ज्ञापन

1801. **श्री तारिक अनवर :**
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सरकार को प्रस्तुत ज्ञापन में असम आंदोलन में अधिकारियों द्वारा भाग लिये जाने के बारे में आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लगाए गए आरोप की सचाई अथवा अन्य बातों का पता लगाने के बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार का विचार इस मामले पर क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) ऐसे भाग लेने के बारे में आरोप लगाये गये हैं । इन पर उपयुक्त अधिकारियों के साथ नियमों के अधीन जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

सीमेंट कारखाना, सवाई माधोपुर, राजस्थान को हुआ घाटा

1802. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सवाई माधोपुर में कोई सीमेंट कारखाना है, यदि हां, तो उसमें केन्द्रीय सरकार की कितनी पूंजी लगी है;

(ख) उस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) क्या कोयले और बिजली की कमी के कारण यह कारखाना कई दिनों से बन्द है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार और कारखाना को प्रतिदिन कितनी वित्तीय हानि हो रही है और उत्पादन में कितना नुकसान हो रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) जी, हां । मैसर्स जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर, राजस्थान में स्थित है । इस कारखाने में केन्द्रीय सरकार का कोई पूंजी निवेश नहीं है ।

(ख) इस कारखाने की वार्षिक लाइसेंसीकृत क्षमता 10 लाख मी० टन है ।

(ग) जी, हां । कारखाना बिजली एवं कोयले की कमी के कारण बन्द हो गया था किन्तु ऐसी सूचना मिली है कि 18 मार्च, 1980 से इसमें उत्पादन होना शुरू हो गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार

1803. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या प्रभावी उपाय करेगी,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष न्यायालयों में कितने लोगों के खिलाफ मामले दायर किए गए ; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने मामलो में दण्ड दिया गया और कितने मामलों को लोगों को दोष मुक्त किया गया ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) यह कहना ठीक नहीं होगा कि केन्द्रीय सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है। किन्तु केन्द्रीय सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फैंकना एक निरंतर प्रक्रिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले उपाय जैसे प्रशासनिक, संगठनात्मक विधायी प्रक्रियात्मक तथा अन्य उपाय सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं।

भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 1947 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित संथानम समिति का 1962 में गठन किया गया था जिसके विचारार्थ विषय व्यापक थे और उनके अन्तर्गत समस्या के लगभग सभी पहलू आ जाते थे। इस समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था कि प्रशासन में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के मामले में प्रशासनिक निर्णय पर कोई वाह्य प्रभाव न पड़ सके। भ्रष्टाचार के मामलों की शीघ्रता तथा पूर्ण जांच करने को सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट अन्वेषण अभिकरण अर्थात् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी उपलब्ध है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो वार्षिक रूप से सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्यक्रम तैयार करती है जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सहयोग से चुने गए विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करने पर विचार किया जाता है।

(ग) तथा (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

पुलिस और सीमा सुरक्षा बल संगठन के कर्मचारियों का निलम्बन

1804. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री मुकुन्द मण्डल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष आन्दोलन में भाग लेने के कारण, राज्यवार, पुलिस और सीमा सुरक्षा बल संगठन के कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था और सेवा से निकाल दिया गया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों से अब तक प्राप्त सूचना का एक विवरण संलग्न है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/केन्द्रीय पुलिस संगठन का नाम।	1979 के दौरान आन्दोलन में पुलिस और सीमा सुरक्षा बल संगठनों के कर्मचारियों के भाग लेने के कारण बर्खास्त/निलम्बित किए गए और सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या।	
		निलम्बित	हटाए गए
	राज्य		
1.	असम	—	—
2.	गुजरात	—	—
3.	हरियाणा	—	—
4.	केरल	—	—
5.	नागालैंड	—	—
6.	पंजाब	199	919
7.	सिक्किम	—	—
8.	त्रिपुरा	—	—
9.	उत्तर प्रदेश	—	—
10.	मणिपुर	—	—
	संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	296	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	चण्डीगढ़	—	—
4.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—
5.	दिल्ली	—	—
6.	लक्ष्यद्वीप	—	—
7.	पांडिचेरी	—	—

1	2	3
केन्द्रीय पुलिस संगठन		
1. सीमा सुरक्षा बल . . .	—	—
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल . .	34	1074
3. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल . .	—	*1773

*1773 की संख्या में वे व्यक्ति शामिल हैं जिनको पहले निलम्बित किया गया और बाद में बर्खास्त कर दिया गया ।

पिछड़े क्षेत्रों के रूप में घोषित किए गए स्थान

1805. श्री चित्त महाटा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में किन-किन स्थानों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है और उनके विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आदि जैसे क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार उन्हें इस रूप में घोषित या अधिसूचित नहीं करती रही है । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को अधिसूचित किया है । केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किए गए जिलों/क्षेत्रों की दो सूचियां हैं । अनुलग्नक-1 में उन क्षेत्रों की सूची है जहां वित्तदाता संस्थाओं से रियायती दर पर निवेश ऋण उपलब्ध होता है ? अनुलग्नक 2 में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए उन क्षेत्रों की सूची है जहां निवेश आर्थिक सहायता की केन्द्रीय स्कीमें चल रही है और जिनके अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों को स्थायी पूंजी निवेश के 15 प्रतिशत या 15 लाख रु० तक, इनमें से जो भी कम हो, आर्थिक सहायता दी जाती है ।

विवरण—1

1. वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर वित्त प्राप्त करने के लिए चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची (1 मई, 1979 को)

आन्ध्र प्रदेश	अनंतपुर, चित्तूर, कुड्डपा, करीम नगर, खम्मस, कुर्नूल, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, नेल्लौर, निजामाबाद, ओंगोल, (प्रकाशम) श्रीकाकुलम और वारंगल ।
असम	कचार, गोलपाड़ा, कामरूप, मिकिर पहाड़ियां, उत्तरी कचार पहाड़ी, नौगांव और नया लखीमपुर जिला ।
बिहार	भागलपुर†, चम्पारण†, दरभंगा†, मजफ्फरपुर†, पलामऊ, पूर्णिया, सहरसा, संथाल परगना†, सारन और नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगुसराय और मुंगेर के नए जिले ।

गुजरात	अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहल, सावरकांठा और सुरेन्द्र नगर ।
हरियाणा	भिवानी, हिसार††, जींद और ††महेन्द्रगढ़
हिमाचल प्रदेश	चम्बा, कांगड़ा,† किन्नौर, कुल्लु, लाहौल व स्पीति, सोलन और सिरमूर ।‡
जम्मू और काश्मीर	अनंतनाग, बारामूला, डाडा, जम्मू, कठुआ, लद्दाख, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर और ऊधमपुर ।
केरल	अल्लप्पी, कन्नानूर, माला पुरम्, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम ।
कर्नाटक	बेलगांव, बीदर, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्गा, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायचूर, दक्षिणी कनारा और तुमकुर ।
मध्य प्रदेश	बालाघाट, बस्तर, बैतूल, बिलासपुर, भिण्ड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गुना, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, सरगुजा, टीकमगढ़, विदिशा और नया सीहोर जिला ।‡
महाराष्ट्र	औरंगाबाद, भंडारा, भिंड़, बुलढाना, चन्द्रपुर, कोलाबा, धुलिया, जलगांव, नांदेड, उस्मानाबाद, परभनी, रत्नागिरि और यवतमाल ।
मणिपुर	सभी पांच जिले ।
मेघालय	गारो पहाड़ियां और संयुक्त खासी व जयंतिया पहाड़ियां ††
नागालैंड	कोहिमा, मोकोकचुंग और त्यूनसांग ।
उड़ीसा	बालासौर, बोलांगीर, धेनकाल, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, न्यूरभंज और कुलवनी ।
पंजाब	भटिंडा,† गुरदासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर, ††और संगरूर ।
राजस्थान	अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेल, भीलवाड़ा, चुरू, डुंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझनू, झालवाड़ा, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, चौंक और उदयपुर ।
सिक्किम	गंगटोक, मांगन, ग्यालसिंग और नामची ये सभी 4 जिले ।

तमिलनाडु	धर्मपुरी, कन्याकुमारी, मदुरै, उत्तरी अरकाट, रामनाथपुरम, दक्षिणी अरकाट, तंजावूर, तिरुचिरापल्ली और नया पुदुक्कोट्टई जिला ।
त्रिपुरा	सभी तीनों जिले ।
उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलंदशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरुखाबाद, फतहगढ़, गढ़वाल, गाजीपुर, गौंडा, हमीरपुर, हरदोई जालौन जौनपुर, झांसी†, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, तिहरी, गढ़वाल, उन्नाव और उत्तर काशी ।
पश्चिम बंगाल	बांकरा, वीरभूम, बर्दवान, कूचबिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालदा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नदिया, पुरुलिया और पश्चिम दीनाजपुर ।
अंडमान और निकोबार	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
अरुणाचल प्रदेश	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
दादरा और नगर हवेली	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
गोवा, दमण और दीव	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
लक्षद्वीप	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
मिजोरम	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
पांडिचेरी	सम्पूर्ण क्षेत्र ।

† हाल के पुनर्गठन से पहले यथास्थित जिला ।

†† हाल में यथा पुनर्गठित जिला ।

विवरण—2

2. निवेश सहायता की केन्द्रीय स्कीम के लिए चुने हुए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की सूची

आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम जिला तथा 5 'क्षेत्र' : रायलसीमा प्रदेश से 2 'क्षेत्र' जिसमें 22 खण्ड हैं :
	क्षेत्र–1, 13 खण्ड अर्थात् चित्तूर*, बांगरूपलम*, पुलीचेरला*, पत्तूर*, इन्द्रगिरि तथा कलहस्ती* (चित्तूर)

जिले से) तथा कोडूर, राजपेट, सिद्दौत, कुडडपा, कमलापुरम, प्रदात्तूर तथा पुलिवेंडला (कुड्डपा जिले से);

क्षेत्र–2, 9 खंड अर्थात् ताड़पत्री, सिंगनमाला, बूटी, कुडायर* (अनन्तपुर जिले से) तथा घोन, कुर्नल, बांगन पल्ली*, नंद्याल*, तथा गिद्दलूर* (कुरनूल जिले से)।

लेलंगाना प्रदेश से तीन 'क्षेत्र' जिनमें 43 खंड हैं :

क्षेत्र–1, 14 खंड अर्थात् महबूब नगर*, जड़चेरला*, शादनगर*; कलवाकुर्ती तथा अमंगल (महबूब नगर जिले से) तथा नलगोंडा, मूनगढ़ी, नाकराकल, सूर्यपेट, कांडड,* कूजूरनगर*, मीरगलगुडा*, पेड्डानोर*, तथा देवरकोंडा* (नलगोंडा जिले से)।

क्षेत्र–2, 14 खंड अर्थात् खम्माम, तिरुमलयपलम, कल्लूर*, येल्लंदु, कोटगुडम*, अश्वारावपेट*, औरगमपद* तथा भद्राचलम* (खम्मान जिले से) तथा महबूबाबाद, नरसमपेट, हनमकोंडा, धनपुर*, जनगांव* तथा मुलुग* (वारंगल जिले से)।

क्षेत्र–3, 15 खंड अर्थात् जहीराबाद*, पतनचेरुबु*, नरसापुर*, मेदक*, तथा सिद्दीपेट (मेदक जिले से), येदापल्ली*, निज़ामाबाद, कामरेड्डी* तथा दोमाकोंडा* (निजामाबाद जिले से) तथा सिरसिल्ला* करीमनगर, सुल्तानाबाद, पेड्डापल्ली*. मनतानी*, तथा हुजुराबाद (करीमनगर जिले से)।

2. असम . . गोलपाड़ा, मिकिर पहाड़ियां, कामरूप, नवगांव, कछार तथा नया लखीमपुर जिले।

3. बिहार . . भागलपुर, दरभंगा,@ चम्पारण*@, पलामउ*, सहरसा* तथा संथाल परगंना* जिला।

4. गुजरात . पंचमहल, भड़ोंच,* तथा सुरेन्द्रनगर* जिले।

5. हरियाणा . पुनर्गठित महेन्द्रगढ़ जिला (महेन्द्रगढ़ तथा रेवाड़ी उप मंडल), भिवानी जिला (भिवानी तथा दादरी*@ उपमंडल) तथा 8 खंण्डों का एक क्षेत्र जिसमें (हिसार तहसील का) हिसार खंड–संख्या 1 तथा बरवाला खण्ड, (हांसी तहसील से) हांसी खण्ड–संख्या 1, (फतेहबाद तहसील से) बहुना

खण्ड, हिसार जिले में (टोहाणा तहसील से) टोहाणा खण्ड/तहसील, जींद जिले में (जींद तहसील से) जींद खण्ड तथा जुलाना खण्ड तथा (नरवाण तहसील से) उचाना खण्ड ।

6. हिमाचल प्रदेश . कांगड़ा@, चम्बा*, कुल्लू*, सिरमूर* तथा सोलन* जिले ।

7. जम्मू तथा कश्मीर जम्मू, श्रीनगर; अनन्तनाग*, डोडा*, बारामूला*, तथा पुंछ' जिले ।

8. कर्नाटक . रायचूर, मैसूर* तथा धारवाड़* जिले ।

9. केरल . . अल्लप्पी, कन्नानोर* तथा मालापुरम* जिले ।

10. मध्य प्रदेश . 6 'क्षेत्र' :

क्षेत्र–1 (पूर्वी अंचल से) 12 खण्ड अर्थात् कोरबा, बालोदा चम्पा, कोटा, मस्तूरी तथा विलहा खण्ड (विलासपुर) (विलासपुर जिले से), भाटपाड़ा, सिमगा; तिल्दा, धारशिव (रायपुर) अमानपुर तथा राजिम खण्ड (रायपुर जिले से) ।

क्षेत्र–2, (पश्चिम अंचल से) 10 खण्ड अर्थात् देवास तथा टौंक खुर्द खंड (देवास जिले से), गुलाना, शुजालपुर तथा शाजापुर खण्ड (शाजापुर जिले से); पंचोर (सारंगपुर तथा व्यावरा खण्ड (राजगढ़ जिले से) तथा चचौरा, राघोगढ़ तथा गुना खण्ड (गुना जिले से) ।

क्षेत्र–3* (उत्तरी अंचल से) 9 खण्ड अर्थात् शिवपुरी तथा करारा (शिवपुरी जिले से), दतिया तथा सियोधा (दतिया जिले से), भिंड, मेहरगांव तथा गोहद (भिंड जिले से) तथा मुरेना और जोरा (मुरेना जिले से) ।

क्षेत्र–4* (मध्यवर्ती अंचल से) 11 खण्ड अर्थात् बीना-इटावा, खुरी-बांदा (बनायका), राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अमरमऊ) (सागर जिले से), टीकमगढ़ तथा बलदेव गढ़ (टीकमगढ़ जिले से); विदिशा तथा ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) तथा छतरपुर (छतरपुर जिले से) ।

क्षेत्र–5* (पश्चिमी अंचल–2 से 12 खण्ड अर्थात् पेटलावद तथा मेवनगर (झाबुआ जिले से), वदनावर, धार तथा नालछा (धार जिले से), महेश्वर तथा बड़वाहा (खरगोन जिले से), रतलाम तथा जावरा (रतलाम जिले से), मंदसौर, मल्हारगढ़ तथा नीमच (मंदसौर जिले से)।

क्षेत्र–6* (उत्तर पूर्वी अंचल से) 11 खंड अर्थात् रीवा तथा रायपुर (गढ़) (रीवा जिले से), मझौली, सीधी, दूसर तथा वेधन (सीधी जिले से), सोनहाट वैकुण्ठपुर, महेन्द्रगढ़, सूरजपुर तथा अम्बिकापुर (सरगुजा जिले से)।

11. मणिपुर . सभी 5 जिले।

12. मेघालय . गारो पहाड़ियां तथा संयुक्त खासी और जयंतिया पहाड़ियां@।

13. महाराष्ट्र . रत्नागिरि, औरागावाद* और चन्द्रपुर* जिले।

14. नागालैंड . कोहिमा, मेकोकचुंग, तुएनसांग* जिले।

15. उड़ीसा . कालाहांडी, मयूरभंज, बोलांगीर, घेनकमाल, क्योंझर और कोरापुट जिले।

16. पंजाब . होशियारपुर, संगरूर* और भंडिडा*@ जिले।

17. राजस्थान . अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा*, चूरू,* नागोर*, और उदयपुर* जिले।

18. सिक्किम . गंगटोक*, मंगन*, ग्यालीसंग* और नामची* जिले।

19. तमिलनाडु . तीन क्षेत्र/प्रदेश—33 तालुक :

क्षेत्र–1, 12 तालुक शामिल हैं (उप-तालुक सहित) अर्थात् रामनाथपुरम, मदुकुलातुर, शिवगंगा, परम-कुडी, तिरुवदनी, करैकुडी और तिरुपतुर तालुक (रामनाथपुरम जिले से) मैलूर तालुक (मुदुरे जिले से), पुड़क्कौट्टई, तिरुमयम, आलमगुली और कुलातुर तालुक (पुड़क्कौट्टई जिले से)।

क्षेत्र–2* 11 तालुक अर्थात् धर्मपुरी, पालकोडे, होसुर देनकानीकोट्टा, कृष्णागिरि, उतनगरै, हरूर (धर्मपुरा जिले से), तिरुपत्तूर, वनियमवाड़ी, वैल्लोर वल्लजपेट (उत्तर आरकाट जिले से)।

क्षेत्र–3*, 10 तालुके अर्थात अरुप्पुक्कोट्टई, विरुधुनगर, सत्तूर, श्रीविल्ली पुथुर, राजपलयम, (पश्चिमी रामनाथपुरम जिले से); तिरूमंगलम, उसिलम-पट्टी, नीलकोते, डिंडीगल और वेदसंदूर (मदुरै जिले से) ।

20. त्रिपुरा . . सभी 3 जिले ।

21. उत्तर प्रदेश . बलिया, झासी,@ अल्मोड़ा*, वस्ती*, फैजाबाद* और रायबेरेली* जिले ।

22. पश्चिम बंगालपुरुलिया, मिदनापुर और नदिया* जिले ।

संघ शासित क्षेत्र

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह—संपूर्ण क्षेत्र ।

2. अरुणाचल प्रदेश—संपूर्ण क्षेत्र ।

3. दादरा और नगर हवेली—संपूर्ण क्षेत्र ।

4. गोवा, दमन और दीव—क्षेत्र की राजधानी की नगरपालिका की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र ।

5. लक्षद्वीप–संपूर्ण क्षेत्र ।

6. मिजोरम—संपूर्ण क्षेत्र ।

7. पांडिचेरी—क्षेत्र की राजधानी की नगरपालिका की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण क्षेत्र ।

बिहार और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे

1806. **श्री चित्त महाटा :** क्या गृह] मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए ;

(ख) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के राजनीतिक सम्बन्धों की जांच की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

*दिनांक 10–7–72 के बाद चुने गए जिलों/उप-मंडल/तालुक/खण्ड/तहसीलों का द्योतक है ।

@जिलों के हाल में हुए पुनर्गठन से पहले यथास्थित जिलों का द्योतक है ।

(घ) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारें स्थिति पर उचित कार्यवाही नहीं कर सकी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1-1-80 से 29-2-80 तक की अवधि के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में जो साम्प्रदायिक घटनायें हुई उसमें तीन व्यक्ति मारे गए और 55 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रि की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) ऐसी कोई शिकायतें केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित किया जाना

1807. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी हां। सरकार की नीति छोटे संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1 फरवरी, 1980 को न भरे गये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

1808. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित ऐसे कितने पद हैं जो 1 फरवरी 1980 को खाली पड़े हुए थे ; और

(ख) इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं और रिक्त पदों को कब तक भरे जान की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन

1809. श्रीमती प्रमिला दंडवते : : क्या गृह मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन करने का है ;

(ख) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय एकता परिषद् के लिए किसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये गये हैं ; और

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) : मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल में नमक उद्योग की स्थापना

1810. **श्री मुकंद मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में 24 परगना के सुन्दरवन क्षेत्र में नमक उद्योग की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने 24 परगना सहित पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के कन्टाई में नमक उद्योग की स्थापना की व्यवहार्यता का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) 24 परगना के सुन्दरवन क्षेत्र में नमक कार्य शाला की स्थापना करने की संभावनाओं की नमक आयुक्त के कार्यालय द्वारा जांच पड़ताल की गई है । पता लगा है कि चूंकि वहां नमकीन पानी का घनत्व काफी नहीं है और मीठे पानी का भीतरी वहाव काफी है, अत: आर्थिक ढंग से जीव्य नमक की कार्यशाला स्थापित करने के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त नहीं है ।

पश्चिम बंगाल--बांग्लादेश सीमा पर सीमा अपराध

1811. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल तथा बंगलादेश के बीच नदी-सीमाओं के साथ-साथ तस्करी, घुसपैठ तथा अन्य सीमा अपराधों की घटनायें बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या विशेषत: बसीरहाट, वोंगांव तथा हसनाबाद क्षेत्रों में चौकसी की प्रभावी कार्यवाही के लिए सीमा सुरक्षा बल की गश्त सर्वथा अपर्याप्त है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को मालूम है कि गत वर्षों की तुलना में तस्करी का पता लगाने और खदेड़े गये घुसपैठियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । जहां तक बटमारी, डकैती, चोरी आदि जैसे अन्य अपराधों का संबंध है, राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) तथा (ग) सी० सु० ब० द्वारा लगाई जा रही गश्त पर्याप्त है और तस्करी घुसपैठ आदि को नियंत्रित करने के लिए गहन की गई है जो मामलों का पता लगाने में हुए सुधार से ज्ञात होती है ।

मैसर्स बिड़ला द्वारा तंजानिया और जाम्बिया में औद्योगिक परियोजनाओं में पूंजी निवेश

1812. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बिड़ला ब्रास को तंजानिया और जाम्बिया में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं में पूंजी निवेश की अनुमति की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कितनी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण विकास के लिए प्रोत्साहन

1813. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना की प्रक्रिया द्वारा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ताकि सामान्य रूप से गांवों में रहने वाले ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से पर्वतीय जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की दशा को सुधारा जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या आधारभूत संरचना तथा डाक तथा दूर संचार जैसी आवश्यक सुविधायें (अर्थात् डाकघर और तारघर खोलना , उनका दर्जा बढ़ाना, तथा सार्वजनकि टेलीफोन आदि खोलना) प्रदान करने के लिए जन-संख्या और दूरी सम्बन्धी आवश्यकताओं के मानदंडों को उदार बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो जनसंख्या और दूरी के मानदंडों के बारे में छूट का ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार ग्रामीण विकास को किस प्रकार बढ़ावा देने का है जब कि इन क्षेत्रों तथा देश के शहरों और उन्नत क्षेत्रों के लिए जनसंख्या/दूरी का मानदण्ड समान है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) तक : जी, हां । आधारिक संरचना के निर्माण और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए मापदंडों को सामान्य रूप से गांवों में रहनेवाले लोगों के लिए तथा विशेष रूप से पहाड़ी, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उदार बना दिया गया है । उदाहरण के लिए, डाकघरों को खोलने के लिए, ग्राम पंचायत वाले गांवों के संबंध में, जनसंख्या के मापदंड को अब बिल्कुल छोड़ दिया गया है । अन्य गांवों में, पहाड़ी, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के मामले में जनसंख्या के मापदंड को 2,000 से कम करके 1,000 कर दिया गया है । इन क्षेत्रों में भी 1,000 की जनसंख्या के इस कम किए गए मापदंड को पूरा करने के लिए 1.5 किलोमीटर

के आसपास के क्षेत्र के भीतर के ग्रामों के समूह की जनसंख्या को मिला कर गिना जा सकता है । दूरी की दृष्टि से, यदि 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य डाकघर न हो तो अब सभी क्षेत्रों में डाकघर खोले जा सकते हैं । इसके अलावा, महा डाकपालों को हर वर्ष 10 प्रतिशत मामलों में निर्धारित शर्तों में छूट देने के अधिकार दिए गए हैं और ऐसे अधिकारों का उदारता से प्रयोग किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों और तारघरों के लिए जनसंख्या की सीमा 10,000 से कम करके 5,000 कर दी गई है तथा पिछड़े, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए केवल 2,500 कर दी गई है।

इसी तरह से ग्रामीण सड़कों, प्राइमरी स्कूलों, ग्रामीण विद्युतीकरण, आदि के लिए उदार मापदंड लागू होते हैं ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पंजाब में हरिजनों पर अत्याचार

1814. श्री पी० के० कोडियन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के समय से उस राज्य के कुछ भागों से हरिजनों के प्रति अत्याचार के मामलों की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क), (ख) और (ग) पंजाब सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हल्का जल (लाइट वाटर) रिएक्टरों का उपयोग

1815. श्री सतीश अग्रवाल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्का जल रिएक्टरों के उपयोग में दुर्घटनाओं की संभावना रहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र हल्का जल रिएक्टर है ;

(ग) क्या सरकार का विचार केवल हल्का जल रिएक्टर ही रखने का है ; और

(घ) क्या हमारे पास भारी जल रिएक्टर भी हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर में हल्के पानी से काम करने वाले दो रिएक्टर हैं।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर में भारी पानी से काम करने वाला एक रिएक्टर व्यावसायिक स्तर पर पहले से ही काम कर रहा है तथा दूसरे रिएक्टर के सन 1980 में चालू

होने की आशा है । इसके अलावा, मद्रास परमाणु बिजलीघर (तमिलनाडु) के दो रिएक्टर और नरोरा परमाणु बिजलीघर (उत्तर प्रदेश) के दो रिएक्टर निर्माणाधीन हैं।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कम्प्यूटरीकृत अंकन प्रणाली आरम्भ करना

1816. श्री छीतू भाई गामित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कम्प्यूटरीकृत अंकन प्रणाली आरम्भ किये जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कम्प्यूटरीकृत अंकन प्रणाली को विशेष रूप से वस्तु-पूरक उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में लाभदायक पाया गया है । आयोग के पास दो ओपटिकल स्कोरिंग मशीन पहले ही हैं जिनका प्रयोग अपेक्षाकृत लघु भर्ती परीक्षणों के लिए किया जा रहा है उसके अलावा दो नए ओपटिकल मार्क रीडर्स (इलैक्ट्रोनिक स्केनर्स) को आयात करने का विचार है । यदि वे प्राप्त हो जाते हैं तथा उन्हें समय पर लगा दिया जाता है तो उनका उपयोग सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1980 और बाद में आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी किया जाएगा ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में भ्रष्टाचार

1817. श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर में धनराशि के दुर्विनियोग के कोई मामले ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा सरकार के नोटिस में लाये गये हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है ।

(ख) क्या भ्रष्टाचार के इन आरोपों की जांच पड़ताल करवाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो सी एण्ड ओ ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रशासन को सुधारने के लिए कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) से (ग) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन कर्मचारी संघ, कानपुर ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि० को कुछ प्रबंधकीय एवं वित्तीय समस्याओं का उल्लेख किया गया है और कुप्रबन्ध, कार्यकुशलता का अभाव तथा कदाचारों के आरोप लगाए गए हैं । ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक पंजीयित लिमिटेड कम्पनी है और उसके कार्यों पर केन्द्र सरकार का सीधा कोई भी नियंत्रण नहीं है । फिर भी, इस कम्पनी की शेयरधारिता में केन्द्र सरकार तथा सरकारी वित्तीय संस्थानों का काफी हिस्सा है । इसका प्रबन्ध संस्था को अन्तर्नियमावली एक कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गठित निदेशक मंडल द्वारा किया जाना है । निदेशक मंडल से उपयुक्त शेयरधारिता का पता चलता है । निदेशक मंडल तथा शेयरधारियों द्वारा कारपोरेशन के प्रशासन को सुप्रवाही बनाने के लिए अभ्युपाय किये जाने हैं।

मिल में बने कपड़े पर छूट

1818. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता-लोक दल के शासन में हथकरघा तथा विद्युत चालित करघों में बनने वाले कपड़ों पर दी जाने वाली छूट की तुलना में मिल में बनने वाले कपड़े पर अधिक छूट दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप इन उद्योगों को कठिनाइयां हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुटीर उद्योगों को सुविधाएं देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके क्या कारण हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मिल निर्मित कपड़े पर छूट देने की कोई योजना नहीं है, जबकि हथकरघा कपड़े पर समय-समय पर छूट दी जाती है, नियंत्रित कपड़ा योजना के अन्तर्गत मिल निर्मित कपड़े के मामले में नियंत्रित कपड़े का वितरण करने के लिए उत्तरदायी नेशनल को-आपरेटिव कन्ज्यूमर्स फैडरेशन को सरकार द्वारा उत्पादन लागत तथा उपभोक्ता मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति की जाती है क्योंकि नियंत्रित कपड़ा उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचा जाता है । हथकरघा क्षेत्र के अन्तर्गत जनता साड़ी और धोती की समानान्तर योजना के लिए भी इसी प्रकार की प्रतिपूर्ति की जाती है । प्रतिपूर्ति की सीमा अलग-अलग वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न है। किन्तु,हथकरघा राजसहायता 1.25रु० प्रति वर्ग मीटर की दर पर ही निर्धारित है । मिल निर्मित कपड़े के उपभोक्ता मूल्य में 1974 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हथकरघा कपड़े के उपभोक्ता मूल्य में फरवरी, 1977 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

वर्ष 1979 में बर्खास्त किये गये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की बहाली

1819. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ऐसे कितने जवानों को वर्ष 1979 में सेवा से बर्खास्त किया गया था जिन्होंने अपनी सेवा सम्बन्धी शिकायतें दूर करवाने तथा अधिक वेतन भत्ते आदि के लिए आन्दोलनों में भाग लिया था ;

(ख) क्या सरकार को उनकी ओर से ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें बहाली के लिए अपील की गई है ; और

(ग) क्या इसके बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हाल ही के आन्दोलन में बर्खास्त किये गये कार्मिकों की संख्या इस प्रकार से है :—

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल :	1773
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	1074

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। स्थिति इस प्रकार है :—

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल : 1975 व्यक्तियों में से, जिन्होंने बहाली के लिए अपील दायर की थी, 1524 व्यक्तियों को बहाल कर दिया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल : 1074 कार्मिकों में से 763 को बहाल कर दिया गया है। शेष 311 कार्मिकों में से 218 के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 147/148/149/326/327/307/120ख/अतारांकित प्रश्न संख्या 1819 26 मार्च, 1980 को उत्तर के लिए (2)/121, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 19 के अधीन बोकारों में उनके द्वारा फौजी जवानों के ऊपर जो उन्हें निशस्त्र करने गये थे, गोली चलाने में तथा कथित अन्तग्रस्त होने के कारण, आपराधिक मुकदमे चलाए गए हैं।

चयन सूची में श्रेणी एक के वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति

1820. श्री जय नारायण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा "उत्कृष्ट" अति "उत्तम" "उत्तम" और "अयोग्य जैसी टिप्पणी किये जाने के बाद उन्हें अगले संवर्ग में पदोन्नति दे दिये जाने पर, अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी–I अधिकारियों को चयन सूची में क्रमवार रखने सम्बन्धी अनुदेश क्या हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक सेवा में पदोन्नति के लिए कितने रिक्त स्थान निर्धारित किये गए और इन रिक्त स्थानों के समक्ष पदोन्नति के लिए कितने अधिकारियों के मामले विचाराधीन हैं ;

(ग) विभागीय पदोन्नति समिति ने उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक सेवा में कितने अधिकारियों को "उत्कृष्ट", "अति उत्तम" "उत्तम" और "अयोग्य" वर्गों में रखा और सरकार द्वारा कितने अधिकारियों की स्थिति उनसे सम्बन्धित सूची में धोषित की गई है ; और

(घ) क्या "विना वारी" पदोन्नतियों के फलस्वरूप इन सेवाओं में बड़े पैमाने पर अतिलंधन के मामले होते हैं, और यदि हां, तो ऐसे अतिलंघनों को सीमित करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के लिए क्या मार्गदर्शी निदेश निर्धारित किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) अगले उच्चतर ग्रेड में चयन द्वारा पदोन्नति किये जाने पर प्रवर सूचियों में वरिष्ठ श्रेणी–I अधिकारियों को क्रमवार रखने में सामान्य अनुदेशों का पालन किया जाता है जिनके अनुसार उन अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए "अयोग्य"

माना जाता है, चयन के क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों को अपनी-अपनी सेवा के रिकार्ड के द्वारा निर्धारित उनके योग्यताक्रम के आधार पर "उत्कृष्ठ" "बहुत अच्छा", "अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद पहले "उत्कृष्ट" रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से और तत्पश्चात् "बहुत अच्छा" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से तथा उसके बाद "अच्छा" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों के नामों को अपेक्षित संख्या में शामिल करके प्रवर सूची तैयार की जाती है । प्रत्येक प्रवर्ग के भीतर पारस्परिक नामों का क्रम निम्न ग्रेड में सम्बन्धित अधिकारियों की वरिष्ठता के अनुसार रखा जाता है ।

(ख) तथा (ग) भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के सम्बन्ध में सूचना अनुबन्ध–I पर विवरण में दी गई है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सम्बन्ध में सूचना अनुबन्ध–II पर विवरण में दी गई है ।

(घ) चयन द्वारा पदोन्नतियों के कारण हुए अधिक्रमणों को सीमित करने के लिए कोई मार्ग निर्देश निर्धारित नहीं किये गये हैं । किन्तु, कुछ मात्रा में अधिक्रमण चयन को किसी भी प्रणाली में स्वाभाविक है।

अनुबंध—I

भारतीय अर्थ सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड–I तथा ग्रेड–II के संबंध में पदोन्नति के लिए प्रवर सूचियों के बारे में आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

सेवा/ग्रेड	वर्ष	प्रवर सूची की पद संख्या	विचार किये जाने के क्षेत्र में अधिकारियों की संख्या	निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत रूप में अधिकारियों की संख्या				अभ्युक्तियां
				अयोग्य	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारतीय अर्थ सेवा								
ग्रेड—I	1974–75	5	6	1	4	1	—	1975–76, 1976–77 तथा 1978–79 के दौरान भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड I के लिए कोई भी प्रवर सूची तैयार नहीं की गई थी।
ग्रेड—I	1977–78	10	35	3	18	14	—	
ग्रेड—I	1979–80	15	40	—	15	25	—	
ग्रेड—II	1974–75	50	59	–	22	29	9	
ग्रेड—II	1976–77	24	50	2	14	30	3	एक अधिकारी के बारे में निष्कर्ष मोहर बन्द लिफाफे में रखा गया था 1975–76, 1977–78 तथा 1978–79 के दौरान भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड—II के लिए कोई प्रवर सूची तैयार नहीं की गई थी।

ग्रेड—II	1979–80	16	80	—	15	61	2	दो अधिकारियों के बारे में निष्कर्ष मोहर बन्द लिफाफे में रखे गये थे ।
भारतीय सांख्यिकीय सेवा								
ग्रेड–I	1974–75	4	13	8	2	1	1	एक अधिकारी के बारे में निष्कर्ष लिफाफे में रखा था ।
ग्रड—I	1977–78	14	31	4	15	12	—	1975–76, 1976–77, 1978–79 और 1979–80 के दौरान भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड–I में पदोन्नति के लिए कोई भी प्रवर सूची तैयार नहीं की गई थी ।
ग्रेड—II	1974–75	25	43	3	26	14	—	
ग्रेड—II	1976–77	27	54	4	23	20	7	1975–76, 1977–78 तथा 1978–79 के दौरान भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड–II में पदोन्नति के लिए कोई प्रवर सूची तैयार नहीं की गई थी ।

अनुबंध–2

1975–79 के दौरान केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए प्रवर सूचियां के संबंध मे आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

सेवा/ग्रेज	वर्ष	प्रवर सूची की पद संख्या	विचार किये जाने के क्षेत्र में अधिकारियों की संख्या	निम्नलिखत के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों की संख्या				अन्युक्तियां
				आयोग्य	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
केन्द्रीय सचिवालय सेवा चयन ग्रेड	1975	38	102	4	32	54	12	——
–यथोपरि–	1976	37	104*	2	24	68	7*	3 अधिकारियों से सम्वन्धित निष्कर्ष मोहर वन्द लिफाफे में रखे गये थे ।
–यथोपरि–	1977	50	116*	2	32	75	4	–यथोपरि–
–यथोपरि–	1978	50**	136	—	45	67	24**	मूल रूप में 38 रिक्तियां केन्द्रीय
–यथोपरि–	1979	42	155	—	7	130	18	सेवाएं प्रभाग द्वारा सूचित की गई थीं । किन्तु केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों से काफी संख्या में

अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय किया गया था कि प्रवर सूची का आकार 38 के बढ़ा कर 50 कर दिया जाए और जब 1979 के लिए प्रवर सूची के आकार का निर्धारण किया गया तब उस के आकार में 12 की कमी कर दी गई।

दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित मामले

1821. श्री निहाल सिंह : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से दिल्ली के न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या क्या है और उनमें से कितने-कितने मामले सत्र और निम्न न्यायालयों से सम्बन्धित हैं ; और

(ख) क्या सरकार का उन मामलों का शीघ्र निपटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना, विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (न्याय विभाग) जो प्रश्न की विषय वस्तु से सम्बन्धित है, द्वारा एकत्र की जा रही है और इसको सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

मानव निर्मित रेशे के लिए औद्योगिक लाइसेंस

1822. कुमारी कमला कुमारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानव निर्मित रेशे के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का है क्योंकि देश में मानव निर्मित रेशे की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क) से (ग) मानव निर्मित रेशे में सैल्यूलोसिक तथा सिंथेटिक पर आधारित रेशे की अनेक किस्में शामिल हैं। अतिरिक्त क्षमता के सृजन सम्बन्धी नीति, इसकी विद्यमान घरेलू उपलब्धता और मांग के आधार पर अलग-अलग रेशे के बारे में भिन्न भिन्न होगी। किन्तु रुई को प्रमुख महत्व देना ही सरकार की नीति है ?

जगुआर विमान

1823. डा० वसन्त कुमार पंडित : : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जगुआर हवाई जहाज जोड़ने के लिए भारत को भेजे जाने वाले हैं ?

(ख) अगले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा जगुआर का उत्पादन कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि जगुआर के निर्माता जगुआर के और अधिक विकसित तकनीकी रूप के लिए पहले ही कार्य कर रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उत्पादन कार्यक्रम के विवरण देना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योग के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाने के बारे में ज्ञापन

1824. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के लिए एक पृथक मंत्रालय की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) क्या फैडरेशन आफ एसोसिएशंस आफ स्माल इण्डस्ट्रीज आफ इंडिया ने इस बारे में सरकार को कोई ज्ञापन पेश किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांग क्या है और सरकार का उनमें से प्रत्येक मामले पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा दोषमुक्त यूनिटों की सप्लाई

1825. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गये दोषपूर्ण एककों की जगह दूसरे एकक सप्लाई करने में विलम्ब तथा उनके द्वारा चालू किये गये एककों के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें किन-किन राज्यों से प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा तापीय विद्युत उत्पादन के लिए यूनिटों के उत्पादन और किस्म में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क),(ख) और (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ट्रकों और अन्य वाहनों के लिए ईंधन पंप का निर्माण

1826. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'माइको' कम्पनी में हड़ताल होने के कारण ट्रकों और अन्य वाहनों के लिए ईंधन पम्प का निर्माण बन्द हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार नये वाहनों के लिए ईंधन पम्प उपलब्ध न होने की समस्या हल करने और इसकी चोर बाजारी रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) मैं० माइको लिमिटेड की बंगलौर यूनिट में 5-10-79 से 2-1-80 तक हड़ताल के कारण फ्यूल इन्जेकशन उपकरण के उत्पादन को धक्का पहुंचा था ।

(ख) देशी उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से वाहन निर्माताओं को फ्यूल इन्जेक्शन उपकरणों का सीमा शुल्क की रियायती दरों पर आयात करने की अनुमति दी गई है। इन उपकरणों के निर्माण के लिए सुविधाय स्थापित करने हेतु नई यूनिटों को भी अनुमति दी गई है।

कम्युनिस्ट पार्टी के नेता द्वारा बिहार के राज्यपाल को लिखा गया पत्र

1827. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भंग विधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने पीपरा घटना के सम्बन्ध में एक पत्र बिहार के राज्यपाल को लिखा था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय साम्यवादी दल द्वारा बिहार में जिला अधिकारी के समक्ष प्रदर्शन

1828. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य भारतीय साम्यवादी दल कांउसिल द्वारा आव्हान किये जाने पर किसानों, श्रमिकों और जनसाधारण ने पूरे बिहार राज्य में जिला अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) राज्य सरकार से सूचना आनी है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पिपरा घटना के संबंध में गिरफ्तारियां

1829. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार पुलिस ने सार्वजनिक जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए नाम सुझाये हैं, जो पिपरा घटना के लिए जिम्मेदार थे ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और क्या उनमें से कोई अब तक गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टैगोर पार्क नई दिल्ली के एक निवासी की मृत्यु

1830. **श्री आर० के महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 मार्च, 1980 को टैगोर पार्क, नई दिल्ली के एक निवासी की पुलिस वाहन में मत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) 2 मार्च, 1980 को दिन के 11.45 बजे टैगोर पार्क के मकान संख्या 187 में झगड़े के विषय में टेलीफोन पर सूचना मिलने पर एक सहायक उप-निरीक्षक एक कांस्टेबल के साथ घटनास्थल पर गए। जब सहायक उप निरीक्षक घटनास्थल पर जांच पड़ताल कर रहा था, तो मकान मालिक श्री इन्द्र सिंह बेहोश हो गए। श्री इन्द्र सिंह के लड़के चाहते थे कि सहायक उप निरीक्षक उनके पिता को पहले अस्पताल ले जाए। तदनुसार सहायक उप निरीक्षक श्री इन्द्र सिंह को उनके दोनों लड़कों के साथ पुलिस की गाड़ी में हिन्दू राव अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर डाक्टर ने श्री इन्द्र सिंह को मृत घोषित कर दिया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304/506/427/452/34 के अन्तर्गत तारीख 2 मार्च, 1980 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 217 के तहत पुलिस स्टेशन किंग्सवे कैम्प में एक मामला दर्ज किया गया है और उत्तरी जिला सतर्कता शाखा द्वारा मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। दो आक्रमणकारियों को गिरफ्तार किया गया है। शव परीक्षा के लिए भेजा गया और चिकित्सा अधिकारी ने मृत्यु का कारण वाएं पेन्ट्रीकूलर की अतिवृद्धि (प्राकृतिक कारण) के कारण दिल के दौरा बताया है। शव परीक्षा की रिपोर्ट में किसी बाहरी जख्म का उल्लेख नहीं है

मध्य प्रदेश की तुलना में दूसरे राज्यों को सीमेंट की सप्लाई

1831. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1979 से 1 मार्च 1980, तक, राज्यवार विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में सीमेंट सप्लाई किया गया,

(ख) क्या मध्यप्रदेश को प्रति व्यक्ति सीमेंट की सप्लाई, सबसे कम है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसे पूरा कोटा कब दिया जायेगा, और

(ग) क्या वहां स्थित सीमेंट कारखानों से मध्य प्रदेश को सीमेंट की सप्लाई करना उचित समझा गया है, यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) 1 मार्च, 1979 से 29 फरवरी, 1980 तक की अवधि में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए प्रेषण और सीमेन्ट की प्रति व्यक्ति खपत दर्शाने वाला विवरण अनुबंध के रूप में

संलग्न है। मध्य प्रदेश में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम नहीं है। जब भी कभी सीमेंन्ट की उपलब्धता स्थिति में सुधार हो जाएगा तब मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों को किए जाने वाले सीमेंन्ट आबंटन में तदनुसार वृद्धि की जाएगी ।

(ग) मध्य प्रदेश को आबंटित, सीमेन्ट की 90 प्रतिशत से अधिक की पूर्ति राज्य में ही स्थित सीमेंन्ट कारखानों से की जाती है।

विवरण

(मी० टनों में)

क्रमांक	राज्य	मार्च, 1979 से 29 फरवरी, 1980 तक के सीमेंट प्रेषण	सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत कि. ग्रा. में
1	2	3	4
उत्तर :			
1.	राजस्थान	668866	20.8
2.	दिल्ली	662215	114.2
3.	उत्तर प्रदेश	1971903	19.2
4.	हरियाणा	638382	53.2
5.	पंजाब	809015	51.9
6.	चंडीगढ़	82920	165.8
7.	हिमाचल प्रदेश	129370	31.6
8.	जम्मू और काश्मीर	208170	35.9
	योग :	5170841	29.0
पूर्व			
9.	आसाम	274921	14.5
10.	बिहार	992460	15.0
11.	उड़ीसा	486165	18.6
12.	पं० बंगाल	1293365	24.0
13.	मनीपुर	43618	31.2
14.	नागालैंड	43125	61.6
15.	त्रिपुरा	26877	13.4
16.	मेघालय	46815	36.0
17.	अरुणाचल प्रदेश	28917	48.2
18.	मिजोरम	9838	24.6
19.	सिक्किम	30700	153.5
	योग	3276801	19.1

1	2	3	4
पश्चिम :			
20	गुजरात	1744587	54.5
21	महाराष्ट्र	2323546	39. 3
22	मध्य प्रदेश	1064363	20.8
23	गोआ	93193	84.7
24	दादरा नगर हवेली	6442	64.4
	योग	5232031	36.5
दक्षिण:			
25	आंध्र प्रदेश	1726219	34.5
26	तमिल नाडु	1553743	33.6
27	केरल	884468	35.1
28	कर्नाटक	2043329	59.2
29	पोंडिचेरी	36586	61.0
30	अडेमान निकोबार	9164	45.8
31	लक्ष्यदीव	2717	77.2
	योग	6256226	39.9
	कुल योग :	19935899	30.6

अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय द्वारा एक पाकिस्तानी जासूस को शरण दिया जाना

1832. **श्री दया राम शाकय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय द्वारा विगत डेढ़ वर्ष से एक पाकिस्तानी जासूस को शरण दी जा रही है ;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में जासूसी करने वाले पाकिस्तानियों से अनेक वैज्ञानिक उपकरण तथा शस्त्र बरामद किए गए हैं,; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में केन्द्रीय ब्यूरो जांच द्वारा जांच कराने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) वर्ष 1978–79 के दौरान निम्नलिखित आग्नेय शस्त्र । तकनीकी उपकरण बरामद किये गये :—

(i) 2 सक्रिय कारतूसों सहित एक 12 बोर की देशी रिवाल्वर ।

(ii) 4 सक्रिय कारतूसों सहित एक देशी पिस्तौल ।

(iii) 4 सक्रिय और एक खाली कारतूस सहित एक 12 बोर की देशी पिस्तौल ।

(iv) एक कोडेक मिनी कैमरा तथा .32 बोर की देशी पिस्तौल के साथ 4 सक्रिय कारतूस ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा केन्द्रीय सरकारी विभागों से बकाया राशि की वसूली

1833. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार के विभागों से 22.89 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम के महापौर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो बकाया राशि कितनी है और किन विभागों पर बकाया राशि देय है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

	(ख) विभाग का नाम		राशि करोड़ रु० में
1	एन० डी० एम० सी० (विद्युत कर)		5.00
2	हरियाणा सरकार (विद्युत कर)		5.00
3	दिल्ली प्रशासन (लोक कार्य विभाग) सेवा प्रभार के कारण		1.66
4	दिल्ली विकास प्राधिकरण		1.22
5	दिल्ली परिवहन निगम		
	(क) सम्पत्ति कर (ख) विज्ञापन कर और तहबाजारी		0.38
6	आवास और निर्माण मंत्रालय (सी० पी० डब्ल्यु० डी०) सेवा प्रभार के कारण		0.45
7	भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण		0.25
8	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय		0.85
9	टी० टी० बकाया		
	(i) एकत्रित करने का प्रभार	63.00	
	(ii) टी० टी० शेयर	744.95	807.95
			22.88,95
		अथवा	22.89

अमेरिका द्वारा समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई न किये जाने के कारण बिजली के उत्पादन में हानि

1834. **श्री ए० के० राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा गत तीन वर्षों में समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई न किए जाने

के कारण तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली के उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और हानि का वर्ष-वार, विवरण क्या है ; और

(ख) क्या अपने देश में ही समृद्ध यूरेनियम तैयार करने या उसे किसी अन्य देश से प्राप्त करने का कोई प्रयास किया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सन् 1977 तथा 1978 में अमरीका से समृद्ध यूरेनियम मिलने में विलम्ब होने तथा सन् 1979 तथा 1980 के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम न पहुंचने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि तारापुर परमाणु बिजली घर के विद्युत उत्पादन-स्तर को घटा दिया जाये । इस कदम के उठाए जाने के फलस्वरूप विद्युत-उत्पादन में आई गिरावट को दर्शाने वाले आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :—

वर्ष	1976	1977	1978	1979
विद्युत उत्पादन (10 लाख यूनिट)	2294	2249	2087	1958

(ख) जब तक भारत तथा अमरीका के बीच सन् 1963 में हुआ सहकार करार लागू है, तब तक अमरीका तारापुर परमाणु बिजलीघर में इंधन के रूप में काम मे लाया जाने वाला समृद्ध यूरेनियम देने के लिए बाध्य है और दूसरी तरफ, भारत भी तारापुर के रिएक्टरों को किसी और ईंधन से न चलाने के लिए प्रतिबंधित है ।

सी० एफ० आर० आई० धनवाद द्वारा विकसित पेटेंट

1835. **श्री ए० के० राय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनवाद जिला (बिहार) में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान द्वारा कितने पेटेन्ट तथा प्रोसेसस विकसित किये गये ;

(ख) कितने पेटेन्ट तथा "प्रोसेसर्स" बेचे गये और वाणिज्यिक उपयोग में लाये गये और उनसे उपरोक्त अवधि में, वर्ष-वार कितनी आय हुई ;

(ग) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में विदेशी सहयोग करना चाहने वाले उत्पादन एककों द्वारा इन अनुसन्धान संस्थाओं की ऐसे मामलों में उपेक्षा की जा रही है जिनमें जानकारी देश में ही विकसित की जाती है और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायेगी ।

सिविलियन स्टाफ के अधिकारियों के लिए पैनल

1836. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के मुख्यालय सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों और सहायकों (एसिस्टेंट) में से सिविलियन स्टाफ अधिकारियों और सहायक सिविल स्टाफ अधिकारियों के लिये पैनल के बनाये जाने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या प्रति वर्ष 31 अक्तूबर, तक इन पैनलों को बनान और उन्हें प्रकाशित करना आवश्यक है ;

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या बहुत बड़ी संख्या में सिविलियन स्टाफ के अधिकारी और सहायक सिविलियन स्टाफ के अधिकारी पदोन्नति जो नवम्बर, और दिसम्बर, 1979 तथा जनवरी, फरवरी 1980 में होनी थी, पाये बिना ही सेवा निवृत्त हो गये हैं ; यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की क्षतिपूर्ति के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. सिविलियन स्टाफ अधिकारी तथा सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के ग्रेडों में नियुक्त करने के लिए योग्य पाए जाने वाले पात्र अधिकारियों की चयन सूची (सिलेक्ट लिस्ट) कम से कम वर्ष में एक बार तैयार की जानी होती है। इनको तैयार करने या प्रकाशित करने के लिए संबंधित नियमों या विनियमों में कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। सामान्यत: अक्तूबर, सितम्बर, की अवधि के लिए इन सूचियों को यथा सम्भव शीघ्र तैयार कर लिया जाता है और उन्हें इसी अवधि के दौरान प्रकाशित कर दिया जाता है।

2.1 सिविलियन स्टाफ, अधिकारी ग्रेड की चयन सूची तैयार करने में कुछ देरी हो गई है क्योंकि पर्याप्त संख्या में पात्र सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर उपलब्ध नहीं थे और पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा की शर्त में ढील देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना था। अब सूची तैयार हो गई है और उसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायेगा ।

2.2 सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए जिन 174 मामलों पर विचार हो रहा था उनमें से 14 नवम्बर 79 से फरवरी 1980 की अवधि के दौरान सेवा निवृत हो गए हैं ।

3.1 सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड की चयन सूची तैयार करने में विलम्ब का कारण यह है कि कुछ श्रेणियों के सहायकों ने जो नियमानुसार, पदोन्नति के पात्र नहीं थे, नियमों में समुचित संशोधन करने उनके नामों पर विचार किए बिना सूची को प्रकाशित करने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था। इन अभ्यावेदनों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इन पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है। उसके बाद चयन सूची को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और यथा शीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा ।

3.2 पदोन्नति के लिए जिन 528 सहायकों के मामलों में विचार हो रहा था उनमें से, नवम्बर, 1979 से फरवरी 1980 की अवधि के दौरान 13 सहायक सेवा निवृत हो गए है।

4. सिविलियन स्टाफ अधिकारी तथा सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद चयन पद हैं जिन्हे योग्यताक्रम के आधार पर भरा जाता रहा है। योग्यता सूचियों (मेरिट लिस्ट) जिसे चयन सूची –(सिलेक्ट लिस्ट कहते हैं) में आए व्यक्तियों को संबंधित वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों में क्रमानुसार नियुक्त किया जाता है।

नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अधीन चयन सूची तैयार करते समय सेवा निवृत होने वाले अधिकारियों के अनुमानित पदोन्नति की हानि की प्रतिपूर्ति की जा सके।

पाक सैनिकों द्वारा भारतीय चौकियों में गोलाबारी

1837. **श्री पी० जे० कुरियन :**
श्री के० मालन्ना :
डा० फारूक अब्दुल्ला :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के सैनिकों ने हाल ही में राजौरी सैक्टर (पुंछ) के झंगर क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर सीमा-पार से बिना किसी भड़काने वाली कार्यवाही के गोलाबारी की है ; और

(ख) यदि हां, तो गोलाबारी के कारण क्या थे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) पाकिस्तान के सैनिकों ने हाल ही में नौशेरा क्षेत्र में हमारी झंगर चौकी पर गोलियां चलाई ।

(ख) हमारी ओर से भड़काने वाली कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हमारे सैनिकों ने जवाब में गोलियां चलाईं । हमारी ओर कोई हताहत नहीं हुआ ।

एस० डी० ओ० बाढ़, पटना द्वारा एक स्वीमिंग पूल और मन्दिर का निर्माण

1838. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ पटना (बिहार) के एस० डी० ओ० के अहाते में एक स्वीमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गंगा नदी के तट पर अपनी कोठी के निकट के सार्वजनिक मार्ग पर अपने नाम से एक सोमेश्वर मन्दिर का निर्माण करवा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन्हें स्वीमिंग पूल और मन्दिर के निर्माण कराने की अनुमति देने वाला अधिकारी कौन है और उनके निर्माण के लिए धन एकत्रित करने के स्रोत क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एस० डी० ओ० बाढ़ पटना के अहाते में स्वीमिंग पूल का निर्माण नहीं किया जा रहा है। किन्तु एस० डी० ओ० बाढ़ के आवासीय अहाते में 1975 में एक तालाब खोदा गया था। वर्तमान एस० डी० ओ० द्वारा काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत उसकी मरम्मत तथा सफाई का कार्य किया गया है। उसके परिणाम स्वरूप बेरोजगार श्रमिकों को काम मिला और उसकी मिट्टी से गंगा के किनारे हिफाजती बांध खड़ा किया गया है ।

प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित कोई सोमेश्वर मंदिर एस० डी० ओ० के नाम से नहीं बनाया गया है। किन्तु एस० डी० ओ० के आवासीय भवन के उत्तर पूर्वी सिरे पर जो

गंगा के रास्ते के बहुत पास है और बहुत पहले का बनाया हुआ पुराना शिव स्थान है। इस मंदिर को स्थानीय लोगों ने परस्पर सहयोग से बनाया था। वर्तमान एस० डी० ओ० श्री सोमेश्वर प्रसाद का इस मंदिर के निर्माण से कोई संबंध नहीं है।

2. उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए एस० डी० ओ० बाढ़ के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात की शर्तों के साथ विदेशी सहयोग

1839. **श्री राम विलास पासवान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार विदेशी सहयोग के लिए किए गये करारों का देश-वार उद्योग ब्यौरा क्या है और उन करारों के देश वार और उद्योग-वार आंकड़े क्या हैं जिनमें निर्यात की शर्तें थी और रायल्टी तथा तकनीकी शुल्कों से संबंधित मुख्य शर्तें देश-वार और उद्योग-वार किस प्रकार की है,

(ख) इन करारों के अन्तर्गत न्यूनतम निर्यात की शर्त पूरा करने वाली और पूरा न करने वाली कम्पनियों के देश-वार और उद्योग-वार वार्षिक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उन कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने निर्यात शर्तें पूरी नहीं की है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) 1975–78 की अवधि में देश-वार व उद्योग-वार स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोगों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 653/80]

तकनीकी सहयोगों के लिए रायल्टी का भुगतान प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न होता है, जो प्रौद्योगिकी के स्वरूप व संश्लिष्ट स्तर पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से उत्पादक खरीदे गए अथवा आयातित उपकरणों को लागत का छोड़कर उत्पाद के कारखाने से निकलते समय के बिक्री मूल्य को 5 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं।

उपयुक्त समझे जाने पर तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान करने की भी अनुमति दी जाती है।

(ख) और (ग) भारतीय उद्यमियों से निर्यात संबंधी उत्तरदायित्वों को सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा करने के बारे में वाणिज्य मन्त्रालय मानीटर करता है तथा जहां कहीं किसी प्रकार की कमियां पाई जाती हैं उनमें उस मंत्रालय द्वारा निर्यात ब्रांड की शर्तें लागू की जाती है।

1840. **श्री राम विलास पासवान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश–वार तथा उद्योग-वार किये गये विदेशी सहयोगों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त सहयोगों के अन्तर्गत भारत में तथा विदेशों में उत्पादन के लिए विदेशों के साथ किये गये करारों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा उद्योग-वार और देश-वार उत्पादन के आंकड़े क्या हैं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) स्वीकृत किये गये विदेशी सहयोग के मामलों की देश-वार संख्या के ब्यौरे उन्हीं सदस्य महोदय द्वारा उसी दिन पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 1839 के उत्तर में संलग्न विवरणों में दर्शाये गये हैं।

(ख) सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग प्रस्तावों के ब्यौरे दर्शाने वाली सूचियां तिमाही के आधार पर जारी की जाती हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन सूचियों में भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता का नाम, उत्पादन की वस्तु तथा प्रस्ताव में विदेशी पूंजी की भागीदारी निहित है अथवा नहीं का उल्लेख रहता है। इन सूचियों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं

उत्पादन के उद्योग-वार तथा देश-वार विवरण नहीं रखे जाते

फाइव स्टार होटलों के लिए विदेशी सहयोग

1841. **श्री राम विलास पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फाइव स्टार होटलों के लिए विदेशी सहयोग के संबंध में विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड के विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है और विदेशी सहयोग के इन मामलों से संबंधित कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) फाइव स्टार होटलों के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है और क्या सरकार द्वारा फाइव स्टार होटलों के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति दी जायेगी अथवा नहीं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) विदेशी होटलों के साथ विपणन तथा आरक्षण संबंधी प्रबन्धों के किये जाने का पता लगाने हेतु भारतीय होटलों से निम्नलिखित 6 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :—

भारतीय पार्टी का नाम	विदेशी पार्टी का नाम जिसके साथ सहयोग करार किया गया है
1. मैसर्स होटल सीरांक वैंडस्टैंड लैंडस एण्ड बांद्रा, बम्बई	शेरेटन इन्टरनेशनल इन्क०, यू० एस० ए०।
2. मै० मरुधर होटल्स प्रा० लि०, जोधपुर राजस्थान	शेरेटन इन्टरनेशनल, यू० एस० ए०।
3. मै० जी० एल० होटल्स लि० नई दिल्ली	——वही——
4. मै० दि दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि० दिल्ली	मै० मन्दारिन इन्टरनेशनल होटल्स ओवरसीज इन्क, द्वारा इन्टरनेशनल ट्रस्ट कं० आफ लाइबीरिया मोनरोविया, लाइबीरिया, वैस्ट कोस्ट आफ अफ्रीका।

5. मैसस पूनम होटल्स लि० बम्बई	मै० रेमेडा इन्टरनेशनल इन्क० यू० एस० ए०।
6. मै० तारा होटल्स लि० नई दल्ली	मै० रीजेन्ट इन्टरनेशनल होटल्स हांगकांग।

(ख) विशेष स्थानों में इस प्रकार की आवास संबंधी आवश्यकता के आधार पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में फाइव स्टार होटलों की स्थापना की जा सकती है होटल उद्योग में विदेशी सहयोग के बारे में सरकार अपनी नीति तैयार कर रही है।

विदेशी विनियोग बोर्ड द्वारा की गई बैठक

1842. श्री राम विलास पासवान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी विनियोग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी और इसकी स्थापना से लेकर अब तक इसकी कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ख) भाग लेने वाले देशों और बोर्ड के सामने प्रति वर्ष आने वाले मामलों का देश-वार और उद्योग-वार ब्यौरा और आंकड़े क्या हैं; और

(ग) बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष स्वीकृत किए जाने वाले/रद्द किए जाने वाले मामलों का उद्योग-वार और देश-वार ब्यौरा और आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) विदेशी विनियोग बोर्ड की स्थापना जनवरी, 1969 में हुई थी और फरवरी, 1980 के अन्त तक इसकी 276 बैठकें हुई हैं ।

(ख) तथा (ग) 1974–79 की अवधि में उद्योग-वार दो विवरण संलग्न हैं, दी गई स्वीकृतियां और रद्द किये गये कुल मामले दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल–टी–653 क/80]

दिल्ली में हुई वटमारी (हाईवे राबरी) और चोरियों में जान और माल की हानि

1843. श्री दयाराम शाक्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1979 से जनवरी, 1980 तक दिल्ली में हुई वटमारियों और चोरियों की संख्या क्या है और उनमें जान और माल की कितनी हानि हुई है ; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) दिल्ली में 1 जनवरी, 1979 से 31 जनवरी, 1980 तक की अवधि में बिना किसी की जान लिए वटमारी के 126 मामले हुए थे ।

मार्गों में चोरी का अलग से रिकार्ड नहीं रखा गया है उसी अवधि में दिल्ली में कुल 27244 चोरियां की गई थी बटमारी के 126 मामलों में 7,65,902 रु० की संपत्ति अन्तर्ग्रस्त थी और चोरी क 27244 मामलों में 9.20,76, 630 रु० की संपत्ति अन्तर्ग्रस्त थी।

(ख) बटमारी के मामलों में 91 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। 43 व्यक्तियों का चलान किया गया है और उन पर विचारण किया जा रहा है, 10 को मुक्त किया गया है और 38 के विरुद्ध मामलों की जांच होनी है।

चोरी के मामलों में 2, 959 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये हैं। 1793 का चलान किया गया है उनमें से 178 को सजा दी गई है, 36 को दोषमुक्त किया गया है और 1579 के विरुद्ध न्यायालयों में विचारण होना है। 976 के विरुद्ध मामलों को जांच होनी है और 190 व्यक्ति मुक्त किए गए हैं।

केरल में हथकरघा उद्योग में संकट

1844 श्री जी० एम० बनातवाला : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार को केरल के हथकरघा उद्योग के उस भारी संकट की जानकारी है, जो स्टाक के जमा हो जाने की वजह से इस क्षेत्र में उत्पादन रुक जाने के परिणामस्वारूप पैदा हुआ है,

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का अक्तूबर, 1978 से पहले व्याप्त दरों पर सूत उपलब्ध करवाने और 15 मार्च से 30 अप्रैल तक 20 प्रतिशत की विशेष छूट की अनुमति देने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) संकट के निवारण के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) केरल सरकार के अनुसार प्राथमिक सहकारी समितियों के पास 341 लाख रुपये, शीर्षस्थ समिति के पास 254 लाख रुपये तथा हथकरघा विकास निगम के पास 60 लाख रुपये मूल्य के भंडार है जो कुल 655 लाख रुपये बैठता था। उन्होंने हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन में किसी प्रकार की रुकावट आने के बारे में सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग) : इस समय इंडियन कांटन मिल्स फैडरेशन हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा भेजी गई निविदाओं के अनुसार केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों क अभिकरणों को मिलों से सीधे ही बाजार मूल्यों पर धागे का आंवटन कर रहा है। विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत केरल के लिए प्रस्तावित मात्रा 2075 गांठ प्रति मास है। सरकार इस मात्रा को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने संबंधी अभ्युपायों की और आगे जांच कर रही है। भारत सरकार ने राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा 1979–80 में किन्हीं 30 दिनों के लिए बराबर-बराबर दी जान वाली 20 प्रतिशत की विशेष छूट देने की स्वीकृति पहले ही दे दी है। केरल सरकार ने इसका लाभ उठाते हुए चालू वर्ष में 5–8–1979 से 3–9–1979 तक के बीच 20 प्रतिशत की छूट देने की स्वीकृति दे दी है। 1980–81 में 30 दिन के लिए विशेष छूट की स्वीकृति देने संबंधी प्रश्न की अलग से जांच की जा रही है। सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें केरल द्वारा 15 मार्च, से 30 अप्रैल, 1980 तक 20 प्रतिशत की विशेष छूट का अनुरोध किया गया हो।

सीमेंट का उत्पादन और राज्यों के कोटे में कटौती

1845 **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1979 से फरवरी 1980 तक महीनेवार कितने सीमेंट का उत्पादन हुआ है, और

(ख) गुजरात को छोड़ कर और कौन-कौन से राज्यों के कोटे कम किए गए हैं और कितने कम किए गए हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जनवरी, 1979 से फरवरी, 1980 तक की अवधि में सीमेंट का महीनेवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध पर दिया गया है।

(ख) वर्ष 1979 में गुजरात राज्य के लिए निर्धारित सीमेंट के तिमाही आवंटन में कोई कमी नहीं की गई। सीमेंट की कम मात्रा उपलब्ध होने के कारण जनवरी-मार्च 1980 की तिमाही के लिए मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा के राज्यों को, छोड़ कर अन्य सभी राज्यों के आबंटन में 20 प्रतिशत की कमी की गई है।

विवरण

माह	उत्पादन (हजार मी० टन में)
जनवरी.	16.78
फरवरी.	15.59
मार्च	17.48
प्रथम तिमाही /79	49.85
अप्रैल	14.60
मई	16.05
जून	15.51
द्वितीय तिमाही/79	46.16
जुलाई	16.03
अगस्त	15.09
सितम्बर,	14.40
तृतीय तिमाही/79	45.52
अक्तुबर,	14.46
नवम्बर,	12.50
दिसम्बर	14.90
चतुर्थ तिमाही/79	41.86
कुल योग :	183.39
1980	
जनवरी	15.11
फरवरी (अन्तिम)	13.12

सैन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1846. **श्री समर मुखर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०, साहिबाबाद के कर्मचारी 29 फरवरी, 1980 से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगे क्या हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के कामगार श्रेणी के कर्मचारी 29 फरवरी, 1980 के 4,00 बजे (अपरह्नान) से अनिश्चित काल की हड़ताल पर चले गए हैं।

(ख) सी० ई० एल० कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रबन्धकों को दिए गए 7 फरवरी, 1980 के अनिश्चित कालीन स्ट्राइक नोटिस (हड़ताल सूचना) में निम्नलिखित मांगें इंगित की गई हैं :—

(1) सी ई० एल० प्रबन्धकों द्वारा किए गए सार्वजनिक निधियों के दुर्विनियोजन और सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग की उपयुक्त सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाए ।

(2) 1977–78 और 1978–79 वर्षों के लिए बोनस का भुगतान तुरन्त किया जाए।

(3) पदोन्नति के लिए सेवाकाल को 4 वर्षों से बदल कर 2 वर्ष करने के लिये पदोन्नति नीति की समीक्षा की जाए ।

(4) मई, 1979 से नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान किया जाए ।

(5) ई० एस० आई० सी० के क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त की जाए ।

(6) 1978–79 के लिए उत्पादन प्रोत्साहन का भुगतान किया जए।

(7) सितम्बर, 1978 में किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार, कार्यान्वयन के लिए बकाया पड़े अन्य मामलों पर कार्रवाई की जाए।

(ग) सी० ई० एल० कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों और प्रबन्धकों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के क्षेत्रीय समझाता अधिकारी की उपस्थिति में सितम्बर, 1978 की हस्ताक्षर किए गए समझौते के बृहत ज्ञापन और समझौते के ज्ञापन को 1–4–1978 से 31–3–1982 तक चार वर्षों की अवधि के लिए लागू करने के दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का अतिक्रमण करते हुए कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं । स्ट्राइक नोटिस से पूर्व भी, कम्पनी के प्रबन्धकों ने कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ कई बार बातचीत की। इसके पश्चात् कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ और आगे बातचीत की। क्षेत्रीय समझौता अधिकारी और गाजियाबाद के सहायक श्रम आयुक्त ने स्ट्राइक नोटिस में उठाए गए विभिन्न मामलों के बारे में प्रबधकों और यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ 3 संयुक्त बैठकें की। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप भी कर्मचारी यूनियन ने स्ट्राइक नोटिस वापिस नहीं लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम प्राधिकारियों

नयूनियन के नेताओं की सलाह दी कि वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 सितम्बर, 1978 को कराए गए और लागू किए गए बाध्यकारी समझौते को ध्यान में रखते हुए सीधी कार्रवाई न करें। सरकार का विचार है कि समझौते के ज्ञापन के आधार पर ही बातचीत की जानी चाहिए, तथा विवाद को हड़ताल की अपेक्षा बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों में कांस्टेबलों में निराशा

1847. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कार्यरत कांस्टेबलों और 12 अथवा अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर लेने वाले व्यक्तियों में प्रगतिरोध के कराण और पदोन्नति के अवसर न के बराबर होने की वजह से नेराश्य की भावना है;

(ख) क्या केवल परिचर के रूप में काम करने वाले कांस्टेबलों को ही पदोन्नति किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का इस मामले में जांच करने और इस दिशा में सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कांस्टेबलों में न तो भारी प्रगतिरोध है और न ही उनके अन्दर पदोन्नति के अवसर न होने के कारण कोई नेराश्य की भावना ही है । फिर भी सरकार ने उनकी पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए 1978 में उनके लिए चयन ग्रेड का सृजन किया है । पिछले वर्ष भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में हैड कांस्टेबलों के 87 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया था ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा देने के लिये मांग

1848. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता द्वारा की जा रही इस मांग की जानकारी है कि दिल्ली को एक राज्य का दर्जा दिया जाये ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कोई कानून बनाने का है ; और

(ग) यदि हां , तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) सरकार मामले की जांच कर रही है ।

केरल में "एरोमेटिक काम्पलेक्स

1849 **प्रो० पी० जी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने "एरोमेटिक काम्पलेक्स" प्रारम्भ करने के लिये आशय पत्र देने हेतु भारत सरकार को कोई आवेदन पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) आवेदन अनिर्णीत पड़ा हुआ है. तथा इसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा उद्योग संबंधी लाइसेंस नीति तैयार किये जाने का इन्तजार किया जा रहा है ।

सीतापुर में मूंगफली के कारखानों का बंद होना

1850 **डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सीतापुर में मूंगफली के सैंकड़ों कारखाने बंद हो गये हैं और इसके परिणास्वरूप उनमें कार्य कर रहे लाखों श्रमिकों को को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें शीघ्र खुलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभापटल पर रख दी जाएगी ।

हाथरस में रामचन्द्र कांटन मिल को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

1851 **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाथरस की बन्द पड़ी हुई मिल रामचन्द्र कांटन मिल को कपड़ा निगम को सौप देने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) और (ख) हाथरस में इस समय रामचन्द्रन कांटन मिल नामक कोई भी एकक नहीं है । आंके क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स (जो पहले रामचन्द्र टैक्सटाइल कहलाती थी) 18 जनवरी, 1965 से बंद पड़ी हुई है। बाद में 1966 में इसे समाप्त कर दिये जाने की स्वीकृति दे दी गई थी क्योंकि इसे पुर्नरूज्जीवित नहीं किया जा सका था । इस मिल को हाथ में लेने का कोई भी प्रस्ताव नहीं हैं ।

मोतीहारी में गैर-सरकारी क्षेत्र में रामा कास्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट

1852. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के पूर्व चम्पारन जिले में मोतिहारी के स्थान पर गैर-सरकारी क्षेत्र में रामा कास्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ;

(ख) इस फर्म के मालिक ने इस में कितना निवेश किया है और विभिन्न वित्तीय संस्थानों से कितनी राशि का ऋण लिया है और उस पर कितना वार्षिक ब्याज लगता है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार के कई वित्तीय संस्थानों द्वारा भारी निवेश के बावजूद कारखाने को बन्द रखा गया है जिसके कारण राष्ट्रीय हानि हो रही है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार रामा कास्ट इंजीनियरिंग इंस्टीटयूट को कब पुनः खोलने, वहां उत्पादन फिर से आरम्भ करने और विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेशित पूंजी को डूबने से बचाने एवं श्रमिको के हितों की रक्षा करने का है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संस्थान को अपने अधिकार में लेने का है, और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) जी, नहीं । फिर भी, बरियापुर (मोतिहारी), जिला पूर्वी चम्पारन, उत्तरी बिहार में गैर-सरकारी क्षेत्र में मैसर्स रामा कास्ट लिमिटेड नामक एक कम्पनी को प्रति वर्ष 24,000 मी० टन ग्रे आयरन कास्टिंग्स का निर्माण करने के लिए 19-7-75 को तकनीकी विकास महानिदेशालय का पंजीकरण जारी किया गया था ।

(ख) संयंत्र तथा मशीनों का मूल्य जैसा कि उनकी सनदी लेखापाल द्वारा प्रस्तावित तथा प्रमाणित किया गया था समझा जाता है कि लगभग 43.3 लाख रु० था। पार्टी द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण की राशि और उस पर वार्षिक ब्याज की राशि की सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष, 1979 में एकक में उत्पादन बहुत कम हुआ था लेकिन इसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह बन्द पड़ी हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के पदों को भारतीय सांख्यिकी सेवा के संवर्ग में शामिल करना

1853. **श्री चन्द्रपाल शेलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (ई० डी० पी०) कार्मिकों श्रेणी "क" के विभिन्न पदों को भारतीय सांख्यिकी सेवा के संवर्ग में शामिल

करने का निर्णय लिया है और विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों में उस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के व्यक्तिगत विवरण मंगायें हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से विभागों/संगठनों ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों के नाम तथा अन्य विवरण उन्हें संवर्ग में शामिल कर लिए जाने की सिफारिश सहित बहुत पहले भेज दिए हैं ? और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्रों के पदों को भारतीय सांख्यिकी सेवा में शामिल करने का सिद्धांत रूप से निर्णय कर लिया गया है । किन्तु सेवा में किसी पद को संवर्ग में लाने के लिए ऐसे पदों को संवर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव करने वाले सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग की विशेष सहमति की आवश्यकता होती है और संवर्ग में शामिल करने के लिए ऐसे सभी पदों की पात्रता को उनसे सम्बद्ध नियत कार्यों तथा कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के संदर्भ में संवीक्षा करनी होती है । भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से ऐसे पदों के ब्यौरे भेजने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ख) और (ग) संवर्ग में शामिल करने के पक्ष में केवल सिंचाई विभाग से ही सिफारिश प्राप्त हुई है । ऐसे पदों को भारतीय सांख्यिकी सेवा संवर्ग में शमिल करने के विरुद्ध अन्य अनेक विभागों ने आपत्तियां उठाई हैं । अतः इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

"सी० पी० आई० मेन हैरस्ड बाई पुलिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1854. **श्री झारखंडे राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1980 के 'पेट्रीयट' में "सी० पी० आई० मेन हैरस्ड बाई पुलिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस आरोप की कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) श्री जगदीश लाल जैन ने झगड़े के विषय में तारीख 5-2-80 को, डी डी रिपोर्ट सं० 19-क के तहत पहाड़गंज पुलिस को सूचित किया था । यह सूचना प्राप्त होने पर पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के एक उपनिरीक्षक एक कांस्टेबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर तथाकथित सूचना देने वाला व्यक्ति श्री जगदीश लाल जैन स्वयं मकान

मालिक श्री राम नारायण से झगडते और दिवार को तोडते हुए पाया गया था । वह मकान मालिक को भी पकडे हुए था और उसे पीट रहा था । अतः जगदीश लाल जैन को अपराध दंड संहिता की धारा 107/151 के तहत गिरफ्तार किया गया और ए० सी० पी० औरीजनल रोड के समक्ष पेश किया गया ।

(ग) और (घ) औरीजनल रोड के पुलिस उप आयुक्त ने आरोपों की जांच की थी । उप निरीक्षक के शराब पिये होने और मकान मालिक का दोस्त होने के आरोप सही नहीं पाये गये थे ।

जहाज निर्माण उद्योग

1855. **श्री मुकंद मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने जहाज-निर्माण उद्योग चल रहे हैं और उनके आकार तथा क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे उद्योगों में से कितने उद्योग काम नहीं कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के अधिकांश जहाज-निर्माण उद्योग काम न होने के कारण संकट में हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने इन उद्योगों के सामान्य रूप से चलते रहने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पश्चिम बंगाल में जहाज निर्माण उद्योगों में रत एककों तथा उनकी क्षमता और निर्मित की जाने वाली वस्तुओं को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख), (ग) तथा (घ) पश्चिम बंगाल स्थित एककों सहित सामान्यतः जहाज निर्माण उद्योग की क्षमता का उपयोग असंतोषजनक है । यह बात विशेषरूप से सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है कि इस प्रकार के कितने एकक बन्द कर दिए गए हैं। वर्तमान कठिनाइयां मुख्यतः मांग पर्याप्त न होने के कारण पैदा होती हैं ।

(ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि जहाज निर्माण उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान स्थिति पर काबू पाने के लिए अभ्युपाय किए गए हैं । इनमें कतिपय उपबंधों के अधीन स्वदेशी मत्स्य नौका निर्माताओं को राजसहायता देने के लिए हाल ही में लिया गया निर्णय सम्मिलित है । तट रेखा से 200 समुद्री मील तक आर्थिक क्षेत्र के बढ़ जाने से मत्स्यनौका निर्माण उद्योग की संभाव्यता को देखते हुए उद्योग को सहायता मिलने की संभावना है ।

विवरण

क्रमांक	फर्म का नाम	क्षमता (लाख रुपये)	निर्मित की जाने वाली वस्तु
1.	जी० आर० एस० ई०, कलकत्ता	128	जहाज निर्माण और बार्जेज, नावें, मत्स्यनौकाएं, ड्रेजर्स, लॉचेज, पेन्टून, टग्स और स्टीमर, जहाजों की मरम्मत
2.	हुगली डाकिंग कंपनी लि०, कलकत्ता	84	बार्जेज, ड्रेजस, टग्स, मत्स्यनौकाएं 25 मीटर लम्बे जहाजों की मरम्मत, होपर बार्जेज, सर्वेक्षण वेसल्स
3.	सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, कलकत्ता	90	ड्रेजर्स, लॉचेज, टग्स, ट्रालर्स, स्टीमर और अन्य नौकाएं
4.	पीपुल्स इंजीनियरिंग मोटर वर्क्स लिमिटेड	50	बार्जेज, ट्रालर्स और छोटी नौकाएं
5.	इंग्सर इन्डिया (प्रा०) लि०, कलकत्ता	18	बार्जेज, फ्लैटस, रीवर क्राफ्ट्स
6.	ईस्ट बंगल इंजी० वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	50	बार्जेज, छोटी नौकाएं और क्राफ्टस
7.	शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	50	बार्जेज, टग्स, ड्रेजर्स, मत्स्यनौकाएं जहाजों की मरम्मत

जिला भीलवाड़ा में सोने की मोहरें वाला डिब्बा पाया जाना

1856. **श्री गिरिधारी लाल ब्यास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम जगपुरा, तहसील आसिन्द, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क का काम करते हुए एक चबूतरे को खोदते वक्त पीतल का एक डिब्बा मिला था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त पीतल के डिब्बे में 7 किलो सोने की मोहरें थीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जगपुरा के सरपंच, उसके पुत्र, एक महाजन और एक मेट ने मजदूरों की पिटाई की और सारा सोना अपने कब्जे में ले लिया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद भी सोने को अब तक बरामद नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) तक राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बताया जाता है कि ग्राम जगपुरा में सड़क निर्माण के लिए चबूतरे को खोदते समय, जगपुरा के श्री चन्द्र वीरसिंह के खेत में एक पीतल का डिब्बा गड़ा हुआ था । दो व्यक्ति नामतः ऊदा और राजमल, ठाकुर प्रताप सिंह के पास गए और उनसे कहा कि तेजा और रामचन्द्र नामक दो व्यक्ति पीतल के डिब्बे को ले गये हैं । ठाकुर प्रताप सिंह ने तेजा और रामचन्द्र को बुलाया और उनसे अपने स्तर पर ही जांच करनी शुरू कर दी और इस कार्रवाई में तेजा और रामचन्द्र दोनों को श्री ठाकुर और उनके आदिमयों द्वारा सताया और पीटा गया ।

भीलवाडा के भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री बी० पी० सिंह के सूचित करने पर राजस्थान सरकार ने घटनास्थल पर जाने और मामले की तहकीकात करने के लिए अपने दो अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया । उनकी रिपोर्ट के अनुसार उनके ध्यान में ऐसा कोई सुराग नहीं आया है जिससे यह पता चलता हो कि तथाकथित खजाने के गबन और उसकी लापता करने में जिला पुलिस की किसी स्तर पर मिली भगत है ।

धारा 403/411 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था और दो व्यक्तियों नामतः ऊदा और राजमल को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूरी तरह पूछताछ की गई थी। मामला अब जांच पड़ताल के लिए राज्य सी० आई. डी. को सौंप दिया गया है।

गैर-सरकारी और सरकारी सैक्टरों के बीच व्यय और उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़

1857. श्री आर० पी० यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974–75 से 1976–77 तक की अवधि के दौरान उद्योगों में अनुसंधान और विकास की धीमी गति के कारण क्या हैं ,

(ख) इस पर किए गये व्यय की ऊंची प्रतिशतता के क्या कारण हैं ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी और सरकारी सेक्टर के बीच व्यय और उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकडे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क), (ख) और (ग) उत्पादनकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1976–77 में अनुसंधान एवं विकास व्यय लगभग 84 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है जबकि 1975–76 में यह 68 करोड़ रुपये तथा 1974–75 में 56 करोड़ रुपये था । इसमें 1975-76 से लगभग 23.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

निजी उद्योगों द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर किए जाने वाला व्यय 1974–75 में 36.46 करोड़ रुपये था। उससे बढ़कर 1976-77 में 49.50 करोड़ रुपये तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगो में यह 1974-75 में लगभग 19 करोड़ रुपये था। उससे बढ़कर 1976-77

में लगभग 34 करोड़ रुपये हो गया है । चूंकि उद्योगों में अधिकांश अनुसंधान एवं विकास-कार्य प्रक्रियाओं में सुधार करने, लागत कम करने, कच्चे माल आदि के प्रतिस्थापन करने तथा केप्टिव खपत के लिएही किया जाता है इसलिए पहचानने योग्य परिमाण जैसे सील किये गए पेटेन्टों की संख्या, वाणिज्यिक विदोहन हेतु काम में लाई गई प्रक्रियाओं की संख्या, प्रोद्योगिकीय नई वस्तुओं की उत्पादन दर के बारे में अनुसंधान एवं विकास की उपलब्धियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

नौसेना अकादमी का कोचीन से स्थानान्तरण

1858. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है कि नौसेना अकादमी को कोचीन से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोचीन के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थान देने का प्रस्ताव किया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) : नौसेना अकादमी इस समय नौसेना बेस कोचीन में है । अकादमी में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं में और वृद्धि करने की आवश्यकताओं को देखते हुए इसे किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर ले जाने का एक प्रस्ताव विचाराधान है। केरल सरकार ने इसके लिए जगह देने की भी पेशकश की हुई है । मामला अभी भी विचाराधीन है ।

(ग) जी हां ।

गुजरात सरकार द्वारा राजभवन इमारत का बेचा जाना

1859. **श्री रामजीभाई भवानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने राजभवन की इमारत को एक रुपये के प्रतीकात्मक मूल्य पर एक न्यास, को बेच दिया है । जिसके अध्यक्ष गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1980 के सुविख्यात गुजरात दैनिक "गुजरात समाचार" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में राजभवन की यह इमारत मुगल शासक जहांगीर द्वारा बनाई गई थी और स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जब वह इस इमारत में ठहरे हुए थे, "हंगरी स्टोन" नामक एक कविता लिखी थी ; और

(घ) क्या पुरातत्व विभाग ने उपरोक्त इमारत एक प्राइवेट न्यास को बचने की अनुमति दी थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गुजरात सरकार के निर्णय के अनुसरण में अहमदाबाद स्थित तत्कालीन राजभवन की इमारत का कब्जा अगस्त, 1979 में सरकार बल्लभभाई मेमोरियल सोसायटी, अहमदाबाद को बिक्री करके स्थानान्तरण कर दिया गया है परन्तु बिक्री अभी प्रभावी नहीं हुई है । क्योंकि सोसायटी द्वारा बिक्री मूल्य 57.23 लाख रुपये अभी तक अदा नहीं किये गये हैं और न ही अभी तक कोई बैनामा कराया गया है ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) यह इमारत 1622 ईस्वी में राजकुमार खुर्रम (जो बाद में सम्राट शाहजहां बना) द्वारा जहांगीर के शासनकाल में बनवाई गई थी । बताया जाता है कि मकबरे ने रविन्द्रनाथ टैगोर को "दी हंगरी स्टोन" लिखने में प्रेरित किया था ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

कन्याकुमारी तथा तमिलनाडु में नारियल जटा की चटाई बनाने वाले करघों को लाइसेंस दिया जाना

1860. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी, तमिलनाडु में नारियल जटा की चटाई बनाने वाले यंत्रीकृत करघों को, जिन्हें लाइसेंस दिया जाना बन्द कर दिया गया था, लाइसेंस दिये जाने का विचार है, क्योंकि इसका हथकरघा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(ख) क्या सरकार को पता है कि इससे हथकरघा क्षेत्र के हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यंत्रीकृत करघों को अनुमति देना कायर बोर्ड के निर्णय का उल्लंघन है ; और

(घ) क्या सरकार कायर उद्योग में चटाई के यंत्रीकृत करघों पर प्रतिबंध लगाने के कदम उठायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क), (ख) और (ग) कन्याकुमारी और तमिलनाडु के कायर दरियां (मेट) बनाने वाले यंत्रीकृत करघों को कायर उद्योग (पंजीकरण तथा लाइसेंसीकरण) नियम, 1959 के अन्तर्गत स्वीकृत पंजीकरण के नवीकरण संबंधी प्रश्न की जांच प्रकरण की कानूनी व अन्य धारणाओं के संदर्भ में की जा रही है ।

(घ) जहां तक मशीनीकृत दरियां बनाने वाले करघों सम्बन्धी भावी नीति का संबंध है, मामला सरकार के विचाराधीन है ।

ऊर्जा नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

1861. **श्री मधु दंडवते** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा नीति संबंधी एक सरकारी कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें विशेषरूप से ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण की नई विकेन्द्रीकृत पद्धति की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) ऊर्जा नीति से संबंधित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में यह विचार प्रकट किया है कि इस बात को अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है कि ग्रामीण ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को वैकल्पिक शिल्पविज्ञानों पर आधारित विकेन्द्रित पूर्ति प्रणालियों से पूरा किया जा सकता है । संभावना पूर्ण प्रतीत होने वाले ऐसे शिल्प विज्ञानों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(क) पानी को गर्म करने और फसल कटाई के बाद की संक्रिया के लिए निम्न ताप ऊष्मा की पूर्ति करने के लिए सौर ऊर्जा ;

(ख) ऊष्मा की पूर्ति करने के लिए, आंतरिक दहन इंजनों में बायो गैस के उपयोग द्वारा यांत्रिक ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए और गैस मेंटलों या बिजली के जरिए रोशनी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बायो गैस संयंत्र ;

(ग) चल उपस्कर को चलाने के लिए लकड़ी के कोयले पर आधारित वायु अंगार गैस ;

(घ) बिजली देने के लिए अल्प पन-बिजली घर ; और

(ङ) जल-उद्वहन, चक्की चलाने, आदि के लिए पवन-चक्की ।

कार्यकारी दल ने यह सुझाव दिया है कि ऊर्जा संबंधी कुल आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए तथा स्थानीय उपलब्ध नवीकरणीय संसाधनों पर आधारित और ऊर्जा के अन्य परम्परागत स्वरूपों द्वारा संपूरित विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियों के प्रचालन की संभावना की जांच करने के लिए कुछ गांवों को कार्योगिक आधार पर चुना जाए ।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा उप–राज्यपाल के आदेशों को कार्यान्वित करना

1862. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा उप-राज्यपाल के नई दिल्ली नगर पालिका से संबंधित कुछ आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे आदेशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) तथा (ग) : दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित मामलों की सूचना दी है जिनमें नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा उपराज्यपाल के आदेशों का कार्यान्वयन नहीं किया गया है :--

I. नई दिल्ली नगर पालिका ने उप राज्यपाल के निदेशों जिनमें तब तक कोई पद न बनाने के लिए कहा गया है जब तक कि प्रशासन के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पालिका के कर्मचारी स्वरूप (स्टाफिंग पैटर्न) का अध्ययन न कर लिया जाए, की अवहेलना करते हुए अनेक पदों जिनमें निर्देशक (बागवानी) का एक पद भी शामिल हैं का सृजन किया है ।

II. नई दिल्ली नगरपालिका ने नगर केन्द्र के निर्माण के लिए ठेका देने और मैं० दारापुर एंड कम्पनी को कार्य शुरू करने के लिए 15 लाख रु० का अग्रिम धन देने का निर्णय किया यह ऐसे मामलों में उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन करने की प्रक्रिया के उल्लंघन हैं । यह इस तथ्य के बावजूद किया गया था कि पालिका के कुछ सदस्यो ने अपने विरोधी विचार प्रकट किये थे और पालिका को पुनः निविदाएं आमंत्रित करने और उपराज्यपाल का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की भी सलाह दी थी । आपत्तियों को बहुमत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया और गुण दोष के आधार पर मामले की जांच करने के लिए दिल्ली प्रशासन को पर्याप्त समय दिए बिना निर्णय ले लिया गया था ।

III. केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने श्री बी० के मित्तल उप सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका जो शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए दोषी पाया गया था, के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाईयां प्रारम्भ करने की सिफारिश की थी । नई दिल्ली नगर पालिका ने उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाइयां करने के मामले को इस आधार पर समाप्त कर दिया कि उसको 31-10-79 तक सेवा-निवृत्त होना था और उसको हाल ही में गंभीर दिल का दौरा पड़ा था । फिर भी इसके पश्चात समिति ने 31-3-80 तक उन्हें पुनः रोजगार का प्रस्ताव पारित किया। समिति के पहले कदम के विपरीत होने के अतिरिक्त सेवा निवृत्त व्यक्तियो को पुनः रोजगार देने के बारे में सरकार के निदेशों के विरुद्ध था । संगत निदेश दिल्ली प्रशासन के एक सरकारी सदस्य द्वारा समिति के सदस्यों के ध्यान में लाए गए थे किन्तु संकल्प को मामले के अवगुणों से पूर्णतः परिचित होते हुए पारित कर दिया गया । नई दिल्ली नगरपालिका को दिल्ली प्रशासन की अस्वीकृति भी भेज दी गई थी ।

2. नई दिल्ली नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं में यथाप्रवृत पंजाब म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 238 के अधीन उपराज्यपाल दिल्ली को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अब नई दिल्ली नगर पालिका का अधिक्रमण कर दिया है । प्रशासन ने इन मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए प्रशासक को आवश्यक निदेश जारी किए हैं ।

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड चर्खी दादरी को सरकारी नियन्त्रण में लेना

1863. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री मनी राम बागड़ी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चर्खी दादरी को सरकारी नियन्त्रण में लिये जाने के लिए हरियाणा सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या शेयरधारियों द्वारा धनराशियों के गबन के बारे में कोई जांच कराने का भी विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) अनुरोध को सम्भाव्य नहीं समझा गया तथा तदनुसार इस बारे में हरियाणा राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।

(ग) सीमेन्ट नियंत्रक ने, जिसे मैसर्स डालमिया दादरी सीमेन्ट लि० से सीमेन्ट नियंत्रण आदेश, 1967 के अधीन काफी राशि लेनी थी, बकाया राशि वसूल करने के लिए कंपनी को समाप्त करने हेतु कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नियुक्त किया जाने वाला सरकारी अवसायक (लिकिडेटर) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार कंपनी को भूतपूर्व एक मात्र (सोल) विक्री एजेन्टों से कंपनी की ओर से बकाया राशियों की वसूली के लिए कंपनी अधिनियम के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

रक्षा मंत्रालय में जासूसी के गिरोह का भंडाफोड़

1864. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय में हाल ही में जासूसी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है;

(ख) गिरफ्तार किये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) वे व्यक्ति किन देशों के लिए जासूसी कर रहे थे और क्या एक विरोध-पत्र भेजा गया है; और

(घ) सरकार का कठोर सुरक्षा उपायों के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी के साथ पठित सरकारी रहस्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन अलग-अलग तीन मामलों में रक्षा मंत्रालय के एक सहायक सिविलियन स्टाफ

अधिकारी, एक उच्च श्रेणी लिपिक, एक आशुलिपिक तथा दो चपरासियों को हाल में गिरफ्तार किया गया था। जबकि सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी को आरोप पत्र दिया गया है, शेष कर्मचारियों के विरुद्ध अभी जांच चल रही है।

(ग) उन देशों का नाम बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा जिनके लिये ये लोग जासूसी कर रहे थे। किन्तु सरकार ने इस मामले पर कार्रवाई की है और उनसे इस मामले में संयम बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

(घ) लगातार सतर्कता बरती जा रही है ताकि देश में विदेशी एजेन्टों की अवांछनीय गतिविधियों को रोका जाये।

आदिवासियों को राहत देने के लिए योजना

1865. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कृषि विकास, आवास तथा सरकारी और सहकारी समितियों के ऋणों को वसूल करने के सम्बन्ध में आदिवासियों को राहत देने के लिए कोई योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त वर्ष के दौरान इस योजना पर कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जनजाति उप योजना का उद्देश्य उप-योजना क्षेत्रों में जनजातियों के कल्याण और सर्वोमुखी विकास करना है। कृषि विकास, आवास सुविधा का विकास और सहकारिता विकास सहित, विभिन्न विकास योजनाओं को विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की जनजाति उप योजना में सम्मिलित किया गया है। जनजातियों को उपभोग उद्देश्य के लिए ऋण देने की व्यवस्था भी की गई है और राशि आसान किस्तों में वसूल की जाती है।

(ख) जनजाति उप योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में क्षेत्र-वार संभावी खर्च इस प्रकार से हैं :—

(रु० लाखों में)

(1) कृषि और संबद्ध क्षेत्र . .	12977.85
(2) सहकारिता . . .	1609.67
(3) जल और विद्युत् विकास . .	14327.83
(4) उद्योग और खनिज . . .	1712.72
(5) परिवहन और संचार . . .	4387.27
(6) सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं .	9121.56
(7) आर्थिक और सामान्य सेवाएं . .	978.48
कुल . .	45115.39

किसानों को कपास के लिए लाभप्रद मूल्य

1866. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को वर्ष 1978 तथा वर्ष 1979 में विभिन्न किस्मों की कपास के लिए क्या मूल्य अदा किये गये थे;

(ख) क्या किसानों को लाभप्रद मूल्य अदा किये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) : कुछ किस्मों से सम्बन्धित मूल्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं। ये समर्थन मूल्यों से बहुत अधिक ऊंचे हैं।

विवरण

(क) 1978-79 तथा 1979-80 के कपास मौसक सितम्बर-अगस्त के दौरान काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा किसानों को दिये गये कुछ किस्मों के मूल्य इस प्रकार रहे हैं :-

राज्य	किस्म	(प्रति क्विंटल मूल्य रुपये में) समर्थन मूल्य	औसत मूल्य	समर्थन मूल्य	कपास मूल्य
पंजाब . .	जे–34	255	283/331	275	321/424
	देशी	210	239/247	226	250/366
हरियाणा . .	जे–34	255	277/327	275	309/454
	देशी	210	270/325	226	264/352
राजस्थान . .	जे–34	255	274/359	275	316/400
	देशी	210	297/368	226	277/395
गुजरात . .	एस–4	380	454/508	410	428/575
मध्य प्रदेश . .	एल–147	300	350/358	325	375/446
आन्ध्र प्रदेश . .	1007	310	372/428	335	354/433
	वारालक्ष्मी	415	494/544	448	501/540
तमिलनाडु . .	वारालक्ष्मी	415	462/520	448	459/558
	सूवीन	510	868/926	645	903**

* जनवरी 1980 तक।

**वर्तमान मौसम का अभी तक का अधिकतम।

आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में राज्यों को अनुदेश

1867. **डा० फारूक अब्दुल्ला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों को चीनी, मिट्टी के तेल और डीजल जैसी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए जोरदार कार्यवाही करने हेतु सभी राज्यों को अनुदेश दिये हैं ।

(ख) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के जमा किये गये स्टाक का पता लगाने और उन्हें लोगों को उपयोग के लिये उपलब्ध कराने हेतु छापे मारने के लिये भी राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो पत्र में क्या-क्या अन्य सुझाव दिये गये हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने उनको पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं आवंटित करने में केन्द्र की असफलता की ओर ध्यान दिलाया है; और

(ङ) यदि हां तो राज्यों को सभी आवश्यक वस्तुएं अविलम्ब भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) अन्य सुझावों में भंडार और मूल्य सूची के प्रदर्शन का सख्ती से प्रवर्तन शामिल हैं। अतिवादी और अभ्यस्त अपराधियों के मामले में चोरबाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम, 1980 के अधीन कार्रवाई का भी सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि डीजल का वितरण युक्तिसंगत होना चाहिए और प्रभावशाली और समान आधार पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ). कुछ राज्य सरकारों ने कुछ आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों का ध्यान आकृष्ट किया है और अतिरिक्त आवंटनों के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकारों के अनुरोध को पूरा करने के लिए सम्बद्ध मंत्रालय जहां तक संभव है अभाव को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठा रहे हैं।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद

1868. **श्री चिरंजी लाल शर्मा : :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित दीक्षित समिति के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है ;

(ख) क्या संबंधित सरकारों ने उक्त प्रतिवेन को क्रियान्वित किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) (क) श्री उमाशंकर दीक्षित ने जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच सीमा विवाद में मध्यस्थाता करने के लिए सहमत हुए थे, यमुना नदी की मुख्य धारा द्वारा निर्धारित वर्तमान अन्तर्राज्यों सीमा के स्थान पर अपने निर्णय में विनिर्दिष्ट निर्धारित सीमाएं तय करने की सिफारिश की थी। निर्णय की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई थी।

(ख) और (ग) . हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमाप्रत्यावर्तन) ,अधिनियम, 1979 में इस निर्णय को लागू करने की व्यवस्था है । भारत के महासर्वेक्षक जो अधिनियम के अनुसार निर्धारित सीमाओं के सीमांकन के लिए नियुक्त किए गये हैं सर्वेक्षण कार्यों को पुरा करने और निर्धारित सीमाओं के नक्शों के प्रकाशन में व्यस्त हैं । जैसे ही प्रारंभिक कार्यवाही पूरी हो जायेगी, केन्द्रीय सरकार वह तारीख विनिर्दिष्ट करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी जिसको हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य का और उत्तर प्रदेश राज्य से हरियाणा राज्य को क्षेत्र के हस्तान्तरण के संबंध में अधिनियम के उपबंध और अन्य प्रासंगिक उपबंध लागू होंगे ।

1971 के युद्ध के पश्चात् पाकिस्तान के सैन्य बल में वृद्धि

1869. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के पश्चात पाकिस्तान के सैन्य-बल में कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ख) भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क). 1971 की कार्यवाही के बाद पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति जो काफी विस्तार कर लिया है । इस बारे में हमें जो सूचना मिली है उसका ब्यौरा देना लोक हित में नहीं है ।

(ख). हमारे पास में होने वाले सभी घटनाओं पर जिनमें सैन्य शक्ति में वृद्धि भी शामिल है , और जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, हम बराबर नजर रखते हैं और हर समय अपने पुरी रक्षा तैयारी बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करते हैं।

बाढ़ (पटना) के एम० डी० ओ० के सामने प्रदर्शन

1870. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या यह सच है कि बाढ़ (पटना) में भारतीय साम्यवादी दल की स्थानीय समिति ने 22 फरवरी, 1980 को बाढ़ के एस० डी० ओ० के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) क्या प्रदर्शनकारियों ने एस० डी० ओ० को संबोधित एक ज्ञापन पेश किया था :

(घ). उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क), (ख), (ग) और (घ): बिहार सरकार से सूचना आनी है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में बाबूभाई पटेल मंत्रीपरिषद् का त्यागपत्र

1871. **श्री मगन भाई बरोट :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या यह सच है कि लोक सभा के चुनाव परिणामों के तुरन्त बाद ही गुजरात के भूत पूर्व मंत्री श्री बाबू भाई पटेल ने स्वयं यह घोषणा की थी कि यह देखते हुए कि चुनावों के परिणाम उनके दल के विरुद्ध गये हैं, इसलिए वह अपनी सरकार का त्यागपत्र देना चाहते हैं; और

(ख). क्या यह सच है कि इससे पूर्व राज्य सरकार ने विधान सभा के चुनाव लोक सभा चुनावों के साथ ही आयोजित करना मान लिया था परन्तु बाद में वह समय समय पर अपना मत बदलती रही ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख). राज्य सपकार द्वारा भेजे गये तथ्यों के अनुसार उनके पास प्रश्न के भाग (क) के विषय में कोई सूचना नहीं है । भाग (ख) के विषय में उनका उत्तर नकारात्मक है । भारत के चुनाव आयोग द्वारा यह भी पुष्टि की गई है कि 1980 के लोक सभा आम चुनाव के साथ विधान सभा के आम चुनाव कराए जाने के संबंध में उन्हें राज्य सरकार से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ था । यह भी बताया गया है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त सितम्बर, 1979 में अहमदाबाद में थे, तो गुजरात के तत्कालिन मुख्य मंत्री ने उनसे इस संबंध में विचार विमर्श किया था । तथापि राज्य सरकार द्वारा मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

राज्यों में कानून और व्यवस्था के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धन्त

1872. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या कानून और व्यवस्था की विगड़ती स्थिति को प्रभावी रूप से रोकने में संबंधित राज्य सरकार के असफल होने पर केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की वांछनीयता के बारे में कोई स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख). यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख). प्रश्न नहीं उठता ।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन प्रस्थान के अवसर पर पत्रकारों की उपस्थिति पर रोक

1873. **श्री आर0 के0 महालगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क). क्या अतिविशिष्ट व्यक्तियों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आगमन और प्रस्तावन के अवसर के कार्यक्रमों का समाचार देने के लिए पत्रकारों की उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चण्डीगढ़ हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति के आगवन पर का समाचार देने के लिए उपस्थित पत्रकारों पर 1, मार्च, 1980 को हुई घटना का समाचार देने पर रोक लगा दी गई थी ; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में पत्रकारों द्वारा व्यक्त विरोध को ध्यान में रखा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी नहीं, श्रीमान

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान । उपराष्ट्रपति हवाई जहाज से उतरने के बाद पत्रकारों से मिले थे ।

(घ) इस संबंध में कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

वैल्डिग स्टील ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि

1874 **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में वैल्डिग स्टील ट्यूबों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है और इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या किसानों को उचित मूल्य पर इस्पात की ट्यूबें सप्लाई करने के प्रबंध करने का विचार है क्योंकि उन्हें सिंचाई प्रोयोजनों के लिये आवश्यक इन ट्यूबों की बहुत जरूरत रहती है ; और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील कंपनी ने गुजरात में कुल कितनी मात्रा में इस्पात की ट्यूबें सप्लाई की और उनमें से कितनी मात्रा किसानों को उचित मूल्यों पर सप्लाई की गई तथा कितनी मात्रा नलकूप बोरिंग ठेकेदारों को उपलब्ध कराई गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) चूंकि पाइपों और ट्यूबों की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है इसिलिए पाइपों की कीमत के बारे कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) यद्यपि कीमत पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है तो भी सरकार ने ट्यूब निर्माताओं के दो प्रमुख संघों को लिखा था कि जहां तक संभव हो मूल्य वृद्धि न होने दें और इस प्रकार के अंतिम उपयोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष बिक्री केन्द्रों का प्रबंध भी करें

(ग) पिछले पांच वर्षों में (जनवरी, 1976 से फरवरी, 1980) स्टील अथारिट आफ इण्डिया लिमिटेड ने गुजरात को अधिकांशत: सरकारी विभागों के लिए 10,178 मी०टन ई० आर० डब्ल्यु० पाइपों की सप्लाई की है । इन विभागों द्वारा किसानों या ट्यूब-वैल बोरिंग ठेकेदारों को इन पाइपों का पुर्ननियतन करने के बारे में सेल को कोई जानकारी नहीं है । किन्तु साइज में ये सभी पाइप 8.5/8" और अधिक बाहरी ब्यास के हैं किसानों को अधिकांशत: छोटे ब्यास के पाइपों की आवश्यकता होती है ।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

1875. **श्री ज्योर्तिमय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि पश्चिम बंगाल को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरण के लिए गेहूं भेजना बन्द कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान किन्तु गेहूं की पूर्ति सरकार के पास उपलब्ध स्टाक और भिन्न-भिन्न राज्यों में लोगों की खाने की आदत को ध्यान में रख कर नियमित की जा रही है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सामाजिक अपराधों संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं में परिवर्तन

1875-क. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिजनों की हत्या, महिलाओं पर अत्याचार आदि जैसे अनेक सामाजिक अपराधों के मामलों में पर्याप्त तथा समय पर दंड नहीं मिलता क्योंकि हमारे देश की न्यायिक प्रणाली में कानूनी प्रक्रिया बहुत लम्बी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार हमारे कानूनों में उपयुक्त परिवर्तन करने का है ताकि बिना असाधारण विलम्ब के न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अपराधियों को दंड दिया जा सके; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) (ख) तथा (ग) यह सच है कि न्यायालयों में आपराधिक मामलों के निपटान में समय लगता है । विधि आयोग की 41 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप आपराधिक प्रक्रिया में व्यापक संशोधन किया गया था । पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया था और एक नई संहिता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 बनाई गई थी इस संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा आगे संशोधन किया गया था । नई संहिता में मामलों की शीघ्र जांच पड़ताल और विचारण की दृष्टि से अनेक प्रक्रियात्मक परिवर्तन किये गये हैं । इनमें से कुछ परिवर्तनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

नई संहिता का एक उपबंध राज्य सरकारों को किसी विशेष मामले अथवा मामलों की श्रेणियों के विचारण के लिए उच्च न्यायालयों के परामर्श से न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए समर्थ बनाता है । इस प्रकार कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचारों के उन मामलों के विचारण के लिए उनके द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित किये जा सकते हैं जिन पर मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारण किया जा सकता है ।

अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है ।

विवरण

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा यथा संशोधित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन नीचे दिए गए हैं :—

(i) मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और कम से कम 10 वर्ष के कारावास के दंडनीय अपराधों के संबंध में उच्चसीमा 90 दिन और अन्य अपराधों के संबंध में 60 दिन जांच के दौरान व्यक्तियों को हिरासत में रखने के लिए निर्धारित की गई है । (इसका उद्देश्य केवल विचारणाधीन कैदियों की संख्या कम करना ही नहीं बल्कि जांच करने वाले अधिकारियों के मन में कार्य शीघ्रता से करने की भावना भी उत्पन्न करना था) ।

(ii) जहां किसी अपराध में कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा दंडनीय है जांच पड़ताल छः महीने के अन्दर पूरी न की गई है तो उसे रोका जा सकता है ।

(iii) जिन अपराधों में दो साल तक के कारावास की सजा दंडनीय है, उनका सरल प्रक्रिया से (पुरानी संहिता के अन्तर्गत 6 महीने के मुकाबले) समन मामलों के रूप में विचारण किया जाएगा ।

(iv) साक्षियों को समन डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं ।

(v) छोटे मामलों में अभियुक्त समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की राशि को न्यायालय को भेज कर डाक द्वारा अपराध स्वीकार कर सकता है ।

(vi) संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है ।

(vii) सेशन मामलों में मामले को सुपुर्द करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है ।

(viii) औपचारिक साक्षियों की मौखिक पूछताछ की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है ।

(ix) विचारण अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी किया जा सकता है यदि अभियुक्त कार्रवाई में लगातार व्यवधान डालता है ।

(x) संवादात्मक आदेशों के विरूध संशोधन की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है ।

(xi) स्थानान्तरण की याचिकाओं की सूचना पर कार्रवाई को आवश्यक रूप से बन्द करने की व्यवस्था को हटा दिया गया है ।

(xii) मामलों के संक्षिप्त विचारण के क्षेत्र को पर्याप्त हुप से बढ़ा दिया गया है ।

(xiii) सेशन न्यायालय को, उसके पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा लिए गए साक्ष्य के स्तर से आगे मामले पर सुनवाई को जारी रखने की शक्ति प्रदान की गई है । पुरानी संहिता की व्यवस्थाओं के अनुसार यह व्यवस्था मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक ही लागू थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : : सभा पटल पर रखे गये पत्र ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने दामोदर घाटी निगम में विद्युत उत्पादन के बारे में सभा को गलत आंकड़े देने के लिए श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी के विरुद्ध

विशेषाधिकार की सूचना दी है—(अन्तर्बाधायें) मैंने आंकड़े उद्धृत किए हैं तथा उन्होंने सभा को गुमराह किया है तथा आपको मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति देनी चाहिए .....(अन्तर्बाधायें)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें । मैं उस पर सभा पटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात् आऊंगा ।

सभा पटल पर रखे गय पत्र

सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण पर सरकार की समीक्षा संबंधी विवरण तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी 626/80]

(2) नेवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली (तमिलनाडु) का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नेवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड, नेवेली (तमिलनाडु) के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण पर सरकार की समीक्षा ।

(दो) नेवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड, नेवेली (तमिलनाडु) का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 627/80]

(2) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 628/80]

गुजरात विधान सभा (विपक्ष के नेता) वेतन और भत्ता अधिनियम, 1979 और विधान सभा में विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ते अधिनियम, 1978 (पंजाब) के अन्तर्गत अधिसूचनायें और विहार विधान-मण्डल (सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन अध्यादेश, 1980 की प्रति ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात विधान सभा (विपक्ष के नेता) वेतन और भत्ते अधिनियम, 1979 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गजरात विधान सभा (विपक्ष के नेता) वेतन और भत्ते (संशोधन) नियम, 1980 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 4 मार्च, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी के–80–8–4691/बी (पीए) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 629/80)

(2) पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित विधान सभा में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1978 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विधान सभा में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते नियम, 1979 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 30 मार्च, 1979 के पंजाब सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 41 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 10 अगस्त, 1979 के पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित शुद्धि पत्र ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 630/80]

(3) विहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उदघोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत विहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित विहार विधान मंडल (सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 4) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 631/80]

भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनकी समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, इत्यादि ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण पर सरकार की समीक्षा संबंधी विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 632/80]

(ख) (एक) भारत पम्पस एण्ड कमप्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण पर सरकार की समीक्षा संबंधी प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 633/80]

(ग) (एक) भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण पर सरकार की समीक्षा ।

(दो) भारद ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त 1(ग) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी दथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 634/80]

(3) उद्योग (विकास दथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मेसर्स ईस्टर्न डिस्टिलरीस प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को जारी रखने के बारे में सां० आ० 556 (ङ) जो दिनांक 28 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) मेसर्स कन्टेनर्स एण्ड कलोसर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को जारी रखने के बारे में सां० आ० 757 (ङ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 635/80]

(4) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, द्वारा मेसर्स श्री जानकी शूगर मिल्स एंड कम्पनी, दोईवाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध को जारी रखने के बारे में अधिसूचना संख्या सां० आ० 15 (ङ) (हिन्दी दथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 636/80]

नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1978–79 का अग्रिम प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का वर्ष 1978–79 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) का अग्रिम प्रतिवेदन, रक्षा सेवाओं का विनियोग लेखा की वर्ष 1978–79 की एक प्रति सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष की समेकित प्रति, सीमा-शुल्क अधिनियम 1962, गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और भारतीय जीवन बीमा निगम का 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा।

श्री चरणजीत चानना : श्री जगन्नाथ पहाड़िया : की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1978–79 का अग्रिम प्रतिवेतन, संघ सरकार (सिविल)।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1978–79 का प्रतिवेतन, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)।

(2) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1978–79 के विनियोग लेखों की एक प्रति तथा तत्संबंधी वाणिज्यिक परिशिष्ट (हिन्दी लेखा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 637/80]

(3) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 सितम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण पर समेकित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 638/80]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 107 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 मार्च, 1978 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पौंड स्टर्लिग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारती मुद्रा को

पौंड स्टर्लिंग में रूपांतरित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 639/80]

(5) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 72) जी० एस० टी०-1079 (एस०-49) (76) जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 26 जून, 1978 की अधिसूचना सं० (जी० एच० एन०-39) जी० एस० टी० 1078 (एस०-49) (67) टी० एच० का शुद्धि पत्र दिया गया है ।

(दो) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-86) जी० एस० टी०-1079) (एस०-49) (77) टी० एच० दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-627) (जी० एस० टी०-1070 (एस०-49) में कतिपय सशोधन किये गये हैं :

(तीन) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-91) (जी० एस० टी०-1079) (एस०-49) (78) टी० एच० जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-627) (जी० एस० टी०-1070) (एस०-49)-टी० एच० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(चार) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 93) (जी० एस० टी०-1079) (एस० 49)/(79) (टी० एच०) जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1979 के गुजरात सरक़ार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 627) (जी० एस० टी०-1070) (एस० 49) टी० एच० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(पांच) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-95) (जी० एस० टी०-1070) (एस०-49) (80) टी० एच० जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-627) (जी० एस० टी०-1070 (एस०-49) टी० एच० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(छ) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-4) (जी० एस० टी०-1080) (एस-49)-81 टी० एच० जो दिनांक 16 जनवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 को अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-627) (जी० एस० टी०-1070) (एस-49)-टी० एच० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(सात) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-18) (जी० एस० टी०-1080) (एस०-49)/(82)-टी० एच० जो दिनांक 3 मार्च, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन-627) (जी० एस० टी०-1070) (एस-49) टी० एच० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 640/80]

(6) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के सात पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 86 की उपधारा (5) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन-71) (जी० एस० आर-1079) (25) टी० एच० जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-32) (जी० एस० टी०-1078) (20)/टी० एच० का शुद्धिपत्र दिया गया है ।

(दो) गुजरात विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1979 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-74) (जी० एस० आर०-1079) (22) टी० एच० में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) गुजरात विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 22 नवम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०-81) (जी० एस० आर०-1079) (23)/टी० एच० में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) गुजरात विक्रय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1979 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०94) जी० एस० आर०—1079 (24) टी० एच० में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) गुजरात विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 3 मार्च, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या (जी० ए० एन० 17) जी० एस० आर-1080 (26)-टी० एच० में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 641/80]

(7) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-651/80]

गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स, लिमिटेड, कलकत्ता का 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडेगामा, गोवा का वर्ष, 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, भारत इलक्ट्रानिक, बंगलौर का 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, मजगांव, डाक लि० का 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि० नई दिल्ली का 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ का 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक, एक प्रति :—

(क) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षिते लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 642/80]

(ख) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडेगामा, गोवा का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-माहलेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल टी० 643/80]

(ग) (एक) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 664/80]

(घ) (एक) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 645/80]

(ङ) (एक) भारत के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) उपर्यक्त (1) (ङ) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 646/80]

(3) (एक) बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 647/80]

(4) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 648/80]

(5) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 649/80]

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिसूचना

8. **श्री पी० वेंकटासुब्बैया श्री भीष्म नारायण सिंह** : की ओर से मैं दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० 3/8/79-होम (पी) ईएसटीटी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 10 जनवरी, 1980 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा पंजाब पुलिस नियम, 1934 में जहां तक ये दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू होते हैं, कतिपय संशोधन किया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी 650/80]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यान आकर्षण...

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमन्ड हार्बर) : आपने मुझे बताया था कि आप सभा पटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात् विशेषाधिकार प्रस्ताव लेंगे।

(अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

कृपया मेरी ओर ध्यान दें।

श्री ज्योतिर्मय वसु ने दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली के उत्पादन से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के समय 11 मार्च, 1980 को सभा को गुमराह करने वाली दी गई कथित सूचना के सम्बन्ध से ऊर्जा और सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी। ऊर्जा और सिंचाई मंत्री द्वारा भेजे गए वास्तविक नोट को पढ़ने से पता चलता है कि मंत्री महोदय ने सभा को जानबूझ कर गुमराह करने वाली सूचना नहीं दी है। इसलिए मैंने श्री वसु को सभा में विशेषाधिकार के रूप में इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी है। श्री वसु को मंत्री महोदय के वास्तविक नोट की प्रति पहले ही भेजी जा चुकी है। यदि श्री वसु अब भी समझते है कि मंत्री महोदय के वक्तव्य में आना हैं तो वह निदेश 115 के अन्तर्गत सूचना दे सकते हैं जिसपर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

मैं अब अगले विषय—ध्यान आकर्षण पर जा रहा हूं (अन्तर्बाधाएं) कृपया आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं, मैं अगले प्रश्न—ध्यान आकर्षण पर जा रहा हूं (अन्तर्बाधाएं)

श्री ज्योतिर्मय वसु : मैं कक्ष में आपसे इस सम्बन्ध में मिला था ....(अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

आप कक्ष में मेरे पास आये थे। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। श्री ज्योतिर्मय वसु एक वरिष्ठ और आदरणीय सदस्य हैं। उन्होंने मुझे भी मार्गदर्शन करना है। सभा में इस भ्रान्ति के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है। मुझे आपका सहयोग चाहिए।

अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं—ध्यान आकर्षण पर ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया आप मुझे सुने ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । (अन्तर्बाधायें) **

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर मुझे कक्ष में मिले । मेरी यह आपसे प्रार्थना है । हम घनिष्ठ मित्र है । हम इस बारे में बातचीत करेंगे । कृपया सब बैठ जाए । यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

(अन्तर्बाधायें) **

उपाध्यक्ष महोदय : सब ठीक है । कृपया बैठे । मैंने श्री के०पी० उन्नीकृष्णन को पुकारा है ।

(अन्तर्बाधायें) **

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् के अलावा किसी अन्य सदस्य के शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(अन्तर्बाधायें) **

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम की आर्थिक नाकाबन्दी और उससे उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के समाचार

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा): मैं गृह मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध मे एक वक्तव्य दें :

"आसाम की आर्थिक नाकाबन्दी और उसमे उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के समाचार"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : महोदय,

सदन को याद होगा कि 19 मार्च को लोक सभा में प्रधान मंत्री ने असम की नाकाबन्दी के खतरे के संदर्भ में बोलते हुए यह स्पष्ट किया था कि सरकार ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगी जिससे किसी भी तरह तनाव बढ़े अथवा स्थिति बिगड़े । 21 मार्च को भी इस बात को पुनः दोहराया कि स्थिति के अनुसार संयम बरतने की आवश्यकता है और आशा व्यक्त की कि पश्चिम बंगाल में स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी ।

2. पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्र परिषद् (आई०) के समर्थकों ने 24 मार्च, 1980 को प्रदर्शन किया था । प्रातः लगभग 10.00 बजे प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय मार्ग संख्या 31 पर सिलीगुड़ी नगर के निकट और सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तथा निकटवर्ती अन्य स्टेशनों पर असम जाने वाले यातायात की नाकाबन्दी आरम्भ की । 6 यात्री गाड़ियों को जिनमें 4 डाक और एक्सप्रैस गाड़ियां शामिल थी एक से चार घंटे तक की अवधि के लिये रोके रखा । असम जाने वाली रेलगाड़ी के पार्सल डिब्बे को, रेलगाड़ी से जाने की अनुमति दिये जाने से पहले काटना पड़ा । मालगाड़ियों का आना जाना भी कुछ सीमा तक प्रभावित हुआ । कुल मिलाकर 147 आन्दोलनकारियों जिनमें 22 महिलाएं थी, को गिरफ्तार किया गया । छात्र परिषद् (आई०) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री उन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से थे ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

3. 25 मार्च को छात्र परिषद् (आई०) के लगभग 700–800 स्वयंसेवकों ने बगडोगरा के निकट असम जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उनको हलका लाठी प्रहार करके तितर-बितर किया। 153 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिन ट्रकों को रोक दिया गया था उन्हें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के संरक्षण में सिलीगुड़ी के निकट मालागुड़ी तक ले जाया गया जहां पर लगभग 100 स्वयंसेवकों का एक अन्य दल सड़क की नाकाबन्दी करने के लिये एकत्र हुआ था। उनको भी हटा दिया गया था और 3.30 बजे अपराह्न सड़क खोल दी गई। 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 25 मार्च को गिरफ्तार किये गये 200 व्यक्तियों में 25 महिलाएं। सभी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को बाद में छोड़ दिया गया। यातायात ठीक प्रकार से चल रहा था और ट्रक असम की ओर बिना बाधा के जा रहे थे। एक रेलगाड़ी जिसे रेलवे प्राधिकारियों ने नकसलबाड़ी पर रोका हुआ था, वह भी दोपहर के पश्चात् असम को रवाना हो सकी।

4. हमारा मुख्य उद्देश्य स्थिति को संभालना तथा समस्त क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करना है। सदन इस बात से सहमत होगा कि यह आवश्यक है कि स्थिति अन्तर्ग्रस्त भावनाओं और मनोभावों को पूरी तरह समझकर नियंत्रित किया गया जाये। अतः मैं सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने, तथा संयम बरतने और ऐसा कोई कदम जिससे असम में सामान्य स्थिति बहाल करने का हमारा कार्य अधिक कठिन हो जाए, न उठाने की अपील करूंगा। इसके साथ ही मैं प्रधान मंत्री द्वारा असम के विद्यार्थियों एवं अन्य संगठनों से की गई अपील की पुनरावृत्ति करूंगा कि वे लम्बे समय से चले आ रहे अपने आन्दोलन के विषय में देश के अन्य भागों में व्याप्त चिंता तथा भारत के सभी लोग जिन मुश्किलों का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें समझें और उत्तर में अपने आन्दोलन को समाप्त कर दें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने यह आश्चर्यजनक वक्तव्य पढ़ा है कुछ देर पहले यहां गृह मंत्री उपस्थित थे। पर अब वह नहीं है। पता नहीं वह अपनी अनभिज्ञता अथवा निर्दोषता प्रकट कर रहे थे।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : वह पालम पर बादशाह खान के स्वागत के लिए गये हैं जो अभी आ रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे इस बात की खुशी है। महोदय, सभा में सभी दल पूर्वोत्तर में उत्पन्न स्थिति और शेष देश में उस परिणाम के प्रति चिंतित हैं। उससे हमारी एकता तथा राष्ट्रीयता को जो खतरा है, हम मुख्यतया उसी बारे में सोचते हैं। यदि उसे न रोका गया तो न केवल वह एक बुरी बात होगी बल्कि देश के अन्य भागों में भी उसकी प्रतिक्रिया होगी। मेरे प्रिय मित्र श्री सुब्रोतो मुखर्जी 13 मार्च को श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री संजय गांधी से मिले थे और 14 मार्च के आनन्द बाजार पत्रिका में स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने आसाम पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल की गम्भीर स्थिति पर चर्चा की थी। श्री सुब्रोतों ने 14 मार्च, 80 को घोषणा की कि कांग्रेस (ई) 24 मार्च को नाकेबन्दी अभियान को चलायेगी ? 19 को प्रधान मंत्री ने सभा के नेता के रूप में और अपने दल के नेता के रूप में इस सभा में कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। वह उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही हैं और यह भी कहा :

> "तथापि मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम किसी ऐसे उपाय के पक्ष में नहीं है जिससे स्थिति में तनाव बढ़े या स्थिति बिगड़े।"

हम उनसे सहमत हुए और सोचा कि प्रधान मंत्री कांग्रेस (ई) द्वारा दी गई धमकी से पैदा हुई स्थिति में हस्तक्षेप करेंगी। लेकिन 21 तारीख को एक प्रमुख दैनिक

'बिजनेस स्टेंडर्ड में श्री वरुण सेन जो एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में आन्दोलन को प्रधान मंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने आगे लिखा :—

"राजधानी के प्रमुख कांग्रेस (ई) नेता आन्दोलन के परिणामों से आशंकित नहीं बल्कि उनके विचार से हर चीज सुनिश्चित योजना अनुसार चल रही है"।

यह सुविधाचारित योजना क्या है ? यह अत्यन्त स्पष्ट है कि सीमावर्ती क्षेत्रों या पश्चिम बंगाल में कोई तात्कालिक आन्दोलन नहीं चला है। आज के स्टेटसमेन में लिखा है कि सिलिगुड़ी में कुछ भी हल चल नहीं। मैं उदधृत करता हूं :

"नाकेबन्दी के सम्बन्ध में सिलिगुड़ी में एक प्रमुख बात यह है कि स्थानीय युवकों मे आन्दोलन के प्रति कोई उत्साह नहीं है। यदि कलकत्ता से छात्र परिषद लगभग 200 स्वयंसेवक न आते और स्थानीय चाय बागान के श्रमिक भाग न लेते तो आन्दोलन को इतनी सफलता न मिलती।"

प्रधान मंत्री द्वारा अपील करने और सभा में यह आश्वासन देने कि वह इस नाकेबन्दी का अनुमोदन नहीं करती, पूरा एक सप्ताह गुजर गया है। हम जानते हैं कि उन्होंने प्रधान मंत्री के रूप में और अपने दल के प्रधान के रूप में ऐसी बात कही है जिस पर पश्चिम बंगाल मे उनके दल के लोग ध्यान दिये बिना नही रह सकते। उन्होंने जानकारी न होने की बात कही है। लेकिन हैरानी है कि इस वक्तव्य में कोई विशेष रूप से अपील करने की बजाय सामान्य तौर पर अपील की गई है जिससे हमारे इस सन्देह की पुष्टि होती है कि वरुण सेन के कथनानुसार यह एक सोची समझी योजना है। इस अविवेकी और हानिकारक आन्दोलन के समाप्त कराने के स्थान पर दिल्ली से कांग्रेस (ई) के नेताओं द्वारा इस घातक नाकेबन्दी को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जनता पार्टी के विरुद्ध उनकी यह शिकायत थी कि वे राष्ट्रीय एकता को नष्ट कर रहे थे। हम भी उनसे सहमत थे। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि इसी आधार पर लोगों से भारी बहुमत प्राप्त करने वाला दल इस समस्त क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने और राष्ट्रीय एकता को दुर्बल करने में लगा है। यह एक मात्र घटना नहीं है। कर्नाटक के मुख्य मंत्री जी गुंडु राव ने अपनी 'भूमि पुत्र' वाले सिद्धान्त के आधार पर मांग की है कि कासर गौड को कर्नाटक को वापस दिया जाये। जबकि यह मामला 25 वर्ष पूर्व तय हो चुका है। यह अस्थिरता पैदा करने का ही प्रयास है।

(अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : जो व्यक्ति इस सभा का सदस्य नहीं है, उसके बारे में उल्लेख न करना ही अच्छा होगा। (अन्तर्बाधा)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम केवल एक राष्ट्र और एक नागरिकता की ही कल्पना कर सकते हैं। स्वतन्त्रता आन्दोलन मे महात्मा गांधी तथा उससे भी अधिक जवाहर लाल नेहरू ने इसी राष्ट्रीय एकता की परिकल्पना मे अपना जीवन लगा दिया। जब श्री नेहरू प्रधान मंत्री थे तब भी ऐसी चुनौतिया आई थी और उन्होंने मुख्य मंत्रियों और अपने दल के नेताओं से कहा था जो रिकार्ड में है कि यदि ऐसी प्रवृत्ति जारी रहती है तो मैं एक दिन भी प्रधान मंत्री रहने को तैयार नहीं। मैं मुख्य मंत्रियों के भेजे गये पत्र से एक विशेष महत्वपूर्ण उद्धरण का एक अंश उद्धरत करना चाहता हूं। .....

(अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यान आकर्षण है। आपको नियमों का पता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : फिर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . (**अन्तर्बाधा**)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि आप ऐसा करेंगे, तो हम भी राजनीतिक भाषण दे सकते हैं। आप परवाह न करें (**अन्तर्बाधा**) इससे यह स्पष्ट है कि आप को बंगाली समस्या की कोई चिन्ता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री उन्नीकृष्णन तथा अन्य सदस्यों की सूचनार्थ नियम 197 उद्धृत कर रहा हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण पर बोल रहे हैं। आप स्वयं व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं। यदि आप मंत्री से कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो विशिष्ट प्रश्न पूछिये ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं विषय से दूर नहीं जा रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण में आप को विशिष्ट प्रश्न पूछना होता है। यह ध्यानाकर्षण आसाम की कथित आर्थिक नाकावन्दी और उससे उत्पन्न तनाव की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाने के बारे में हैं। आपने जो कुछ कहा, क्या उसका इससे कोई सम्बन्ध है? इसलिए आप विषय से दूर न जाइए। . . . . (**अन्तर्बाधा**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . (**अन्तर्बाधा**) मैं किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं। . . . . (**अन्तर्बाधा**)

श्री विक्रम महाजन : महोदय, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। आप हमें संरक्षण दीजिए ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, आपने सभा का ध्यान इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ओर दिलाया है। क्या मैं आप का ध्यान आपके पूर्वाधिकरी द्वारा दिये गये विनिर्णय की ओर दिला सकता हूं? यह विनिर्णय श्री अनन्त शायन आयेंगर ने मार्च, 1958 में दिया था। उन्होंने विनिर्णय दिया था कि यदि एक ही प्रकार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हों, तो विवरण में प्रत्येक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बातों का उत्तर दिया जाना चाहिए । अतः इस प्रकार का विस्तृत उत्तर न होने के कारण मुझे अपना प्रश्न तदनुसार पूछना पड़ा । आपही देखिये क्या मैं गलती पर हूं और यदि मैं गलती पर हूं तो मैं बैठ जाऊंगा । मैंने विशेष रूप से मार्च, 1958 के विनिर्णय का उल्लेख किया है और मंत्री के उत्तर में इन बातों को शामिल नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल दो बातें उठा सकते हैं जो आसाम से सम्बन्धित हो जो कि ध्यानाकर्षण का विषय है। यही मेरा उत्तर है। आप कृपया विषय पर ही रहिये अन्यथा अन्य माननीय सदस्य कोई प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे । अब आप विषय पर आइए । (**अन्तर्बाधा**)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय

सदस्य लम्बा भाषण कर रहे हैं, उन्होंने सभा का दस मिनट से अधिक समय ले लिया है। मैं आपका ध्यान नियम 197 (2) की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि इस प्रकार है:—

"ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाये कोई वाद-विवाद नहीं होगा किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में यह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा ।"

अतः उन्हें राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहिए ? वह वाद-विवद आरम्भ कर रहे हैं। नियमों के अधीन इस की अनुमति नहीं है। आप अपना विनिर्णय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न से सहमत हूं तथा उन्हें विषयान्तर नहीं करना चाहिए **(अन्तर्बाधा)** मैंने कहा है कि उनका व्यवस्था का प्रश्न सही है और आप विषय से दूर न जायें । मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। श्री उन्नीकृष्णन कृपया बैठ जायें । हमें सभा की कार्यवाही चलानी है तथा आप यहां केवल नियमों और विनियमों के अन्तर्गत ही बोल सकते हैं। उन्होंने एक नियम का उल्लेख किया है और मैं उनकी बात से सहमत हूं। अतः आप केवल विषय के बारे में ही बोलिए । इसके अतिरिक्त मैं किसी बात की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हमारी कार्यवाही का संचालन न केवल नियमों के अनुसार बल्कि परम्पराओं तथा अध्यक्षपीठ के विनिर्णयों के अनुसार भी होता है । मैंने एक विशिष्ट विनिर्णय का उल्लेख किया है **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तो नियमों का पालन करना है और मैंने कहा है "ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाये कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य सूची में यह मद दिखाई गई है अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा ।"

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने जो कुछ कहा है, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल विषय पर ही रहिये ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मुझे यह अधिकार नहीं है कि मेरी बात का उत्तर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आसाम का मामला अधिक महत्वपूर्ण है या ये प्रक्रिया सम्बन्धी बातें अधिक महत्वपूर्ण हैं । आप केवल विषय पर ही रहिये । **(अन्तर्बाधा)** यदि दो सदस्य एक साथ बोलेंगे, तो मैं सुन नहीं सकूंगा। आप केवल विषय पर ही रहिए ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस समय राष्ट्रीय एकता खतर में है । लोगों, जिनकी मुख्य समस्यायें गरीबी और गंदी बस्तियां हैं, को विभाजित करने के किसी प्रयास के भयंकर परिणाम होंगे । **(अन्तर्बाधा)**

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान क्या बातें उठाई जानी चाहिये, मैं इसी का उल्लेख करना चाहता हूं । दो महत्वपूर्ण बातें हैं---प्रश्न का रूप क्या होना चाहिये और कितना समय दिया जाना चाहिये । ध्यानाकर्षण वक्तव्य पर स्पष्टीकरण के प्रश्न केवल सूचना की विषय-वस्तु से सम्बन्धि होने चाहियें और उनके द्वारा न तो प्राधिकारियों के आचरण पर आक्षेप किया जाना चाहिये और न ही कोई आश्वासन मांगना चाहिये । मामले के गुण-दोषों के बारे में प्रश्नों की अनुमति नहीं है। ध्यानाकर्षण पर सदस्यों का केवल एक ही स्पष्टीकरण का प्रश्न इतना लम्बा नहीं होना चाहिये कि वह एक पूर्ण वाद-विवाद का रूप ले ले । इसके अतिरिक्त ध्यानाकर्षण पर आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिये । यह मार्ग दर्शी सिद्धान्त है। उन्होंने इसका उल्लघंन किया है। उन्हें सामान्य नियमों के अधीन बोलना चाहिये । स्पष्टीकरण मांगने के स्थान पर वे राष्ट्रीय एकीकरण, कर्नाटक और कासरगोड तक पहुंच गये हैं। उन्होंने सभी विषयों को घसीट लिया है और 40 मिनट का समय ले लिया है जबकि उन्हें केवल पांच मिनट लेने चाहिये थे। उन्हें इससे अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिये। उन्हें प्रश्न पूछ कर समाप्त करना चाहिये।

(अन्तर्बाधा) **

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें । कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । मैं श्री उन्नीकृष्णन से अपील करता हूं कि वे केवल दो मिनट लें और अपना प्रश्न रखें ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: मैं केवल एक मिनट ही लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य बातें न उठायें।

श्री० के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या आसाम नाकाबन्दी अभियान के संयोजकों का पता लगा लिया गया है, क्या उसमें पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस (ई) के नेता भी शामिल हैं और क्या प्रधान मंत्री द्वारा उन्हें बुलाया गया था और यदि हां, तो उन्हें क्या सलाह दी गई थी ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : यद्यपि अन्त में प्रश्न पूछा गया है, परन्तु माननीय सदस्य की टिप्पणी से स्पष्ट है कि आसाम या बंगाल में हो रही घटनाओं में उनकी कोई रुचि नहीं है। इन विशिष्ट सज्जन द्वारा राष्ट्रीय एकता पर मुझे लम्बे भाषण से आश्चय हुआ है।

(अन्तर्बाधा) **

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं जो कहना चाहती हूं, जरूर कहूंगी और आपको सुनना होगा . . .

(अन्तर्बाधा) **

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि सभा की गरिमा और शालीनता को बनाये रखना है । अतः मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब बैठ जायें और कार्यवाही को चलने दें। **(अन्तर्बाधा)** सभा में शांति और व्यवस्था होनी चाहिए। सभा

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

की गरिमा और शालीनता की रक्षा करने में सभी से सहयोग की मैं अपील करता हूं ।

(अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए मेरी अनुमति लेनी होगी । अपनी अनुमति के बिना मैं किसी को भी बोलने नहीं दूंगा ।

(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न के लिए भी आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिए । हमें शांति कायम करनी चाहिए ।

(अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री अपना उत्तर जारी रखेंगी ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(अन्तर्बाधा)

प्रो० मधु दण्दवते : मैं आपकी अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक सदस्य बोलें । यदि आप सब खड़े होंगे, तो मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है .... **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ?

(अन्तर्बाधा)

प्रो०मधु दण्डवते: आपने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय । श्री उन्नीकृष्णन ने इस मामले की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है और प्रधान मंत्री उत्तर दे रही हैं । आप उनका उत्तर सुनने के बाद आपत्ति उठा सकते हैं । प्रधान मंत्री अपना उत्तर जारी रखेंगी और उसके बाद ही मैं किसी अन्य को अनुमति दूंगा । **(अन्तर्बाधा)**

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री के खड़े रहने पर भी आपको हमें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री अपना उत्तर देंगी । मैं किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । **(अन्तर्बाधा)** यदि आपको व्यवस्था का प्रश्न भी उठाना है, तो क्या आपके पीछे सदस्यों को बैठना नहीं चाहिए क्या और क्या आप में से एक सदस्य को शांत वातावरण में अपना प्रश्न रखना चाहिए ताकि मैं उत्तर दे सकूं ? पहले आप सभा में, व्यवस्था कायम कीजिए, कृपा करके अपना सहयोग दीजिए । कृपया सब बैठ जायें । आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? **(अन्तर्बाधा)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : किस नियम के अधीन ? **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सहयोग करें।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मजफ्फरपुर) : आप इन्हें अपनी बात रखने दीजिए, आप शोर मचाने से डरिये नहीं ; व्यक्तियों को देखकर निर्णय न करें। **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाईये। सभा में व्यवस्था कायम करने में मधु सहयोग दीजिए। हम शांति होने पर ही विचार-विमर्श कर सकते हैं **(अन्यर्बाधा)**। प्रधान मंत्री को बोलते समय बीच में रोका गया। पहले उन्हें अपना उत्तर प्रदेश पूरा करने दीजिए। **(अन्तर्बाधा)** इसके बाद ही मैं आपको अनुमति दूंगा। **(अन्तर्बाधा)** यदि प्रत्येक सदस्य कानून को अपने हाथ में लेगा, तो मैं सभा की कार्यवाही नहीं चला सकता। अब प्रधान मंत्री उत्तर देंगी। इसके बाद मैं आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दूंगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : सदस्य को किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है... **अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अवसर नहीं चाहता। व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मेरा अधिकार है-। **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उत्तर होगा। उसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा। **(अन्तर्बाधा)**

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह प्रधान मंत्री के भाषण में बाधा डालने का प्रश्न नहीं है **(अन्तर्बाधा)**।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके भाषण को बीच में ही रोक दिया गया था। इसलिए मैंने उन्हें भाषण जारी रखने के लिए कहा। इसके पश्चात् आप अपनी बात कह सकते हैं। अब मैं किसी को कोई बात उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह बीच में बोलने का प्रश्न नहीं है **(अन्तर्बाधा)**। यह व्यवस्था का प्रश्न उठाने के सदस्य के अधिकार को छीनने का मामला है। कोई भी सदस्य किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। **(अन्तर्बाधा)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अध्यक्षपीठ के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं। कृपया मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दीजिए। **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह मेरी अन्तिम अपील होगी। मैं सब सदस्यों से बैठने के लिए कह रहा हूं। अब मैं प्रधान मंत्री से बोलने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं किसी अन्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप अनुमति कैसे रोक सकते हैं ? **(अन्तर्बाधा)**।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं **(अन्तर्बाधा)**।

श्री रवीन्द्र वर्मा: जब अध्यक्ष महोदय खड़े हों और बोल रहे हों, उस समय को छोड़कर सदस्य किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। **(अन्तर्बाधा)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं रोक सकते हैं आप इसे नियमबाह्य घोषित कर सकते हैं परन्तु रोकने की प्रथा कायम न करें। पहले ही काफी समस्यायें हैं, आप हमारे लिए नई समस्यायें पैदा न करें। **(अन्तर्बाधा)**।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न प्रधान मंत्री को उत्तर देने के लिए कहने के बाद उठाया गया था। इसलिए मेरा सदस्यों से नम्र विवेदन है...

प्रो० मधु दण्डवते : आपने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनमति दे दी थी और जब दूसरी ओर के कुछ माननीय सदस्यों ने शोर मचाना शुरू किया तब आपने कहा कि मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता और प्रधान मंत्री बोलेंगी... (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डवते ,प्रश्न काल और ध्यानाकर्षण के दौरान व्यवस्था क कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : जब इस ओर के एक सदस्य ने अपना भाषण आरम्भ किया था, तो आपने दूसरी ओर के एक सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी ...

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरी ओर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह समूचा सदन आसाम की समस्या को हल करना चाहता है। लेकिन हम अपना ध्यान अन्य बातों की ओर लगा रहे हैं। यहां तक कि एक राष्ट्रीय प्रश्न पर विचार-विमर्श के समय प्रक्रिया-दोष रानीतिक भेदभाव तथा अन्य बातें उठाई जा रही हैं। मुझे इससे बहुत दुःख होता है। यदि आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि समस्या के राजनीतिक पहलू को छोड़ कर इसपर एक राष्ट्रीय समस्यमा के रूप में विचार करें। (**अन्तर्बाधा**)

मेरी दिलचस्पी राजनीतिक नहीं है। इसलिए मैं आपसे सहयोग करने की अपील करता हूं। श्री दण्डवते आप मंत्री रह चुके हैं, श्री रवीन्द्र, आप भी मंत्री रह चुके हैं। कृपया बैठ जाइये। मुझे खेद है कि आप बैठ नहीं रहे हैं। (**अन्तर्बाधा**) मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं। मैं प्रधान मंत्री से बोलने के लिए कह रहा हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांन्धी खड़ी हुई।

(**अन्तर्बाधा**) **

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी बोलने की अनुमित नहीं दूंगा। पहले प्रधान मंत्री उत्तर देंगी और बाद में कोई सदस्य कोई अन्य बात उठा सकेगा।

श्री धनिकलाल मण्डल खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

(**अन्तर्बाधा**)

श्री जार्ज फनान्डीज : आप उसे नियम-बाह्य घोषित कर सकेत हैं। आप अनुमति कैसे रोक सकते हैं ?

(**अन्तर्बाधा**)

श्रीमती इन्दिरा गांधी खडो हुई।

(**अन्तर्बाधा**)

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है, तब प्रधान मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति के खड़े होने का कोई प्रश्न नहीं होता है । अध्यक्षपीठ को इसे उठाने की अनुमति देनी ही होती है, इसे रोका नहीं जा सकता ।

(अन्तर्बाधा)

उपध्यिक्ष महोदय: आप इसे बाद में उठा सकते हैं क्योंकि उन्हें बीच में रोका गया था **(अन्तर्बाधा)** सभा के संरक्षक के रूप में मुझे सबके साथ समान व्यवहार करना है । मुझे प्रधान मंत्री या कोई अन्य सदस्य हो, उसके साथ न्याय करना है। चूंकि उन्हें बीच में रोका गया था यह न्यायोचित है कि मैं उनसे अपना उत्तर देने के लिए कहूं । **(अन्तर्बाधा)**

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न, प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा, उसके बारे में था ।

उपाध्यक्षमहोदय : मैं इस तरह सभा की कार्यवाही नहीं चला सकता । आप सब चुप होकर बैठ जायें । मैं यहां उपाध्यक्ष के रूप में बैठकर ही सब कुछ नहीं कर सकता । मैं भी आप ही में से एक सदस्य हूं । जब तक आप आत्म-अनुशासन से काम नहीं करेंगे, मैं सभा को नहीं चला सकता हूं । **(अन्तर्बाधा)** अध्यक्ष के विनिर्णय को एक मूल प्रस्ताव के सिवाय चुनौती नहीं दी जा सकती । कोई सदस्य, जो अध्यक्ष के विनिर्णय के विरुद्ध आपत्ति करता है, वह सभा का अवमान करता है । अतः मेरा निर्णय आपको मानना होगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर कोई विनिर्णय नहीं दिया है, अतः यह इस मामले में लागू नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटे से भी अधिक समय व्यर्थ हो चुका है । मैं सदस्यों की सदाशयता से अपील करता हूं कि वें सोचें कि क्या वे देश की 65 करोड़ जनता को परेशान करने वाली समस्या को हल करना चाहते हैं या राजनीतिक प्रश्नों से निपटना चाहते हैं । यह एक राष्ट्रीय समस्या है । आपको अपना निजी नुकसान भूल जाना चाहिए । सभा की कार्यवाही चलाने में मुझे सहयोग दीजिए अन्यथा मैं सभा को नहीं चला सकता हूं /(अन्तर्बाधा)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे सहमत हूं कि हम इस प्रश्न की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ।

(अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डवते, यदि आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सभा छोड़कर जा सकते हैं ।

(अन्तर्बाधा)

एक माननीय सदस्य : सभा का अवमान करने के कारण कृपया इन्हें सदन से निकाल दीजिए ।

(अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा का संरक्षक हूं । मैं दोनों ओर के सदस्यों के हितों की रक्षा करूंगा । दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के हित मेरे हाथों में सुरक्षित है । अतः मैं अब प्रधान मंत्री से उत्तर देने के लिए कह रहा हूं ।

(अन्तर्बाधा)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्रीमन्, बहस में राजनीति को लाने का मेरा कोई इरादा नहीं था परन्तु आपने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार माननीय सदस्यों को अनेक प्रकार के आरोप लगाने दिये और उनके भाषण का आशय मुझ पर देश के टुकड़े करने को बढ़ावा देने का आरोप लगाना था । मैं जब जवाब देने के लिए खड़ी होती हूं तो विरोधी पक्ष के सदस्य सुनना नहीं चाहते । मैं इस निराशा को समझ सकती हूं और मुझे उनसे सहानूभूति है, देश में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति वे बिलकुल उदासीन हैं ; उन्हें पहले भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और अब भी नहीं है (व्यवधान)

1977 में आप भारी बहुमत से निर्वाचित हुए थे । (व्यवधान) । मैं जो कह रही हूं उसे ध्यान से सुनिये । आप चिल्लाते रहते हैं और सुनते ही नहीं । मैंने कहा आप चुनाव जीते थे और उसके बाद तुरन्त आप देश में जो कुछ हो रहा था उसके प्रति उदासीन हो गये । किन्तु हमें इसी बात को लेकर नहीं बैठे रहना है, आप एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं ।

अब मैं पुनः मुख्य प्रश्न पर आती हूं . . . (व्यवधान) यदि श्री उन्नीकृष्णन ने ये सभी बातें न उठाई होती तो हमें उन पर विचार करने की आवश्यकता ही न पड़ती । किन्तु जब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उनसे बोलने का अनुरोध कर रहे थे तो उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय को यह कहने का भी अवसर नहीं दिया कि यह बात इस तरह नहीं है हालांकि यह सदन के नियमों के विरुद्ध था । आप मुझे कम से कम शांति से सुन तो सकते हैं ।

महोदय, उन्होंने जो अनाप-शनाप बोला है उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि यह एकदम बेहुदी बात है । (व्यवधान) कृपया शांत रहिए क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है और विश्व के कुछ देशों के उच्चाधिकारी लोग मेरे कार्यालय में प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

आप मेहरबानी करके . . . आपका सवाल नहीं है । आप चाहते हैं कि मैं जबाब नहीं दूं ; तो मैं बैठ जाती हूं ।

हमें जनता को बताना चाहिए कि ये लोग जबाब सुनना नहीं चाहते ।

श्री सी० एम० स्टीफन : वे जवाब नहीं चाहते हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी) : स्थिति ऐसी थी . . . (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य सुने ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह नहीं चलेगा । (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : क्या मैंने कोई अनुचित बात कही है ? क्या नहीं चलेगा ? क्या नहीं चलेगा (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : प्रधान मंत्री को सदन में क्रोधित नहीं होना चाहिए । प्रधान मंत्री को सदन में क्रोध प्रदर्शित नहीं करना चाहिए । उन्हें यहां गुस्सा नहीं निकालना चाहिए (व्यवधान) प्रधान मंत्री से कहिए कि वह सदन में क्रोध प्रदर्शित न करें ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं सदन को बताना चाहूंगी कि ऐसा कहना कि यह बेहूदी बात है, असंसदीय नहीं है (व्यवधान) यह असंसदीय नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नांडीस : आपको गुस्सा आ रहा है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे बिलकुल गुस्सा नहीं आ रहा है । जब कोई अनर्गल बात कही जाती है, तो मुझे ऐसा कहना पड़ता है । कसेरगोड़ तथा सभी किस्म की ऐसी अन्य बातों को लाने का कोई तुक ही नहीं है जिनका इस प्रश्न से जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कोई सम्बन्ध ही नहीं है । मैंने इस सभा में एक वक्तव्य दिया है और मैं उस पर दृढ़ हूं । उस समय... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये । बाधा मत डालिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उस समय मुझे इस योजना की कोई जानकारी नहीं थी । जहां तक कि जब वक्तव्य दिया गया कि वे बंध या नाकेबन्दी करेंगे मुझे ठीक-ठीक याद नहीं आ रहा है कि वह शब्द 'बंध' था या नाकेबन्दी जैसा कि मैंने बताया बंगाल के मुख्य मंत्री ने खुद कहा था कि "यह एक न्यायोचित मांग के लिए है । ये हैं उनके शब्द । (व्यवधान) कृपया चुप रहिए । अपने आप कोई समस्या पैदा नहीं होती । आसाम में एक स्थिति उत्पन्न हो रही है अब ऐसा बहाना बनाने से क्या फायदा कि अचानक बंगाल में ऐसी ही समस्या खड़ी हो गई है । वस्तुतः आसाम की स्थिति से शेष समूचे देश के लिए नाकाबन्दी हो गई है... (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा न डालिए । आप बाधा क्यों डाल रहे हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : बहुत से आरोप लगाये गये हैं परन्तु आसाम आन्दोलन के लिए किसी कांग्रेसी को दोषी नहीं बताया गया है । हमें ज्ञात है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने खुले रूप से आन्दोलन का समर्थन किया है और वह इसे खुले रूप से पूर्ण प्रोत्साहन दे रहा है । इस आन्दोलन का नतीजा क्या होगा ? इसका नतीजा होगा कि हजारों व्यक्ति... (अन्तर्बाधा) श्री उन्नीकृष्णन्, यदि आप मेरा उत्तर नहीं सुनना चाहते तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वक्तव्य समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं और उनकी बैठकों में बहुत से लोगों ने वे वक्तव्य सुने हैं । यह कोई अनुमानमात्र नहीं है । समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि वे आन्दोलन को प्रोत्साहन दे रहे हैं । क्या यह सच नहीं है कि इस आन्दोलन के कारण देश को डीजल, मिट्टी के तेल और तेल से वंचित रखा गया है जिसकी बहुत आवश्यकता है । क्या यह सच है नहीं है कि हमारे किसान भाइयों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । यदि यह नाकेबन्दी नहीं तो फिर क्या है ? आसाम के समाचारपत्र साम्प्रदायिक भावना भड़का रहे हैं जैसा कि उन्होंने भाषा-विवाद के समय किया था । एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जब कि आसाम के अल्प संख्यक चाहे वे धार्मिक अल्प संख्यक हो, भाषाई अल्प संख्यक अथवा किसी और तरह के अल्पसंख्यक, मेरे पास न आते हों । उन्हें अपने जीवन और माल का खतरा है । आज ही मेरे पास कुछ हजार व्यक्ति आये थे । इससे बंगाल में भी एक वातावरण पैदा हो गया है । मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि सिलीगुड़ी अथवा अन्यत्र कुछ व्यक्ति असंतुष्ट हैं अथवा नहीं । परन्तु समूचे बंगाल में एक भय की भावना फैल गई है । मुख्य मंत्री ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है और इस ओर हमारा ध्यान दिलाया है । इसलिए,

बंगाल के लोगों की इस तीव्र भावना की ओर हमारे युवक ध्यान दिलाना चाहते हैं । परन्तु जैसे ही हमें इसका पता लगा, हमने उन्हें सन्देश दिया कि हम इसका अनुमोदन नहीं करते हैं । उन्होंने भी कहा कि वे तनाव बढ़ाना नहीं चाहते । कल ही मैंने प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और श्री सुब्रोतो मुकर्जी को बुलाया है । परन्तु आप सब जानते हैं कि युवकों पर नियंत्रण रखना सरल नहीं है । प्रश्न यह नहीं है कि... (व्यवधान) उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है ... (व्यवधान) वे जिन भावानाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं वे बंगाल के अधिकांश व्यक्तियों की भावनाएं हैं । अब उन्हें यह बताते हुए... यह अच्छी बात है ।

एक माननीय सदस्य : हमारे असंख्य लोगों की हत्या की गई है ।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : यह आपका विचार हो सकता है, परन्तु हजारों... (व्यवधान) यह अच्छा सी०पी०आई० (एम०) चुप है । हमारे अनेक व्यक्तियों को मारा गया है क्या आप चाहते हैं कि मैं उन व्यक्तियों के नाम बताऊ ? (व्यवधान) महोदय, विपक्ष के कुछ सदस्य मेरी बात नहीं सुनना चाहते, वे अपना ही राग अलापना चाहते हैं। यह केवल आज की ही बात नहीं है, परन्तु वे हर बात में--चाहे ध्यानाकर्षण हो अथवा कोई अन्य विषय, अपना ही राग अलापते रहते हैं । वे एकदम खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं ।

महोदय, प्रश्न यह है कि मूलतः छात्र परिषद ने नाकाबन्दी की योजना बनाई थी और अब यह एक अस्थायी कार्य है । उन्होंने कुछ घंटों के लिए ऐसा किया था परन्तु यह अच्छी बात नहीं है । फिर भी इससे कोई स्थायी हानि नहीं हुई है । कोई हानि नहीं हुई है...

श्री ज्योतिमय बसु : आपने अभी कहा स्थायी हानि ।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : मैंने कहा होगा, परन्तु कभी-कभी कहने में चूक हो जाती है परन्तु आसाम में जो कुछ हुआ है उससे स्थायी हानि हुई है तथा हमारी राष्ट्रीय एकता को भारी धक्का पहुंचा है । पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, यह उसकी प्रतिक्रिया मात्र है । यह अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है । परन्तु है प्रतिक्रिया ही । मूल समस्या अब भी आसाम की ही है और जब तक हम उसे हल नहीं कर पाते तब तक हम बंगाल के आन्दोलन को रोकने का प्रयास करेंगे और हमें आशा है हम इसे रोकने में सफल होंगे । (अन्तर्बाधा) परन्तु यदि आपको वास्तव में देश की एकता की चिन्ता है तो हमें समस्या के मूल तक पहुंचना होगा जो कि यह है कि आसाम सरकार अभी कार्य नहीं कर रही है वहां अल्प संख्यकों तथा अन्य व्यक्तियों को डराया-धमकाया जा रहा है तथा अन्य राज्यों के व्यक्तियों को विदेशी बताकर उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है । असमियों द्वारा उठाई गई बहुत-सी बातों से हम सहमत हैं और गृह मंत्री भी सहमत हो गए हैं, जब मैं आसाम के विपक्षी दलों के नेताओं से मिली थी तो विपक्ष के माननीय सदस्य वहां मौजूद थे और उन्होंने स्वयं देखा था कि अधिकांश दल बहुत चिंतित थे और चाहते थे कि इस मामले में कुछ न कुछ किया जाये । फिर भी हमने कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करनी चाही इसलिए यह आन्दोलन चल रहा है । मेरा विश्वास है कि जो छात्र हमारे पास आये हैं उनमें से अधिकांश छात्र इस मामले को निपटाना चाहते हैं । किन्तु कुछ तत्व ऐसा है जो उन्हें खिलाफ सलाह देता है । कभी कभी वे किसी बात पर

सहमत हो जाते हैं, वे वापस चले जाते हैं, फिर वे कहते हैं "नहीं, हम इस पर सहमत नहीं हो सकते," यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है, आप इससे राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इससे देश को ही नुकसान होगा । इससे हमको या आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं होगा । किन्तु इससे देश को हानि होगी, मुख्य बात यह है कि आसाम में इस समस्या को कैसे हल किया जाये ।

श्री ज्योर्तिमय वसु : आपका दल कर रहा है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारा दल आसाम में कुछ भी नहीं कर रहा है, वास्तव में वे इसके शिकार हुए हैं। (व्यवधान) उन लोगों को जो निर्वाचित हुए हैं या चुने जाने वाले थे धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं, उन्हें जीवन की धमकी दी जा रही है ।... (व्यवधान) ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे स्थिति और बिगड़ जाये । किन्तु इसके साथ-साथ यदि आसाम की स्थिति ऐसी चलती रहती है तो यह न तो राष्ट्रीय एकता में किसी भी तरह सहायता है और न पड़ौसी क्षेत्रों के लोगों के विभागों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने में ही सहायक है ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, आसाम हमारे देश का एक भाग है, हमारी मातृभूमि का एक अभिन्न अंग है । वहां पर जो स्थिति है, वह जान-बूझ कर पैदा की जा रही है । आसाम...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि जब वह अपना भाषण समाप्त कर लेंगी उसके बाद आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देंगे । (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रक्रिया के अनुसार यदि कोई सदस्य ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सम्बंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है तो सम्बन्धित मंत्री एक वक्तव्य देता है । किन्तु कार्यवाही वृत्तान्त के किसी भाग में, वाद-विवाद में या वक्तव्य के दौरान भी किसी सदस्य पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपना भाषण श्री उन्नीकृष्णन पर आक्षेप लगाते हुए शुरू किया ...

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत इसे उठा रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवत : नियम 197 के अन्तर्गत... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप या तो सम्बन्धित नियम या विनिश्चय उद्धृत कीजिए ।

श्री सी० एम० स्टीफन : नियमों के अनुसार जो सदस्य सम्बन्धित नियम उदधृत नहीं करते उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा मैं समझ गया । मैं कार्यवाही-वृत्तान्त पढ़ूंगा । जैसा कि आपने कहा है, यदि कोई चीज असंसदीय है तो मैं निश्चित रुप से अपेक्षित कार्यवाही करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रधान मंत्री ने श्री उन्नीकृष्णन पर कुछ आक्षेप लगाये हैं तो वह भाग निकाला जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री शैलानी ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस): उपाध्यक्ष महोदय, आसाम आन्दोलन के जवाब में केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर यूथ कांग्रेस (आई), कांग्रेस (आई) और छात्र परिषद् (आई) के स्वयंसेवकों ने जो भंयकर स्थिति पैदा की है. . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं और प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ? आप अपना खास प्रश्न पूछिये ।

श्री चन्द्रपाल शलानी : मैं ने अभी शुरू किया है, आप मेरे साथ कभी इंसाफ करेंगे या नहीं ?

मैं बड़े विनम्र शब्दों में आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यूथ कांग्रेस (आई) और छात्र परिषद् (आई) के स्वयंसेवकों ने परसों से आसाम की आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए जो आन्दोलन छेड़ा है वह अपने आप में एक बड़ा गंभीर प्रश्न है और इस पर केन्द्रीय सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए । स्थिति यह हो गई है कि वहां पर चारों तरफ से मार्गों को अवरुद्ध कर रखा है । ट्रकों को जाने नहीं दिया जा रहा है, रेलगाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है जिस के कारण वहां पर जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है । आवश्यक चीजों के लिए. . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब भी भाषण दे रहे हैं । यदि आप अपना प्रश्न नहीं पूछते हैं तो मैं दूसरे सदस्य से प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अभी एक मिनट में आ रहा हूं ।

आवश्यक सामान जो ट्रकों से या मालगाड़ियों से जा रहा है वह इससे प्रभावित हुआ है । वहां की जनता भुखमरी की स्थिति में आ गई है । आज रेल मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया है दिल्ली में कि इस से रेलगाड़ियों और मालगाड़ियां के आवागमन पर असर पड़ा है । कुछ गाड़ियां रोकी गई हैं, छोटी लाइन की अनेक गाड़ियां कैंसिल कर दी गई हैं और लखनऊ गौहाटी एक्सप्रैस को कई घंटे तक डीटेन किया है ।

मेरा कहने का मतलब यह है कि केन्द्रीय सरकार जानबूझ कर आसाम में गड़बड़ी पैदा कर देना चाहती है । केन्द्रीय सरकार की नीति यह है कि चोर से कह रही है कि चोरी करो और साहुकार से कह रही है कि जाग जाओ । इस तरह की नीति ज्यादा दिन नहीं चल सकती । मेरा आप से अनुरोध है कि वहां पर आसम को देश से अलग करने की योजना बनाई जा रही है और वह षडयंत्र दिल्ली में बैठ कर किया जा रहा है । आसाम में इस आन्दोलन के कारण गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई है । अगर आप देश को टूटने से बचाना चाहते हैं, इस आग से बचाना चाहते हैं तो आप सरकार से कहें कि इस मामले में जल्दी से ऐक्शन ले और इस आन्दोलन को समाप्त कराए । कल सत्तारूढ़ पक्ष के कुछ मित्रों ने कहा था कि नौ राज्यों की असेम्बलियों को जो भंग किया गया वह इसलिए किया गया कि वहां पर शासन ठीक नहीं चल रहा था । केन्द्र में जिस पार्टी का शासन है उसी का शासन वह सब जगह चाहते हैं । इसीलिए वहां पर आन्दोलन कर के स्थिति को विगाड़ा जा रहा है ताकि वहां सी पी एम की सरकार को खत्म किया जा सके । और इनकी मंशा पूरे देश में एकछत्र शासन करने की है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना

चाहता हूं कि इस तरह के आन्दोलन को समाप्त करने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम तत्काल उठाने जा रही है ? और क्या प्रधान मंत्री जी ने, जिनके इशारे पर तमाम कार्य वाहियां की गई, अपने नेताओं को यहां पर बुलाने की कोई योजना बनाई है ताकि उनसे-वे पूछ सकें और इस तरह के आन्दोलन को समाप्त किया जा सकें ?

श्री योगेन्द्र मकदाना : प्रधान मंत्री द्वारा बार-बार यह आश्वासन दिये जाने पर भी कि हम ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे स्थिति और अधिक बिगड़े, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य सरकार के विरुद्ध क्यों आरोप लगा रहे हैं, समस्या को हल करने के लिए हमने कार्यवाही की है; और जैसा कि उन्होंने कहा है, यह सच नहीं है कि सड़क की नाकेबन्दी की गई थी । सड़क की अस्थायी तौर पर नाकेपन्दी की गई थी; और उसके बाद नाकेबन्दी हटा दी गई थी और अब वहां यातायात सामान्य रूप से चल रहा है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रधान मंत्री जी ने सदन में कहा कि वहां पर जो नाकेबन्दी की गई थी उनकी जानकारी उनको नहीं थी । मेरे पास यह (स्टेट्समैन" है जोकि कलकत्ता से निकलता है, यह 18 तारीख का है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है :

> "श्री सुव्रत मुखर्जी ने कहा कि कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता खतरे में है । कांग्रेस (आई) के केन्द्रीय नेताओं को इस कार्यक्रम की सूचना दे दी गई है।"

उपाध्यक्ष महोदय : आपका खास प्रश्न क्या है ? सदन में हमें अन्य कार्य भी करना है ।

इसमें उन्होंने कहा है कि यहां के लीडर्स को कन्सल्ट किया गया है । (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना भारत के इतिहास में पहली दफा हुई है जबकि एक तरफ सरकार असम की समस्या को सुलझाने में असफल रही है और दूसरी तरफ एक नयी समस्या बंगाल में क्रिएट कर रही है । 17 तारीख को सुव्रतो मुकर्जी ने नाकेबन्दी की बात कही । प्रधान मंत्री जी ने यहां पर कहा कि हम इसके विरोध में हैं लेकिन उसके बाद 24 तारीख को वह हुआ । मैं आपके द्वारा एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो पार्टी सत्ता में है जिसकी प्रधान मंत्री जी हैं, वे कहती हैं कि हम इसके विरोध में हैं और उन्हीं की पार्टी के लोग जो राज्य में हैं वे असम में आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं और बंगाल में जाकर कहते हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं । सेन्ट्रल पार्टी की एक स्टेट में एक कार्यवाही और दूसरी स्टेट में दूसरी कार्यवाही चल रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि असम के प्रति भारत सरकार का रवैया पहले से सौतेले बेटे का रहा है । वह पहले से ही असम के प्रति प्रेजुडिस्ड हैं और उसके प्रति गलत रवैया अख्तियार कर रहे हैं । 1962 में भी, हम लोगों को याद है, पं० जवाहर लाल नेहरू ने असम को राइटआफ करने की बात कही थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : खास सवाल पूछिये, आप भाषण दे रहे हैं। नियमों के अन्तर्गत, आप भाषण नहीं ते सकते दे प्रश्न क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में जो अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही है, जो कि सेंटर के इशारे पर की जा रही है, क्या सरकार वहां पर सिविल वार करवाना चाहती है ? और क्या सरकार वहां पर इस संबध में पार्लमेन्टरी डेलीगेशन भेजेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक उनके भाषण के पहले भाग का सम्बन्ध हैं—यह प्रश्न नहीं था; यह एक संक्षिप्त भाषण था—मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ने लोगों से आन्दोलन न करने का अनुरोध किया है । यह 19 तारीख को किया गया और 21 तारीख को भी किया गया था, और इस अनुरोध (अपील) के उत्तर में पश्चिम बगाल कांग्रेस (आई) के प्रेसिडेंट ने आन्दोलन वासप लेने की घोषणा की है । मैं गरिमापूर्ण सदन का ध्यान पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा जो 22 तारीख के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है । मैं उद्धृत करता हूं :

> "पश्चिम बंगाल कांग्रेस (आई) के प्रेसिडेन्ट श्री अजीत पंजा ने आज रात यह कहा कि उनके दल के छात्र मोर्चे ने आसाम नाकेबन्दी आन्दोलन का कार्य क्रम समाप्त कर दिया है ।"

प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को यह विवरण दिया गया । इस सदन में की गई माननीय प्रधान मंत्री की अपील पर ऐसा किया गया । इसके बावजूद भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की भावनाऐं तेज होती जा रही हैं, विद्यार्थियों ने भी इस आन्दोलन को चलाया है क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों की इनके साथ हमदर्दी है । उनकी भावनाओं को भड़काया गया है और उन्होंने नाकाबन्दी आरम्भ कर दी है । सरकार इसे रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है ।

श्री राम विलास पासवान : (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी पासवान कहते हैं वह रिकार्ड में नहीं जाएगा । (अन्तबाधा)**

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसे कहने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । मैं नियम जानता हूं ।

श्री इंद्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे क्योंकि दूसरे माननीय सदस्यों की राय जाने बिना मतदान का भविष्य यह होगा कि बंगाल से मैं ही केवल एक बंगाली सदस्य हू ..... (**अंतबाधा**) बंगाल में भावनाओं और बंगाली लोगों की भारणा के बारे में काफी कुछ कहा गया है । बंगाली लोगों की भावनाओं और आशाओं को

**कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

बढ़ाने का एकाधिकार केवल श्री सुब्रोतो मखर्जी और उनके मित्रों से सम्बन्धित है। उनको वह अधिकार किसने दिया? इसकी पृष्ठ भूमि को काफी हद तक बताया जा चुका है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। श्री उन्नीकृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुंए जो कुछ माननीय प्रधान मंत्री ने कहा उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह विशेष तौर पर उस आन्दोलन को, जोकि चलाया जा चुका है, अस्वीकार नहीं करेगी। उसने इसकी अन्यत्र स्थिति पेश करने की कोशिश की। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि एक तरफ तो सदन में ये वयान दिये जाते हैं कि यह आन्दोलन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से नहीं चल रहा है। क्या यह सही नहीं है कि पश्चिम बंगाल को समानान्तर निर्देशन नहीं भेजे हैं कि ये लड़के इस आन्दोलन को जारी रखें। मैं अपने पास प्राप्त तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। क्योंकि इस पर विश्वास करना असम्भव है कि हमारे देश में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी वास्तव में यह चाहे और कहे कि आपको इस प्रकार का आन्दोलन नहीं चलाना है। दुखग्रस्त लोगों की भावनाओं की आवाज उठाने वाले लोगों का कोई विरोध नहीं हो रहा है। इसके साथ क्या समस्या है? बात यह है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है—आर्थिक नाकेबन्दी की प्रक्रिया—यदि वह हस्तक्षेप करे तो यह असम्भव नहीं है कि श्री सुब्रोतो मुखर्जी जैसे लोग ठीक न हो जायें। इसलिए, जो वह कहते हैं उससे यह सत्य लगता है कि उन्हें केन्द्र का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं श्री मकवाणा को उस सर्वसम्मत संकल्प को याद दिलाना चाहूंगा जो कि हम सब ने इस महीने की पहली तारीख को बुलाए गए सम्मेलन की बैठक में पास किया था। इस सम्मेलन में इस सदन की सभी राजनैतिक दल उस असम विधान सभा के सभी दलों को बुलाया गया था। उस संकल्प का एक वाक्य इस प्रकार है: "हालांकि कोई संरचनात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता जब तक आन्दोलन का वातावरण बना रहेगा।" यह संकल्प सर्व-सम्मति से पारित हुआ था—कोई संरचनात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता जब तक आन्दोलन का वातावरण रहेगा। अब कुछ हफ्तों में वे आन्दोलन के विरोध में वातावरण पैदा करना चाहते हैं। यदि आन्दोलन में प्रति आन्दोलन और बढ़ा दिया जाता है तो किस प्रकार संरचनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं? या तो यह संकल्प बचने के लिए एक यन्त्र मात्र है या वे इसके बारे में गम्भीर नहीं हैं। हमें यह बताया जाए कि हाजिर सभी दलों के सहयोग से पास किये गए इस संकल्प को वह किस प्रकार लागू करना चाहते हैं। यह छोटा मामला नहीं है। यह सभी दलों का मामला है। अब आप जो कुछ कर रहे हैं यह आपकी पार्टी का मामला है। इसे कुछ महत्व दिया जाना चाहिए था। दूसरे, उत्तरी बंगाल क्षेत्र से आने वाले माल की नाकेबन्दी, आर्थिक नाकेबन्दी, वाहनों की नाकेबन्दी से सारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर असर पड़ेगा। यह क्षेत्र अब तक इसके प्रभाव से बचा हुआ है। यह वह क्षेत्र है जहां बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, यह वह क्षेत्र है जहां पृथकवादी आन्दोलन चल रहा है, विदेशी एजेन्सियां यहां सक्रिय भाग ले रही हैं—इस सम्बन्ध में उन्होंने पहले दिन दूसरे सदन में एक विस्तृत विवरण दिया था। ऐसा उस क्षेत्र में हो रहा है। इस प्रकार के कार्य, आग लगाना इत्यादि की स्वीकृति यहीं से दी जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विशेष तौर पर इस आन्दोलन का अनुमोदन न करके और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे अलग होने के लिए न कहकर, सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेता एक हथियार से दो शिकार करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? एक शिकार जो वह करना चाहते हैं वह है पश्चिम बंगाल की वामपन्थी सरकार। मैं यह समझता हूं कि पिछले तीन दिनों में वाम पन्थी सरकार द्वारा इसे रोकने के उठाए गए कदमों की सराहना के लिए इस सदन में किसी सदस्य द्वारा उनकी प्रशंसा के कुछ शब्द कहने चाहिए थे। आओ हमें लाठी से

मारो, फाइरिंग का हुकम दो, अपने गुण्डों को हमें पीटने के लिए भेजो और इसी प्रकार से उन्हें उत्तेजित किया जा रहा है । तब वहां चीखचिल्लाहाट शुरू हो सकती थी । कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है । मैं यह समझता हूं कि ज्योति बसु की सरकार ने इस आन्दोलन में बड़े शान्तिपूर्ण तरीके से रुकावट डाली है । ट्रक रोके जा रहे हैं, सत्याग्रहियों को उतार कर ट्रक वालों को जाने दिया जाता है ..... (व्यवधान) योजना का यह भाग इस आग को कम करेगा क्योंकि मैं यह समझता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार कानून और व्यवस्था करने में समर्थ है ।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका और अन्य क्या कारण है ? मैं इसका सुस्पष्ट उत्तर चाहता हूं । यह जो कुछ हो रहा है, अनजाने में नहीं हो रहा है और इसका एक निश्चित उद्देश्य है तथा यह इसलिये किया जा रहा है कि आन्दोलन और प्रति आन्दोलन करके ऐसी स्थिति पैदा की जाये जिसमें आन्दोलनकारियों को इस बात पर सहमत कराया जाये कि वे आसाम से बाहर तेल जाने दें तथा इसके बदले सरकार अपना वह वचन तोड़ दे कि आधार वर्ष 1971 से पहले की किसी तारीख को नहीं माना जायेगा । आन्दोलनकारी चाहते हैं कि विदेशियों का पता लगाने के लिए आधार वर्ष 1951 को माना जाये जब कि सरकार ने कहा है कि 1971 को आधार वर्ष माना जायेगा । हम कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल लेते ? 1961 को आधार वर्ष क्यों नहीं मान लेते ? मुझे बताया गया है कि इस आन्दोलन का उद्देश्य पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने के अलावा यह भी है कि यदि आन्दोलनकारी तेल प्रतिष्ठानों पर धरना देना बन्द कर दें, तो सरकार 1971 को आधार वर्ष मानने पर जोर नहीं देगी, बल्कि इससे पहले की किसी तारीख को भी माना जा सकेगा । क्या वे राजनीतिक दलों को बताये बिना, इस सभा को बताये बिना कुछ करना चाहते हैं सरकार ने जान बूझ कर ऐसी बातें होने दी हैं, जिनसे वर्तमान स्थिति पैदा हुई है । हमारे देश के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि भारत संघ के दो राज्यों के बीच सीधी टक्कर हुई है । एक राज्य दूसरे राज्य की नाकाबन्दी कर रहा है । क्या हम आसाम में जो कुछ हो रहा है, उसका समर्थन कर सकते हैं ? क्या नाकाबन्दी के विरुद्ध नाकाबन्दी का आयोजन करके स्थिति को संभाला जा सकता है ? यदि दो राज्यों के बीच गृह युद्ध हो सकता है, तो इस सरकार का, इस देश का और इस देश की एकता का क्या होगा ? वे इसका निरनुमोदन नहीं करते । उन्होंने निरनुमोदन के सिवाय सब कुछ कहा है । वह कहती हैं कि वह युवकों को नियंत्रण में नहीं रख सकती । सभा में भी मैं यही देख रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त, हम तो बड़ों पर भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप युवक होने का दावा करते हैं । मैं वास्तविक युवकों की बात कर रहा हूं (व्यवधान)

यह समूची स्थिति ऐसा भयंकर रूप धारण करती जा रही है जिसके समूचे देश के लिये घातक परिणाम होंगे और यदि तेल का आना बन्द कर दिया गया तो यह सिरदर्दी केवल बंगाल के लिए क्यों हो ? क्या बरौनी बंगाल में स्थित है, जहां से तेल की सप्लाई बन्द कर दी गई है, यदि आप ऐसा कहते हैं, तो इस प्रकार के आन्दोलन अनेक अन्य राज्यों में भी आरम्भ किये जा सकते हैं । क्या आप ऐसा करना पसन्द करेंगे ? मकवाना जी, भावनाओं को उभारना बहुत आसान है । उन्हें कहना चाहिए कि अन्य राज्यों के लोग भी आन्दोलन आरम्भ कर सकते हैं ।

मैं इन प्रश्नों के विशेष उत्तर चाहता हूं :—

1. इस आन्दोलन का निरनुमोदन करने का दूरदर्शिता पग वह क्यों नहीं उठा रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप पुनः वही बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने आपके प्रश्न नोट कर लिए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 2. क्या इस आन्दोलन की आड़ में आसाम के आन्दोलनकारियों के साथ कोई समझौता करने की चाल है अर्थात् यदि वे तेल प्रतिष्ठानों पर धरना देना छोड़ दें, तो सरकार 1971 की बात पर अडिग नहीं रहेगी, और

3. क्या वे समझते हैं कि इस प्रकार के आन्दोलन का समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा ? क्या उन्होंने और उनके मित्रों ने राज्य सभा को बताया है कि बहुत खतरनाक बातें हो रही हैं और विदेशी एजेन्सियां भी सक्रिय हैं ? क्या उस समस्या को सुलझाने का यही सबसे अच्छा तरीका है और क्या वे इस समस्या के परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य सही नहीं हैं। उनके सब प्रश्न इस धारणा पर आधारित हैं कि सरकार बंगाल में आन्दोलनकारियों का समर्थन कर रही है। यह सोचना सही नहीं है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इससे न तो उनको और न ही राष्ट्र को कोई लाभ होगा। यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई है ।

जहां तक उनके तीन प्रश्न का सम्बन्ध है, जो उन्होंने मुझसे पूछे हैं वे तीनों इसी धारणा पर आधारित हैं और इस बारे में मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं । फिर भी मैं इस बारे में पुनः यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक उनकी इस पहली बात का सम्बन्ध है कि क्या हम इसका निरनुमोदन करते हैं, प्रधान मंत्री ने पहले ही 19 और 21 तारीख को इसी सभा में कहा है कि वह इस कार्य का अनुमोदन नहीं करतीं। परन्तु इस बारे में हम यहां क्या कर सकते हैं ? आपने ठीक ही कहा है कि कभी-कभी युवकों को नियंत्रण में रहीं रखा जा सकता। **(अन्तर्बाधा)**

श्री योगेन्द्र मकवाना : दूसरे प्रश्न में उन्होंने आधार वर्ष का उल्लेख किया है। जब प्रस्ताव पास किया गया था, तो माननीय सदस्य उस बैठक में उपस्थित थे और उन्हें पता है कि सभी दलों की, जिसमें हमारा दल भी शामिल है, यही राय थी। अतः हमारा निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। मैं नहीं समझ सका कि वह इस बारे में और क्या जानना चाहते हैं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मेरा प्रश्न है कि क्या आप तेल प्रतिष्ठानों पर धरना बन्द करने के बदले इस निर्णय को बदलने पर पुनः विचार कर रहे हैं ? कृपया आप स्पष्ट बताइये। क्या आप वहां के लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस बारे में कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है ।

उनका तीसरा प्रश्न आन्दोलन के स्वरूप से सम्बन्धित है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आसाम में चल रहे आन्दोलन का प्रतिबिम्ब है। क्या आपको पता है

कि कछार को कुछ भी नहीं जा रहा है और वहां मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। इसलिए यह आन्दोलन हमने नहीं किया है, परन्तु यह पश्चिम बंगाल के छात्रों की भावना है और उन्होंने यह आन्दोलन आरम्भ किया है।

महानगर परिषद् के विघटन की घोषणा के बारे में

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय लोकतंत्र की और इस सदन को भी परिपाटी है कि जब सदन का सत्र चल रहा हो तो सरकार को महत्वपूर्ण घोषणाएं सदन में करनी चाहिएं, सदन के बाहर नहीं।

21 मार्च, शुक्रवार को राष्ट्रपति महोदय ने दिल्ली की मेट्रोपालिटन काउंसिल भंग करने का फैसला किया। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने घोषणा पर तीन बजे दस्तखत किए और दिल्ली प्रशासन को चार बजे काउंसिल भंग करने की सूचना दी गई। उस दिन यह सदन 6 बजे तक बैठा था। गृह मंत्री महोदय सदन में आ सकते थे और इस बात का एलान इस सदन में कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

मैंने इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रस्ताव दिया है। आप ये स्वीकार करेंगे कि यह सदन की अवहेलना का मामला है। सदन के प्रति सभी को आदर की भावना दिखानी चाहिए जो की इस मामले में नहीं दिखाई गयी। गृह मंत्री इम्प्रोप्रायटी के दोषी हैं और मैं चाहूंगा कि आप मंत्रियों को कहें कि वे सदन को गम्भीरता से लें और सदन के सम्मान की रक्षा करें। इस बारे में गृह मंत्री को चेतावनी देना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : गत परम्पराओं और अध्यक्ष पीठ के निर्णयों के अनुसार ऐसे मामले में विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : औचित्य का मामला तो है।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल सूचना में उन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न कहा था, इसीलिए मैं कह रहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने सूचना में ऐसा इसलिए कहा था, क्योंकि औचित्य का मामला उठाने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप औचित्य का मामला उठाना चाहते हैं, तो मैं इसकी अनुमति देता हूं।

श्री अटल बिहाली वाजपेयी : मैं पहले ही यह मामला उठा चुका हूं। आप मंत्री महोदय को अधिक सतर्क रहने के लिये कहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं कि इस सभा के अधिकारों का संरक्षक होने के नाते, इस मामले के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया है। सभा का सत्र चल रहा है। गृह मंत्री मौजूद हैं। आप नियमों को एक तरफ रखिये। यह औचित्य का मामला है।

श्री संजय गांधी : (अमेठी) विपक्ष गैर-जिम्मेदार है। वे कहते हैं कि नियमों को एक तरफ रखिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस मामले में नियम नहीं हैं।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : माननीय सदस्य ने गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। आप कहते हैं कि आप औचित्य के मामले के रूप में इसकी अनुमति दे रहे हैं। उन्हें इसके लिए नई सूचना देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि विशेषाधिकार के मामले की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने स्वयं अनुरोध किया है कि इसे औचित्य का मामला समझा जाये। इसलिये मैं इसकी औचित्य के मामले के रूप में अनुमति दे रहा हूं।

श्री के० राममूर्ति : यदि आपने विशेषाधिकार के मामले के रूप में इसकी अनुमति नहीं दी है और यदि आप औचित्य के मामले के रूप में इसकी अनुमति दे रहे हैं, तो इसके लिए नई सूचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि विशेषाधिकार के मामले के रूप में इसकी अनुमति नहीं देता। अब गृह मंत्री की बात सुन लीजिए।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : हमारे मन में सभा के प्रति अनादर का कोई भाव नहीं है। हम सभा का बहुत सम्मान करते हैं। मैं आपके समक्ष स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने औचित्य का मामला उठाया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने औचित्य भंग नहीं किया है उद्घोषणा पर राष्ट्रपति द्वारा शुक्रवार को मध्याह्न पश्चात् हस्ताक्षर किये गए थे। इस मामले को सभा के समक्ष रखने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। हमने उद्घोषणा को शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रखा है। अतः हमने सभा के प्रति पूर्ण सम्मान प्रदर्शित किया है। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि सभा के प्रति अनादर भाव दिखाने का प्रश्न नहीं होता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि अधिसूचना पर मध्याह्न पश्चात् हस्ताक्षर किये गये थे। सभा का सत्र सायं 6 बजे तक चलता रहा था। सरकार तथा मंत्री उसी दिन अधिसूचना सभा पटल पर रख सकते थे। यदि वे परिषद को भंग करने के लिए मंगलवार तक प्रतीक्षा करते, तो आकाश नहीं गिर जाता।

फिलस्तीनी स्वाधीनता संगठन के नई दिल्ली स्थित कार्यालय को पूर्ण राजनयिक मान्यता देने के बारे में

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के नई दिल्ली–स्थित कार्यालय को पूर्ण राजनयिक दर्जा देने क निर्णय किया है। अरब देशों के बाहर भारत उन देशों में था जिन्होंने फिलस्तीनी मुक्ति संगठन को सब से पहले मान्यता दी थी और 1975 में नई दिल्ली में उन्हें अपना कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी थी।

विगत वर्षों में भारत के लोगों ने फिलस्तीनी लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति, स्नेह और भाई चारे की भावना शब्दों के द्वारा ही नहीं बल्कि अपने कार्यों के द्वारा भी प्रदर्शित की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब से पहले महात्म गांधी ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान फिलस्तीनी समस्या की ओर आकर्षित करके संसार में उनके प्रति एक चेतना जगाई थी। भारत ने हमेश ही संयुक्त राष्ट्र में और वस्तुतः प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर फिलस्तीनी आन्दोलन का समर्थन किया है इसलिए फिलस्तीनी मुक्ति संगठन को पूर्ण राजनयिक दर्जा देना इस क्रम में एक अगला तर्कसंगत कदम है।

हमारा बराबर यह दृढ़ विश्वास रहा है कि इस समस्या संबंध बातचीत में जब तक फिलस्तीनी मुक्ति संगठन को बराबर का साझीदार नहीं बनाया जायेगा तब तक पश्चिम एशियाई समस्या का कोई व्यापक समाधान नहीं निकल सकता। इससे ही स्थायी शान्ति लायी जा सकती है। फिलस्तीनी लोगों के अविच्छेदय अधिकार, जिनमें उनका राष्ट्रीय राज्य का अधिकार भी शामिल है, उन्हें पूर्ण रूप से दिये जाने चाहिये।

महोदय, मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ने फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष, श्री यासेर अराफत को निकट भविष्य में राजकीय और मित्रतापूर्ण यात्रा पर भारत आने का निमंत्रण दिया है। वे इस महीने की 28 तारीख को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और दो दिन यहां ठहरेंगे। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि श्री अराफत को न केवल अरेबियाई लोगों से बल्कि सभी स्वतन्त्रता प्रेमी देशों से भी प्रशंसा मिली है। यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। हमें आशा है कि अध्यक्ष श्री अराफत की इस देश की यात्रा न केवल भारत-फिलस्तीनी मित्रता का बल्कि भारत- अरब एकता का भी प्रतीक होगी।

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :—

"कि अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जे० बी० पटनायक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :

श्री जी० एम बनतवाला (पोत्तानी) : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि पी० एल० ओ० को मान्यता प्रदान करने की उनकी घोषणा का हम सब स्वागत करते हैं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : जब समूची सभा ने हर्ष ध्वनि करके इस घोषणा का स्वागत किया है, तो इस विशेष उल्लेख की क्या आवश्यकता है ?

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के कोयम्बटूर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र को स्वतंत्र निकाय का दर्जा दिया जाना

श्री इरा मोहन (कोयम्बटूर) : महोदय, केन्द्रीय कपास अनुसन्धान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्) के कोयम्बटूर, प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना 1959 में की गई थी ।

20 वर्ष की अपनी कार्य अवधि में इसे कि एक प्रशासनिक इकाई के नीचें कार्य करने का अवसर नहीं मिला, जिससे वह इसके कार्य का मार्गदर्शन कर सके, इसके कार्य का मूल्यांकन कर सके तथा इसे प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके ।

वर्ष 1959—65 के बीच इस प्रादेशिक केन्द्र ने पी० आई० आर० आर० सीं० ओ एम० के नियंत्रणाधीन कार्य किया । वस्तु समितियों के उत्पादन के बाद इसका नियंत्रण केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को सौंप दिया गया । यह वर्ष 1965 से 1976 तक ग्यारह वर्ष इस के नियंत्रणाधीन रहा । अब यह केन्द्रीय कपास अनुसन्धान संस्थान, नागपुर के अधीन कार्य कर रहा है ।

[श्री शिवराज वो० पाटिल पीठासीन हुए]

इसके बावजूद इस संस्थान ने दक्षिणी राज्यों के कृषकों, विशेषकर कपास उत्पादकों की समृद्धि के लिए सराहनीय कार्य किया है । इसके अतिरिक्त इसी संस्थान ने सी एस एच०–I नामक प्रथम संकर किस्म के विकास किया था, जो कि देश भर के किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है । छठे दशक के प्रथम वर्षों में इस केन्द्र ने मकई, सूरजमुखी, सोयाबीन और अधिक उपज देने वाली गेहूं मेकसिकन किस्म का विकास करने में सराहनीय काम किया है । कपास के विकास में इसका योगदान अद्वितीय है । इस केन्द्र ने पी आर एस 72 के अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली सुजाता कपास का विकास किया है । इस केन्द्र द्वारा विकसित सुविन किस्म दुनिया की सबसे बढ़िया इजीपशियन कपास मानी जाती है । इससे तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादको को बहुत लाभ हुआ है और कपड़ा उद्योग को भी बड़ी सहायता मिला हैं तथा करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ।

इस अमूल्य योग दान के अतिरिक्त अखिल भारतीय समेकित कपास विकास परियोजना (ए० आई० सी सी० आई पी) का मुख्यालय भी 1967 में इसी केन्द्र में स्थापित किया गया था । इस परियोजना का कार्य देश भर में फैले हुए 30 कपास अनुसन्धान केन्द्र का मार्गदर्शन करना है । कोयम्बटूर केन्द्र स्थित परियोजना के कारण हम पहले बार उद्योग के लिए

अपेक्षित कपास के मामले में आत्मनिर्भर हो पाये हैं। भारत सरकार तथा उद्योग दोनों से चार पुरस्कार प्राप्त करके इस केन्द्र ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है ।

इतना सराहनीय कार्य करने के बाद भी प्रादेशिक केन्द्र, कोयम्बटूर, जिसमें लगभग 250 कर्मचारी हैं, के समक्ष रुकावटें हैं, क्योंकि इस कोई समुचित स्वतन्त्र रुतबा नहीं है । यह केन्द्रीय कपास अनुसन्धान, नागपुर के अधीन है । वहां प्रशासनिक विलम्ब होने तथा इसके कार्य को उचित प्रोसाहन न दिए जाने के कारण इसकी प्रगति में बाधा पड़ती है तथा इस केन्द्र के वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों में निराशा की भावना व्याप्त हो गई है ।

मुझे ज्ञात हुआ है कि चावल, दाल, तिलहनों निदेशालयों की भांति इस केन्द्र को एक स्वतन्त्र निदेशालय का दर्जा देने का प्रस्ताव पेश किया गया है और यह प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के विचाराधीन है तथा इसे योजना आयोग को भी भेज दिया गया है । यह अनुमान लगाया गया है कि छठी योजना की अवधि में कुल व्यय लगभग 3 करोड़ रुपए होगा। चूंकि इस में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होना है इसलिए मेरा अनुरोध है कि कपास परियोजना और प्रादेशिक केन्द्र को परियोजना निदेशालय का दर्जा दिया जाये।

उपर्युक्त बातों के सन्दर्भ में, मेरा निवेदन है कि कपास परियोजना निदेशालय, कोयम्बटूर बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की जाये ।

(दो) गैस चैम्बर में दम घुटने से नौसना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम के दो कर्मचारियों की मृत्यु

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : नौसैनिक डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में दो कर्मचारी 18 मार्च, 1980 को गैस चेम्बर में सांस घुटने से मर गये । उपयुक्त सुरक्षा संबंधी उपकरणों की व्यवस्था न होने के कारण ये व्यक्ति मरे हैं । इस उपेक्षा के कारण अन्य कर्मचारी उत्तेजित हो गये और उन्होंने शांतिपूर्ण मांगें की कि प्रबंधक पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरणों की व्यवस्था करे । प्रबंधकों के इस अवहेलना पूर्ण रवैये के प्रति विरोध प्रकट करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है । लेकिन प्रबंधकों ने पुलिस द्वारा उनके विरोध को मिटा देने की कोशिश की जिसके कारण कई अनेक कर्मचारियों के सिर में गम्भीर चोटें आयी हैं । ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर हमला किया गया । हिन्दुस्तान शिपयार्ड लेबर यूनियन, हिन्दुस्तान शिपयार्ड स्टाफ यूनियन, विशाखापत्तनम से जो तार मिला है मैं उसका विस्तृत वृत्तान्त देता हूं :

> .....नौसैनिक डॉकयार्ड. विशाखापत्तनम के सिविल कर्मचारियों पर, जब वे ड्यूटी पर थे राज्य की पुलिस द्वारा 20 तारीख को प्रातः लाठी चलायी गई जिसके फलस्वरूप अनेक निर्दोष कर्मचारियों के सिर पर गम्भीर चोटे आयीं और उनकी हड्डियां टूट गईं । जिसके कारण प्रबंधकों ने उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण न मिलने के कारण दो कर्मचारियों की मृत्यु के मामले को छिपाने के लिये प्रबंधकों ने राज्य पुलिस को बुलाया जिन्होंने अकारण ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लाठी चलायी.....न्यायिक जांच कराने तथा राज्य पुलिस के अमानवीय व्यवहार के कारण उसे प्रताड़ित किये जाने का अनुरोध है .....

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लेबर यूनियन, हिन्दुस्तान शिपयार्ड स्टाफ यूनियन यह बड़ी गंभीर बात है और मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस बारे में एक वक्तव्य देंगे।

(तीन) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात के पिंडों का इकट्ठा हो जाना

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

"जब आयात से इस्पात की मांग और पूर्ति के बीच का अन्तर पूरा नहीं होता तब इस्पात की छड़ें 5.5 लाख टन से अधिक सरकारी क्षेत्र के इस इस्पात संयंत्र में पड़ी हैं क्योंकि बिजली की कमी के कारण रोलिंग मिल का कार्य प्रभावित हुआ है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष देश में छड़ों का उत्पादन 5.2 प्रतिशत कम हुआ है। बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 6 प्रतिशत कम हो गया है। मै मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ताकि इस इस्पात संयंत्रों में इस गतिरोध को समाप्त करने और इस्पात की कमी पूरी करने के लिये तुरन्त उपाय किये जायें।"

(चार) सेंट स्फीटन कालेज, दिल्ली के एक छात्र की हत्या

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : सभापति महोदय, सेन्ट स्टीफन कालेज, नई दिल्ली में बी०एस०सी० (द्वितीय वर्ष) का एक 19 वर्षीय छात्र श्री गौतम जयसिंघानी इस महीने की 6 तारीख को अचानक लापता हो गया था। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। दो हफ्ते बाद गत 21 मार्च को श्री गौतम जयसिंघानी की लाश ओखला के पास जंगल में पड़ी मिली थी। इसका मतलब यह हुआ कि श्री गौतम का अपहरण किया गया था और अब अपहरणकर्ताओं को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली तो उसकी हत्या कर दी गई। श्रीमन्, संजय-गीता चोपड़ा कांड की टीस दिल्ली और देश की जनता के दिल से अभी निकली भी नहीं थी कि एक और होनहार नवयुवक की हत्या कर दी गई। ये हत्याकांड तो ऐसे हैं जो प्रकाश में आ गये हैं। इस देश में इस प्रकार के हत्याकांड तथा अन्य जघन्य अपराध न मालूम रोज कितने होते हैं जिनका पता नहीं चल पाता। अफसोस तो इस बात का है कि देश की राजधानी में इस प्रकार के अपराधों की बाढ़ आ रही है। रोज इस सर्वश्रेष्ठ सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाता है, किन्तु कोई असर नहीं। दिल्ली पुलिस श्री गौतम के हत्यारों का पता लगाने में नाकामयाब रही है। यह उसकी अक्षमता, अकर्मण्यता की ओर इशारा करता है। दिल्ली के लोगों के दिल से पुलिस के प्रति विश्वास उठता जा रहा है और यहां अराजकता का स्वराज कायम हो गया है। वातावरण चिन्ता एवं असुरक्षा की भावना से भरा हुआ है।

ऐसी स्थिति में हमारी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दें कि वह पुलिस के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करके उसे सक्षम, सजग एवं

अधिक क्रियाशील बनाये ताकि लोगों के मन में उसके प्रति पुनः विश्वास की भावना जाग सके और श्री गौतम के हत्यारों को शीघ्र ढूंढ़ निकाल कर कानून के हवाले करे ।

सभापति महोदय : केवल अनुमोदित विवरण को ही रिकार्ड में रखा जायेगा ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : सभापति महोदय, इस स्टेटमेंट को पहले आपने पढ़ लिया है और इसको एपरूव किया है । आपके महकमे ने ही इसको टाइप करवा के भेजा है ।

(पांच) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में भूखमरी की स्थिति

श्री मनोरंजन भक्त (अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा हुआ है और गरीब लोग भूखे मर रहे हैं । अन्दमान और निकोबार प्रशासन में इस क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है और कार्य के बदले अनाज योजना द्वारा राहत कार्य शुरू किया हैं । भारत सरकार को बार-बार अनुरोध करने पर भी ग्रामीण विकास अधिकारी का पद नहीं बनाया गया है और राहत कार्य भी पर्याप्त नहीं है । ग्राम पंचायत प्रधानों तथा अन्य व्यक्तियों से हर रोज मुझे अनेक पत्र मिल रहे हैं कि इस योजना के अन्तर्गत पूरा राहत कार्य नहीं हो रहा है और कार्य करने वालों को चावल या गेहूं नहीं दिया जाता और लोग भूखे मर रहे हैं। जब अधिकारियों से पूछा जाता है तो वे सहायता नहीं करते ।

मैं गृह मंत्री और कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करके अनुरोध करता हूं कि दिल्ली से एक वरिष्ठ अधिकारी भेजा जाये जो तुरन्त मामले की जांच करके इस दुरस्त संघ राज्यक्षेत्र के गरीब लोगों को भूखों मरने से बचाये ।

बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब हम उद्घोषणा के अनुमोदन संबधी सांविधिक संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे । श्री डागा अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, कल मैंने जिस पत्र का हवाला दिया था, वह तत्कालीन गृह मंत्री ने 18 अप्रैल, 1977 को लिखा था । उसके बाद संविधान के बड़े-बड़े विशेषज्ञों और राजनीति के पंडितों ने, जो आज उधर बैठे हुए हैं, ऊंचे स्वर से यह आवाज उठाई कि चूंकि कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है, इसलिए उसकी राज्य सरकारों को हटा देना चाहिए । इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग किया ।

चुनावों में हमारी हार का कारण यह नहीं था कि हम आर्थिक नीतियों या विदेश नीति के मोर्चे पर असफल रहे । उसके कोई राजनैतिक कारण नहीं थे । एक छोटा सा कारण यह था कि हमने परम्पराओं में जकड़ी हुई ग्रामीण जनता में नसबन्दी का कार्य शुरू किया था, जिसमें कुछ अफसरों ने कुछ छोटी मोटी गलतियां कीं । उधर बैठने वालों ने

उन गलतियों को बड़ा भारी रूप दिया और उनका प्रचार किया । हमारी पराजय का एकमात्र कारण यही था कि परम्पराओं से बंधी हुई गरीब जनता में हमारे खिलाफ नराजगी थी।

जैसा कि मैंने कल कहा था, जब जनता पार्टी शासन में आई, तो उसने जनता के सामने बड़े खूबसूरत वायदे किये थे । उन वायदों का मैं इस समय जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वतमान बहस से उनका सम्बन्ध नहीं है । हमारे विदेश मंत्री जी भी अच्छे-अच्छे भाषण करते थे---और विदेश में रहते थे । जब जयप्रकाश बाबू ने पूछा कि अब देश की क्या हालत है, तो तत्कालीन विदेश मंत्री ने उत्तर दिया कि देश की हालत मत पूछिये, विदेश की पूछिये । उस समय यह हालत थी । आप जानते हैं कि जनता पार्टी ने जो वायदे किये थे, वे पूरे नहीं हुए । जब श्री चव्हाण ने श्री मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ अविश्वास-प्रस्ताव रखा, तो मोरारजी भाई यूरिन-थेरैपी की बातें करते-करते अपना पद छोड़ कर चले गये । कांग्रेस वालों ने उन्हें नहीं निकाला । उसके बाद जब चरण सिंह जी शासन में आ गए, लोक दल की सरकार आ गई तो उन्हें कहा गया कि तुम विश्वास प्राप्त करो लोक सभा से । लेकिन आप जानते हैं कि वह विश्वास प्राप्त नहीं कर सके और उनको भी जाना पड़ा । इस प्रकार से उस शासन का पतन हुआ । हमने इस ढाई साल के बाद यह देखा, और सच बात तो यह है, हमारी जीत क्यों हुई और दो तिहाई बहुमत हमें क्यों मिला कि गरीब और मेहनतकश जनता तथा अल्पसंख्यक लोगों ने अल्ला से दोहाई की कि यह जनता पार्टी जल्दी से चली जाय और अल्ला ने उन की प्रार्थना सुनी, जनता पार्टी चली गई । अगर वह नहीं जाती तो हिन्दुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता । कितने का घाटा छोड़ गए, आर्थिक हालत हमारी दुर्बल कर गए ।

इसके बाद जब हमने यह निर्णय लिया और 356 धारा की हमने बात की तो उन्होंने बड़े-बड़े आर्ग्युमेंट्स दिए । मैं केवल एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा और वह यह कि इसका विरोध उनको नहीं करना चाहिए । यह तो साफ जाहिर है कि आप की नीतियों और आपकी कमजोरियों के कारण यह सब हुआ और आप खुद चाहते थे, आपने अपना स्टेटमेंट दिया है । मैं उसे कोट नहीं करना चाहता । मगर यह बात है, यह मैं पढ़ना चाहता हूं :

> "यह स्वयं सिद्ध बात है कि लोगों की सद्भावना और समर्थन के बिना लोकतांत्रिक ढांचे में कोई भी सरकार संविधान के अनुसार प्रभावी और कुशलता से कार्य नहीं कर सकती । यदि लोगों और सरकार के बीच असन्तोष की दीवार हो तो उससे अस्थिरता पैदा होना या प्रशासन ठप्प होना असम्भव नहीं है । लोकतंत्रात्मक सरकार में लोगों की सहमति उसका आधार है । वह आधार ही पूर्ण रूप से निकाल दिया जाये तो सत्ताधारी दल के प्रति जनता की भावनाओं की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है और सरकार के नैतिक उत्तरदायित्व को गम्भीर चुनौती मिलती है । एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब लोग सरकार का सम्मान करना और उसकी आज्ञा की अवहेलना करना आरम्भ कर दे और साथ ही सरकार और लोगों के बीच संघर्ष पैदा हो जाने से प्रशासन ठप्प हो सकता है । यह ऐसी स्थितियां हैं जिनकी सम्भावनाओं से इन्कार नहीं

किया जा सकता और संवैधानिक उपबंधों के साथ सरकार चलाना असम्भव हो जायेगा । क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है इसका राजनीतिक दृष्टि से निश्चय करना सरकार की कार्यपालिका का कार्य है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे परिणाम नहीं निकल सकते और चूंकि लोक सभा चुनावों में सत्ताधारी दल की भारी हार के परिणामस्वरूप किसी राज्य की विधान सभा में जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं रहा और विधान सभा और लोगों के बीच बिल्कुल ही संबंध टूट गया है यह कहना अनुच्छेद 356 के खंड (1) के प्रयोजन से बिल्कुल असंगत है ।"

यह हालत हुई कि जब हमें दो तिहाई बहुमत मिल गया तो जनता पार्टी के कुछ मंत्री मिले और हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री ने तो मोर्चाबन्दी शुरू की, उन्होंने तो यह चलेंज किया और कहा कि हम प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट और एसेंशियल कमोडीटीज ऐक्ट को लागू नहीं करेंगे । उन्होंने खुली चुनौती दी । उन्होंने राहत कार्य बन्द कर दिए, हरिजनों पर अत्याचार बढ़ गए और आज आप जानते हैं, जब हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री अजमेर और दूसरे अकाल पीड़ित इलाकों में गईं, वहां की हालत देखीं तो उन्होंने कहा नहीं, हिन्दुस्तान की सरकार यह बात बर्दाशत नहीं करेगी कि कोई भी व्यक्ति अकाल से पीड़ित और भूखा रहे । उन्होंने काम के लिए इजाजत दी और कहा कि जितना रुपया चाहिए, खजाने से मिल सकता है, उसे खर्च किया जा सकता है । मैं यह कहना चाहता था कि 356 (1) अनुच्छेद का जो अनपालन किया गया है उसकी आवश्यकता तो उसी समय प्रमाणित हो गई जब जनता पार्टी की सरकार के गिरने के बाद बाइ-एलेक्शंस हुए । 24 फरवरी को जब परिणाम निकला उस समय आप ने क्या सोचा होगा ? गुलबर्गा के अन्दर परिणाम आया, रायबरेली में आया, और जगह-जगह का परिणाम निकला । चार जगहों का जो परिणाम निकला उस से क्या मालूम होता है कि हिन्दुस्तान की जनता ने हम पर विश्वास किया । इसलिए नेकनीयती और ईमानदारी आप से यह मांगती है कि मेहरबानी करके आपको इस का समर्थन करना चाहिए और चुनाव में आगे आना चाहिए : जनता अब आप को चाहती नहीं है । जनता पार्टी रोज टूट रही है । अभी अखबारों में आया कि वह और भी टूट गई । जगजीवन बाबू भी टूट गए । रोज जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है। क्या होगा आपका ? यह आप दोनों मिल कर सोचें और इसको समर्थन दे दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति जी, लोक सभा के मध्यावधि चुनावों में विजय प्राप्त करने के बाद 9 राज्यों की विधान सभायें भंग कर दी गईं । गृह मंत्री महोदय ने भंग करने सम्बन्धी घोषणा को सदन की स्वीकृति के लिए पेश करते समय बहुत संक्षिप्त भाषण दिया । वे ज्ञानी आदमी हैं और ज्ञानी आदमी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मगर हमारी मुश्किल यह है कि हम थोड़े से अज्ञानी हैं। (व्यवधान) इस सदन को यह जानने का पूरा अधिकार है कि राष्ट्रपति महोदय के सम्मुख कौन सी सामग्री रखी गई जिसके आधार पर उन्होंने विधान सभाओं को भंग करने का फैसला किया ।

1977 की बात गृह मंत्री महोदय ने कही है । (व्यवधान)

श्री के० राममूर्ति : जब श्री बी० डी० जत्ती चाहते थे तो क्या आपने सभी सामग्री दी थी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 1977 का हवाला देना उस समय की परिस्थिति को समझने से इन्कार करना है । 1977 के चुनाव इमर्जेन्सी को लेकर हुए थे ।

श्री संजय गांधी (अमेठी) : 1980 के चुनाव क्या लेकर हुए?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं श्री संजय गांधी का जवाब दे दूं कि 1980 के चुनाव इस बात को लेकर हुए कि केन्द्र में कैसी सरकार बने—प्रदेशों की सरकारें और उनका भविष्य, लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में एक मुद्दा नहीं था । 1977 में लोक सभा के लिए जो उम्मीदवार खड़े थे उनके व्यक्तित्व को भी लोगों ने नहीं देखा । (व्यवधान)

जिन राज्यों की विधान सभायें 1977 में भंग की गई थी उनमें कुछ राज्य सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो फैसला दिया उसके एक अंश का मैं उल्लेख करना चाहता हूं । जस्टिस फ़ज़ल अली ने कहा :

"अतः संक्षेप में स्थिति यह है :

(1) कि देश भर में गंभीर आपात स्थिति लगा दी गई थी ;

(2) कि नागरिक आजादी काफी हद तक छीन ली गई थी;

(3) कि लोगों के महत्वपूर्ण बुनियादी हक निलम्बित कर दिये गये थे;

(4) कि प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया था ;

(5) कि काफी हद तक न्यायिक शक्तियां कम कर दी गई थीं ।"

यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक हिस्सा है ।

श्री जगदीश टाइटलर : आपने क्या किया ?

श्री संजय गांधी : आगे भी पढ़िये ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आगे भी मैं पढ़ने को तैयार हूं । आज श्री संजय गांधी जो कुछ कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूं ।

"लोगों ने न केवल लोक सभा का चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों के बल्कि चुनाव से पहले के 20 वर्षों में कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के विरुद्ध भारी मतदान किया । इन हालात में यह नहीं कहा जा सकता कि गृह मंत्री का यह कहना कि राज्य सरकारें लोगों का विश्वास खो चुकी थीं, ठीक नहीं है ।"

सभापति महोदय, 1977 में उस समय के गृह मंत्री ने एक सीधा स्पष्ट और अधिक इमानदार तरीका अपनाया था ।

श्री एच० के० एल० भक्त (पूर्वी दिल्ली) : मेरा एक स्पष्टीकरण है । मैं चाहता हूं कि श्री वाजपेयी बतायें कि उस समय उच्चतम न्यायालय के सामने उनका क्या तर्क था । वह तो केवल आपात स्थिति के बारे में बता रहे हैं । क्या चुनाव में यह एक मुद्दा नहीं था । उस समय तो तर्क केवल संजय गांधी के विरुद्ध थे । अब संजय गांधी हो पूरे जोर-शोर से आ गये हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप क्या इसे व्यवधान के रूप में अनुमति दे रहे हैं या एक भाषण के रूप में । मैं उन्हें बोलने का अवसर नहीं देता ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं तो स्पष्टीकरण की बात करता हूं ।

सभापति महोदय : यदि सदस्य अनुमति दें तभी आप स्पष्टीकरण की बात कर सकते हैं । लेकिन वह बोलने का अवसर नहीं देते । इसलिए आप उसे नहीं उठा सकते ।

श्री एच० के० एल० भक्त : यदि आप अनुमति दें.....

सभापति महोदय : यह सभापीठ द्वारा अनुमति का प्रश्न नहीं है । यह तो सदस्य द्वारा बोलने की अनुमति देना है ।

श्री एच० के० एल० भगत : वह अवसर नहीं दे रहे । अतः मैं अपनी बारी पर बात उठाऊंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, 1977 में जब इमरजेंसी के आधार पर चुनाव हुए । इमरजेंसी के दौरान इस बात को सब ने स्वीकार किया था कि राज्य सरकारें, हमारे संविधान के अनुसार भी, केन्द्र की केवल एजेन्ट मात्र रह जाती हैं । राज्यों की सारी सत्ता केन्द्र में निहित हो जाती है । केन्द्र के आदेश पर राज्य सरकारें चलती हैं, उस समय चलती थीं और जो भी ज्यादतियां हुई, वे राज्य सरकारों के माध्यम से अमल में लाई गई ।

दूसरा पहलू मैं यह रखना चाहता हूं कि उस समय जो लोक-सभा के चुनाव हुए थे, उस समय के परिणामो को और इस समय के परिणामों की जरा तुलना कीजिए । 1977 में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में सारी सीटें जनता पार्टी को मिली थी । राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनता पार्टी केवल एक-एक सीट पर हारी, मगर 1980 में ऐसा नहीं हुआ । बिहार में 54 में से 24 सीटें विरोधी पक्ष को मिली हैं, उत्तर प्रदेश में 85 में से 34 सीटें विरोधी पक्ष को प्राप्त हुई हैं, हरियाणा में कुल 10 सीटें थीं, जिनमें से 5 इंदिरा कांग्रेस को मिलीं और 5 विरोधी दलों को मिली हैं और राज्यों के बारे में भी इसी तरह से कहा जा सकता है । जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उस समय गया तो सुप्रीम कोर्ट ने टोटल काउटर की बात कही थी । अगर चुनाव में सौ फीसदी पराजय हो जाए और चुनाव अगर ऐसे मुद्दों पर लड़ा जाए जो राज्यों से संबंधित हों, तो विधान सभाओं को भंग करने का औचित्य हो सकता है, जैसा उस समय बना था, मगर इस समय कोई औचित्य नहीं है ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1977 में जब विधान सभायें भंग की गई, उस समय अधिकांश विधान सभायें अपनी पांच साल की उम्र पूरी कर चुकी थीं । विधान सभायें पांच साल के लिए चुनी गई थीं और जनता ने उन्हें पांच साल के लिए वोट दिए थे । मगर इमरजेंसी के दौरान हम लोगों को जेल में बन्द करके और संविधान में संशोधन करके अपनी उम्र छः साल बढ़ा ली गई और पार्लियामेंट के मैम्बरों ने भी अपनी उम्र बढ़ा ली थी ।

सभापति जी, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का हवाला दिया जा सकता है, मगर वहां के चुनाव परिणामों को देखिए । मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि जो उन्होंने 1977 का हवाला दिया है, उसके आधार पर विधान सभायें भंग नहीं हो सकती हैं और इसीलिए प्रोक्लेमेशन को लाने का कोई कारण नहीं है ।

मगर बाद में कुछ कारण गढ़ने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि विरोधी दल सरकार से कन्फ्रन्टेशन चाहते थे और श्रीमती इंदिरा गांधी के उस वक्तव्य का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था--विधान सभायें भंग करना अच्छा नहीं हैं, लेकिन हम क्या करते। राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आया, उसमें विरोधी दलों ने संशोधन करके लड़ने का एलान कर दिया। मेरी समझ में यह नहीं आता कि राज्य सभा आखिर राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी हुई है, संविधान के अन्तर्गत राज्य सभा को एक भूमिका दी गई है, क्या राज्य सभा किसी प्रस्ताव में संशोधन नहीं कर सकती है ?

राज्य सभा में धन्यवाद का प्रस्ताव अपनी जगह पर था, मगर विरोधी दलों ने संशोधन पर जोर देने से पहले पूछा--"अगर आप यह कहें कि विधान सभायें भंग नहीं की जाएंगी, तब फिर कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। 'लेकिन इस तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। राज्य सभा के जो सदस्य निर्वाचित हो कर आये हैं, उन्हें अपनी भावना प्रकट करने का पूरा अधिकार था। अपनी अलग भावना प्रकट करना--किसी भी युद्ध का ऐलान नहीं है, इस लिये अगर आप बहाना करना चाहते हैं तो कोई ऐसा बहाना कीजिये, जो गले के नीचे उतर जाये।

दूसरी बात यह कही गई कि विधान सभाओं ने शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के बारे में जो बिल था, जो पार्लियामेन्ट से पास हो चुका था, उसे स्वीकार नहीं किया। सभापति महोदय, अगर राज्य सभा में विरोधी दल विरोध करना चाहते, कन्फ्रन्टशन चाहते तो उस रिजर्वेशन वाले बिल को पास करने से इन्कार कर सकते थे, क्योंकि राज्य सभा में उनका बहुमत था। मगर हम ने पास करने में कठिनाई नहीं डाली, क्योंकि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है, उस में राजनीतिक दलों में कोई मतभेद नहीं है। हम चाहे इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं--सब इस राय के हैं कि रिजर्वेशन बनाये रखना पड़ेगा।

सभापति जी, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी, राहत कार्य बन्द कर दिये गये थे। ... (व्यवधान) ... मैं जानता हूं हमारे मित्र नये-नये आये हैं, थोड़ा सा सीखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

सभापति जी, यह आरोप लगाया गया कि लोक सभा के चुनावों में विजयी होने के बाद राज्य सरकारों ने जबरदस्ती नसबन्दी की। अब तो विधान सभायें भंग हो गई है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है, इन राज्यों द्वारा एक भी ऐसा मामला सामने नहीं लाया जा सका, जिसमें यह साबित किया जा सके कि उस समय किसी के साथ जबरदस्ती नसबन्दी की गई थी। केवल राज्य सरकारों को बदनाम करने के लिये ऐसी बात कही गई है। क्या कोई राज्य सरकार राहत कार्य बन्द कर सकती है ? ...

श्री विलास मुत्तेम (चिमूर) : किया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस बात का खण्डन करना चाहता हूं।

(अन्तर्बाधा)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि आप को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा।

(अन्तर्बाधा)

श्री मगनभाई बारोट : एक व्यवस्था के प्रश्न पर ।

सभापति महोदय : मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न भी सुनूंगा । लेकिन अभी मैं बोलने को खड़ा हूं । मेरा अनुरोध है कि आप सदस्य महोदय की बात ध्यान से सुनें और अवसर मिलने पर आप भी उत्तर दें ।

अब मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनता हूं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : समय पर हस्तक्षेप से वाद-विवाद और भी रुचिपूर्ण हो जाता है ।

श्री मगनभाई बारोट : माननीय सदस्य जनता पार्टी के एक नेता हैं । जब वह कहते हैं कि किसी राज्य में भी राहत कार्य नहीं रुका तो उन्हें पता होना चाहिये कि जहां तक गुजरात में उनके दल का सम्बन्ध है, किसी जिले में भी कोई राहत कार्य नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : व्यवधान डालने पर भी समय खर्च होता है । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य जारी रखें .....

(अन्तर्बाधा)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, अगर टोका-टाकी करने का इन्होंने फैसला कर लिया है तो करें । मगर टोकते हैं तो जरा सोच कर, सूझ-बूझ से टोकिये ।

सभापति महोदय, मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि एक पार्लियामेन्ट्री कमेटी बनाई जाये और उस से एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिये कहा जाये । वह पार्लियामेन्ट्री कमेटी राज्यों का दौरा कर के, यह पता लगाये कि कितनी जबरदस्ती नसबन्दियां हुई हैं, कितने राहत कार्य चुनाव के पहले चल रहे थे जो बन्द कर दिये गये, कितने हरिजनों पर अत्याचार हुए ? यहां खाली अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा ?

कानून और व्यवस्था की जो स्थिति आज दिल्ली में है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है । जब हमारी सरकार थी और महिलाओं क गले की जन्जीर निकलती थी तो जन-आन्दोलन होता था । अब तो गले से जन्जीर निकालने वाले गले से जन्जीर नहीं निकालते, जहां जंजीरों का स्टाक होता है उस जौहरी की दुकान पर दिन दहाड़े डाका डालते हैं । तीन डाकुओं ने लाजपत नगर मे डाका डाला । एक को तो दुकानदार ने ही पकड़ लिया, लेकिन उस के दो साथी भाग गये, जिनको अभी तक नहीं पकड़ा जा सका । सेंट स्टीफन्स कालिज के एक नौजवान की लाश पाई गई । कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिये दिल्ली में कौन जिम्मेदार है ?

हमारे ज्ञानी जी कह रहे हैं कि नेतृहीन बच्चों पर जो लाठी चार्ज हुआ और ग्वालियर में जो गड़बड़ हुई, उसमें कुछ डिसरप्टिव फार्सेज का हाथ था और उन्हें आर० एस० एस० तो हर जगह दिखाई देता है, प्रधान मंत्री जी को आसाम में आर० एस० एस० दिखाई दे रहा है, ज्ञानी जी को दिल्ली में आर० एस० एस० दिखाई दे रहा है, ग्वालियर में आर० एस० एस० दिखाई दे रहा है . . . (व्यवधान) . . .

मेरा निवेदन है कि ये बातें लोगों के गले के नीचे नहीं उतरेंगी । आप चुने गये, यह सरकार चुनी गई, दो मुद्दों पर, महंगाई को कम करना और कानून व व्यवस्था की स्थिति को सुधारना । इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है । मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ? यह दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल क्यों भंग की गई? यहां तो ला एण्ड आर्डर का सवाल केन्द्र के अधीन था । उसके लिए नये बहाने गढ़े गये ।

प्रधान मंत्री श्रीमतीइन्दिरा गांधी नारायणपुर गईं । निश्चय ही नारायणपुर की घटना देश के माथे पर एक कलंक का टीका है। अब वे कहती हैं कि इस तरह की घटनाओं से कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिये, मगर नारायणपुर गई थीं, तो क्या कोई पुण्य का काम कर रही थीं । आप यह देखें कि बिहार में हरिजन जिन्दा जला दिए गए, राष्ट्रपति शासन में जिन्दा जला दिए गए, मगर प्रधान मंत्री पारसबीघा नहीं गईं । उत्तर प्रदेश में क्योंकि लोक दल की सरकार थी, उस सरकार को बदनाम करना जरूरी था और सारे मामले का राजनीतिक फायदा उठाने का इरादा था, इसलिए नारायणपुर की यात्रा की और हमारे संजय गांधी महोदय भी नारायणपुर गये मगर पिपरा जाने का किसी को वक्त नहीं है। दिल्ली में सेंट स्टीफन कालेज के एक विद्यार्थी की हत्या कर दी गई मगर उसके घर सांत्वना देने के लिए कोई आगे नहीं आया ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : (चित्तूर) : हमारे गृह मंत्री वहां गये हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय इस सभा में मुक्त वाद-विवाद नहीं हो रहा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मेरा निवेदन है कि ये जो विधान सभायें भंग की गई हैं इसके साथ एक बड़ा खतरनाक सिद्धान्त रखा जा रहा है कि केन्द्र में जैसी सरकार होगी वैसी प्रदेशों में होनी चाहिये, नहीं तो राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। यह संविधान की जड़ पर कुठाराघात है । जब जनता पार्टी शासन में थी, तो कर्नाटक में, आन्ध्र प्रदेश में इन्दिरा कांग्रेस की सरकारें थीं । उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया । उन्हें जितनी सहायता दी जानी चाहिये थी, उतनी सहायता दी गई । अगर कानून व व्यवस्था का बहाना बनाना होता, तो हैदराबाद में जहां महीनों तक करफ्यू लगा रहा और जहां औरतों की बेइज्जती की गई, उसका लाभ उठा सकते थे ।

एक माननीय सदस्य : आप के जमाने में अलीगढ़ में भी काफी दिनों तक करफ्यू लगा रहा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते थे . . . (व्यवधान) . . . यह लगातार टोका-टाकी चलेगी, तो इस सदन में बहस नहीं हो सकती है । सभापति महोदय, आप इस बात को तय कर दीजिए ।

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए । आप यह सोचिये कि आप के बाद आपके अन्य मित्रों ने भी बोलना है । आप जारी रखें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : साथ में "आंखों देखा हाल" नहीं चलना चाहिये । हमें भी व्यवधान डालना आता है ।

सभापति महोदय : यह टोका-टाकी वही करते हैं, जिनके पास तर्क का उत्तर तर्क से देने के लिए नहीं है । जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे, तो इधर से किसी ने नहीं टोका यद्यपि उनका भाषण नितान्त असन्तोषजनक था । अभी डागा साहब बोल रहे थे, तो हमने नहीं टोका । . . . (व्यवधान) . . .मैंने नहीं टोका ।

सभापति महोदय : श्री वाजपेयी जी यह रियेलाइज करेंगे कि चेयर से जो बताया जा रहा है, वे दोनों तरफ के मेम्बरों के लिए है । अगर इस वक्त यह इधर के लिए एप्लाई हो सकता है, तो दूसरी तरफ भी यह एप्लीकेबिल हो सकता है । आशा है आप इसे महसूस करेंगे । जिस समय दूसरी ओर के लोग टोकते हैं तो आप भी पीठ की मदद करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह सभा में कभी भी गलत व्यवहार नहीं करते ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सभापति महोदय, राज्यों की विधान सभाओं को भंग करने का कोई औचित्य नहीं था । जो कारण दिए गए हैं, वे कारण निराधार हैं । हम चुनाव से नहीं डरते । चुनाव में हार जीत दोनों हुआ करती हैं ।

अब एक तर्क दिया जा रहा है कि 1977 में हमने चूंकि ऐसा किया था इसीलिए 1980 में आपने भी ऐसा किया । हमने जो सारे काम किये थे, क्या वे सारे काम आप भी करेंगे ? हम आपको ढाई साल में वापस ले आयें हैं, क्या आप भी हमें ढाई साल में वापस ले आने वाले हैं । जब 1977 में विधान सभाएं भंग की गई तो उस समय कांग्रेज ने, विरोध किया था । जब कोई काम उस समय गलत था तो सही काम इस समय कैसे ठीक हो गया ? (व्यवधान)

फिर मैंने स्पष्ट किया कि परिस्थिति अलग हैं । सभापति महोदय, जब 1977 में विधान सभाएं भंग की गईं तो उस समय राष्ट्रपति महोदय ने, घोषणा के समय के राष्ट्रपति महोदय ने जो राष्ट्रपति का काम कर रहे थे, उद्घोषणा पर दस्तखत करने में दो दिन लिए । यद्यपि उन्होंने आत्मा की आवाज का मामला खड़ा नहीं किया था, यद्यपि उन्होंने यह घोषणा नहीं की थी कि वे रबड़ स्टाम्प प्रेजीडेन्ट नहीं हैं, मगर फिर भी समय लिया । मैं वर्तमान राष्ट्रपति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आक्षेप नहीं कर रहा हूं । मगर जब 77 का जनादेश बिल्कुल स्पष्ट था, तब भी राष्ट्रपति महोदय को उदघोषणा पर विचार करने में, निर्णय करने में समय लगा । इस समय गृह मंत्री महोदय जो कुछ चाहते हैं करा लाते हैं । जो कुछ वे चाहते हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहता ।

सभापति महोदय : नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई आक्षेप नहीं होना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने राष्ट्रपति के उच्च पद पर कोई आक्षेप नहीं किया ।

सभापति महोदय : ठीक है । अप्रत्यक्ष रूप में भी नहीं होना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जी हां । अप्रत्यक्ष रूप में भी नहीं ।

श्री हरिनाथ मिश्र : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा नम्र निवेदन है कि यह राष्ट्रपति पर सीधे आक्षेप करना है । इसे बिल्कुल निकाल दिया जाये ।

सभापति महोदय : पता नहीं कि क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है । यह तो रिकार्ड में से निकाल देने की बात है । मैं इस पर कुछ न करूंगा । माननीय अध्यक्ष इसे देखकर इस पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : जब वह बोल रहे थे तो व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दे दी थी आप इस पर भी ध्यान दें ।

सभापति महोदय : यह प्रक्रिया की बात है किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न उठाने से बात नहीं बनती ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति मिल गई । लेकिन मेरे मित्र श्री दण्डवते को प्रातः यह प्रश्न नहीं उठाने दिया गया । श्रीमती इन्दिरा गांधी और बेचारे दण्डवते में यही अन्तर है । सभी सदस्यों में से कुछ सदस्य अन्यों सदस्यों से भी अधिक बराबर हैं ।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री महोदय, अभी सदन को विश्वास में लें और यह बतायें कि राष्ट्रपति महोदय को उन्होंने क्या सलाह दी थी जिसके आधार पर राष्ट्रपति महोदय ने विधान सभाएं भंग करने का फैसला किया । पहले मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देता था तो उसके बारे में पूछा नहीं जा सकता था । वह सलाह गुप्त होती थी मगर पिछले ढाई साल में, जनता की सरकार ने जो संविधान में उचित संशोधन किये, उनके अनुसार सलाह बतायी जा सकती है । अब तो धारा 356 के प्रयोग के बारे में अदालतें भी दखल दे सकती हैं ।

सभापति महोदय, मैं धारा 356 के इतिहास में जाना नहीं चाहता । मगर आप कांस्टीच्युएंसी असेम्बली की कार्यवाही पढ़ें । उसमें डा० बी० आर अम्बेडकर ने कहा था, यह भावना व्यक्त की थी कि यह डेड लेटर रहेगा इसका उपयोग नहीं होगा, पर आर्टिकल 356 के प्रयोग हुये और कितनी ही बार लोकतंत्र पर कुठाराघात करने के लिए इस आर्टिकल का सहारा लिया गया । आखिर संविधान के निर्माताओं की मंशा यह थी कि लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव साथ-साथ हों, यह प्रक्रिया साथ-साथ हो । अब लोक सभा के चुनाव अलग होंगे, विधान सभा के चुनाव अलग होंगे तो खर्चा बढ़ेगा । अगर आप यह मान लेते हैं कि लोक सभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं और विधान सभाओं के चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर मतदाताओं को फैसला करने का अवसर दिया जाना चाहिये . . . तो फिर लोक सभा के चुनाव के प्रश्न पर विधान सभाओं को भंग करने का और भी औचित्य नहीं रह जाता ।

एक बात मैं कहना चाहता हूं और गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं । संसद् में अल्पमत बहुमत में होगा और बहुमत अल्पमत में होगा । लेकिन अगर सारी सत्ता नई दिल्ली में इकट्ठी हो जाएगी और नई दिल्ली में भी अगर एक और दो व्यक्तियों की मुट्ठी में

चली जाएगी तो इस देश में ऐसा असन्तोष पैदा होगा कि जिसका कोई भी निराकरण कर पाना मुश्किल होगा। इतना बड़ा देश, 62 करोड़ की जन संख्या वाला देश, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के लिए लोगों की तीव्र आकांक्षा, यह सारी प्रक्रिया यहां से पूरी नहीं हो सकती है। इसके लिए सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करना पड़ेगा—

एक माननीय सदस्य : जैसे आपने किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारी बात छोड़िए, अब आप अपनी बात करिये। प्रादेशिक सरकारों को गिराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिये। आप जानते ही हैं कि पहले यह कहा गया था कि हम विधान सभाओं को तोड़ना नहीं चाहते हैं और यह बात ज्ञानी जी ने भी कही थी। उन्होंने राज्य सभा में कहा था कि विधान सभाओं को तोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है—

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : यह नहीं कहा। मैं ने यह कहा था कि अब तक कोई इरादा नहीं किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्योंकि तोड़ने के बजाय वह फोड़ने का काम कर रहे थे। अगर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक की तरह थोक में दल बदल किया जा सकता— यह सरकार फुटकर व्यापार में विश्वास नहीं करती, यह होलसेल में विश्वास करती है— अगर जनता पार्टी का मुख्य मन्त्री इन्दिरा कांग्रेस का मुख्य मन्त्री बनने के लिए तैयार होता तो उसके लिए दिल्ली के दरबार में लाल मलीचा बिछाने के लिए ज्ञानी जी प्रस्तुत थे। क्या हरियाणा में चुनाव नहीं हुआ? क्या हरियाणा में जनता ने वोट नहीं दिया? क्या भजन लाल मन्त्रिमण्डल को जनता का विश्वास प्राप्त है? जिस चीज को आप उत्तर प्रदेश और बिहार आदि में लागू कर रहे हैं क्या उसको हरियाणा में लागू नहीं किया जा सकता था और अगर लागू किया जाता तो क्या वह सरकार रह सकती थी? जो सरकार आपके साथ है वह रह सकती है। कर्नाटक में देव राज अर्स की सरकार आपको पसन्द नहीं थी और दूसरी बन गई इसलिए कर्नाटक में हकूमत रह सकती थी। यह भेदभाव दल बदल को प्रोत्साहन और मन में उत्कृष्ट आकांक्षा कि विरोधी दल की कोई भी सरकार रहने नहीं दी जाएगी, कहां तक उचित है? श्री गनी खां चौधरी तो पश्चिमी बंगाल में जा कर कह आए हैं कि वहां की सरकार को वह बंगाल की खाड़ी में डुबाना चाहते हैं। हमारे मित्र श्री स्टिफन केरल में जा कर भाषण करते हैं और कहते हैं कि अगर केन्द्र के आदेश नहीं माने गए तो प्रदेश की सरकार का भला नहीं होगा। आप देखें कि हमारे संविधान में केन्द्र की अलग सत्ता है, प्रदेशों की अलग सत्ता है। प्राविंशल आटोनौमी की बात कही गई है। प्रादेशिक सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में स्वायत्त है। अगर कोई प्रदेश की सरकार यह कहती है कि बिना मुकदमा चलाए हम किसी को नजरबन्द नहीं करेंगे लेकिन जमाखोरी और मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को प्रभावी बना कर लागू करके इस समस्या का समाधान करेंगे तो केन्द्र को उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन सारे देश में एक वातावरण पैदा किया जा रहा है कि गैर कांग्रेसी सरकारों के लिए कोई जगह नहीं होगी यह वातावरण देश की एकता के लिए हितावह नहीं है। मेरा निवेदन है कि सरकारें आएंगी और चली जाएंगी। ऐसा काम आप न करें जो देश की एकता पर कुठाराघात करने वाला हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप ऐसा ही काम करने जा रहे हैं और हम ने उसका विरोध करने का फैसला किया है।

श्री संजय गांधी (अमेठी) : महोदय पिछले दो दिनों से हम जनता पार्टी, लोक दल तथा सी० पी० एम० के प्रतिनिधियों से विधान सभायें भंग करने के विरोध में अनेक तर्क और वक्तव्य सुन रहे हैं। महोदय इन्हें भंग करने का विचार कांग्रेस दल का नहीं था। वास्तव में 1977 में जब नौ राज्य विधान सभायें भंग की गई थीं तो कांग्रेस ने काफी हो हल्ला मचाया था। कांग्रेस ने न्यायालय में उसे चनौती दी और वर्तमान गृह मन्त्री ने जो उस समय मुख्य मन्त्री थे, इसके विरुद्ध आवाज उठायी। लेकिन क्या हुआ यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया जिसने यह निर्णय दिया कि यह कार्य विधिक उपाय है। हमें उच्चतम न्यायालय के आगे झुकना पड़ा और अब हम यह निर्णय मानते हैं कि विधान सभायें भंग करना एक विधिक उपाय है। इसमें हमारी अपनी कोई राय नहीं है। हमने तो उसका विरोध ही किया था लेकिन जब उच्चतम प्राधिकरण ने हमें गलत बताया तो हमने उनका निर्णय स्वीकार कर लिया। फिर यह भंग करने का विचार किसने व्यक्त किया। जयप्रकाश नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वापस बुलाने के अधिकार की बात कहीं इस अधिकार का अर्थ यह है कि यदि मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों में विश्वास नहीं रहा तो उन्हें वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिये। जब मतदाताओं ने इतनी भारी मात्रा में दिखा दिया है कि जनता पार्टी में और लोकदल में उनका विश्वास नहीं है तो जे० पी० की अपनी विचारधारा के अनुसार मतदाताओं को उन्हें वापस बुलाने का अधिकार है।

एक माननीय सदस्य : : क्या यह वापस बलाना था।

श्री संजय गांधी : मेरे मित्र ने पूछा है कि "क्या यह वापस बुलाना था" ? भारतीय संविधान में वापस बुलाने का कोई उपबन्ध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विधान सभा भंग करने का उपबन्ध है। वापस बुलाने के अधिकार के सबसे निकट यही बात बैठती है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि पश्चिम बंगाल के बारे में भी कई वक्तव्य दिये गये हैं। सीपीआई(एम) पश्चिम बंगाल में जीती है। लेकिन वह कैसे जीते हैं। ऐसी घटनायें भी हुई हैं जबकि सात सौ पंजीकृत मतदाता एक ही कमरे में पाये गये और 12 वर्ष के बालक भी मतदान करते देखे गये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां लोकदल ने स्थान जीते है वहां 5 से 10 वर्ष के बच्चे मतदान करते बालकों के चित्र लिये गये हैं। गाजियाबाद में कांग्रेस (आई) के कुछ कर्मचारियों ने चुनाव परिणाम के बाद उपायुक्त के कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने कार्यालय देखने की मांग की। कार्यालय को देखा गया और उसमें कुछ मतपत्र पेटियों की मोहर ठीक पायी गई। इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की गई है। जबकि वहां पेटियों की मोहरें ठीक थीं और मतपत्र भी बिल्कुल ठीक थे और वे मतदाता पेटियां निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई थीं।

क्या आप इसे उचित निर्वाचन कहेंगे जबकि हरिजनों को मतदान करने से रोका गया। एसा अकबरपुर पट्टी में हुआ है। जिन स्थानों पर कांग्रेस (आई) ने स्थान जीते हैं वहां पर व्यर्थ ही शोर मचाया गया है। इस चित्र को देखकर पता लगाना चाहिये कि विपक्ष ने कैसे स्थान जीते हैं ? यदि निर्वाचन निष्पक्ष होता तो कांग्रेस अन्य स्थान भी जीत सकती थी।

एक प्रश्न यह है कि राज्य सरकार को कैसे कार्य करना चाहिये। क्या केन्द्र के साथ उनका टकराव होना चाहिये ? यदि राज्य सरकारें कार्यक्रम को लागू करने के लिये राजी

हों तो उनसे देश को और निर्धन तथा दलित लोगों को लाभ होगा। तब कांग्रेस (आई) से टकराव का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि कांग्रेस (आई) की यही नीति तथा उसका यही कार्यक्रम है।

एक माननीय सदस्य : उनके अपने कार्यक्रम हैं।

श्री संजय गांधी : सभी दलों के अपने कार्यक्रम है। लेकिन वे लोग गरीबों को कुचलना चाहते हैं जैसाकि नारायणपुर में हुआ है, जहां पुलिस द्वारा सैकड़ों लोगों को कुचला गया मुख्य मंत्री उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे। इस बारे में क्या कहा जाये? उन्होंने कहा है कि उपायुक्त अथवा पुलिस निरीक्षण कांग्रस (आई) के आदमी होने के कारण ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी न तो उन्हें स्थानान्तरित ही किया गया और न ही उन्हें निलम्बित किया गया। जब प्रधान मंत्री नारायणपुर जाना चाहती थी तो मुख्य मंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप है।

जहां एक राज्य सरकार प्रधान मंत्री को देश की यात्रा करने की अनुमती नहीं देती, जहां एक मुख्य मंत्री यह कहता है कि पददलित लोगों और पुलिस द्वारा प्रताड़ित लोगों को राहत पहंचाना राज्य के काम में हस्तक्षेप करना है, ऐसे मुख्य मंत्री को अपने पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त एक अन्य बहत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि विधान सभाओं को भंग करना अनैतिक है तो उन लोगों को जो विधान सभाएं भंग किये जाने के बाद चुने गये थे उन्हें उन स्थानों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन सभी नौ राज्यों के ये सदस्य अथवा मुख्य मंत्री विधान सभाएं भंग किये जाने के परिणामस्वरूप ही इस स्थिति में आये अन्यथा इनमें से कोई भी यहां नहीं होता।

विपक्ष ने तानाशाही का बड़ा हो हल्ला मचाया है। कल सदन में एक बहुत ही वरिष्ठ और माननीय सदस्य ने इस सदनमें तानाशा ही और लोकतंत्र की हत्या की बात कही। परन्तु आज मुझे आश्चर्य हुआ कि वही सदस्य जो तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या की बात कह रहे थे आज यहां "जहनूम में जायें इस सदन के नियम" और "सदन के नियमों को बालाए-ताक रख दो" कहते पाये गये। जो सदस्य ऐसी बात कहते हों क्या उनके मन में सदन के प्रति कोई सम्मान है? क्या उनके मन में लोकतन्त्र के प्रति कोई सम्मान है? वे केवल शोर मचाते हैं। विपक्ष अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के के लिए इसी प्रकार जहां-तहां शोर मचाता है। विपक्ष में बहुत कम सदस्य हैं और हम यह चाहते हैं कि वे अपनी उपस्थिति दिखायें परन्तु उसे दिखलाने के अन्य और कई तरीके हो सकते हैं, जो रचनात्मक होने चाहियें। पिछले कई दिनों में विपक्ष ने कई प्रकार के आक्रमण किये, सदन की कार्यवाही घंटों तक रोके रखी गई, क्योंकि नेतृहीनों पर लाठीलार्ज हुआ था। सरकार भी नेतृहीनों पर किये गये इस लाठीचार्ज की निन्दा करती है, परन्तु लाठी चार्ज की इस घटना के बारे में एक छोटे से तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया। सरकार ने भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया। नेतृहीनों पर लाठी चार्ज करने के आदेश देने वाला पुलिस अधीक्षक वही पुलिस अधीक्षक था जिसने पिछली मई में नई दिल्ली में युवा कांग्रेस (आई) की रली पर लाठी चार्ज के आदेश दिये थे। यह वही अधीक्षक है जिसके निकट संबंधी जनसंघ में हैं। मुझे बताया गया है कि उनके पिता पंजाब में विधान सभा सदस्य हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : पिता या ससुर ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें संबंधियों की चर्चा नहीं करनी चाहिये, यह रुचिकर बात नहीं हैं ।

श्री संजय गांधी : अभी भी यह कहा गया है कि राज्यों में राहत कार्य भली प्रकार नहीं हो रहा है । मध्य प्रदेश में जनता सरकार ने यह अनुभव कर लिया था कि गरीब पद-दलित लोग उन्हें समर्थन देने नहीं जा रहे हैं । उन्होंने राहत कैम्प सूखाग्रस्त इलाकों से, जहां राहत कार्यों की वास्तव में आवश्यकता थी, बहुत दूर स्थापित किये । इसके परिणामस्वरूप जिन लोगों को राहत की अत्याधिक आवश्यकता थी उन्हें अपने निवास स्थानों को छोड़ना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप वे सभी गरीब लोग वोट नहीं डाल सके । जब ये लोग भूख से मर रहे थे तथा जिन्हें तुरन्त राहत दिये जाने की आवश्यकता थी उस समय उनका बचाव करने के बजाय सरकार ने उन्हें वोट नहीं डालने दिये । क्या इसे लोकतंत्र कहा जा सकता है ? क्या ऐसी स्थिति में लोकतंत्र विद्यमान रह सकता है ? लोकतंत्र तभी विद्यमान रह सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को विशेषकर पद-दलित और गरीबों को वोट डालने दिया जाये । उत्तर प्रदेश में लोकदल सरकार द्वारा स्थापित की गई वितरण व्यवस्था की ओर हम दृष्टिपात करें । वहां डीजल की सप्लाई कम है परन्तु पश्चिमी जिलों में उसका कोई अभाव नहीं है, क्योंकि लोकदल को पश्चिमी जिलों से अधिक स्थान मिले हैं । वहां डीजल की भरमार है जबकि पूर्वी जिलों म उसका अभाव हैं । मैं पूर्वी जिलों के अपने उन मित्रों से, जो इस समय विपक्ष में बैठे हैं, पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस नीति का समर्थन करते हैं ? क्या आप ऐसी सरकार को बनाये रखना चाहते हैं जो राज्य के बड़े भाग को भूखा मारे जिससे उस छोटे से भाग को मदद पहुंचाई जा सके जहां से उन्हें वोट मिले थे ? एक सरकार जो अपने राजनीतिक हित के लिये राज्य के एक बड़े भाग को भूखों मारती हैं, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

और फिर वह सरकार कैसी थी ? वहां लगातार आपस में लड़ाई चल रही थी । एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाये जा रहे थे । मध्य प्रदेश में जनता पार्टी के सांसदों ने मुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया । उन्होंने मुख्य मंत्री से कहा कि उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि वे भ्रष्ट है । पंजाब में मुख्य मंत्री पर उनके अपने ही विधान सभा सदस्यों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तथा मुख्य मंत्री ने दल के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और तस्करी का आरोप लगाया । ऐसी स्थिति में क्या कोई सरकार काम कर सकती है ? क्या केन्द्र में स्थित सरकार का यह देखना कर्त्तव्य नहीं है कि राज्य सरकारें काम कर सकती हैं और मुख्य मंत्रियों को अपने विधान सभा सदस्यों का समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं ? मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों की वह सरकारें थीं । उनके अपने ही विधान सभा सदस्यों ने मुख्य मंत्रियों को भ्रष्ट कहा ।

उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी घटना बड़ी महत्वपूर्ण है । 1978 में पुलिस में यह रिपोर्ट की गई कि एक मंत्री नियमित रूप से पशुओं के चराने के काम में लगा था । रिपोर्ट में आगे यह कहा गया है क्योंकि वह व्यक्ति मंत्री बन गया इसलिए पशु चुराने की इस घटना को उसके जिले में दबा दिया गया । यह सब पुलिस की फाइल में दर्ज है ।

उस समय की केन्द्रीय सरकार में एक मंत्री थे जिन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मैंने रेलगाड़ियों को उड़ाने तथा उन्हें पटरी से उतारने का प्रयत्न किया तथा उन्हें इस बात का गर्व भी है कि उन्होंने 56 रेलगाड़ियों को पटरी से उतारा । जहां सरकारें ऐसे लोगों की हों वहां वे कार्य नहीं कर सकते । सरकार को कार्य करने के लिये आवश्यक है कि वह स्थायी हो । उनमें एकता हो । विपक्ष में बैठे मेरे मित्र निश्चय ही यह स्वीकार करेंगे कि उनमें एकता नहीं थी ।

सुदृढ़ केन्द्र और कमजोर राज्यों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि राज्य कमजोर होंगे तो केन्द्रीय भी कमजोर होगा । पिछले 3 वर्षों का इतिहास हमें

यह बताता है । राज्यों में हमारी कोई सरकार नहीं थी और केन्द्र में भी हमारी सरकार नहीं थी। जब राज्य सुदृढ़ होंगे तभी केन्द्र सुदृढ हो सकता है । हम चाहते हैं कि राज्य सुदृढ़ हों और केन्द्र भी सुदृढ़ हो. इतना ही नहीं हम यह भी चाहते हैं कि राज्यों की सरकारें और केन्द्र की सरकार जैसी कि भूतकाल में नहीं थीं ..... (**व्यवधान**) । कांग्रेस (आई) के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । विपक्ष को यह नहीं बताना बड़ा रुचिकर होगा कि 1980 में कांग्रेस (आई) को जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस (यू) को एक साथ मिले कुल मतों से अधिक मत मिले । ये कुछ बड़े-बड़े दल हैं । इन तीनों को मिले मत कांग्रेस (आई) को अकेले मिले मतों से कहीं कम हैं ।

एक माननीय सदस्य : ये बड़े दल नहीं हैं ।

श्री संजय गांधी : मैं यह स्वीकार करता हूं कि ये बड़े दल नहीं हैं । मैं अपनी गलती मानता हूं ... (**व्यवधान**) 1977 में जब जनता पार्टी ने यह कहा था कि कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया है) कांग्रेस ने उस समय इस सदन में 160 स्थान जीते थे । अब जब हम कहते हैं कि जनता पार्टी पूर्णतः धाराशाही हो गई है तो उन्होंने केवल 31 स्थान जीते हैं । लोकदल भी पूर्णतः हार गया है । उसने केवल 41 स्थान जीते हैं । मैं ने अभी-अभी आपको बताया कि वे किस प्रकार जीते थे । जनता पार्टी और लोकदल दोनों ने कुल मिलाकर 72 स्थान जीते, जो 1977 में कांग्रेस द्वारा जीते गये स्थानों के आधे से भी कम हैं । परन्तु तब भी यह कहा जाता है कि जनता पार्टी का पूर्ण सफाया नहीं हुआ है । परन्तु 1977 में कांग्रेस का पूर्ण सफाया हो गया था ।

यह बताया गया कि राज्यों में विधान सभाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका था । प्रत्येक राज्य का एक वर्ष और बचा था । इस संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि तत्कालीन विधान के द्वारा राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया । हम तत्कालीन विधान के अनुसार कार्य करते हैं अथवा उस विधान के अनुसार जो भविष्य में संशोधित किया जाने वाला है ? हमेशा जो विधान उस समय लागू होता है उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं । और यदि हम जनता पार्टी, लोकदल और साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल तथा अन्य उन सभी लोगों की बात मान लें जो विपक्ष में बैठे हैं तो भी उत्तर प्रदेश विधान सभा के 2 वर्ष बाकी थे तथा उड़ीसा विधान सभा के भी 2 वर्ष शेष थे । फिर हमसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी स्थान नहीं मिला परन्तु उड़ीसा में हमें 4 स्थान मिले थे । यह भी वस्तुस्थिति को पूर्णतः अनदेखी करना है । यह तो मात्र विरोध के लिये विरोध करना है ।

कांग्रेस के कुछ मित्रों ने यह कहा कि हमने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, यह उचित प्रतीत होता है । उन्होंने 1977 में इसका विरोध किया था । उन्हें अब भी इसका विरोध करने का अधिकार है । हम अपने व्यक्तिगत विचारों को ही नहीं मानते वरन सर्वोच्च न्यायालय के विचारों को भी मानते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केन्द्र और राज्यों में मतभेद हों तो कोई भी काम नहीं किया जा सकता । इससे किसकों हानि होगी ? यदि कोई काम नहीं होगा तो भारत के लोगों को ही इसकी हानि उठानी पड़ेगी । जनता पार्टी को इसकी कोई हानि नहीं होगी । लोकदल को भी कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी । कांग्रेस (आई) को भी कोई हानि नहीं होगी । हानि तो केवल मतदाताओं को होगी। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह मतदाताओं को अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चूनने का अवसर दें ? क्या केन्द्र का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह ऐसी सरकार चुनने का अवसर दें जो काम कर सकें ? धन्यवाद ।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : पिछले दो दिन से वादविवाद चल रहा है और मैं उत्तर देने के लिये उसमें से कुछ बातों को खोजने का प्रयत्न कर रहा हूं । देखने पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता हो । इसलिए मैं विधान सभाओं को भंग करने की इस घटना के संबंध में अपने पक्ष को रखना चाहूंगा । इस घटना पर 3

पहलुओं से विचार किया जाना चाहिये । संवैधानिक पहलू, राजनीतिक पहलू और नैतिक पहलू । इनके विश्लेषण में जाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि 1977 में जनता पार्टी ने ऐसा ही किया था । इस पर तुरन्त यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप भी जनता पार्टी के पदचिन्हों पर ही चलने जा रहे हैं ? हमारी स्थिति, जहां तक मैं समझता हूं, बहुत ही स्पष्ट है । विधान सभाओं को भंग करने के इस निर्णय के लिये हम जनता पार्टी सरकार द्वारा उठाये गये कदम का सहारा नहीं लेना चाहते । यह निर्णय हम अपने ही बलबूते पर ले रहे हैं । इसका अपना ही एक आधार है । जनता पार्टी का विधान सभा भंग करने के हमारे इस कदम का विरोध करने का कोई नैतिक आधार नहीं है । जब मैं इस घटना के नैतिक पहलू को लूंगा तो इस संबंध में व्यापक रूप से बताऊंगा ।

संवैधानिक पहलू की स्थिति क्या है ? यह एक सर्वस्वीकृत तथ्य है कि जब एक निर्वाचि विधान सभा या संसद लोगों का समर्थन खो देती है तो इस प्रश्न को लोगों के सामने रखने का अवसर आ जाता है । गृह मंत्री, विधि मंत्री और विभिन्न दलों ने भी उस समय यही स्थिति सामने रखी थी । उस समय श्री चरण सिंह ने जो स्थिति स्वीकार की थी मैं उसे पढ़ता हूं :—

> "प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञों की लम्बे समय से यह राय रही है कि जब कोई विधान मंडल मतदाताओं की इच्छाओं या विचारों को व्यक्त करने में असफल हो जाता है और जब यह विश्वास हो जाता है कि विधान मंडल और मतदाताओं में समन्वय नहीं है तब मतदाताओं से फिर से उनके मत लेने के लिये विधान मंडल का भंग किया जाना ही सबसे उचित है ।"

मैं उस समय के विधि मंत्री श्री शांति भूषण द्वारा दिये गये वक्तव्य का भी उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने और भी आगे बढ़ कर कहा है :—

> "जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि सरकार में लोगों के विश्वास के बने रहने पर सन्देह—मात्र सन्देह ही पर्याप्त है—हो जाता है तब विधान सभाओं को समय से पहले भंग करने की आवश्यकता होती है । इस उपबंध के द्वारा यह अधिकार ही नहीं दिया जाता कि विधान सभाओं को तुरन्त भंग किया जाये वरन ऐसा करना कर्त्तव्य भी हो जाता है । सरकार को लोगों के पास जाकर यह पूछना चाहिये कि क्या उसे अब भी उन पर शासन करने के लिये उनका विश्वास प्राप्त है ।"

हम इससे सहमत नहीं हैं । हमने कहा है क्योंकि संविधान एक लिखित दस्तावेज है इसलिये हम उसके अनुसार ही कार्य करेंगे । हमारा कहना है कि संविधान संबंधी ये पूर्वोदाहरण वैध नहीं है । इसी पर हम अदालत में गये । तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस संबंध में अदालत की स्थिति सर्वथा स्पष्ट है । पृष्ठ 1416 में दिये गये अपने सर्वसम्मत निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने विचारणीय मुद्दों के बारे में इस प्रकार कहा है :

> "कि क्या इस आधार को कि विधान सभा मतदाताओं की इच्छा को व्यक्त नहीं करती है तथा विधान सभा और मतदाता एक दूसरे के विरोधी हैं अनुच्छेद 356 अर्थात् विधान सभा भंग करने के लिये असंगत माना जा सकता है ? क्या इसका संबंध उन बातों से हैं जिनके बारे में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को संतुष्ट

करना होता है ? क्या राज्य की सरकार के संविधान के उपबंधों के अनुसार चलने पर इसका कोई असर पड़ता है ।"

यह दो बातें सर्वोच्च न्यायालय के सामने उठाई गई । सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उत्तर में कहा :

"हमारा यह विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कि यह आधार एक उचित आधार है जिसका सम्बन्ध उन बातों से है जिनके बारे में अनुच्छेद 356 खंड (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पहले राष्ट्रपति को संतुष्ट करना चाहिये ।"

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि जब एक राज्य की सरकार भारत के संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सके तब ऐसी स्थिति का पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है । उसने कहा है :

"अनुच्छेद 355 के अधीन केन्द्र का यह कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य कर रही है और इसलिए जब राष्ट्रपति को यह पता चले कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य की सरकार चल नहीं सकती, वह अनुच्छेद 356 खंड (1) के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है । संविधान के अन्तर्गत यह करना उसका कर्त्तव्य है और जहां तक उस राज्य का संबंध है उसके संबंध में संघीय प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए ।"

संविधान के अनुच्छेद 147 के अन्तर्गत विधि की स्पष्ट व्याख्या की गई है । उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून ही देश का कानून है । इसलिये जिस क्षण सर्वोच्च न्यायालय यह कहे कि देश का कानून यही है कि जब निर्वाचित संस्था और लोगों के बीच सौजन्य न रहे तब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पाती है और ज्यों ही केन्द्र सरकार को यह विश्वास हो जाये कि यह स्थिति पैदा हो गई है, तो यह आवश्यक अथवा वैधनिक ही नहीं वरन् संविधान के अन्तर्गत यह अनुमति भी है कि संघीय प्रणाली को समाप्त किया जाये और उन्हें चाहिये कि वे फिर से जनता के पास जायें । इस समय हमारे सम्मुख यही समस्या है । यह निर्विवाद है कि विधान मंडल को बनाये रखने के लिये जनता का समर्थन आवश्यक है । जनता पार्टी ने भी इस बात को स्वीकार किया है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की है कि लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करना आवश्यक है ।

श्री शशि भूषण ने यह कहा है कि यह आवश्यक ही नहीं है वरन् इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि विधान मंडल लोगों का समर्थन खो चुका है । सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि यह निर्णय उचित है ।

साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी इस संबंध में बहुत शोर मचा रही है । उसकी स्थिति भी सर्वथा वैसी ही थी । वह आज भी वसी ही है । मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों का विश्वास खो चुके हैं तो क्या विधान मंडल को समाप्त किया जा सकता है ? वे कहते हैं कि कांग्रेस (आई) के नेता यह दावा करते हैं कि जनता पार्टी ने स्वयं ही ऐसा उदाहरण स्थापित किया है । 1977 में विधान सभाओं को भंग करने संबंधी सरकारी आदेश में इसके समर्थन में लोकतांत्रिक कारण दिये गये थे । वे सर्वथा सही थे । कांग्रेस पार्टी के दावे को रद्द किये जाने से यह स्पष्ट हो गया कि राज्य के मंत्रिमंडल को मतदाताओं का विश्वास प्राप्त नहीं था । इसलिए

साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी आज भी यह मानती है कि जिस भी क्षण विधान मंडल को लोगों का समर्थन मिलना बन्द हो जायेगा, ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जब विधान मंडल को भंग किया जा सके। इसलिए अब यह प्रश्न रह जाता है कि क्या ऐसी कोई गम्भीर संदेह पैदा हो गया है कि विधान मंडल लोगों का समर्थन खो चुका है ? इस संबंध में उपलब्ध आंकड़े अपनी कहानी कहेंगे।

वह कौन सी स्थिति थी जिनके आधार पर विभिन्न विधान सभाओं को भंग किया गया, इसके संबंध में मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा।

दो कसौटियां इस संबंध में लागू की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं :

1. आप विधान सभा में एक मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा अब आप उसे किस सीमा तक खो चुके हैं।
2. जब विधान सभा भंग की गई उस समय हमारी कितनी शक्ति थी, जिसके रहते हुए भी विधान सभा को भंग किया गया।

मैं इस संबंध में बताऊंगा। 1977 के चुनाव में विभिन्न विधान सभाओं में क्या स्थिति थी वह हमें पता है।

तब उनको कितने स्थान मिले थे और उन की तुलना में अब कितने स्थान मिले हैं। 1977 के चुनाव में बिहार में हमें 23 प्रतिशत मत प्राप्त हुये थे किन्तु उन्होंने विधान सभाओं का विघटन कर दिया। इस चुनाव में उन्हें 23.5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। गुजरात में हमें 46.92 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। मध्य प्रदेश में हमें 32.47 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। अब उन्हें 31.30 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा में हमें 38.18 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे और वहां पर विघटन कर दिया गया था। अब उन्हें 19.52 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं और वे बने रहना चाहते हैं। पंजाब में हमें 34.85 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। अब उन्हें 23.37 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। जब हमें 34.85 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे, तब वहां पर विघटन किया जा सकता था किन्तु अब तब उन्हें 23.37 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं तब उनका विघटन नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में हमें 31 प्रतिशत मत प्राप्त हुए जबकि उन्हें अब 31.2 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। प्राप्त हुए मतों की प्रतिशतता एक जैसी होने पर हमारा विघटन तो किया जा सकता था परन्तु अब उनका विघटन नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में हमें 25 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। अब उन्हें 28 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। अतः स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिकांश राज्यों में, जहां विधान सभाओं का विघटन किया गया था, उन्हें अब जितने मत मिले हैं उनकी तुलना में हमें पहले अधिक प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। इतने प्रतिशत मत प्राप्त करने के बावजूद हमारा विघटन किया जा सकता था तो अब इसके लिए क्या यह तर्क दिया जा सकता है कि तब हम लोगों का विश्वास खो बैठे थे परन्तु अब आप में लोगों का विश्वास बना हुआ है ? क्या यह तर्क दिया जा सकता है ? विचारणीय बात यह है कि आप को कितने मत कम मिले। 1977 में आप को कितने मत प्राप्त हुए थे और अब कितने मत कम प्राप्त हुए हैं। बिहार में तब उन्हें 64.98 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे और अब उन्हें 23.5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में 58 प्रतिशत मतों की तुलना में अब 31 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा में 68.75 प्रतिशत से कम हो कर 19.52

प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। पंजाब में 59.74 प्रतिशत मतों की संख्या कम हो कर 23.37 प्रतिशत रह गई। राजस्थान में 65.25 प्रतिशत से कम हो कर 31.65 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश में 68.25 प्रतिशत की तुलना में अब उन्हें 28.29 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। इसके दो पहलू हैं। 1977 में उन्हें जो मत प्राप्त हुए थे, उनकी स्थिति बिल्कुल ही बदल गई है क्योंकि उन्हें अब उतने भी मत प्राप्त नहीं हुए जितने हमें 1977 में प्राप्त हुए थे। यदि इतने मत प्राप्त होने पर विघटन किया जा सकता था और यदि प्राप्त हुए उन मतों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता था कि हमने लोगों का आदेश खो दिया है तो क्या हमारे लिए यह कहना युक्तिसंगत नहीं है कि जब उन्हें उतने भी मत प्राप्त नहीं हुए जितने हमें 1977 में प्राप्त हुए थे, इसलिए उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है ? मैं उस पर निर्भर नही कर रहा हूं कि उन्होंने क्या किया था। प्रश्न तो यह है कि लोगों का आदेश न मिलने पर क्या विधान सभा का विघटन किया जा सकता है अथवा नहीं ? दूसरी बात यह है कि यह निश्चित करने के लिए क्या कसौटी होनी चाहिये कि लोगों का विश्वास उठ गया है ? 1977 में अपनाई गई कसौटी के आधार पर मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है। ऐसी दशा में उच्चतम न्यायलय का कहना है कि विघटन न केवल अनुज्ञेय और वांछनीय ही है परन्तु विधान सभाओं का विघटन करना संघ सरकार की संवैधानिक और आज्ञापक जिम्मेदारी है जिससे लोग अपने प्रतिनिधि फिर से चुन सके। यदि हम विधान सभाओं का विघटन न करते, तो हमने संवैधानिक अपराध किया होता और हमने उस बाध्यता को भंग किया होता जो संविधान और उच्चतम न्यायलय ने हम पर डाली है। अतः उन्हें कहना चाहिये था कि हमने ठीक ही किया है। ऐसा करने के लिए आलोचना करने की बजाये हमारी सराहन की जानी चाहिये थी। यह एक संवैधानिक पहलू है और जो बिल्कुल स्पष्ट है और उसका खण्डन नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह संवैधानिक रूप से अनुज्ञेय नहीं है।

अब हम राजनैतिक पहलू को लेते हैं। वे कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। क्या लोगों के पास जाना लोकतंत्र के विरुद्ध है ? अधिक न कहते हुए, मैं इस सम्बन्ध मे केवल उच्चतम न्यायलय के विनिश्चय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि इससे अधिक और क्या लोकतंत्रात्मक हो सकता है। श्री मोरारजी देसाई ने बहुत ही कम अवसरों में से, जब वह ईमानदार होते हैं, एक अवसर पर यह वक्तव्य दिया, "मैं इससे सहमत नहीं हूं कि यह अलोकतंत्रात्मक है।" उन्होंने कहा कि यह पूर्णतया लोकतंत्रात्मक है। उच्चतम न्ययालय ने कहा है :—

> "हमारे संविधान और विधियों का एक प्रयोजन निर्वाचकों को अपने राज्य के विधान मंडल को समय-समय पर चुनने और इस तरह अपन राज्य की सरकार के स्वरूप का निर्धारण करने का अवसर प्रदान करना है। अतः इस प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए कोई नीति बनाना संविधान के बुनियादी ढांचे या स्कीम के विरुद्ध नहीं हो सकती। यह बात कि क्या उन्हें यह अवसर इस समय या बाद में दिया जाये, राजनैतिक वांछनीयता अथवा कार्यपालक नीति का प्रश्न हो सकती है।"

अतः उच्चतम न्यायलय का कहना है कि ऐसा आदेश कुछ भी हो, वह अलोकतंत्रात्मक नहीं हो सकता । यह बिलकुल ही लोकतंत्रात्मक स्थिति है ।

अब वे राजनैतिक पहलू की बात करते हैं । यह भी एक तर्क है जो वे दे रहे हैं । हम केवल यह बता रहे हैं कि समूची स्थिति बदल गई है । हमें फिर लोगों के पास जाना चाहिये । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि इन सरकारों को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । 1977 में लोगों ने किन को चुना था ? लोगों ने जनता पार्टी को चुना था । क्या किसी भी राज्य में कहीं जनता पार्टी है ? क्या लोकदल को चुना गया था ? क्या जनता पार्टी को इस रूप में चुना गया था । जैसाकि पुरानी कहावत है, हर चुहिया चूहा बन रही है । दलों का उत्तरोत्तर विघटन हो रहा है और वे अब अपने मूल स्वरूप में सामने आ रहे हैं । यह सब हो रहा है । जन संघ सामने आ रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सामने आ रहा है ; भारतीय क्रान्ति दल सामने आ रहा है, सभी अलग अलग सामने आ रहे हैं । सभी पुराने दल सामने आ रहे हैं और वे कहते हैं कि वे बना रहना चाहते हैं । क्या 1977 में लोगों के पास इसी रूप में गये थे ? यदि वे ईमानदार होते, तो जैसे ही उनका विघटन हुआ था और उनका स्वरूप बदल गया था, उन्हें लोगों को बताना चाहिये था कि अब वे, वे नहीं रहे जिन्हें उन्होंने चुना था । अब वे बदल गये हैं; हम आदेश के लिए आप के पास आ रहे हैं । परन्तु वे तो अब भी चिपके हुए हैं । यह राजनैतिक बेईमानी है । उन्होंने 1977 में जो कुछ किया वह लोगों के साथ एक धोखा था । उन्हें पता था कि वे इकट्ठे नहीं रह सकते वे यह भी जानते थे कि वे अलग-अलग हैं और केवल दिखावा था । उन्होंने लोगों से झूठ बोला था कि वे सदा के लिए संगठित हो गये हैं । वे कभी संगठित नहीं हुए । वे अलग अलग दल बने रहे । उनकी अलग-अलग बैठकें होती रहीं । यहां तक के उनके नेता भी अलग-अलग रहे । इस प्रकार उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया । अन्ततः वे अलग अलग हो गये । लेकिन वे अब 1977 के आदेश के आधार पर सत्तारूढ़ रहना चाहते हैं । क्या यह राजनैतिक ईमानदारी है ?

अधिनायकवाद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । हम इस अधिनायकवाद से तंग आ गये हैं । हमें अधिनायकवादी कौन कह रहे हैं । मैं उनके मुंह देखना चाहता हूं । जो हमें अधिनायकवादी बता रहे हैं अधिनायकवाद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । यह सब दूरदर्शन, रेडियो, शाह आयोग और $2\frac{1}{2}$ वर्षों में नियुक्त किये गये अन्य आयोगों द्वारा तथा भाषणों में कहा जाता रहा है । लोग इन्दिरा गांधी और कांग्रेस से सुपरिचित हैं । हम नये न हो कर पुराने ही हैं । अब हमें अधिनायकवादी बताया जा रहा है । लोगों ने उन्हें भी परखा और हमें भी परखा और अब निर्णय दिया । लोगों ने या तो उनकी इस धारणा को गलत बताया अथवा उन्होंने अधिनायकवाद को स्वीकार कर लिया । किन्तु वे लोगों के इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं । वे अब भी यही कह रहे हैं कि हम अधिनायकवादी हैं । वे कह रहे हैं कि इन्दिरा गांधी उसी विचारधारा के साथ सत्ता में आ रही हैं । क्या उन्होंने इन्दिरा गांधी की विचारधारा में कोई परिवर्तन होते देखा है ? उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव के समय उनसे माफी मंगवाने का हर प्रयत्न किया ? क्या आप ऐसा कर सके, क्योंकि इन्दिरा गांधी तो इन्दिरा गांधी ही थी और अब भी इन्दिरा गांधी ही है । इन्दिरा गांधी वही हैं जिसे लोग जानते हैं । लोग इन्दिरा गांधी में कोई

परिवर्तन नहीं चाहते हैं । इन्दिरा गांधी जो पहले थी, जो अभी तक बनी रही और जो अब है, लोग उसी इन्दिरा गांधी को चाहते हैं ।

वे हमें अधिनायकवाद बता रहे हैं । अधिनायकवाद है क्या ? अधिनायकवाद का उलट अराजकता है । यदि श्री राज नारायण अधिनायकवाद की बात करें तो समझ में आ सकती हैं । अराजकता अधिनायकवाद के प्रतिकूल है । अधिनायकवाद सर्वाधिकारवाद से भिन्न है । यह तानाशाही से भी भिन्न है । हम अराजकता के विरुद्ध हैं । हमें प्राधिकार मिलता है और हमें उसका प्रयोग करना पड़ता हैं । प्रश्न यह है कि हम इस प्राधिकार का प्रयोग किन के लिए करते हैं ? हम इसका प्रयोग पददलित लोगों के लिए करते हैं और इसका प्रयोग आगे भी होगा । हम लोगों के पास प्राधिकार लेने जाते हैं । यदि यह अधिकारावद हैं तो हम इसे स्वीकार करते हैं । परन्तु यह तानाशाही से भिन्न है । लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए अधिकारवाद है । यह लोकतंत्र हैं और हम उसी के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहे हैं ।

उन के साथ कौन हैं ? उन के पास श्री वाजपेयी जी हैं । बुरे दिनों में अपरिचित मित्र बन जाते हैं, मेरे माननीय मित्र, श्री वाजपेयी के साथ मार्क्सवादी मित्र हैं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और मार्क्सवादी मित्र बन गये हैं । क्या अब मार्क्सवादी हमें लोकतंत्र की बात बताएंगे ? हमें लोकतंत्र के बारे में बताने का प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है । क्या अब मुझे मार्क्सवादियों की शरण में जा कर लोकतंत्र को समझना होगा ? क्या यह उन्होंने ही नहीं कहा है कि भारत अभी स्वाधीन नहीं है ? क्या यह उन्होंने नहीं कहा है कि पंचवर्षीय योजना भी कोई योजना है ? क्या यह उन्होंने ही नहीं कहा है कि भारत का संविधान बुर्जुआ संविधान है, जिसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये ? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि हम संविधान को भीतर से समाप्त करने के लिए सत्तारूढ़ होना चाहते हैं ? क्या यह सब उन्होंने ही नहीं कहा हैं ? जब वे सत्ता में आयेंगे तो वे हमें किस प्रकार का लोकतंत्र देंगे ? क्या वे किसी अन्य दलों को रहने देंगे ? क्या वे हमें ऐसी गारंटी दे सकते हैं ? वे क्या गारंटी दे सकते हैं ? यदि वे हमें कोई गारंटी देते भी हैं, तो उसका क्या महत्व होगा । जैसे ही वे ऐसा कहते हैं, वे मार्क्सवादी नहीं रहते क्योंकि उनका एक दलीय राज में ही विश्वास है । श्री सोमनाथ चटर्जी लोकतंत्र की बात करते हैं । कुछ भी हो, यह एक अच्छी बात है कि भारत की संसद् में भी कुछ मसकरापन है । जब वे लोकतंत्र और अधिकारवाद की बात करते हैं तो हमें यही सब कहना पड़ता है । एक दल जिसका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ सम्बन्ध हैं, वह अधिकारवाद की बात करता है । यह एक ऐसा संगठन है जिसका मुखिया भावी मुखिये को नामनिर्देशित करता है, परन्तु यह अधिकारवाद नहीं है, किन्तु यहां यह अधिकारावद है ।

जहां तक हमारा लोगों के पास जाने की बात का सम्बन्ध है, इस बारे में भी उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि क्या यह अधिकारवाद है या नहीं । दूसरी तरफ के सदस्यों ने कहा है कि हमने सत्ता हथिया ली है । इसमें गलत बात क्या है ? हम सत्ता चाहते हैं; हम सत्तारूढ़ होना चाहते हैं, हम अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं । हम सन्यासी तो हैं नहीं । हम तो राजनीतिज्ञ

हैं और अपने कार्यक्रमों तथा नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है ? वह कहता है :

> "जैसा कि हमने ऊपर बताने का प्रयत्न किया है, निर्वाचकों से अपील कर के राजनीतिक जीत प्राप्त करने के लिए किये गये यत्न प्रतियोगी दलों के बीच मुकाबला करने की अनुज्ञा देने वाले सरकार की लोकतंत्रात्मक प्रणाली के मान्यताप्राप्त नियमों के भाग होते हैं जिससे कतिपय अन्य उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके । यदि किसी राज्य में किसी दल के सदस्यों द्वारा प्रस्तावना में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति करने के एक ढंग के रूप में लोगों के लिए लाभदायक समझे जाने वाले कतिपय कार्यक्रमों को जो संविधान के अधीन न केवल वैध और अनुज्ञेय ही हैं परन्तु स्पष्टया विभिन्न दलों द्वारा उनके विचारों के अनुसार सही समझी जाने वाली नीतियों को लागू करने के लिए सत्ता प्राप्त करने के लिए केवल मात्र युक्तियुक्त और वैध उपाय ही हैं, लागू करने की दृष्टि से कोई राजनैतिक जीत प्राप्त करने की इच्छा से किये गये किसी ऐसे मुकाबले के सम्बन्ध में सम्भवता यह नहीं कहा जा सकता हैं कि कोई जीत प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी राज्य विधान सभा के विघटन का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन बिल्कुल नहीं है ।"

क्या इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है ? यह एक राजनैतिक अधिकार है । भारत एक ही देश है और हमें इस देश के शासन को चलाना पड़ेगा और अपने कार्यक्रमों को लागू करना पड़ेगा । जब हम देखते हैं कि कुछ राज्य इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, तब क्या यह हमारी जिम्मेवारी नहीं हैं कि हम लोगों के पास जायें और उन से पूछे कि क्या वे राज्य की व्यवस्था द्वारा कार्यक्रमों को लागू करने की अनुज्ञा दें । जहां तक जनसंघ का सम्बन्ध है उसकी स्थिति बिल्कुल अलग रही है । वे शक्तिशाली केन्द्र, जिसमें शक्ति का संकेन्द्रण हो, और अखण्ड भारत चाहते हैं । परन्तु मार्क्सवादियों के साथ उन का सम्पर्क हो जाने से उनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया है । जैसा कि मैंने कहा कि बुरे दिन अपरिचित लोगों को मित्र बना देते हैं, उनका जो पहले रुख था उससे अब वे कोई अजीब भिन्न रुख अपना रहे हैं ।

अतः लोगों के पास जाना कोई शर्म की बात नहीं है । हम शक्ति को हथियाना नहीं चाहते हैं । लोकतंत्रात्मक प्रणाली के होते हुए अधिकारवाद की बात करना बेहूदा है । लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में अधिकारवाद की बात करना इस बात को स्वीकार करना है । कि हमें भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता में विश्वास नहीं है । यह एक स्पष्ट स्थिति है अब हम लोगों के पास जा रहे हैं और यदि हम लोगों के पास उन से अधिकार और शक्ति प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो यह एक नितांत अनुज्ञेय स्थिति है ।

किसी ने यह भी कहा है कि हम इसका प्रयोजन जानते हैं । राज्य सभा में हमें और सीटें मिल जायें । इस में गलत क्या है ? मैं फिर पूछता हूं कि इसमें गलत क्या है ? यदि विधान सभाओं के सदस्यों में लोगों का विश्वास नहीं रहा है, तो क्या राज्य सभा के लिए लोगों को भेजने के लिए निर्वाचक मंडल यही लोग बनेंगे ? हम चाहते हैं कि लोग विधान

सभाओं के लिए सही प्रतिनिधि चुन कर भेजें जिससे लोगों का वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचक मंडल राज्य सभा में अपने प्रतिनिधि भेज सकें । इस में शर्म की क्या बात है ? विघटन करने का यह भी एक कारण है । निश्चित है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है । वे लोग चोर दरवाजे से घुसना चाहते हैं । वे वहां पर छः वर्ष के लिए सदस्य बना रहना चाहते हैं । वे सब कुछ हार चुके हैं अब वे अपने लोगों को भेजना चाहते हैं जिससे वे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में वहां रह सकें । राज्य का प्रतिनिधित्व वहां के लोग ही कर सकते हैं न कि लोगों के ऐसे प्रतिनिधि जो आपस में बटे हुए और अव्यवस्थित हैं । लोगों के प्रतिनिधियों को ही राज्य सभा में प्रतिनिधि भेजने चाहिये । इस में कोई शर्म की बात नहीं है ।

सब से महत्वपूर्ण प्रश्न असहयोग या झगड़े का है । जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उत्तर यह है कि हम झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं हैं । अब उन लोगों का धन्यवाद है । केरल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि वे झगड़ा नहीं करना चाहते । श्री ज्योतिर्मय बसु ने भी कहा है कि वे झगड़ा नहीं करना चाहते । इस कृपा के लिए धन्यवाद । वे कहते हैं, वे झगड़ा नहीं करना चाहते परन्तु विरोध करना चाहते हैं । वे हमारी नीतियों को क्रियान्वित नहीं करेंगे । वे कानूनों को लागू नहीं करेंगे और कुछ भी क्रियान्वित नहीं करेंगे और वे झगड़ा नहीं करना चाहते । ठीक है यह तो उनकी इच्छा है । यह तो ऐसे है जैसे कि कोई कह रहा हो, मैं किसी का वध नहीं करना चाहता । यह तो उनकी मर्जी है वे वध करें अथवा न करें । यदि वे वध करते हैं, तो उसका फल मिलेगा और यदि नहीं करते हैं, तो काम ठीक चल सकता है । यह उनका काम है कि क्या वे झगड़े के लिए हैं या नहीं । परन्तु उनका रवैया क्या था ?

एक अधिक महत्वपूर्ण बात तो वह संकल्प था जो राज्य सभा ने पास किया । यह एक महत्वपूर्ण बात है । जब धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है उसे रद्द कर दिया जाता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है ? यदि इसे लोक सभा रद्द करे तो इसे सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के रूप में माना जाता है और सरकार त्यागपत्र दे देती है । परन्तु इसे राज्य सभा ने रद्द किया । धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन करने से वस्तुतः धन्यवाद प्रस्ताव को रद्द करना है । इसका अर्थ क्या है ? यद्यपि लोगों ने आप लोगों को चुना है, यद्यपि लोक सभा में लोग ही हैं, तथापि राज्य सभा, जहां विपक्षी दलों का बहुमत है, कहती है, हम नहीं मानते । हमारा सरकार में अविश्वास है । हम सरकार का विरोध करते हैं । यह संकल्प सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की झोषणा थी । वे इसे नहीं मानते हैं, यही झोषणा की गई थी ।

ठीक है, 1977 में यही प्रश्न हमारे सामने आया था । उस समय राज्य सभा में हमारा सम्पूर्ण बहुमत था । हमने इस मामले पर चर्चा की । बहुत सी भड़काने वाली बातें हो गई थीं । हमने इस मामले पर चर्चा की और फैसला किया कि धन्यवाद प्रस्ताव को न मंजूर करना गलत होगा । लोगों ने उन्हें चुना है और इसलिये हमने कहा : "हम इसे स्वीकार करते हैं ।" इसलिये हमने राज्य सभा में धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया । आपने एक अलग तरीका अपनाया है । आप तो केवल विरोध करते हैं । आपने हमारे खिलाफ लड़ाई घोषित कर दी ।

नारायणपुर की घटना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । श्रीमन्, आप इसके महत्व को समझें । संसद द्वारा पास किये गये कानून पर अमल अवश्य किया जाना चाहिये और यह देखना कि इस पर अमल किया गया है या नहीं केन्द्र का काम है । अन्तर्ग्रस्त कानून दण्ड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता के हैं । उन पर अमल किया गया या नहीं यह देखा जाना चाहिये और यदि यह शक होता है कि उन पर अमल नहीं किया जा रहा है तो प्रधान मंत्री को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या उस पर अमल हो रहा है या नहीं । वह फैसला करती हैं और जाती हैं और यहां पर ये लोग उनका विरोध करते हैं और कहते हैं, "प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करेंगी । वह मेरा प्रान्त है । वह यहां नहीं आयेंगी ।" उनका यह रवैया है ।

तीसरे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक श्री देवरस ने कहा "हमें सहयोग करना चाहिये" । किसी ने कहा कि देवरस ने यह प्रधान मंत्री के कहने पर किया है । इसके प्रतिक्रिया स्वरूप श्री आडवाणी ने तुरन्त एक वक्तव्य दिया : "मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । इन्दिरा गांधी बदली नहीं हैं और कभी नहीं बदलेंगी । इसलिये सरकार से सहयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।" राज्य सभा में विपक्ष के नेता, श्री आडवाणी का यह रवैया रहा है । फिर यह घोषणा की गई कि कानून का पालन नहीं हुआ । इसका क्या मतलब है ? यह तो वही बात है जो उन्होंने पहले की थी । संविधान के संशोधन के बारे में कहा गया है कि इसे पास किया जाता है या नहीं, यह प्रश्न नहीं है । केन्द्र एक निर्देश जारी करता है : "कृपया इसे विधान सभा के समक्ष लायें और उस पर अनुमोदन प्राप्त करें ।" केन्द्र उन्हें इसे विधान सभा के ध्यान में लाने के लिये कहता है । उन्हें यह करना चाहिये था । लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है ।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : हमने यह कर दिया है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप इसे पास कर चुके हैं । अब श्रेय लेने की कोशिश मत कीजिये ।

अतः अब स्थिति यह है कि विरोधी दल अपना पुराना तरीका अपनाने लग गये हैं । उनका तरीका क्या है । वे देश में आपात स्थिति के लिये परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं । यही उन्होंने पहले किया था जब हमें आपातस्थिति की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा था । हमने देश पर कभी भी आपातस्थिति नहीं थोपी । उन्होंने आपातस्थिति की परिस्थितियां हम पर थोप दीं और हमें आपातस्थिति की घोषणा करनी पड़ी । वे फिर देश पर आपात स्थिति की परिस्थितियां थोपना चाहते हैं । परन्तु यह आशा मत कीजिये कि हम आपातस्थिति की घोषणा करेंगे । हम लोगों को समझायेंगे और आपका मुकाबला करेंगे यदि आप देश में आपातस्थिति की परिस्थितियां पैदा करेंगे । मुझे यही कहना है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अतः राजनीतिक पहलू यह है कि अब विधानसभाओं को भंग करना एकदम जरूरी हो गया है । आप दोबारा लोगों के पास जाइये क्योंकि हमें बहुत से बड़े बड़े काम करने हैं । हमारे ऊपर काफी बोझ है । हम इन कामों को तभी कर सकते हैं जब हमें सारे देश

का सहयोग मिलेगा । जब विद्रोह का झंडा उठाया जायेगा तो हमें लोगों के पास जाना होगा । यह एक राजनीतिक आवश्यकता है ।

अन्त में अब मुझे इस मामले के नैतिक पक्ष के संबंध में कुछ कहना है । क्या जनता पार्टी को उसका विरोध करने का कोई अधिकार है ? अब वे बहुत सी बातें कह रहे हैं कि उन्होंने यह सब आपातस्थिति में हुई ज्यादतियों के कारण किया। उस समय तीन प्रकार के राज्य थे--वे राज्य जिन्होंने पांच वर्ष की अवधि पूरी कर ली थी, वे राज्य जिन्होंने पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की थी और ऐसे राज्य जो पांच वर्ष की अवधि पार कर चुके थे तथा जिन्होंने आपातस्थिति में ज्यादतियां की थीं । कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने पांच वर्ष की अवधि पूरी कर ली थी । कर्नाटक में श्रीमती फर्नान्डीस को पंगु बना दिया गया । कुछ लोगों को जान से मार दिया गया और वहां बहुत सी ज्यादतियां की गईं । यह उनका तर्क है । आंध्र प्रदेश में भी आपातस्थिति के दौरान ज्यादतियां हुईं परन्तु इन राज्यों में विधान सभाओं को भंग नहीं किया गया । उन राज्यों को जिन्होंने पांच वर्ष की अवधि पूरी कर ली थी और जिन्होंने आपातस्थिति के दौरान ज्यादतियां की थीं--आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र--उन्हें भंग नहीं किया गया लेकिन जिन राज्यों ने पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की थी उन्हें भंगकर दिया गया । इसका क्या मतलब है ? आपातस्थिति और अवधि असंगत है । यदि आपातस्थिति संगत थी तो कर्नाटक को भी भंग किया जाना चाहिये था । यदि पांच वर्ष की अवधि संगत थी तो कर्नाटक और अन्य राज्यों को भी भंग किया जाना चाहिये था । अतः उन्होंने इसके लिये क्या मापदंड अपनाया ? उनका मापदंड तो केवल 1977 में हुए चुनाव का परिणाम था । यह बात एक दम साफ हो चुकी है । श्री वाजपेयी बहुत जोर लगा रहे थे और श्री चरण सिंह एक नई विचार धारा प्रस्तुत कर रहे थे ।

अतः इस स्थिति को अपनाना क्या आपको शोभा देता है ? मैं आशा करता था कि एक सम्मानित व्यक्ति के नाते आप यह कहते कि यह हमारा रवैया था अब हम उसे त्याग रहे हैं । आपको अब इस बात को उठाने के लिये रोका जाता है । सी० पी० आई० द्वारा आपत्ति किये जाने की बात को मैं समझ सकता हूं क्योंकि उन्होंने उस समय विघटन का विरोध किया था । ए० आई० ए० डी० एम० के० की आपत्ति भी ठीक है क्योंकि उन्होंने भी उस समय विघटन का विरोध किया था । मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था और वह भी आपत्ति कर सकती है । और किसी दल ने विघटन का उस समय विरोध नहीं किया था । मैं इस समय जनता पार्टी का ही जिक्र कर रहा हूं । आप इस मामले को नहीं उठा सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ए० आई० ए० डी० एम० के० नहीं है बल्कि डी० एम० के० है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे खेद है, मैं अपनी गलती सुधार लेता हूं । श्री दण्डवते मेरी ओर देख रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या मुझे उनकी तरफ देखने की इजाजत नहीं है ?

श्री सो० एम० स्टीफन : और संभवत: वह यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपने उस समय इसका विरोध किया था इसलिये आप अब इसे क्यों ला रहे हैं ? श्री संजय गांधी ने इसका उत्तर दे दिया है और मैं उसे दोहराना नहीं चाहता । उत्तर स्पष्ट है । हमें यह बात स्पष्ट थी कि विघटन गलत था । हम उच्चतम न्यायालय गये । उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम गलत थे । हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और न्यायालय के फैसले को मानते हैं । इसलिये हमने उस फैसले को स्वीकार किया ।

तीसरा प्रश्न यह है कि आप हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का विघटन क्यों नहीं करते । वे कर्नाटक का भी उल्लेख कर रहे हैं । हमें स्थिति को समझ लेना चाहिये । जब विधान सभा और लोगों में भिन्नता होती है तब विधान सभा भंग की जाती है । इसकी यही कसौटी है । लोगों ने 1977 में जनता पार्टी को सत्ता सौंपी परन्तु जनता पार्टी बिखर गई और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस (आई) के साथ हैं । लोगों का राय पर चलना विधान सभा और विधायकों का काम है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की राय पर चल रहे हैं । हमारे लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस (आई) के पक्ष में हैं और इसलिये उन्होंने भी कहा कि हम कांग्रेस (आई) के पक्ष में हैं और हम लोगों के साथ हैं और वे भी लोगों के साथ बदल गये हैं । जब विधान सभा बनती है तो वह लोगों की राजनीतिक विचार धारा के अनुरूप होती है । उन्होंने लोगों के राजनीतिक फैसले को स्वीकार कर लिया है और इसलिये अब इन दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है । अब उन दोनों की विचारधारा एक ही है और इसलिये वहां विघटन करना एकदम गलत होगा । यह बात स्पष्ट है । कर्नाटक में हमने कांग्रेस (आई) के चुनाव चिह्न पर विधान सभा का चुनाव लड़ा और बाद में लोगों ने कहा कि हम अभी भी इन्दिरागांधी के पक्ष में हैं, देवराज अर्स के पक्ष में नहीं । और जब विधायक आये और उन्होंने कहा कि हम आप के साथ हैं । हमें खेद है कि हम कुछ समय के लिये आपको छोड़ कर चले गये थे तो ऐसी स्थिति में विघटन का प्रश्न नहीं उठता । आप दल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। दल परिवर्तन कहां से जनता पार्टी से ? दल परिवर्तन उसी समय हो सकता है जब 1977 वाली जनता पार्टी मौजूद हो । क्या जनता पार्टी है ? वह तो समाप्त हो चुकी है । तो फिर दल परिवर्तन कहां से होगा ? अब तो दल पविर्तन केवल लोगों से ही हो सकता है । यदि कोई विधायक लोगों से अलग होने से इंकार करता है और लोगों के साथ रहना पसन्द करता है तो उसे स्वीकार करना होगा ।

यह नैतिक पहलू है जो एकदम स्पष्ट है ।

अन्त में हमें एक स्थिति को और भी समझ लेना चाहिये । देश को संविधान के अनुसार चलाना होगा । संघवाद के बारे में कुछ कहा गया है उन्होंने संघवाद के मूलभूत सिद्धान्त के बारे में कहा । हमारी स्थिति इस संबंध में स्पष्ट है संघवाद के बारे में उच्चतम न्यायालय ने स्थिति को बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। विरोधी दलों के मेरे मित्र इस संबंध में स्पष्ट नहीं होंगे परन्तु उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

"हमारे संविधान के उपबंधों के सारांश से पता चलता है कि हमारे संविधान का संघीय ढांचा कुछ भी हो लेकिन इसके कार्यों को उन उपबन्धों को ध्यान में रखकर जिनमें अधिकारों का वर्णन है तथा संघीय और एकिक पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला करना होगा ।"

अब हमें उस स्थिति को समझ लेना चाहिये जो एकदम साफ है ।

"राज्य केन्द्रीय सरकार के निदेश पर देश के वैध तथा व्यापक रूप से योजनाबद्ध विकास के आड़े नहीं आ सकती ।"

यहां पर 'केन्द्रीय सरकार के निदेश पर' बल दिया गया है।

"केन्द्रीय सरकार के विशिष्ट कार्यों की वैधता के प्रश्न को न्यायालयों के निर्णयों के बजाय समय समय पर जनता द्वारा किये गये फैसले को ध्यान में रखकर जांचना होगा ।

यदि हमारे देश की विशिष्ट आवश्यकताओं अर्थात् देश के सभी भागों में राजनीतिक एकता, राष्ट्रीय एकता तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिये जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय हो ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये तथा हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित अन्य महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये, मजबूत केन्द्रीय सरकार के निदेशों का पालन करना अवश्यम्भावी होगा ।"

इससे अधिकृत बात क्या हो सकती है ? उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार का निदेश अवश्यम्भावी है और उन्होंने यह भी कहा है कि जो उनका उल्लंघन करता है वह स्वयं खतरे को मोल लेता है । यह बात केरल में स्टीफन ने नहीं कही है बल्कि उच्चतम न्यायालय ने कही है । हमें संविधान को जैसा वह है उसी रूप में स्वीकार करना होगा । आप यदि चाहें तो इसे बदल सकते हैं । परन्तु संविधान तो संविधान है और इसके उपबंधों को स्वीकार करना ही होगा । यही कहा गया है । (व्यवधान) हम यहां पर एक सरकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है ।

"संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत वे मामले आते हैं जिनमें राष्ट्रपति केन्द्र द्वारा उसे प्रदत्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके संसद द्वारा बनाये गये किसी ऐसे वर्तमान कानून के अन्तर्गत जो उस राज्य के संबंध में लागू होता है, आने वाले मामलों के बारे में राज्य सरकार को निदेश दे सकता है ।"

यहां उन्होंने कानून का उल्लेख किया है । इसके तीन पहलू हैं । उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कहा हैं कि यदि कोई कानून पास किया जाता हैं तो इसे अवश्य क्रियान्वित किया जाना चाहिये और केन्द्र उस कानून पर अमल करने के लिये निदेश दे सकता है । उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा हैं कि केन्द्र उस विषय के संबंध में भी जोकेन्द्र से ही संबंधित है, निदेश दे ।

इसमें यह भी कहा गया है :

"किन्तु अनुच्छेद 257 (एक) के अनुसार राज्य का यह भी दायित्व है कि वह अपनी शक्तियों का ऐसे ढंग से प्रयोग करे जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के मार्ग में बाधा उपस्थित न करें, जिसके अन्तर्गत जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 248 के साथ पठित अनुच्छेद 73 से स्पष्ट है, वह विषय भी आता है जिसके संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। परन्तु जिस पर संसद द्वारा कोई विधान बनाया जाना सम्भव है।"

यह स्थिति स्पष्ट हैं । सप्तम अनुसूची की सूची एक में दिये गये किसी भी विषय पर तथा अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत आने वाली किसी भी विषय पर जिसके संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है, निदेश दिया जा सकता है और उस निदेश का पालन करना होगा । यदि इस निदेश का पालन नहीं किया जाता है तो क्या होगा ? इसके लिये अनुच्छेद 365 में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

"जहां इस विधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में प्रयोग में दिये गये किन्हीं निदेशों का अनुवर्तन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल हुआ है वहां राष्ट्रपति के लिये यह माना विधि-संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता है।"

इस प्रकार इसे संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत लाया गया है । यदि आप इस निदेश पर अमल करने से इन्कार करते हैं तो अनुच्छेद 356 कहता है कि राष्ट्रपति कह सकता है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता तभी अनुच्छेद 356 लागू होता है ।

ऐसी बात नहीं है कि हम यह करने जा रहे हैं । इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ऐसा कोई काम मत कीजिये जिस से देश में इस उपबंध को लागू करना जरूरी हो जाये । हमें संविधान के अन्तर्गत कार्य करना होगा । हमें यह बात समझ लेनी चाहिये कि हमारी सरकार जनता द्वारा चुनी गई है । हमारी सरकार केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सरकार नहीं है बल्कि पूरे भारत की सरकार है और हम भारत सरकार ही रहना चाहते हैं। संसद का आदेश देश भर में लागू होगा । इसी आधार पर हम लोगों के पास गये और लोगों ने हमें भारी बहुमत दिया । हमें आपस में सहयोग से काम करना चाहिये । मैं केरल के मुख्य मंत्री का एक वक्तव्य पढ़ता हूं...

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : प्रधान मंत्री केरल आई थीं । केरल में क्या हुआ वहां पर आपकी सरकार नहीं बनी है । यदि आप वहां पर चुनाव करायें तो भी आप वहां सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते । वहां पर अभी तक एक बार भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी ।

श्री सी० एम० स्टीफन : कौन व्यक्ति कितने पानी में है और कहां पर कैसी स्थिति है, हम इसे जानते हैं । केरल में आपके साथ कितने लोग हैं हम इसे भी जानते हैं ।

मैं तो यह कह रहा था कि हम सभी को मिलकर काम करना चाहिये । हमें तो राष्ट्र के हित में पारस्परिक झगड़ों से बचना चाहिये। मुझे आपसे यही प्रार्थना करनी है ।

मैंने त्रिपुरा, केरल और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्रियों के एक नई पंचवर्षीय योजना के अन्दर ही योजना बनाने के संबंध में विचार सुने हैं। यदि ऐसा होता है तो मैं पूछता हूं कि क्या योजना आपका विषय है ? क्या योजना राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं ? आप एक नई योजना बनाने की बात कहते हैं । आप ऐसा कर सकते हैं हम देखेंगे कि आप इसमें कितने सफल होते हैं । मुझे केवल यही कहना है ।

हमने जो कार्य किया वह संवैधानिक रूप से वैध था और राजनीतिक तथा नैतिक रूप से यदि हमने ऐसा नहीं किया होता तो हम अपने उस संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर सकते थे जो उच्चतम न्यायालय ने हमें सौंपा है । हमें गर्व है कि हमने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर अमल किया, जिसके आधार पर जनता ने हमें सच्चा समर्थन दिया हैं ताकि पिछले चुनावों में प्राप्त बहुमत के अनुसार हम देश को चला सकें ।

इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये गृह मंत्री सांविधिक संकल्पों पर चर्चा का उत्तर आज 5.30 बजे देंगे । गृह मंत्री के उत्तर के बाद संकल्पों पर मतदान होगा ।

अब मैं श्री दण्डपाणि से अपना भाषण आरम्भ करने के लिये कहता हूं । वह केवल 15 मिनट तक बोल सकते हैं ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोलाची) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत रोचक विषय है कि जिन माननीय सदस्यों ने 9 राज्य विधान सभाओं का विघटन का विरोध किया था...

श्री ए० के० राय (धनबाद) : श्रीमन्, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण राजनैतिक चर्चा है अतः इस पर सभी छोटे-छोटे ग्रुपों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उन सभी सदस्यों को मौका दे रहे हैं जिन्होंने अपने नाम दिये हैं । मेरे विचार में उन सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने नाम दिये हैं बुलाया जा रहा है । यदि आपने अपना नाम नहीं दिया है तो आपको नहीं बुलाया जायेगा ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : श्रीमन् जिन राजनीतिक दलों ने 9 राज्य विधान सभाओं के विघटन का विरोध किया है वे एक महत्वपूर्ण मामले को नहीं समझ पाये हैं । प्रश्न यह है कि क्या यह विशेष अनुच्छेद 356 भारत के संविधान में रहना चाहिए अथवा इसका निरसन किया जाना चाहिये। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों के अनुसार ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक दलों ने संविधान के इस विशेष अनुच्छेद 356 को स्वीकार किया है । यदि इस अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया जाता है तो संविधान के अनुसार इस पर अमल

करना होगा । यह एक व्यापक प्रश्न है कि क्या इस विशेष अनुच्छेद को संविधान में रखा जाना चाहिये । यह एक विवादास्पद विषय हैं । परन्तु इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जैसा कि मेरे माननीय मित्रों ने कहा है कि जनता पार्टी ने जब वह सत्ता में थी इस संबंध में हमारा मार्ग प्रदर्शन किया है । 1977 में चुनावों के बाद तत्कालीन केन्द्रीय सरकार उस समय की कांग्रेस सरकारों को भंग करना चाहती थी ।

1976 में जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार को बर्खास्त किया गया तो भारतीय साम्यवादी दल ने इसका स्वागत किया था । उनका ख्याल था कि इसका स्वागत करना उनका कर्तव्य है परन्तु अब उन्होंने विघटन के विरोध में बहुत से तथ्य प्रस्तुत किये हैं । इस बात के बावजूद भी कि द्र०मु०क० सरकार को बहुमत प्राप्त था, इसे बर्खास्त कर दिया गया था और इसका उस समय भारतीय साम्यवादी दल ने समर्थन किया था । श्रीमती पार्वती कृष्णन और श्री कल्याण सुन्दरम जो भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य हैं ने भी इसका समर्थन किया था । मेरी समझ में नहीं आता कि अब वे जनता सरकारों को भंग किये जाने का विरोध क्यों कर रहे हैं । इस संबंध में मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि उस समय बहुत से लोगों ने विघटन को स्वीकार किया था । उदाहरण के लिये प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के एक आलोचक, श्री एच० एम० सीरवाई जो हमारे देश के माने हुए वकील हैं अपनी पुस्तक 'दी एमरजेन्सी फ्यूचर सेफगार्डस एण्ड दी हैबियस कारपस केस : ए क्रिटिसिजम' के पृष्ठ 116 पर लिखा है :

> "अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत वर्तमान जनता सरकार का कार्य काफी सराहनीय है परन्तु अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न अपेक्षाकृत सरल है अर्थात् क्या लोक सभा के चुनाव में केन्द्रीय सरकार की उन नीतियों और कार्यों को जनता द्वारा पूर्णत: ठुकराये जाने के कारण जिनमें "नौ राज्यों ने स्वेच्छा से सहयोग दिया था और इस प्रकार आपात स्थिति में सत्ता के घोर दुरुपयोग में अपने आपको सहापराधी बनाया था यह आवश्यक नहीं हो गया कि उन राज्यों के लोगों से नये सिरे से विश्वास मत प्राप्त किया जाये । राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद नौ राज्यों में हुए चुनावों में जनता के फैसले से पता चला कि केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमान सही था ।"

यह ठीक ही कहा गया है कि राष्ट्रपति का अनुमान जिसका चुनाव के बाद पता लगा, ठीक ही था । हम यह भी मान सकते हैं, उनका वह अनुमान निकट भविष्य में जब विधान सभाओं के चुनाव होंगे, ठीक सिद्ध होगा । यदि 1970 में जनता पार्टी यह सोच सकती है कि लोगों का कांग्रेस में विश्वास नहीं रहा जिसके आधार पर जनता पार्टी ने 1977 में 9 राज्य विधान सभाओं को भंग किया था तो उसी धारणा के अनुसार श्रीमती गांधी की सरकार को भी यह हक है कि वह उन राज्यो में लोगों को अपनी लोकप्रिय सरकारें चुनने का अवसर दें जो संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप ही होगा । मैं आपको बता रहा हूं कि यह बात श्रीमती गांधी के एक आलोचक ने स्वीकार की है ।

बहुत से लोगो ने संवाद के बारे में कहा है । उसी लेखक ने अपनी पुस्तक 'कान्स्टीट्यूशन ला आफ इण्डिया'—खण्ड 3—पृष्ठ 1617 में कहा है :—

"प्रथम दृष्टि में यह उपबन्ध संघवाद के सिद्धान्त का गम्भीर उल्लंघन लगता है परन्तु अन्य संघीय संविधानो पर विचार करने मे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन शक्तियों का समुचित उपयोग किया जाय तो ये संघीय सिद्धान्त के अनुरूप ही होगी ।"

इसका मतलब यह हुआ कि यदि इस विशेष अनुच्छेद पर उचित ढंग से अमल किया जाये अर्थात् राज्य विधान सभाओं को भंग करने के अधिकार का उचित प्रयोग किया जाये तो यह हमारे संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप ही होगा । यह बात उसी आलोचक ने कही है । उसके अनुसार विधान सभाओं का भंग करना संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप होगा । इसके अलावा, एक और स्थिति हो सकती है जिसमें अनुच्छेद 356 का सहारा लेना पड़ सकता है । अमल राय ने अपनी पुस्तक 'इन्टर गवर्नमेन्टल रिलेशंस' के पृष्ठ 103 में निम्नलिखित बात कही है :—

"दूसरी स्थिति, जिसमें अनुच्छेद 356 लागू हो सकता है, उस समय उत्पन्न होती है जब कोई राज्य सरकार वह कार्य करती है जो संविधान के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन है । मान लीजिये, सत्तारूढ़ दल बार-बार अपने राजनीतिक विरोधियों को कानून और न्याय का विशेषाधिकार नहीं देती, उन बन्दियों को रिहा करती है जो दल के कार्यकर्त्ता हैं अथवा समर्थक हैं और जिन पर हत्या का आरोप है और ऐसी ही विधि विरुद्ध कार्य करती है तो संविधान के इस उपबन्धों के इस घोर उल्लंघन के कारण अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करना उचित होगा ।"

अन्त में, संविधान के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये किसी भी निर्देश का राज्य सरकार द्वारा पालन न किये जाने के कारण, अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री सन्तानम ने मद्रास विश्वविद्यालय के समक्ष थोड़े दिन पूर्व दिये गये अपने भाषण में भी वही बात कही है । उन्होंने कहा :

"जिन परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 लागू हो सकेगा वे हैं :—

(1) राज्य में विधि और व्यवस्था का भंग हो जाना;

(2) चुनाव के दौरान भारी गड़बड़ी;

(3) सिविल अधिकारियों को संगठित रूप में डराया-धमकाया जाना ।"

इनके अनुसार सत्तारूढ़ दलों के कार्यकर्ताओं ने चाहे वे केन्द्र में हों अथवा राज्य में, केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से लाभ पहुंचा है । दल के नेताओं को प्राथ-

मिकता दी गई । अन्य राजनैतिक विरोधियों को तंग किया गया । कई मौकों पर उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया । इसीलिए यह अनुच्छेद पिछली सरकार के कार्यों को उचित नहीं ठहराता ।

जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, जब केन्द्रीय सरकार ने विघटन के आदेश जारी किये तो मैं उससे पूर्णतः सहमत था । तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन के कार्यकाल में राज्य के हितों की उपेक्षा की गई । अपने ढ़ाई साल के कार्यकाल में उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र की उन्नति के लिये जान बूझकर कोई प्रयास नहीं किया ।

1977–78 में 199 करोड़ रुपये योजना तथा गैर-योजना कार्यक्रमों पर खर्च नहीं किये गये और उसके एक भाग को केन्द्रीय सरकार को वापिस दे दिया गया । 1978–79 में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई योजना सहायता का इस्तेमाल नहीं किया गया । पूरी धनराशि को केन्द्रीय सरकार को लौटा दिया गया । जब केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में केन्द्रीय क्षेत्र के बारे में लिखा तो उसके प्रस्ताव की ओर ध्यान नहीं दिया गया । मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के उन पत्रों के उत्तर भी नहीं दिये ।

जब श्री एम० जी० रामचन्द्रन मुख्य मंत्री थे तब मद्रास राज्य में महानगर जल योजना के लिये विश्व बैंक ने तमिलनाडु सरकार को 200 करोड़ रुपये देने की पेशकश की । मुख्य मंत्री ने इस पेशकश का भी लाभ नहीं उठाया ।

योजना आयोग ने मनाली में पैट्रो-रसायन परियोजना के लिये मंजूरी दी । मुख्य मंत्री इस परियोजना को वहां पर स्थापित नहीं करना चाहते थे और इसलिये यह परियोजना हल्दिया में अर्थात् कलकत्ता में, जो श्री बसु का राज्य है, स्थापित की गई । इसलिए श्री बसु, एम० जी० रामचन्द्रन का समर्थन कर रहे हैं । श्री बसु ने एम० जी० रामचन्द्रन की अदक्षता का लाभ उठाया और यह परियोजना पश्चिमी बंगाल में स्थापित करा ली । कोयम्बटूर जिले में रेल माल डिब्बे मरम्मत एकक की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार $1\frac{1}{2}$ वर्ष से अधिक समय से तमिलनाडु सरकार की स्वीकृति की प्रतिक्षा कर रही है । केन्द्रीय सरकार ने केवल यह मांग की थी कि उस कोयम्बटूर जिले में स्थान दिया जाये तथा वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । परन्तु तमिलनाडु सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है । फाइल उन के पास है, उसका क्या हुआ पता नहीं । आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने चतुरता से काम लिया उसने तिरुपति जिले में स्थान और पानी देने की पेशकश की और वह उन उद्योगों को आन्ध्र प्रदेश में ले गये । यह आपकी जानकारी के लिए निवेदन है ।

फिर महोदय, राज्य सरकार ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी में नारियल जटा उद्योग आरम्भ करने का निर्णय किया था, जिसका केरल सरकार ने विरोध किया । मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस का आभारी हूं, क्योंकि जब वह उद्योग मंत्री थे, तो उन्होंने केरल और तमिलनाडु दोनों के उद्योग मंत्रियों को बुलाया था । उस समय श्री एम० जी० रामचन्द्रन तमिलनाडु के उद्योग मंत्री थे । केरल की ओर से पांच मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया था, जबकि श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने बैठक में भाग नहीं लिया था तथा उनके स्थान पर उद्योग सचिव ने बैठक में भाग लिया था । मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि उस दिन श्री एम० जी० रामचन्द्रन मद्रास में थे और उन्होंने लता नामक एक नृतकी के नृत्य कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी ।

फिर महोदय, केन्द्रीय सरकार ने मुख्य पत्तनों अर्थात मद्रास और तूतीकोरिन के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। इस योजना को भी क्रियान्वित नहीं किया गया। कृषकों के लाभ के लिए सहकारी समितियों और बैंकों को आवंटित की गई राशि को भी काम में नहीं लाया गया।

अब महोदय, जहां तक होजीनकल परियोजना का सम्बन्ध है तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों के बीच कई बार बैठकें हुई। पांच औपचारिक तथा सात अनौपचारिक बैठकें हुई, परन्तु कोई निर्णय नहीं किया गया। मैं भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और भारतीय साम्यवादी दल के अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने श्रम जीवी वर्ग के हितों के विरुद्ध काम किया है। उन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। वर्ष 1978 में पालावान परिवहन के लगभग 7000 कर्मकारों ने हड़ताल की थी। श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने जो कुछ किया वह यह था कि वह कर्मकार बाहर से ले आये और हड़ताल तुड़वा दी। अन्त: में अपने दृढ़ विश्वास के कारण कर्मकारों को विजय प्राप्त हुई। पाडी में टी० वी० एस० के कर्मकारों ने हड़ताल कर दी। श्री रामचन्द्रन ने पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता से सभी कर्मकारों को गिरफ्तार करा दिया और जेल में बन्द कर दिया। टी० आई० साइकल्स में लगातार दस महीने तक हड़ताल रही। भारतीय साम्यवादी दल इस मामले में सम्बद्ध था। भारतीय साम्यवादी दल ने बन्ध का आह्वान किया था। डी० एम० के० ने इस में भाग लिया, जबकि ए० डी० एस० के० अर्थात सरकार ने कुछ गुण्डों की सहायता ली और भारतीय साम्यवादी दल तथा साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यकर्त्ताओं को भी पीटा गया। अब वे सब मिल कर एक हो गये हैं। मुझे ज्ञात है कि उस बन्ध में 50,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। बहुत से लोगों पर मुकदमें चलाये गये हैं। मामले वापस नहीं लिए गये हैं। 1979 में कपड़ा मिल मजदूरों ने सरकार के समक्ष कुछ मांगें रखी थी, परन्तु श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने पूंजीपतियों का साथ दिया। त्रिची में सिम्कों में हड़ताल हुई, जो छ: महीने तक चली। कारखाना बन्द कर दिया गया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस से लोगों को कितनी कठिनाई हुई होगी। फिर जहां तक सेलम जिला स्थित पलिपल्लायम कागज मिल का सम्बन्ध है श्री एम० रामचन्द्रन ने मिल के साथ समझौता कर लिया। सी० पी० आई०, सी० पी० एम० और डी० एम० के० ने उस समझौते का विरोध किया, परन्तु उस समझौते को क्रियान्वित किया गया। बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। यह स्थिति थी। परन्तु अब सी० पी० आई० और सी० पी० एम० उनके साथ हैं। इंजन वल्व कारखाना एक वर्ष तक और क्रोम कारखाना, मद्रास $1\frac{1}{2}$ वर्ष तब बन्द रहा। कावेरी स्ट्रेच्चूरल्स छ: महीने तक बन्द रहा और कोयम्बटूर लक्ष्मी मशीन टूल्स में 600 से अधिक कर्मकारों को गिरफ्तार किया गया तथा उनकी पत्नियों को भी गिरफ्तार किया गया। उन कर्मकारों को धारा 307 के अन्तर्गत चार्जशीट किया गया है। उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। कर्मकारों और उन की पत्नियों को हर पन्द्रहवें दिन न्यायालय में जाकर हाजरी लगवानी पड़ती है।

श्री एम० रामचन्द्रन के शासन काल में गैर-राजपत्रित अधिकारियों की हड़ताल हुई। तमिलनाडु में पहले उन्होंने काम करना छोड़ दिया और फिर फरवरी, 1978 में हड़ताल कर दी। तमिलनाडु के इतिहास में श्री एम० रामचन्द्रन के शासनकाल में पहली बार गैर-राजपत्रित अधिकारियों

ने हड़ताल की, ऐसा तो कांग्रेस या डी० एम० के० के शासन काल में भी नहीं हुआ था। फरवरी, 1978 में 520 गैर-राजपत्रित अधिकारी गिरफ्तार किये गये और उन्हें 15 दिन की सजा दी गई। 1979 में 1540 गैर-राजपत्रित अधिकारी, जिनमें महिलायें भी शामिल थी, गिरफ्तार किये गये। उनकी समस्याओं को सुलझाने की बजाये उन्हें भड़काया गया और सी० पी० आई० तथा सी० पी० एम० की सहायता से प्रतिद्विन्दी कार्मिक संघ बनाया गया। पहले 60 वर्षों में तमिलनाडु में केवल एक कार्मिक संघ था, परन्तु जब श्री एम० रामाचन्द्रन सत्ता में आये तो उन्होंने प्रतिद्विन्दी कार्मिक संघ बना दिया। सी० पी० आई० और सी० पी० एम० ने भी प्रतिद्विन्दी कार्मिक संघ का साथ दिया। तमिलनाडु में एक लाख कर्मचारियों का एक साथ तबादला किया गया। तमिलनाडु में कर्मचारियों की कुल संख्या $7\frac{1}{2}$ लाख है, जिनमें से एक दिन में एक लाख का तबादला किया गया। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर कितना खर्च हुआ होगा। केवल मद्रास में 10,000 से अधिक कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इसके अतिरिक्त डी०एम०के० की भूतपूर्व सरकार द्वारा दी गई मकान भत्ता, चिकित्सा सुविधा आदि की सुविधाओं को वापस ले लिया गया। कर्मचारियों को डराया धमकाया गया। ये सब संविधान के अनुच्छेद 356 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त मद्रास नगर में डाक्टरों और विशेषज्ञों का भी तबादला किया गया। परन्तु दबाव पड़ने के बाद ये आदेश वापस ले लिया गया।

अपना भाषण पूरा करने से पहले सभा के लाभ के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमें हरिजनों को नहीं भूलना चाहिए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तमिलनाडु में सत्ताधारी दल ने भी हरिजनों को संरक्षण देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। विल्लापुरम में एक घटना हुई थी। मैं यह नहीं कहता कि वह इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। विल्लापुरम में दो बुटों के बीच यह घटना हुई। परन्तु इस घटना के बाद हरिजनों को जिन्दा जलाया गया। क्या इस मामले में हस्तक्षेप करना सरकार का दायित्व नहीं था। परन्तु हुआ यह कि मामले में हस्तक्षेप करने की बजाये सुवर्ण हिन्दुओं को जलाया गया। मैं आयुक्त के प्रतिवेदन का एक पैरा पढ़ कर सुनाता हूं :—

> "मुख्य मंत्री ने कहा है कि कई बार अनुसूचित जातियों का शोषण उनके अपने भाइयों द्वारा ही किया जाता है और सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किये जा रहे कार्यों से समाज के दूसरे वर्गों में, जिनका आर्थिक स्तर लगभग वही होता है, असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। मुख्य मंत्री ने कहा कि उनका दल उत्तर के दलों की भांति कुछ रियायत मात्र देने से संतुष्ट नहीं है, अपितु वह एक जातिहीन आदर्श समाज की रचना करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1972 में राज्य सरकार ने गृह निर्माण के लिए अनुसूचित जातियों को सहायता दी थी। मैंने यह सब इस लिये कहा कि आयोग वहां जांच करने के लिए गया था और मुख्य मंत्री को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि हरिजनों का शोषण न हो। परन्तु तमिलनाडु सरकार ने यह जिम्मेदारी नहीं ली। इस से ज्ञात होता है कि मुख्य मंत्री अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हैं। मैंने पहले भी सभा में निवेदन किया था कि जब तमिलनाडु विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था, तो केन्द्रीय सरकार ने विधेयक की पुष्टि करने का निदेश दिया था, परन्तु श्री एम० रामाचन्द्रन ने कहा था कि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। हमारे पास और भी काम है।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप संविधान संशोधन के बारे में कह रहे हैं ।

श्री सी० टी० दंडापाणि : जी हां, मैं 46वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कह रहा हूं । इस लिए तमिलनाडु सरकार ने उसका अनुमोदन नहीं किया । विश्व के अनेक दशों में, जिन्होंने संघीय प्रणाली को स्वीकार किया है, संविधान के बारे में वही होता है, जो केन्द्र चाहता है । मैं अमरीका के संविधान का उल्लेख करना चाहूंगा । 1861 में अब्राहम लिंकन ने सही किया था । जब एक राज्य सरकार ने नीरोओं के अधिकारों के बारे में केन्द्र के निदेशों को मानने से इंकार कर दिया, तो राष्ट्रपति लिंकन ने स्वयं वहां सेवा भेजने का निर्णय किया और उन्होंने कार्यवाही विधि के अनुसार की । इसी प्रकार आइजनहावर, कनैडी और जोनसन के शासन काल में कतिपय राज्य सरकारों की पृथकवादी शक्तियों के विरुद्ध संघीय सेनायें भेजी गई । इस लिए केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार को बर्खास्त करने का पूरा हक है, क्योंकि वह हरिजनों और आदिवासियों के पूर्णतया विरुद्ध है । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान मंत्रियों को अनुपस्थित नहीं होना चाहिए । गृह मंत्रालय से किसी न किसी अर्थात् गृह मंत्री अथवा गृह राज्य मंत्री को अवश्य उपस्थित होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरीन्द्र पाटिल मौजूद हैं ।

श्री ए० के० राय : गृह मंत्रालय से किसी को मौजूद होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं अगले वक्ता को बोलने को कहूं, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह पांच मिनट से अधिक समय न लें, ताकि इस चर्चा में जो माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं, उन सबको अवसर मिल सके । श्री हरीश रावत ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया है ।

हिन्दुस्तान की जनता ने इन्दिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को केन्द्र में सरकार बनाने का अवसर दिया और केन्द्र की सरकार पर इतना भारी बहुमत देकर यह भार डाला कि वह प्रान्तों में अपनी, इच्छानुसार, जो वायदे उन्होंने देश की जनता से किये हैं, उनके अनुसार विकास के कार्यक्रमों को चलाये, जनता को सुख-सुविधाएं दे, लेकिन जो प्रान्तों में लोक-दल, अकाली-दल और जनता पार्टी की सरकारें थीं, उन्होंने उसमें व्यवधान डालने की कोशिश की । उन्होंने हर स्तर पर, जो केन्द्र के अच्छे सुझाव थे, उनको नहीं माना ।

हमने मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में एक कानून यहां पास किया, प्रान्त की सरकारों ने उसको लागू करने से इन्कार किया । यही नहीं, हरिजनों और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के विषय में जो आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में संविधान के संशोधन का विधेयक लाया गया, उसमें भी उन्होंने अपनी हिचकिचाहट प्रस्तुत की । उत्तर प्रदेश की विधान-सभा में जब उस विधेयक को अनुमोदनार्थ हमारे कांग्रेस के नेता ने रखा तो अचानक सत्तारुढ़ पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आया कि हाउस को एडजार्न कर दिया जाये । इसी तरह की हालत महाराष्ट्र असेम्बली में हुई ।

इस तरह की हालत में केन्द्र की सरकार हरिजनों के उत्थान, बीकर सेक्शन्ज के उत्थान के लिये जिन कार्यक्रमों और विधेयकों को लाना चाहती थी, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जायेगा, इसलिए यह जरूरी हो गया कि इन बाधाओं को हटाया जाये।

1977 में जो नई स्थिति पैदा हुई, उसमें जनता पार्टी के लोगों ने, जनता पार्टी की सरकार ने एक रास्ता दिखाया, उन्होंने संविधान के सम्बन्ध में एक प्रयोग किया और हम आज 1980 में उसी प्रयोग को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी देश की जनता से, प्रान्तों की जनता से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से 1977 में उन्होंने जनता पार्टी को यूनिफार्म टीम के रूप में स्टेट और सैंटर में अपनी सरकारें बनाने का अवसर दिया, उसी तरह का मौका हमको भी दीजिये, हम आपका काम करना चाहते हैं। एक तरीका है, जनता के पास जाने का, हमने उसी तरीके को अपनाया है।

मुझे अफ़सोस है कि जनता पार्टी के दोस्त इस पर आपत्ति प्रकट करते हैं, और वह आपत्ति भय के कारण है। कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) के मित्रों की तरफ़ से कहा जा रहा है कि यह टेंडेंसी सैंट्रलिज्म और यूनिटरी करेक्टर को बढ़ावा देगी। अगर हम हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास को देखें, तो अशोक महान् से लेकर ग्रेट मुग़ल्ज और अंग्रेज़ों के टाइम में भी हिन्दुस्तान का यूनिटरी करेक्टर रहा है। स्वतंत्रता के बाद जो छोटे छोटे राज्य देश में शामिल हुए केवल, उनको एकामोडेट करने के लिए, उनको खपाने के लिए, फेडरल सिद्धान्त को अपनाया गया था।

देश के संविधान के चरित्र को यूनिटरी रखने के कई कारण हैं। संविधान के निर्माता जानते थे कि इस देश में विचार-धाराओं के आधार पर ऐसी पार्टियां भी पनप सकती हैं, जो दूसरे राष्ट्रों के प्रति मित्रता के भाव रखती हों, और ऐसे लोग भी आगे आ सकते हैं, जो केन्द्र के साथ सहयोग न करें, जिससे देश में संकट पैदा हो सकता है। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 356(1) का प्रावधान किया गया, और उसी अनुच्छेद के अन्तर्गत हमारी सरकार ने नौ राज्यों की विधान सभाओं को भंग किया है।

मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि कम्युनिस्ट मित्रों के मन में जो भय तथा आशंका है, वह उसका भी निराकरण कर दें। जनवरी में लोक सभा के जो चुनाव हुए हैं, उनके बाद देश की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आ चुका है। हो सकता है कि पश्चिमी बंगाल की जनता यह सोचे कि शेष हिन्दुस्तान की जनता ने राज्य सरकारों के संदर्भ में जो रास्ता अपनाया है, हम भी उसी रास्ते का अनुसरण करें। इसलिए पश्चिमी बंगाल की जनता को इस बात का अवसर देना चाहिए कि वह राज्य सरकार के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट कर सके। (व्यवधान)

इन शब्दों के साथ में राष्ट्रपति जी, गृह मंत्रीजी और सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जिन राज्य सरकारों के अन्तर्गत कुशासन और भाई-भतीजावाद व्यापत था, जो हरिजनों को कुचलना चाहती थीं, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलना चाहती थीं, जो लोगों को रोज़ी-रोटी मुहैया नहीं कर सकती थीं, उनको अध्यादेश के ज़रिये समाप्त किया और इन राज्यों की जनता को इस बात का मौका दिया कि वह अपनी मनोनुकूल सरकारों का निर्माण कर सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब नौ विधान सभाओं को बर्खास्त किया गया था, उस समय विधि मंत्री ने एक व्यान दिया था।

श्री समर मुखर्जी : अंग्रेजी में बोलिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इंगलिश में बोलता हूं। कभी-कभी हिन्दी में भी बोलना चाहिए। अपने ब्यान में सरकार की तरफ़ से उन्होंने तीन कारण दिये थे। पहला कारण उन्होंने यह दिया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में संविधान में जो संशोधन किया गया, इन राज्यों की सरकारें उसे स्वीकार करने में आना-कानी कर रही थीं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि **देयर इज ए लाइकलीहुड आफ देयर ब्लाकिंग अदर प्रोग्रेसिव मेजर्ज इन फ्यूचर**—हमें यह आशंका है कि भविष्य में ये विधान सभायें दूसरे प्रगतिशील निर्णयों को अमल में लाने में रुकावट डालेंगी। तीसरा कारण उन्होंने यह दिया कि लोक सभा के चुनावों में लोगों ने उनके प्रति अविश्वास व्यक्त किया है।

जब से हम इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, तब से संविधानिक सवालों पर बहुत चर्चा हो चुकी है। इस लिए मैं उस चर्चा को नहीं दोहराऊंगा। मगर मैं गृह मंत्री को यह बात विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि इस सदन और राज्य सभा ने शायद ही किसी विधेयक को इतने एकमत से और इतनी जल्दी से मंजूर किया हो, जिस तरह उसने इस संविधान संशोधन वाले विधेयक को मंजूर किया था। जब सर्वानुमति से, एक आवाज़ से, इस सदन के सभी दलों ने उस विधेयक को मन्जूर किया, दोनों सदनों में उसको मंजूर किया गया, तो मेरे ख्याल से ..... (व्यवधान) आप लोग ज़रा सुनें। हर बात पर चिल्लाना ठीक नहीं है। हर बात की एक सीमा होती है। 23 तारीख को विधेयक सदन के सामने पेश किया। 24 को उस पर यहां बहस चलायी, मंजूर कराया, 25 को इधर राज्य सभा ने उस को सर्वानुमति से स्वीकार किया और जितने दल यहां विरोधी दल कर के बैठे हैं जो इन नौ राज्यों में सरकारी दल के रूप में थे उस सभी दलों ने बिना किसी भी हरकत के उस विधेयक को मंजूर किया क्योंकि उस पर किसी भी दल के मन में कोई रोक लगाने वाली बात नहीं थी। उस चीज़ को स्वीकार करना था, सभी लोगों ने हमेशा उस बुनियादी बात को स्वीकार किया है। इसलिए जब से दल विधेयक को मंजूरी देते हैं तो उस तर्क का कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल ही गलत वह तर्क है जिसको हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

अब जो दूसरा आप का तर्क है बहुमत अल्पमत वाला, कितना समर्थन आपके दल को मिला लोकसभा के चुनाव में और कितना समर्थन विरोधी दलों को मिला, तो मैं वह भी बहस ज्यादा नहीं उठाऊंगा। 42 फीसदी वोटों से 66 फीसदी सीटें आप ने पाई हैं। इस से यह जाहिर है कि इस देश का बहुमत आप के विरोध में है, साधारण गणित है .... (व्यवधान) .... 58 फीसदी 42 फीसदी से ज्यादा है, यह साधारण गणित है और इस गणित को हम चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री और उन के दल के लोग ठीक ढंग से समझ लें। मगर इस देश की जनता ने समूचे देश के पैमाने पर किस तरह की राय दी, सिर्फ इसी पर सवाल सीमित नहीं है ? आप विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राय को लीजिए और वैसे ही तामिलनाडु की बात को भी लीजिए। अभी हम ने दण्डपाणि जी का भाषण सुना। उन्होंने एम० जी० रामचन्द्रन की सरकार पर बहुत हल्ला करने का काम किया। आप इस सदन में हल्ला करिए, जरूर करिए मगर एम० जी० रामचन्द्रन कल या परसों रात में जिस गाड़ी से वह जा रहे थे, उसमें उनके प्राण लेने का प्रयास किया गया, इस प्रकार का काम तो मेहरबानी करके मत करिए। .... (व्यवधान) ....यह मत करिए। अखबारों में जो आया है उसको मैं कह रहा हूं .... (व्यवधान) .... अगर वह गलत हो तो आप सबूत लाइए। हमारा झगड़ा थोड़े ही है। हम तो सिर्फ अखबार में जो आया है उसका जिक्र कर रहे हैं। आप कल सबूत ले आएं कि वह गलत था क्योंकि रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने भी कहा कि जो घटना घटी है उसमें हम

पुलिस का संरक्षण आप को दे नहीं सकते हैं, हमें बड़ा अफसोस है । यह रेलवे के स्टेशन मास्टर का बयान है । गलत हो तो ये लोग बताएं । मगर उस तमिल नाडु में इनकी पार्टी को मिला 31 परसेंट और उत्तर प्रदेश और बिहार में मिला 35 और 36 परसेंट, फिर भी इनके विधि मंत्री ऐसी बात कहते हैं । मेरी और कोई आपत्ति नहीं, आपको जो करना है वह करेंगे । लेकिन आपके विधि मंत्री का जो बयान है यह बयान कितना गलत है, मैं सिर्फ इसी बात को आपके सामने पेश करना चाहता हूं ।

मगर मुझे जो आपत्ति है सब से ज्यादा वह इनका जो तीसरा तर्क है उस तर्क पर है । इनका कहना है कि—

"इस बात की संभावना है कि वे भविष्य में अन्य प्रगतिवादी उपायों में रुकावट डालेंगे ।"

यानी हमारे मन में बड़ी आशंका है कि हम जो भला काम भविष्य में करना चाहेंगे उस भले काम में ये लोग रुकावट डालने का काम करेंगे । मेरा आप से अनुरोध है.... (व्यवधान).....मैं यह कह रहा था कि इनका जो तीसरा तर्क है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

डा ए० कलानिधि (मद्रास) : उन्होंने जो कुछ कहा है उसका तमिल नाडु पुलिस के महा-निदेश द्वारा खंडन किया गया है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आज प्रातः आप ने कहा था कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो, तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता । आपको अपने विनिर्णय पर अडिग रहना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, आप अपनी बारी पर यह मामला उठा सकते हैं, अब उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : विधि मंत्री जी का तीसरा तर्क यह है कि हमें बड़ी आशंका है कि यह सरकारें, हम लोग भविष्य में भी जो प्रगतिशील कदम उठायेंगे, उन पर रोक लगाने का काम करेंगी । अब हम जानना चाहते हैं कि 9 राज्यों के जो मतदाता हैं, वे, जब भी विधान सभाओं के चुनाव होंगे, कांग्रेस (आई) को छोड़कर दूसरे दलों को अधिकार में बिठाने का काम करेंगे तो इस तर्क के चलते ये लोग क्या करना चाहेंगे ? यह एक बुनियादी सवाल है । अगर भारत सरकार की यह नीति हो कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों के माध्यम से राज्यों में स्थिरता रखने के लिए तैयार हैं जिनका कि हमारे दल के साथ सम्बन्ध हो तब फिर यह सवाल सामने आ जाता है कि इस देश की जनता को कोई गैर-कांग्रेसी सरकार चुनने का अधिकार है या नहीं ? आज भी आपने यही बात कही कि सिर्फ वही सरकार सारी जनता की भलाई के कामों को अमल में ला सकती है जोकि आपके दल की हो तब फिर हम जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर, जहां नेशनल कांफ्रेन्स की सरकार है, उनके बारे में आपकी क्या भूमिका है ? आज केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में आपके दल के साथ न मिले हुए लोगों की सरकारें हैं । आपकी भूमिका उनके बारे में क्या है ? विधि मंत्री के इस बयान के अन्तर्गत इस सवाल का जवाब आना इनकी तरफ से बहुत जरूरी है ।

दूसरा सवाल केरल का है । वहां जो चुनाव हुए उसमें 42 फीसदी मतदान पर इनका 65-66 फीसदी बहुमत आ गया और उसके बाद फिर केरल में चुनाव हुए और ऐसे चुनाव हुए जिसमें आपने अपनी सारी शक्ति लगा दी । इसके बारे में आपके मंत्री श्री स्टीफन बड़ी जोरदार आवाज में यहां पर

बोल कर गये, उस चुनाव में आप की प्रधान मंत्री भी वहां पर पहुंची और जितना प्रचार वह दिन-रात वहां पर कर सकती थीं, वह सारा प्रचार उन्होंने वहां पर किया, मगर केरल में क्या नतीजा निकला ? जब केरल की जनता ने राष्ट्रीय पैमाने पर आपका जो फैसला था, उसके विरोध में जाकर वहां अपनी सरकार बना दी, तो क्या वह सरकार वहां पर रहेगी या नहीं रहेगी ? आपका जो संविधान है और जैसा विधि मंत्री की तरफ से निवेदन है, उस निवेदन के चलते यह बुनियादी सवाल हम लोगों के सामने आ जाता है । चूंकि सदन में आपका बहुमत है, हम यहां से चाहे जितना चिल्लायें, आपका फैसला होकर रहेगा । जो तर्क आप देंगे, उस तर्क की व्यवहार में कोई बात नहीं रहेगी ।

आज सुबह मैं संसद् भवन आ रहा था । आन्ध्र से किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल यहां आया है, जिन्होंने एक निवेदन इस देश के तमाम संसद् सदस्यों को देने का काम किया है । इसमें लिखा है—

संसद/विधान सभा के माननीय सदस्यों के नाम ज्ञापन

"पुलिस-जमींदारों ने मिल कर करीमगंज जिले में सीरीसीला तालुक के लोगों पर जुल्म ढाये हैं ।"

बड़े विस्तार से इसमें लिखा है कि किस तरह से किसानों पर, भूमिहीनों पर और भूमिहीनों के लिए लड़ने वालों पर इस समय जमींदार और पुलिस यानी सरकार की तरफ से हल्ले हो रहे हैं ।

आन्ध्र प्रदेश के बारे में दिल्ली की सिविल लिबर्टी संगठन की ओर से और बम्बई की सिविल लिबर्टी संगठन की ओर से कई लोगों ने जाकर अपनी निष्पक्ष राय देने का काम किया है । यह बताया है कि किस प्रकार की कानून और व्यवस्था इस समय आन्ध्र प्रदेश में चलाने का काम ये लोग कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब आन्ध्र प्रदेश का सवाल आता है, तब मुझे मालूम है आपको बड़ी परेशानी होती है । मगर संसद् सदस्यों के नाम इस लिखी हुई चिट्ठी को मैं यहां पर पूरी नहीं पढ़ूंगा, एक-दो जुमले पढ़कर सुनाऊंगा :—

"संघ के नेता श्री जीवन रेड्डी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें इतनी बुरी तरह सताया गया कि उन पर किये गये जुल्म के निशान अभी तक बाकी हैं । पुलिस ने उन्हें फर्श पर लिटा दिया और कीलों वाले जूतों समेत उन पर चढ़ गई । कोनारपुर गांव के मूदम मालिया को गिरफ्तार किया गया और उनकी मूंछों और बालों को इतनी बेरहमी से खींचा गया कि वह बेहोश हो गये । नुकालमारी के कोला बकटया को, जो कि अपंग था, छत के पंखे से लटका दिया गया और लाठियों तथा जूतों से पीटा गया । शब पल्ली निवासी, श्री, विजय कुमार, जो कि क्षय रोग से पीड़ित है, को तब तक पीटा जाता रहा, जब तक कि उसने खून की उलटी न कर दी ।"

यह मेमोरेंडम जो हमें मिला है और संसद सदस्यों को दिया गया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं, ताकि ये जो मामले हैं प्रधान मंत्री जी इन पर ध्यान दें और यह तय कर लें कि ये तर्क जो इन लोगों ने यहां पर कानून और व्यवस्था के दिए है, उन तर्कों के आधार पर, आप चाहे अपनी पार्टी में ही विचार कर लें आप आन्ध्र प्रदेश की सरकार को कब तक चलने देना चाहेंगे ?

उपाध्यक्ष जी, जिन तर्कों को लोगों ने दिया है और जो बातें यहां पर गरीबों के लिये कही गई हैं कि कैसे डाउन-ट्राडन के लिये ये लोग यहां पर आये हैं उसको इन के 30 वर्षों के राज में इस देश के लोगों ने देखा है और इसीलिये किसी भी चुनाव में 40–42 फीसदी से ज्यादा लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। यह तथ्य है जो आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिये। जब आप गरीबों की बात करते हैं, तो कुछ लोग कुछ समय के लिये बेवकूफ़ बनाने में कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन अगर यह उम्मीद रखते हों कि इस देश की गरीब जनता के नाम से चर्चा चला कर हमेशा के लिये बेवकूफ़ बनायेंगे, तब तो मैं आप से यह कहूंगा कि यह सम्भव नहीं है। जिस तरह से कानून और व्यवस्था का तर्क देकर, गलत तर्क देकर इन 9 विधान सभाओं को भंग कराने का काम अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिये किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं और इतना इशारा देना चाहता हूं कि सत्ता के घमण्ड में मत रहिये, जितना ज्यादा घमण्ड होगा, उतना ज्यादा जल्दी आप गिर जायेंगे, इस बात को अपने ख्याल में रखिये।

श्री एम० गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, मैं एक वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आप के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : श्री फर्नान्डीस ने बोलते समय कहा है कि जब कभी आन्ध्र प्रदेश का नाम लिया जाता है, उन्हें दुख होता है। मैं उनसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह वहां स्वयं जायें और उस स्थान को देखें कि क्या यह सच है कि अथवा नहीं। मुझे विश्वास है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं और वहां से लौट कर वह जो कुछ कहेंगे वह उनके वर्तमान वक्तव्य के विपरीत होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं माननीय सदस्य के साथ जाने को तैयार हूं।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, 9 विधान सभाओं को भंग करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जब जनता पार्टी और लोक दल की सरकारें विभिन्न प्रान्तों में बनी, वहां की क्या स्थिति थी, क्या बना और क्या बिगड़ा, मैं इसके चन्द उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

सब से पहले मैं बिहार प्रान्त को लेता हूं। मैं बिहार प्रान्त से चुन कर आया हूं। हमारे यहां खास कर छोटा नागपुर और उत्तरी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति थी, उसको कहते हुए मुझे शर्म मालूम होती है। हमारे यहां किसी भी मां-बहिनों को शाम के वक्त रास्ता चलना मुश्किल था। रांची में सड़कों पर से बहनों को उठा लिया जाता था, उनके साथ बलात्कार किया जाता था और फिर उनको सड़कों पर फेंक दिया जाता था—यह हालत वहां पर कानून और व्यवस्था की थी।

दंगा फसाद की हालत को देखिये—टाटा नगर, अलीगढ़ तथा दूसरे जगहों में क्या हुआ? किसी भी लोकप्रिय सरकार के शासन काल में यदि कहीं पर कोई दंगा फसाद होता है तो उस को एक-दो रोज में पुलिस के द्वारा दबा दिया जाता है, लेकिन यहां पर एक बार दंगा हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ और जो जनता पार्टी के लोग थे वे खुद उन दंगों को बढ़ाने में सहयोग कर रहे थे, उन्हीं के घटक उन दंगों को करवाते थे, वहां खुद मौजूद रह कर करवाते थे। यह हालत वहां पर कानून और व्यवस्था की थी।

बिजली की हालत क्या है ? हमारे यहां रांची में हटिया का कारखाना है और वह इतना बड़ा कारखाना है जिस पर अरबों रुपये की पूंजी लगी हुई है। तीन वर्ष पहले इस कारखाने में करोड़ों रुपये का फायदा होता था । लेकिन जब से ये लोग सरकार में आये, उनकी हालत क्या हो गयी ? आज कारखाने करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहे हैं । दिन में तीन बार, चार बार बिजली गुल हो जाती है घंटों-घंटों के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप सोचिए कि अगर दिन में तीन बार, चार बार बिजली गुल हो जाएगी तो इन कारखानों का क्या होगा ? हटिया का कारखाना है, राउरकेला का कारखाना है, बोकारो का कारखाना है । बिजली के जाने से इनका क्या होगा ? हमारी अर्थव्यवस्था का क्या बनेगा ? यह आप समझ सकते हैं ।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में आपरेशन थियेटर में आपरेशन हो रहे हैं और बिजली गुल हो रही है । सरकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी । बल्कि संघ वालों का एक जमघट था। छोटा नागपुर में जो कुछ हुआ, उसका मैं आपको उदाहरण दूंगा । वहां के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी अछूत, तानाभक्त रहते हैं, उन्होंने गांधी जी के नाम पर मांस-मदिरा छोड़ दिया और अपने आप कपड़ा बना कर पहनते हैं, उनको इनके आने से पहले जो जमीन दी गयी थी, श्री जगन्नाथ मिश्र के जमाने में दी गयी थी, श्री केदारनाथ पाण्डे के जमाने में दी गयी थी और हजारों एकड़ उन्हें जमीन दी गयी थी जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इनके बड़े-बड़े लुटेरों ने उनसे बहुत सारी उस जमीन को छीन लिया। वे लोग जब मंत्री या डी.सी.—एस०डी०ओ० के पास आवेदन पत्र ले कर गये और उन्हें आवेदन-पत्र दिया तो वे कहते हैं कि वे हमारे वर्कर हैं, हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। उस समय यह कानून और व्यवस्था की हालत थी । जिस सरकार के नेता ये कहते थे कि वे हरिजन, और आदिवासियों के लिए अपने मन में सेवा की भावना रखेंगे और काम करेंगे उन्हीं की जनता या लोक दल सरकार में हरिजनों और तानाभक्तों पर सब से ज्यादा जुल्म हुए । उनके जमाने में उन लोगों को ऋण नहीं दिया गया । वे लोग कहते रहे कि हम गरीब जंगल के रहने वाले हैं, हमें बताओ कि हमें कैसे लोन मिलेगा लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रीमती इन्दिरा गांधी जब प्रधान मंत्री थीं, तब हरिजनों, पिछड़े लोगों और तानाभक्तों के लिए भी लोन का प्रावधान किया गया था । उनको आगे बढ़ने के लिए ऋण दिया जाता था । लेकिन इनके राज्य में उनगरीबों को लोन नहीं मिलता था । जब बड़े-बड़े मंत्रियों से कहा जाता कि हम गरीब आदमी हैं, हुजूर जरा बैंक में कह दीजिए तो वे कहते कि मेरा काम तो पटना में है, मेरा काम तो दूसरी जगह पर है ।

पानी की व्यवस्था की हालत सुन लीजिए । बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित किया गया । वहां चल कर आप देख लीजिए कि पानी की व्यवस्था क्या है । उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य तो क्या, वहां जानवरों को भी पीने के लिए पानी जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं मिल रहा है । इन्होंने बड़े बड़े आंकड़े पेश किये हैं । आंकड़े तो आपको दस जगह ट्यूबवेल लगाने के मिल जाएंगे लेकिन उनमें से केवल दो में ही पानी मिल रहा है ? मैं लोहरडागा नगर पालिका का अध्यक्ष हूं । तीन, साढ़े तीन साल पहले हम ने 18 लाख 50 हजार रुपये की स्कीम सरकार को दी और 14 लाख 50 हजार रुपया मैंने पानी विभाग को दिया । मैंने उस विभाग को कहा कि मुझे आडिट में हिसाब देना है, मुझे इस रकम का हिसाब दो लेकिन हिसाब नहीं मिलता है । हमने पहले साढ़े सात लाख रुपया दिया, कुछ काम हुआ । फिर दूसरी बार रुपया दिया । इस तरह से साढ़े चौदह लाख रुपया हम पानी विभाग को

दे चुके हैं लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ । तीन बरस पहले साढ़े सात लाख का तो काम हुआ था लेकिन तीन बरस से काम वहां बन्द है और कहते हैं कि वह रुपया खर्च हो गया । वह रुपया खर्च नहीं हुआ, बल्कि बड़े-बड़े अधिकारी खा गये । इसके बारे में बिहार की असेम्बली में भी क्वेश्चन किया गया लेकिन उसका साफ जवाब नहीं दिया गया । जो सरकार रुपया देने के बाद भी काम नहीं कर सकती है, क्या वह सरकार कहलाने के लायक है ? वह मनष्यों के लिए, लोगों के लिए एक जुल्मी सरकार थी जो कायम नहीं रह सकती थी, काम करती नहीं रह सकती थी ।

आप बेकारी की समस्या को ही लें । छोटा नागपुर के पलामू जिले रांची जिले से दो लाख से भी अधिक आदमी आज अपने घरबार छोड़कर भाग गए हैं । आपको वहां पर गांव के गांव खाली पड़े नजर आएंगे । केवल बूढे आदमी और हमारी बहनें जो बूढ़ी हो चुकी है और कहीं जा नहीं सकतीं थीं वही उन घरों में रह रही हैं । बाकी सारे लोग कानपुर, लखनऊ आदि में जा कर ईंट भट्टों में काम कर रहे हैं । सरकार ने फूड फार वर्क का बड़ा ढिंढोरा पीटा था। लोगों से काम लेने के महीनों बाद भी उनका जो गेहूं बाकी था, राशन बाकी था वह भी उनको दिया नहीं गया । गरीब लोगों के साथ जो जंगलों में रहते हैं, इस तरह से घोर अन्याय किया गया । इन सब की शीघ्र इन्क्वायरी होनी चाहिये। गरीबों के साथ इस तरह का अन्याय हो इसको कभी भी बरदाश्त नहीं किया जा सकता ।

नाइट स्कूल भी खोले गए । प्रौढ़ शिक्षा की योजना को लागू किया गया । जनसंघ, आर० एस०एस० के लोग जो पहली सरकार के एक घटक थे, इनमें घुस गए और उन्होंने हमारे आदिवासियों और हरिजनों को गुमराह किया । जातपात का नारा लगा कर जिस तरह से उन्होंने लोगों को गुमराह किया यह भी देखने वाली चीज है । बनबासी कल्याण के नाम पर इन लोगों ने ढकोंसला किया । आर०एस०एस० के लोगों ने लाठी और तलवार की शिक्षा दी और कहा यह गया कि हम गरीब लोगों को दवा देते हैं, उनकी दवा का इंतजाम करते हैं । ये सब जो चीजें है, इनको देखने की जरूरत है ।

बिहार के साथ एक और भी अन्याय हुआ है । आप देखें कि मिट्टी के तेल का आवंटन किस प्रकार से किया गया । महाराष्ट्र को जहां पर श्री शरद पवार की सरकार थी, चालीस हजार मट्रिक टन मिटटी का तेल दिया गया जबकि बिहार को केवल बीस हजार मैट्रिक टन ही दिया गया ।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि राम और हनुमान, जिनमें गहरी दोस्ती थी वही हनुमान जिन को लंका जलानी चाहिये थी, वे अयोध्या को ही जला बैठे ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : कांग्रेस (ई) की ओर से अनेक भाषण हुए हैं; जिनमें से दो मुख्य भाषण श्री संजय गांधी तथा श्री स्टीफन के थे । मुझे विश्वास है कि विपक्ष द्वारा उठाई गई सभी बातों का सही उत्तर दिया है ।

वास्तव में, मैं नहीं समझ पाता हूं कि विपक्ष की भर्त्सना करूं या उनके प्रति सहानुभूति करूं । मेरे विचार में वे ऐसी नाव के मल्लाह हैं जिसे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं उन्होंने डुबोया है । यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने, जो हमारे दल की है, विधान सभाएं भंग करने की उद्घोषणा जारी की है । विपक्ष को निष्पक्ष होकर सोचना चाहिये कि क्या इसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं ?

मैं नहीं समझता हूं कि आज संवैधानिक और कानूनी तर्क देने की आवश्यकता है, हालांकि काफी तर्क रखे गये हैं । उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया गया ।

परन्तु सारे मामले का तथ्य है कि यह देखना केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि राज्यों में सरकारें संविधान के अनुसार चलें और संविधान का यह अभिप्राय नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में बहुमत प्राप्त सरकार शासन करती रहे। पहले ऐसे अनेक मामले हो चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रयुक्त शब्दावलि की व्याख्या अत्यन्त व्यापक है और इस पर मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

तथ्य यह है कि ये आम चुनाव साधारण चुनाव नहीं थे। हालांकि सभी आम चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं परन्तु ये चुनाव असाधारण रूप में महत्वपूर्ण थे क्योंकि राष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि केन्द्रीय सरकार को देश में उत्पन्न स्थिति के कारण, जो मेरे विचार में पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति थी, अपनी कालावधि पूरी होने से पहले जाना पड़ा। मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक वक्ता अर्थात तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को छोड़कर, जिन्होंने कहा कि जनता पार्टी ने अच्छा काम किया था, जनता पार्टी के नेताओं से ही हमने यह सुन लिया। शेष सभी ने स्वयं अपनी सरकार की आलोचना की और कहा कि वस्तुतः सरकार थी ही नहीं। श्री वाजपेयी ने बहुत कुछ कहा। मैं उन्हीं के शब्द दोहराता हूं। उन्होंने ही यह कहा था "जनता का कार्य निष्पादन खराब है। यदि इसमें सुधार नहीं होता, तो मैं चार महीनों में मंत्रिपद से त्यागपत्र दे दूंगा।" सरकार का काम खराब होता गया और श्री वाजपेयी आकाश में विचरण करते रहे और आज जमीन पर उतर आये हैं। आज श्री वाजपेयी को यह कहते सुनकर 'मैं कहां हूं !' उन्होंने यह सरसरी तौर पर कहा। उन्होंने कहा "जो भी संजय गांधी कहेंगे, मैं करूंगा"। श्री वाजपेयी और उनकी पार्टी से यह सब सुनना बहुत आश्चर्यजनक है। मैं आपको एक सच्ची घटना बतलाता हूं कि चुनावों के दौरान जनता पार्टी के दो महत्वपूर्ण नेता मुझसे मिले। मैंने कहा "आप नहीं जीतेंगे, जनता आपके साथ नहीं है।" उनमें से एक बोले "जी नहीं, हम जीतेंगे, हमारे पास एक बड़ा मंत्र है।" मैंने पूछा "ऐसा कौन सा मंत्र है" तो बोले "वह छू मंत्र है"। मैंने कहा "छू मंत्र क्या है" तो बोले "आप संजय गांधी को वापस ला रहे हैं। हम लोगों को संजय गांधी के विरुद्ध बातें बतला रहे हैं और आप हार जायेंगे"। छू मन्त्र धोखा दे गया। संजय गांधी वापस आ गये, कांग्रेस (ई) पुनः सत्ता में आ गई, श्रीमती इन्दिरा गांधी को इतना अधिक बहुमत प्राप्त हुआ है कि श्री वाजपेयी को कहना पड़ रहा है कि जो भी संजय गांधी कहेंगे, मैं करूंगा। स्थिति में जमीन आसमान का अन्तर है। यदि केन्द्र में स्थिति खराब थी, तो राज्यों में बदतर। आप ध्यान दें कि केन्द्र में मंत्रियों पर प्रधान मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं था। मुझे याद है कि करनाल में उपचुनाव के दौरान मुझे उधर जाने का मौका हुआ तो मैंने श्री राज नारायण को कहते सुना "जनता पार्टी एक सुन्दर और जवान नववधू है, जिसका विवाह हुए ½ वर्ष हुए हैं, उसे छोड़िये नहीं"। मैंने कहा : "सुन्दर और जवान तो है, किन्तु उनमें से अनेक बर्बर और हत्यारे पति हैं"। और उस वधू की हत्या कर दी गई। प्रधान मंत्री का अपने मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था, मंत्रियों का किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं था और न ही उनमें आत्म-नियंत्रण था। जनता नेताओं और हाई कमान का अपने राज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं था। मुख्य मंत्री भी अपने मंत्री नियुक्त करते समय उनसे परामर्श

नहीं करते थे । केन्द्र और राज्य दोनों कैन्सर से ग्रस्त थे । मैं सादर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी राय में यह चुनाव केन्द्र में सरकार चुनने मात्र के लिये नहीं था । वास्तव में यह चुनाव स्थिति को सुधारने के लिये था । विभिन्नता वाले इतने बड़े देश पर वही प्रधान मंत्री शासन कर सकता है, जो न केवल प्रधान मंत्री बल्कि भारत के असंख्य लोगों का मित्र भी हो ।

इस चुनाव में समूचे देश में, उत्तर, दक्षिण, या पश्चिम एक ही आवाज एक ही लहर थी कि देश का शासन एक ऐसे नेता के हाथ में सौंपा जाये जो साम्प्रदायिक दंगों, भाषायी समस्या, कानून और व्यवस्था की स्थिति, सर्वव्यापी मूल्य वृद्धि आदि का सामना कर सके ।

आखिर केन्द्र है क्या ? केन्द्र केवल दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्रों पर शासन करता है । प्रत्येक बात के लिये माध्यम तो राज्य हैं । केन्द्र और राज्य दोनों ने अव्यवस्था की स्थिति पैदा की और इसे समाप्त करने की आवश्यकता थी ।

श्री जार्ज फरनेंडीस ने कहा कि हमें केवल 42 प्रतिशत मत मिले । उन्हें कितने मिले और जनता पार्टी को कितने ? वस्तु स्थिति यह हैं कि हमें यहां तक पता नहीं कि कल जनता पार्टी का नेता कौन होगा, श्री वाजपेयी होंगे या मधु दंडवते । हमने तो सुना था कि हनुमान ने अपना जीवन राम को समर्पित कर दिया था । अब हम सुनते हैं कि हनुमान राम को बरखास्त करने जा रहे हैं । यह है स्थिति इन दलों की ।

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा दिल्ली महानगर परिषद् के भंग किये जाने की निन्दा से मुझे आश्चर्य और क्षोभ हुआ । मुझे याद नहीं आता यदि देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो । दिल्ली में एक मामूली बात को लेकर मिल मजदूर 110 दिन तक हड़ताल पर रहे और किसी ने परवाह ही नहीं की । दिल्ली में जनता पार्टी सत्तारूढ़ थी और केन्द्र में लोक दल परन्तु श्रमिकों पर अत्याचार किया गया । इन्द्रप्रस्थ कालेज की लड़कियों को संरक्षण की मांग करनी पड़ी । निर्धनों को दबाया गया । दिल्ली में अराजकता पैदा की गई । जनवरी, 1980 तक आधा बजट अप्रयुक्त रहा । जनता प्रशासन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा घुसपैठ करने, जनता के विरुद्ध विभिन्न अपराध करने, राजनीतिक गठजोड़ करने, राजनीतिक लाभ उठाने और कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने में व्यस्त था ।

आज उनके लिये विहित स्वार्थ पैदा हो गये हैं । वे सोचते हैं कि यदि कानून और व्यवस्था खराब होगी तो उन्हें स्थानीय चुनावों में जीतने का अवसर मिल जायेगा । दिल्ली पुलिस के कुछ बेवकूफ व्यक्तियों ने स्थिति से निपटने में गलती की और विरोधी पक्ष के नेता अंधों के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं । कितनी शर्म की बात है, कितने बहादुर लोग हैं ये ? कानून और व्यवस्था की समस्या, मूल्य वृद्धि, मुद्रा स्फीति आदि सब इन्हीं लोगों की देन है । चूंकि हम 1977 मे हार गये, तो इन्होंने सोचा कि हम सदा के लिये ही हार गये हैं ।

श्री जार्ज फरनेंडीस लोकतंत्र का हवाला दे रहे थे । मुझे चिकमगलूर के लोगों का निर्णय याद आता है । यहीं इसी लोक सभा में चिकमगलूर की जनता के मुंह पर थप्पड़

मारा गया था और श्रीमती गांधी को जेल भेजा गया था । जनता पार्टी का भविष्य उसी दिन अंधकारमय हो गया था ।

मैं तो दिल्ली नगर निगम के विघटन की भी मांग करता हूं जो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है और भ्रष्टाचार और अकुशलता का गढ़ बन गया है । श्री जार्ज फरनेंडीस लोकतंत्र और कानून के अनुसार शासन की बात करते हैं परन्तु उन्होंने स्वयं कहा था कि उन्होंने पटरी उखाड़कर रेल दुर्घटनायें कराई हैं । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी एक सहृदय और दयालु महिला हैं । अपराधों के लिये कोई समय-सीमा नहीं है । कोई भी अपराधिक मामले उठा सकता है परन्तु खुशी की बात है कि श्रीमती गांधी स्थिति को इस दृष्टि से नहीं देखती हैं ।

मैं शाह आयोग के कारनामों की बात तक नहीं करना चाहता । उसने श्रीमती गांधी के साथ जो व्यवहार किया, उसके बारे मे बहुत कुछ कहा जा सकता है । मेरे पास पासपोर्ट नहीं था फिर भी अविद्यमान पासपोर्ट को जब्त किया गया । इसी प्रकार श्रीमती गांधी, उनके परिवार, श्री संजय गांधी सभी के साथ बुरा व्यव हार किया गया और कांग्रेस (ई) के नेता श्री यशपाल को सताया गया । हम उनके पद-चिन्हों पर नहीं चलना चाहते । हम श्री जार्ज फरनेंडीस को जेल नहीं भेजना चाहते हालांकि उन्होंने स्वयं कहा है कि उन्होंने रेलगाड़ियों को दुर्घटनाग्रस्त किया । हमें जनजीवन को खुशहाल बनाना है, जनता हमें आशाभरी दृष्टि से देख रही है । मैं आशा करता हूं कि हम एक ऐसा वातावरण पैदा करेंगे जिसमें हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें और मिलकर अच्छा काम कर सकें ।

श्री चित बसु : (बारासाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने देश के संविधान 356 के अधीन नौ राज्यों की विधान सभाओं के भंग किये जाने की उद्घोषणा का विरोध करता हूं क्योंकि यह हमारे संविधान में परिकल्पित संघीय ढांचे के बिल्कुल विपरीत है । यह सम्पूर्ण शक्ति के केन्द्रीकरण की दिशा में उन्मादपूर्ण कदम है । यदि आप अनुमति दें, तो मैं यहां तक कहूंगा कि यह एकमात्र व्यक्ति के हाथ में सम्पूर्ण शक्ति सौंपती है क्योंकि यह लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली पर कुठाराघात है और केन्द्र में सत्तारूढ़ दल अर्थात कांग्रेस (ई) से भिन्न दलों की राज्य सरकारों के अस्तित्व को एक बहुत बड़ी चुनौती और खतरा है । यह केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और काश्मीर की सरकारों के लिये गंभीर खतरा है क्योंकि जैसाकि बहस के दौरान अनेक अवसरों पर कहा जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार यह पसन्द नहीं करती या ऐसा मत नहीं रखती कि भिन्न विचारधारा और भिन्न कार्यक्रम, जिसके लिये उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हुआ है, क्रियान्वित करने वाली सरकार रहें क्योंकि वे चाहते हैं कि सभी राज्य सरकारों को केन्द्र के अनुसार चलना चाहिय यह केन्द्र राज्य सम्बन्धों की क्रूर व्याख्या है । अतः वर्तमान केन्द्र-राज्य सम्बन्धों तथा हमारे संविधान में परिकल्पित संघवाद के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं है । अनुच्छेद 356 लागू करने के लिये ऐसी स्थिति होना आवश्यक है जिसमें राज्य सरकार को संविधान के अनुसार न चलाया जा सकता हो । अब माननीय गृह मंत्री ने यह बताना आवश्यक नहीं समझा कि इन नौ राज्यों में कब और कैसे ऐसी स्थिति पैदा हुई, जिसमें इन नौ राज्यों में संविधान के उपबन्धों के अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती थी ।

दूसरी ओर विभिन्न मंत्रियों ने, जैसे विधि मंत्री, कुछ फालतू कारण बताये हैं। अब मैं इस तर्क को लेता हूं कि इन नौ राज्य विधान सभाओं में निर्वाचक जनता की इच्छा और आकांक्षाएं प्रतिबिंबित नहीं होती थीं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा और कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ प्रमुख तथ्यों को नजरअंदाज करना सुविधाजनक समझा। क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि गत लोक सभा चुनावों में 58 प्रतिशत मतदाताओं ने कांग्रेस (ई) को मत नहीं दिया? इन नौ राज्यों में से चार राज्यों में कांग्रेस (ई) को डाले गये मतों का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तमिलनाडु में भी, जिसके आप प्रतिनिधि हैं कांग्रेस (ई) को केवल 31.3 प्रतिशत मत मिले। यदि हम परिणामों की और जांच करें तो क्या पता चलता है? उदाहरण के लिये...

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस (ई) और डी० एम० के० के बीच मतों का आपने कैसे बंटवारा किया?

श्री चित्त बसु : कांग्रेस (ई) को वहां बहुमत नहीं मिला। आपके मतों को शामिल करके ही उनका बहुमत बनता है। मैं समझता हूं कि आपके दल का कांग्रेस (ई) में अभी तक विलय नहीं हुआ है। आपके दल का एक पृथक् कार्यक्रम है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि उन्हें 31 प्रतिशत मत मिले लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि उनका डी० एम० के० के साथ गठबंधन था।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : ये पश्चिमी बंगाल में वामपंथी मोर्चे को प्राप्त मत तो शामिल करना चाहते हैं परन्तु तमिलनाडु में डी० एम० के० को प्राप्त मतों को जोड़ना नहीं चाहते।

श्री चित्त बसु : आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लीजिये। कांग्रेस (ई) को 85 में से 51 स्थान प्राप्त हुए। इसे केवल 35.7 प्रतिशत मत प्राप्त हुए अर्थात् लोकदल के 28.4 प्रतिशत से केवल 7 प्रतिशत अधिक और उसे 29 स्थान प्राप्त हुए। जनता पार्टी को 22.5 प्रतिशत मत और 3 स्थान प्राप्त हुए। 425 विधान सभा क्षेत्रों में से 326 विधान सभा क्षेत्रों में कांग्रेस आगे रही। लेकिन यदि विपक्ष के मतों को इकट्ठा किया जाये, तो विपक्ष 328 में आगे रहता।

बिहार के मामले में कांग्रेस (ई) 325 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में से 166 क्षेत्रों में आगे रही। किन्तु यदि विपक्ष के मतों को मिलाया जाये तो विपक्ष 239 विधान सभा क्षेत्रों में आगे होता और कांग्रेस (ई) केवल 83 क्षेत्रों में।

ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह कहना न उचित है, न तर्कसंगत है और न ही मान्य है कि कांग्रेस (ई) के पक्ष में भारी बहुमत है जैसाकि श्री स्टीफन ने दावा किया और दल-बदल के लिये एक नया दर्शन रखा। मैं श्री भगवती की टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

> "लोक सभा निर्वाचनों में किसी राज्य में सत्तारूढ़ दल की पराजय मात्र से, किसी अन्य बात के न होते हुए, यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि

राज्य सरकार को संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता । विधान सभा को केवल इस आधार पर भंग करना राष्ट्रपति द्वारा सभी सदस्यों को वापस बुलाने के अधिकार का अप्रत्यक्ष प्रयोग होगा जबकि निर्वाचकों तक द्वारा भी सदस्यों को वापस बुलाने के लिये संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है ।"

अतः यह तर्कहीन और अमान्य है कि उन्हें भारी बहुमत मिला और बहुमत के अनुसार उन्हें इन 9 राज्यों की विधानसभाएं भंग करने का अधिकार है ।

माननीय विधि मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण के प्रश्न पर इन 9 राज्यों और केन्द्र के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी । यह तथ्यों के विपरीत है । मैं तो केवल इतना कहता हूं कि राज्य सभा ने, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तथा कुछ राज्य सरकारों को चलाने वाले सभी विरोधी दलों का भी प्रतिनिधित्व करती है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विरोध के रिकार्ड समय में सर्वसम्मति से 45वां संविधान संशोधन विधेयक स्वीकार किया । इन 9 राज्यों सहित सभी राज्य सरकारों ने यह नहीं कहा कि वे 45वां संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन नहीं करेंगे । इसके विपरीत यह साबित करने के लिये तथ्य हैं कि इन सभी राज्यों ने बजट सत्र के अपने विधायी कार्य में इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना शामिल किया था । अतः यह बात भी मानी नहीं जा सकती है ।

अनेक माननीय सदस्यों ने राज्यों में पुलिस के अत्याचारों तथा कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मेरे पास इस प्रश्न पर बहस करने का समय नहीं है । मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि यदि समाज के कमजोर वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर पुलिस के अत्याचार कानून और व्यवस्था का प्रश्न ही 9 राज्यों में विधान सभायें भंग करने की कसौटी है, तो क्या कारण हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार को भंग नहीं किया गया ? वास्तविक कारण क्या हैं ? वास्तविक कारण माननीय गृह मंत्री ने स्वयं दिया है । गत 19 फरवरी को टेलीविजन पर एक इन्टरव्यू में उनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की विधान सभायें भंग न करने के क्या कारण हैं । उन्होंने इसका साफ उत्तर दिया था कि ऐसी राज्य विधान सभाओं को भंग करने की कोई तुक ही नहीं थी, जिन्होंने श्रीमती गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और जो उनके कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यान्वित करना चाहती थीं । उन्होंने जो असली कारण बताया वह यह कि केवल उन्हीं राज्य सरकारों को चलने दिया जायेगा जो किसी एक नेता विशेष, एक दल विशेष को माने, अर्थात जो केन्द्र में सत्तारूढ़ हो ।

अन्त में मैं लन्दन से प्रकाशित एक विदेशी पत्रिका 'फाइनेन्शियल टाइम्स' से कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जो इस प्रकार हैं :—

"इस कार्यवाही को...."

अर्थात् नौ राज्य विधान सभाओं का विघटन ।

"इस कार्यवाही को अपने विपक्ष की आवाज को प्रभावी रूप से दबाकर संविधान में संशोधन करने तथा राज्याध्यक्ष शासन प्रणाली स्थापित करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है ।"

उसमें आगे कहा गया है :

"श्रीमती गांधी राज्यों की शक्तियों को कम कर देंगी और अत्यधिक केन्द्रीकृत शासन प्रणाली लागू कर देंगी ।"

अधिकारवाद, तानाशाही का खतरा, एक दल के एकाधिकार शासन का खतरा हमारे सिर पर मडरा रहा है । इस पृष्ठभूमि में लोकतंत्र में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस उद्घोषणा का विरोध करना चाहिये क्योंकि यह उद्घोषणा हमारे देश में लोकतंत्र को नष्ट करने का संकेत है ।

***श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियान (करूर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा और केवल यही बताना चाहूंगा कि सरकार को किन मजबूरियों के कारण नौ राज्य विधान सभाओं का विघटन करना पड़ा ।

विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों को यह बात अच्छी तरह से मालूम ही है कि जनता पार्टी को संसदीय निर्वाचकों में 1977 में लोगों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ था और तब वह सत्ता में आई थी । जनता पार्टी से लोगों को क्या क्या आशाएं थी, ढाई वर्ष के जनता राज में लोगों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जनता सरकार ने उनकी उम्मीदों और आकांशाओं पर कैसे पानी फेर दिया ये सब बातें 1980 के आम चुनावों से निस्सन्देह सिद्ध हो जाती हैं । देशवासियों ने यह महसूस किया है कि केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ही उनकी आशाओं और आकांशाओं को पूरा कर सकती हैं, केवल वही लाखों दुखी लोगों को सहारा दे सकती हैं और केवल वहीं हरिजनों और दुर्बल वर्गों के लोगों की जाति-वाद के आधार पर पोषित लोगों से रक्षा कर सकती हैं और इसी लिए ही उन्होंने स्पष्ट रूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी के पक्ष में मत दिया था । विभिन्न प्रतिपक्षी दलों के माननीय सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत होंगे यदि मैं यह कहूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ही हमारे देश के लोगों की एकमात्र नेता हैं तथा इस बारे में कोई झगड़े की बात नहीं है ।

जब 1977 में केन्द्र में कांग्रेस सरकार को चुनाव में पराजित करके सत्ता से हटाया गया था उस समय आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की प्रवृत्ति क्या थी ? सीमेंट की बोरी का विक्रय मूल्य 18 रुपये था । ढाई वर्ष के पश्चात् सीमेंट की बोरी जनता पार्टी द्वारा अर्थ-व्यवस्था का कुप्रबन्ध किए जाने के कारण 28 रुपये में बिक रही है । भारत के लोगों ने यह पछताते हुए कि उन्होंने जनता पार्टी में गलती से विश्वास कर लिया था 1980 के आम चुनावों में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया । उन्होंने यह महसूस किया कि जनता पार्टी देश में शासन करने के योग्य नहीं है ।

नौ राज्यों की विधान सभाओं को विघटित करने के क्या मूल कारण थे ? राज्य विधान सभाएं इस सभा द्वारा पारित विधियों को क्रियान्वित करने में विलम्ब करने के तरीके अपना रही थी । ये राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की, जिसे लोगों का भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, अवज्ञा कर रही थीं । क्या यह समझ लिया जाए कि केन्द्रीय सरकार की नीतियां और कार्यक्रम लोगों के हित के लिए नहीं हैं ? केन्द्रीय सरकार को जिसका नेतृत्व

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही हैं जनता पार्टी की अकुशलता के कारण अनेक आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है तथा राष्ट्र को समृद्धि के सही मार्ग पर लाने के लिए कतिपय ठोस उपाय करने होंगे । श्रमिक अशांति को दूर करना होगा । आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकना होगा । कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को भी सुधारना होगा । इन परिस्थितियों में इन चीजों के लिए उत्तरदायी विपक्षी दलों के सदस्यों का यह कहने का अधिकार नहीं है कि नौ राज्य विधान सभाओं का विघटन गलत और अनुचित था । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि उन्हें हमारी सरकार की आलोचना करना शोभा नहीं देता क्योंकि वह तो उनकी अपनी सरकार द्वारा गत ढाई वर्षों में जो नुकसान पहुंचाया गया है उसे ठीक करने के लिए कटिबद्ध है । मुझे तो इस बात का भी सन्देह है कि वे लोकतंत्रीय पूर्व दृष्टान्तों के अपने लम्बे चौड़े दावों के समर्थन में ठोस तक भी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं ।

मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में जिनका मैंने उल्लेख किया है नौ राज्य सभाओं का विघटन ठीक और उचित है । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दंडवते जी, जनता पार्टी अपना समय पूरा कर चुकी है । मैं दूसरी पार्टी का समय लेकर आपको नहीं दे सकता । मुझे बहुत खेद है ।

श्री ए० के० राय : क्या हमें छोड़ा जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य ग्रुपों के लिए 12 मिनट का समय निश्चित किया गया है । श्री फ्रेंक एंथनी पहले ही भाषण दे चुके हैं ।

नौ घंटे निश्चित किए गए हैं तथा सारा समय पूरा हो चुका है तथा गृह मंत्री 5.30 बजे मध्याह्न पश्चात् उत्तर देने वाले हैं ।

श्री ए० के० राय : क्या हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा ? यह एक महत्वपूर्ण विषय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात सही है । मैं भी इससे सहमत हूं किन्तु यह नियमों के बाहर की बात है ।

श्री ए० के० राय : कैसे ? ऐसा नियम कहां है कि गृह मंत्री को 5-30 बजे मध्याह्न पश्चात् ही बोलना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जितना समय आपके ग्रुप को नियत किया गया था उतना उसने ले लिया है ।

श्री ए० के० राय : मैं किसी ग्रुप का नहीं हूं । मैं निर्दलीय हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्दलीय सदस्यों का समय समाप्त हो चुका है ।

श्री ए० के० राय : ऐसे वे कौन से भाग्यशाली निर्दलीय सदस्य हैं जिन्हें अवसर मिला है ?

उपाध्यक्ष महोदय : समय नियत करना कार्य मंत्रणा समिति का काम है । यदि आप कक्ष में आजाएं तो मैं सारी बात आपको स्पष्ट कर दूंगा ।

श्री ए० के० राय : हमें कुछ बातें कहनी हैं । मेरा अनुरोध है कि समय बढ़ा दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह सम्भव नहीं है । कार्य मंत्रणा समिति पहले ही समय नियत कर चुकी है ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहब,

"हकीकत आश्ना हूं वाकिफ़े इसरारे हस्ती हूं,
समझता हूं मगर दुनिया को समझाना नहीं आता"

इस रिजोल्यूशन पर कल से चर्चा चल रही है । विरोधी दल के मैम्बरान ने अपने विचार सदन में रखे और इधर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने विचार रखे । 1977 में जब कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में देश में जो हालात पैदा हुए और जनता पार्टी बरसरेइक्तदार आई, तब क्या हालात थे, उसमें जाने की जरूरत नहीं है । 1977 में जनता पार्टी ने हिन्दुस्तान की जनता को गुलिस्तां और बोस्तां की कहानियां सुनाई, सब्ज-ब-लालाजार दिखाये, हरे-भरे नक्शे दिखाये, लेकिन बरसरेइक्तदार आने के बाद ढाई सालों में जनता पार्टी का शीराजा बिखर गया, उनका भाण्डा चौराहे पर फूटा । यह शीराजा क्यों बिखरा ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उनकी अपनी कारगुजारियां इसके लिए जिम्मेदार हैं । जनता पार्टी के नेताओं में जूतियों में दाल क्यों बटने लगी, इसलिए कि उनके इरादे नापाक थे ।

डिप्टी स्पीकर साहब, कान्फ्लिक्ट आफ इन्टरेस्ट, कान्फ्लिक्ट आफ़ पर्सनालिटीज तो सब पार्टीज में होती हैं, लेकिन जहां कान्फ्लिक्ट आफ आइडियोलाजीज हो, वह गाड़ी नहीं चल सकती । ढाई साल की कारगुजारियों ने जनता पार्टी की तरफ से लोगों की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया, क्योंकि उनके इरादे नापाक थे श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री प्रोग्राम के मुकाबले में इनका सिर्फ एक सूत्री प्रोग्राम रहा और वह एक सूत्री-प्रोग्राम यह था कि जिस इन्दिरा गांधी को हिन्दुस्तान की जनता ने 1977 के इलैक्शन में पराजित कर दिया था, उस पर इन्होंने सब्र-ब-तहम्मुल से काम नहीं लिया, बल्कि उस को जलीलो-ख्वार करने की कोशिश की । एक-दो नहीं, उन पर 36 मुकदमे बनाये, कमीशनों की भरमार की, मां-बेटे को जगह-जगह मुकद्दमात में हाजरी देने पर मजबूर किया—यह सिर्फ बदले की भावना थी उस इन्दिरा गांधी के खिलाफ जिसने 11 साल के अर्से में इस देश की नैया की खिवैया बन कर इस को पार लगाया और देश की कुलाहे-इफ़्तिखार को अर्शेवरीं पर पहुंचाया, उस इन्दिरा गांधी के खिलाफ जिसने बंगला देश को जन्म दिया, उस इन्दिरा गांधी के खिलाफ जिसने सिक्किम को हिन्दुस्तान का हिस्सा बनाया, उस इन्दिरा गांधी के खिलाफ जिसने हिन्दुस्तान को एटामिक शक्ति दी । इन्होंने मुकद्दमात बनाये, कमीशन्ज बैठाये और जब इस पर भी इनकी तसल्ली नहीं हुई तो 3 अक्तूबर, 1977 को उन्हें झूठे मुकद्दमे में गिरफ्तार किया । जब वह चिकमंगलूर से 77 हजार की

अक्सरियत से जीत कर आई, तब ये विरोधी दलों के भाई जो उस वक्त बरसरेइक्तदार थे, उनका 20 दिन भी इस सदन में बैठना बरदाश्त न कर सके । अपने बहुमत के बल-बूते पर एक जालिमाना-नौके-कलम से इस हाउस के मैम्बरों से उनको बरखास्त कर दिया और एक हफ्ते की जेल की सजा दी । इसका नतीजा क्या हुआ ? देश में एक हेजान बरपा हो गया । जनता ने इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध का इजहार करते हुए हिन्दुस्तान की जेलों को भर दिया लाखों की तादाद में लोग जेलों में गये । दुनिया के किसी भी मुल्क के इतिहास में आप को ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी । पांच लाख हिन्दुस्तानी उस वक्त जेलों में गये । क्यों ऐसा हुआ ? क्या बात थी ? बदले की भावना से उस वक्त जो काम इन्होंने किया उसकी कीमत इनको अदा करनी पड़ी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपको याद होगा, 1971 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई थी, उस वक्त 542 सीटों में से 352 सीटें मिली पर थीं । उस वक्त श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि इन्दिरा गांधी ने इन चुनावों में ऐसी स्याही इस्तेमाल की है जिसमें निशान राम सिंह पर लगता है तो अपने आप श्याम सिंह हैं, इस सरक जाता है, श्याम सिंह पर लगाया जाता है तो कृष्ण कुमार पर सरक जाता लेना इस तरह से कांग्रेस पार्टी जीती है । इसी सदन के एक मेम्बर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता—जब बंगला देश की जंग जीती गई तो उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को दुर्गा-भवानी कहा था, जगदम्बा कहा था, लेकिन जब वह खुद बरसरेइक्तदार आये तो फिर उन को श्रीमती इन्दिरा गांधी का रूप भयानक दिखाई देने लगा । डिप्टी स्पीकर साहब, यह वह बदले की भावना थी, जिस ने हिन्दुस्तान की जनता को मजबूर किया कि वह इनके खिलाफ वोट दे । हिन्दुस्तान के वोटर्स वही थे, इलक्टोरेट वही था, वही कांस्टीचूएन्सीज़ थीं, और करीबन चुनाव लड़ने वाले भी वही थे, लेकिन जो लोग 1977 के चुनाव में 303 सीटों की अक्सरियत को ले कर आये थे और उनमें भी जो आर० एस० एस० पार्टी के अलम्बरदार थे उन की तादाद 95 के मुकबाले 5 रह गई । जिनके गिरजे और गुरुद्वारे चीन में हैं, जिन के मन्दिर और शिवालय अमरीका के अन्दर हैं—उनको हिन्दुस्तान की सभ्यता से कोई प्यार नहीं है । आज श्रीमती इन्दिरा गांधी उनको दुश्मन दिखायी देती हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या ? इस इलेक्शन के नतीजे आपके सामने आ गए हैं । आठ जनवरी को श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी पार्टी के सारे नतीजे सामने आये, उनमें अपोजिशन की क्या पोजिशन रही और श्रीमती इन्दिरा गांधी की क्या पोजिशन रही ? इन लोगों के ढाई वर्ष के राज में जरूरत की चीजें नेस्तनाबूद हो गयीं, महंगाई आसामान को छूने लगी और अमनो-अमान की हालत खराब हो गयी । उस वक्त हिन्दुस्तान की जनता को एक ही चीज दिखायी देती थी । हिन्दुस्तान की एकता के लिए, हिन्दुस्तान की स्थायी सरकार के लिए एक आसरा दिखायी देता था और वह था श्रीमती इन्दिरा गांधी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जिस वक्त बरसात के मौसम में बादल छाये रहते हैं और बारिश नहीं बरसती है तो जमींदार आसामान से कहता है कि बरस जा । जब भी बारिश नहीं बरसती तो पंडित के पास जमींदार जाता है और वह उसे कहता है कि इन्द्र देवता को खुश करो । इन्द्र देवता समुद्र में बेकार पड़े पानी को बादल बना कर रेगिस्तान में बरसाता है और हरियाली पैदा करता है । इन्द्र देवता और इन्दिरा गांधी की राशि भी एक ही है ।

इन्दिरा गांधी भी वही काम करती हैं जो इन्द्र देवता किया करता है । अमीरों के महलों में जो दौलत के अम्बार पड़े हैं उसको वहां से उठा कर गरीबों के झोंपड़ों तक इन्दिरा गांधी पहुंचाना चाहती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण पूरा कीजिए ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक शेर अर्ज कर दूं--

नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज
गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी घंटी मुझे बार-बार मजबूर कर रही है इसलिए इस शेर के साथ ही मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं, वरना मुझे समय और चाहिए था ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस से पहले कि मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने को कहूं मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आज के लिए नियत आधे घण्टे की चर्चा पेश किये गये सभी संकल्पों के निपटारे के बाद उठाई जायेगी ।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : उपसभापति जी, जो मैंने 9 रियासतों में प्रेजीडेंट के प्राक्लेमेशन के सम्बध में आपके सामने और इस हाउस के सामने जो रिजोल्यूशंस रखे थे उन पर हमारे सत्कार योग्य मेम्बर साहिबान ने बहुत ही कीमती राय दी है । मेरा ख्याल था कि यह एक उद्धरण बन गयी है और डेमोक्रेसी की रवायत के मुताबीक ही हम ने यह किया है । इसलिए उस वक्त मैंने अपनी इन्ट्राडक्टरी स्पीच में ज्यादा कुछ नहीं कहा था और मैंने सिर्फ यही कहा था कि जम्हूरियत के महान असूलों को मद्दे नजर रख कर ही इन विधान सभाओं को भंग करने की प्रेजीडेंट को सिफारिश की गयी थी और जो 1977 में फैसला किया गया था उसी के मुताबिक ही यह किया गया है । मैंने यह भी कहा था कि उस वक्त भी नौ ही रियासतों की विधान सभाएं भंग की गयी थीं । मैंने कोई राय नहीं दी । इस बहस में मैं नहीं पड़ा कि क्यों भंग की गई । केवल एक ही बात थी कि जनता का भरोसा उन पर नहीं रहा इसलिए उनको भंग किया गया । अच्छा होता अगर इसी बात को सामने रखा जाता । लेकिन मैम्बर साहिबान और पार्टिकुलरली विरोधी दलों के नेताओं ने ऐसे मसले और विचार सामने ला कर खड़े किए जो कहीं किसी और कंटेक्स्ट में मैंने रखे होंगे और उनका इस चर्चा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था । अगर कोई अखबार की बात थी तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सभा में अखबार की बात डिसकस नहीं हो रही थी । इस सभा में पार्लियामेंट में जो कहा गया उसी की चर्चा होनी चाहिए थी--(इंटरप्शंज) हम लोगों ने बड़े सब्रो सन्तोष से इन सब दोस्तों की बातें सुनी हैं । अब आप जरा बड़ा दिल रख कर बात सुन लीजिए ।

अभी-अभी मेरे एक दोस्त नें यह कहा कि मेरे पास मैमोरेंडम आया है और आपने इजाजत दे दी मैमोरेंडम पढ़ने की । ऐसे मैमोरेंडम तो हर मैम्बर पार्लियामट के पास रोजना आते रहते हैं । अगर उन्हीं को पढ़ा जाए और उनके बारे में जानकारी न ली जाए उनकी तहकीकात न की जाए और सभा में उनको पढ़ने दिया जाए तो उसी में समय निकल जाता है । खैर, आपने इजाजत दे दी और उन्होंने सुना दिया ।

हमारे आनरेबल मैम्बर ने कल एक शेर पढ़ा था :

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।

श्री रामावतार शास्त्री : तो चर्चा नहीं होती ।

श्री जैल सिंह : होता, जरा शुद्ध कर लीजिए ।

मैं बड़े अदब से हाउस में इन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वैसे तो वे आजकल एक नहीं रहे चूंकि जनता पार्टी से एक दल और बना और उस में से और दल बन गए और दल दल में ये आज फंसे हुए हैं ...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : चार कांग्रेस पार्टियां थीं ।

श्री जैल सिंह : दंडवते जी आप तो बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, लिट्रेरी आदमी हैं,

एक माननीय सदस्य : थे ।

श्री जैल सिंह : थे नहीं अब भी हैं । क्या आपको मालूम है कि आज आपको दुनिया क्या कहती है ? गीत बदल गया है । गीत था :

इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा । अब लोग कहते हैं :

इस दल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। मैं बहुत अदब से और दोस्ताना माहौल में बात करना चाहता हूं। चूंकि मैं किसी भी अपने विरोधी को दुश्मन नहीं समझता । दुश्मन की बात और होती है, विरोधता की बात और होती है । खयालात की विरोधता दुश्मनी तक नहीं पहुंच सकती है ।

चमन में इख्तलाते रंगों बू से बात बनती है;
जहां हम ही हम हैं तो क्या हम हैं,
और जहां तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो ।

खैर, अभी जो सी० पी० आई० के नेता ने शेर पढ़कर सुनाई पंडे और गुंडे की वह भी मैंने आपको सुनानी है ।

मैं कत्ल की बात कहना चाहता हूं कि डैमोक्रसी का कत्ल कैसे होता है । इसी हाउस में हमारे प्रधान मंत्री श्री मुरार जी भाई थे, और जनता पार्टी की पर्सनलिटियां तो अब भी हैं, दल उनके बेशक कितने ही बन जाये, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि चिकमंगलूर से श्रीमती इंन्दिरा गांधी पौने लाख वोटों को अक्सरियत से जीतीं और वह सामने उस सीट पर बैठी हुई थीं, और उस वक्त उन्होंने मैजारिटी के बल पर फैसला यह किया था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस हाउस से बाहर निकाला जाता है। (शेम शेम की आवाजें) ... (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इमरजेंसी के समय सुब्रह्मण्यम स्वामी को भी आप ने सस्पेंड कर दिया था।

श्री जैल सिंह : इसी हाउस में फैसला किया गया कि वह मेम्बर नहीं रह सकती, और वोटरों की तौहीन की गई और जनता को बेइज्जत किया गया और श्रीमती इन्दिरा गांधी को इसी हाउस से निकाल कर जेल में फैंक दिया गया और 5 लाख हिन्दुस्तानियों ने उस वक्त जेलें भर दीं और आपने झूठे मुकदमे बना कर हम पर तशद्दुद किया। उस वक्त आपकी डेमोक्रेसी का कत्ल कहां गया? डेमोक्रेसी का कत्ल तो उस वक्त हुआ था जबकि इलेक्टेड मेम्बर को आपने हाउस से निकाला और जेल में भेज दिया।.... (व्यवधान)

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे माननीय जार्ज फर्नान्डीज ने कहा कि बहुमत जो है वह कांग्रेस को नहीं मिला। और गिनती क्या करते हैं कि कांग्रेस को कितने वोट मिले। मैं आपके जरिये से कहूंगा कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी का ढ़ांचा है उसमें यह गिना जाता है कि मेम्बर किस पार्टी के ज्यादा आये हैं। और दूसरे यह गिना जाता है कि उन मेम्बरों की गिनती कितनी है। एक जमाना था जनता पार्टी ने कहा कि हमारा बहुमत आया है। लेकिन उस बहुमत के सामने 154 सदस्यों का एक मजबूत अपोजीशन बैठा हुआ था। लेकिन आज कांग्रेस (आई०) की जीत के बाद यहां अपोजीशन बनने के लिए भी कोई पार्टी योग्य नहीं है। अब जो कांग्रेस (आई०) का फैसला है वह जनता का फैसला है। इतनी बड़ी भारी तादाद से जीतने वाली पार्टी को यह कहना कि उनके साथ बहुमत नहीं है तो यह तो ऐसी बात है कि जैसे चार आदमियों की दौड़ होती हो और 1,000 मीटर की दौड़ पर जाना है। एक आदमी हजार मीटर की दौड़ में आगे पहुंच गया और दूसरा एक मीटर पीछे, तीसरा 2 मीटर पीछे और चौथा 3 मीटर पीछे और उन तीनों को मिला कर जजों को यह कह दिया जाये कि जीतने वाले तो 1000 और हारने वाले 3000 हो गये हैं। यह कभी नहीं हो सकता। जार्ज फर्नान्डीज उसका इनाम मांगना चाहते हैं। (व्यवधान)

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं विनती करता हूं कि हमारे मेम्बर साहेबान को आप एक बार कह दीजिये कि वह मेरी बातों को सुन लें और उन बातों के बाद जो शंका हो, मैं उसके लिए भी उनको जवाब देने के लिए हाजिर हूं।

यह स्टेटों का मामला है। बिहार में 23.50 परसैंट रूलिंग पार्टी को वोट मिले, गुजरात में 36.85 परसैंट, मध्य प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 32 से कुछ ज्यादा, उड़ीसा में 19 और पंजाब में 23 परसैंट। राजस्थान में...

एक माननीय सदस्य : हरियाणा में बोलिये ना।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे यह सारे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वह मान गये। वह कहते हैं, मैं हरियाणा बताऊं, तो मैं हरियाणे की बात करता हूं।

जब हरियाणे में इलैक्शन हुए तो जनता पार्टी ने 90 के हाउस में 50 सीटें ली थीं। (व्यवधान) 50 सीटों में से 35 जो एम० एल० ए० हैं, उनमें से 15 एम० एल० ए० को निकाल कर उन्होंने जनता पार्टी को डिजाल्व कर दिया और आपने जनता पार्टी

के जमाने में जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया था, उसमें यह था कि जहां 25 परसैंट मेम्बर साहेबान टूट जायें, वहां डिफैक्शन नहीं होगा, वहां स्पिलिट होगा। अगर आपकी पार्टी में स्पिलिट हो गया और आपकी पार्टी वहां गिर गई और उन्होंने जनता के मैनडेट के आगे सिर झुका दिया और जनता से माफी मांग ली कि यही प्रिंसिपल ठीक है, हम गलती पर थे, तब उनको माफ करना चाहिए था। (व्यवधान) अब कर्नाटक का मामला लीजिए। कर्नाटक में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस (आई०) के टिकट पर वहां पर इलेक्शन लड़ा गया था। लेकिन कांग्रेस (आई०) का पंजा निशान था, मगर वहां कांग्रेस (आई) का लीडर और कुछ एम० एल० ए० कांग्रेस (आई०) को छोड़ गये थे। लेकिन उसके बाद वे वापस आ गये। जिस पार्टी के टिकट पर वे इलेक्शन लड़े थे, वे उसी पार्टी में आ गये। उसको आप डिफेक्शन कैसे कह सकते हैं? वहां भी हमारी मैजारिटी थी।

मुझे आशा थी कि लोक दल और जनता पार्टी वालों ने जिस बात को तीन साल पहले इन्हीं बेंचों पर बैठ कर सिर्फ माना ही नहीं था, बल्कि जिसकी श्लाघा भी की थी, वे उसको वैलकम करेंगे, उस पर खुशी प्रकट करेंगे और उसके लिए हमें मुबारकबाद देंगे। मैं आपको उस वक्त के होम मिनिस्टर का पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने हमें लिखा था। (व्यवधान) पत्र, चिट्ठी, लैटर, खत। एक पत्र मेरे पास भी आया था। मैं मेम्बर साहेबान को कहूंगा कि वह जरा ध्यान से सुन लें। वह लिखते है :—

"प्रिय महोदय,

हमने विभिन्न राज्यों में लोक सभा चुनावों में सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के अस्वीकार किये जाने से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति पर गम्भीरता से विचार किया है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमन्ड हार्बर) : यह किसका पत्र है?

श्री जैल सिंह : चौधरी चरण सिंह का। (व्यवधान) मैंने कभी यह क्लेम नहीं किया है कि मैं इंगलिश जानता हूं। आपको इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। आप लोगों में भी कई ऐसे होंगे, जो हिन्दुस्तानी भाषा नहीं जानते होंगे। आप जरा गौर से सुन लीजिए। अगर आपको मेरी जुबान में इंगलिश समझ न आती हो, तो आप किसी इन्टरप्रेटर की मदद ले लें।

"अनिश्चितता के वातावरण से हम बहुत चिन्तित हैं। हमें इस बात पर विश्वास होता जा रहा है कि इससे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अनुशासनहीनता बढ़ी है।"

गौर से सुनने वाले लफ्ज आगे आते हैं :—

"अधिकांश लोगों का विचार है कि जिस दल को चुनाव में अस्वीकार कर दिया गया है, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। अनिश्चितता, और आदेश न मानने के वातावरण से पहले ही विधि और व्यवस्था की स्थिति गम्भीर हो गई है।"

दूसरे पैराग्राफ में वह लिखते हैं :—

"2. विख्यात संविधान वेताओं का हमेशा यह मत रहा है . . . "

हमें दोबारा किसी एमिनेंट लाइयर की राय लेने की जरूरत नहीं है। यही राय काफी है। मैं चौधरी चरण सिंह का बड़ा मशकूर हूं। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह लैटर लिखवाया था। यह नई नहीं, पुरानी ओपिनियन है।

"विख्यात संविधान विज्ञों का हमेशा यह मत रहा है कि जब कोई विधान मंडल जन भावना का प्रतीक नहीं रहता अथवा मतदाताओं के मत का प्रतीक नहीं रहता अथवा यह विश्वास करने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं कि मतदाताओं और विधान मंडल में कटुता है, तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि नया जनादेश प्राप्त करने के लिए विधान मंडल का विघटन किया जाये। ऐसी परिस्थिति में मतदाता का आदेश प्राप्त करना वांछनीय ही नहीं, अपितु अनिवार्य होता है।"

फिर आगे जाकर लिखते हैं :

"हमारे विचार में यह संवैधानिक पूर्वोदाहरणों और लोकतन्त्रात्मक प्रक्रियाओं के अनुरूप होगा"

यानी इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं (व्यवधान)। क्या कापी चाहिए ? अगर आनरेबल मेवर कापी चाहते हैं तो मैं दे दूंगा।

जनता पार्टी के जमाने में जो सब से बड़े कांस्टीट्यूशनल पंडित समझे जाते थे और अब तक भी हैं.....(व्यवधान)... चरण सिंह तो लोक दल में चले गये, इसलिए आप कह सकते हैं कि चरण सिंह की बात हम नहीं जानते हैं, जनता वालों की भी जरा सुन लीजिए, वह हैं शांति भूषण जी महाराज, उन्होंने 14 जून 1977 को राज्य सभा में कहा था—

"....परन्तु हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारतीय संविधान एक लोकतन्त्रात्मक संविधान है और लोकतन्त्र का मूल मंत्र यह है कि कोई भी सरकार चाहे वह केन्द्र में हो अथवा राज्यों में तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे जनता का विश्वास प्राप्त है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम उनकी पूरी बात सुनना चाहते हैं। उनका भाषण बड़ा रोचक है। परन्तु उन्हे कहा जाना चाहिए कि वह अपना भाषण कल जारी रखें।

श्री जैल सिंह : मैं जार्ज फर्नान्डीज से पूछता हूं कि अगर हम सब्र और संतोष से किसी इंडिविजुअल का दिया हुआ मेमोरेंडम सुन सकते हैं तो यह उनकी पार्टी के जो लामिनिस्टर थे उनका कहा हुआ सुनने के लिए वह तैयार नहीं है ? अगर आपको मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी लाइयर को बुला देता हूं, वह पढ़ कर सुना देगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि संकल्पों के पारित किये जाने के बाद आधे घंटे की चर्चा ली जायेगी। उस समय किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

श्री जैल सिंह : जब यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है तो मैं समझता हूं कि वह सरकार संविधान के अनुकूल नहीं रही क्योंकि संविधान के अनुसार सर्वोच्च सत्ता लोगों के पास है।

यह जो डिमोक्रैसी के महान अलमबरदार थे, जिन्होंने हमको एथारिटेरियन कह कर लोगों से वोट लिए थे, यह दोनों के लिखे हुए, एक का तो पत्र है और एक का बयान है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे दोस्त श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने बड़ी लच्छेदार तकरीर इंग्लिश वर्ड्स की लग्जरी से की थी।

इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बनना है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने हाउस में दो बातों को देखा है। एक तो लोक दल और जनता पार्टी वाले इस बात से दुखी हैं कि उनकी सभी सरकारें टूट गईं और दूसरे सी० पी० एम०, सी० पी० आई० और जो अन्य सोकाल्ड प्रोग्रेसिव हैं, वे इस बात के डर से बोलते थे कि क्या केरल, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर की सरकारों को तो नहीं तोड़ोगे—इसी बात का भय उनके दिमाग में था। खैर, जो कुछ भी हो जो आवाज हाउस में उठ रही थी उसमें मैं यह देख कर हैरान था कि डिमोक्रैसी के महान उसूलों की खिलाफ वर्जी करने के बाद भी आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं। खैर, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का बड़ा मशकूर हूं--

खुदा याद आया मेरे कातिल को मेरा कत्ल होने के बाद।

फिर उन्होंने कहा :

मंदिर वही हैं, पण्ड बदल गये
गलियां वही हैं,**

अब गुप्ताजी की नजर में जो पहले राज करते थे, वे भी **खैर, हमको तो ** कह लें, लेकिन यह तो मान लें कि पहले भी **

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय अध्यक्ष ने जो बातें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दी हैं, मंत्री महोदय उनका उल्लेख न करें अन्यथा वह उल्लेख कार्यवाही वृत्तान्त का भाग नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जो बातें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दी गई हैं, उनका उल्लेख न किया जाये, क्योंकि वह उल्लेख कार्यवाही वृत्तान्त का भाग नहीं होगा।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, गुप्ता जी का कहना है कि जहां-जहां उनको मैं कोट करता हूं, वह सब एक्सपंज कर दिया जाए या सिर्फ इतना पोरशन...

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि उनको मेरी उन बातों का उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है जो कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दी गई हैं, तो मेरी वे बातें भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल रहनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पहले ही कह दिया है कि उन बातों का उल्लेख न किया जाये, जो कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दी गई हैं, क्यों कि वह बातें कार्यवाही वृत्तान्त का अंग नहीं हो सकती।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, जरा माहौल को ठंडा करने के लिए अगर कुछ बातें कह दी जायें, तो क्या गुप्ता जी को हर्ज है। हमारी और आपकी कोई दो बातें तो हैं नहीं। ये हमारे दोस्त हैं, इमरजेंसी के जमाने के भी दोस्त हैं और 20 प्वाइंट प्रोग्राम के भी दोस्त हैं और न जाने फिर कब दोस्ती हो जाए।

मैं तो पार्लियामेंट में भी रहा हूं। मेम्बर इस बात की ख्वाइश रखता है कि मेरा रिफ्रेंस मिनिस्टर को देना चाहिए और उस रिफ्रेंस को देने से उसकी अहमियत बढ़ती है। अगर आप चाहें तो मैं रिफ्रेंस ही नहीं देता। मैं तो दोस्ती के नाते कह रहा हूं। नहीं तो मैं कह सकता हूं कि एक मेम्बर ने कहा। मैंने तो इतनी मेहनत की है और आप इस पर एतराज कर रहे हैं। अब आप इसको एक्सपंज करवाना चाहते हैं तो करवाइए।

अभी मैंने श्री वाजपेयी जी का भाषण सुना, वे किसी जमाने में विरोधी दल के नेता हुआ करते थे और फिर वे विदेश मंत्री भी रहे हैं। वे इतना सुन्दर बोला करते थे, पता नहीं उनको विदेशों में जाकर क्या हो गया और आज इतने गुस्से में बोल रहे थे और गुस्से में वे यह भी कह गये कि ये गृह मंत्री जो चाहते हैं, करवा लेते हैं। अब इस बात के लिए तो मेरा आपको धन्यवाद देना चाहिए कि इस कन्ट्री का गृह मंत्री जो चाहता है, करवा लेता है तथा कन्ट्री वाले लोगों को भी खुश होना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब हमारी मोहब्बत का भी ख्याल कीजिए। जब हम विरोधी दल में थे, तब श्री वाजपेयी जी हुकमरान थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मोहब्बत के मामले में दखल नहीं देना चाहता।

श्री जैल सिंह : लव-मैरिज दो मर्दों में नहीं हो सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं—मैं वह आदमी हूं जिसने जब वर्तमान राष्ट्रपति जी पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे, तो उनके खिलाफ वोट दिया था। इस लिए इस में ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रपति जी इण्डिपैन्डेंट सोचने वाले हैं, खुद फैसला करते हैं, किसी के प्रभाव के नीचे नहीं आते, इस लिए राष्ट्रपति जी के प्रति कोई बात आनरेबिल मेम्बर साहबान को नहीं कहनी चाहिए—यह मेरी आप से दरख्वास्त है।

वाजपेयी जी ने फरमाया कि गृह मंत्री को हर जगह आर० एस० एस० दिखाई देता है। इससे भी इनको खुश होना चाहिए था। एक बात जो हम बार-बार कहते रहे हैं, बेचारे चौधरी चरण सिंह जी और जार्ज फर्नान्डीज जैसे आदमी जो सैकुलर सोचने वाले हैं,

वे भी कहते रहे हैं कि आर० एस० एस० का हाथ नहीं होना चाहिए, लेकिन वाजपेयी जी कहते रहे--नहीं, वह तो कल्चरल पार्टी है, पोलिटीकल पार्टी नहीं है। जब पोलिटीकल पार्टी नहीं है तो जैसी आप के लिए वैसी मेरे लिए, फिर आपको तकलीफ क्या है, आप किस लिए उसकी वकालत करते हैं?

डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने जो आशा की थी, जो उम्मीद की थी; वह उम्मीद मेरे में अब भी है और वह उम्मीद यह है कि जार्ज फर्नान्डीज साहब आप ज्यादा न बोला करें। हम सब जानते हैं कि जार्ज फर्नान्डीज जी बड़े हिम्मत वाले हैं, उन्होंने 36 एक्सीडेन्ट्स करवाये थे...

एक माननीय सदस्य: 56।

श्री जैल सिंह: 56 होंगे, मुझे नम्बर याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था। जार्ज साहब, हम तो इस बात का ख्याल रखते हैं--

हर चीज नहीं मरकज पर;
इक रोज इधर इक रोज उधर;
दुश्मन को न देख नफरत से,
शायद वह मोहब्बत कर बैठे।

हमें कोई दुश्मनी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है; कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई--सिर्फ इतना मामला था कि यह कान्स्टीट्यूशनल है या नहीं है, उस पर यह कहा गया कि डिक्टेटरशिप पैदा की जा रही है। दूसरे लोग कहें तो कहें, लेकिन मेरे कम्युनिस्ट वीर भी कहते हैं कि वन-पार्टी रूल पैदा करना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो यह समझता हूं कि इनको इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए, क्योंकि हर कम्युनिष्ट मुल्क में वन-पार्टी रूल है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यह अभी कम्युनिष्ट मुल्क नहीं है, टाटा-बिरला का मुल्क है।

श्री जैल सिंह: उन्होंने जो अभी बैठे-बैठे कहा है कि उसको मैंने सुन लिया है। वह कहते हैं कि यह टाटा-बिरला का मुल्क है। उनका मकसद है कि "डेमोक्रसी" कहते रहो, जब हमारा हो जायेगा तो डेमोक्रेसी का खात्मा कर देंगे। मैं समझता हूं--यही मतलब है आपका।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: जरूर खात्मा किया जायेगा, जिनको आपने बचा कर रखा है।

श्री रामावतार शास्त्री: आप लोग टाटा-बिरला को बना रहे हो।

श्री जैल सिंह: अच्छा अगर मैं समझता नहीं तो आपको समझा सकता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, गुस्से और अक्ल का एक ही खाना होता है। मैं आनरेबल मैम्बरों से कहूंगा कि गुस्से में न आइये। मैं जो विनती कर रहा था कि 9 विधान सभाओं के प्रोक्लेमेशन के हक में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, वह मैंने कह ली है। लेकिन

बाकी बातों की इसके साथ कोई रेलेवेन्सी नहीं है। यह कांस्टीट्यूशनल है, डमोक्रेटीकल्ली है। हमने डमोक्रेसी और कांस्टीट्यूशन के मुताबिक ही इसको किया है। लेकिन जिन लोगों का यह ख्याल है कि यह डमोक्रेसी के लिए घातक है तो मुझे इस बात पर हैरानी है। मैं यह चाहता हुं कि लोक दल और जनता पार्टी वाले इस पर बैठकर दोबारा सोचें और आपका यह इखलाखी फर्ज भी बनता है कि तीन साल पहले आपने क्या कहा था। अगर आज़ आप यह कहते हैं कि यह बातें जनता के गले से नीचे नहीं उतरेगी तो मैं आपसे कहता हूं कि वे तो उतर गयीं। अगर वे नहीं उतरती तों आप यहां नहीं बैठते। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब इन बातों को छोड़ दीजिए।

अब लॉ एन्ड आर्डर की जो बात है, उसके लिए आपको जो कहना है उसको आप प्रोवलेमेशन के साथ न जोड़िए। उसे न हमने जोड़ा है और न हमने यह इल्जाम लगाकर असेम्बलियां भंग की हैं। लेकिन आप कह सकते हैं। मगर इतना जरूर ख्याल रखना कि महंगाई कब हुई, लां एण्ड आर्डर कब खराब हुआ, झगड़े कब पैदा हुए, असम में झगड़ा कब शुरू हुआ ?

फरिस्तों हक से बता देना गुनाह मेरा,
लेकिन इतना भी कह देना कि ये बातें सब जवानी की थीं।

यह ठीक है कि हमारे ऊपर आप इल्जाम लगाए। हमारे साथियों ने इस बात का भी जिक्र किया कि नेतहीनों पर लाठी चार्ज हुआ। हमने उसी वक्त, आन दी स्पाट पुलिस आफिसर को सस्पेंड किया और हाई कोर्ट से वर्किंग जज ले करके उसकी जुडीशियल इंक्वारी का आर्डर दिया। इसी तरह से जो ग्वालियर में हुआ, उसमें भी हमने हाई कोर्ट के जज से इंक्वारी कराने के लिए वहां की सरकार से कहा। एक बात आप जानते हैं कि जो इक्का-दुक्का वाकियात होते हैं, उनसे सब को दुख होता है। हमको भी दुख होता है और आपको हक है कि आप होम मिनिस्टर को जो चाहे वह कहें। आपको यह कहने का हक है। मगर कोई बात दुश्मनी से न कही जाए क्योंकि यह आपस में जायदाद के झगड़े तो हैं नहीं। ऐसी बातें तो आम तौर पर होती रहती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने यह कहा कि हरिजनों पर, किसानों पर जुल्म हो रहे हैं। मगर आप अपनी जबान न बदल लेना जब इनको हम रोकेंगे और इन को रोकने के वक्त आपको हमारा साथ देना है। (व्यवधान) मुझे जो कहना है वह बेशक कह लीजिए, मैं बहुत खुशी से सुनने को तैयार हूं।

नजरे मेहर को न सहीं, नजरे कहर ही सही
मैं खुश हूं, हूं तो किसी की निगाह में।

डिप्टी स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं इस हाउस से अपील करूंगा और मैं आशा करता हूं कि मेरे भाइयों को जो कुछ कहना था वह उन्होंने कह लिया। लेकिन जो ये प्रस्ताव मैंने रखे हैं उनके हक में जनता पार्टी और लोक दल इखलाखी तौर बंधे हुए हैं और हमारे सी० पी० आई० और सी० पी० एम० वाले भी उसूलन बन्धे हुए हैं क्योंकि वे भी चाहते हैं कि ऐसे ही राज़ चलना चाहिए। इस लिए मुझे आशा है कि यह सर्वसम्मति से पास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प संख्या 12, सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 17 फरवरी, 1980 को जारी गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

जो माननीय सदस्य पक्ष में हैं वे "हां" कहें ।

कई माननीय सदस्य : "हां" ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य विरोध में हैं ; वे "ना" कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : "ना" ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हां वाले जीत गए ।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है मतविभाजन किया जाये ।

प्रश्न करने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है । प्रत्येक सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह उसी स्थान पर बैठे जो उन्हें सौंपा गया है । प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना है कि वह इस बात की ओर विशेष ध्यान दें कि उनका मत आरम्भ से ही यथास्थिति 'हां' के लिए, 'ना' के लिए या मतदान में भाग न लेने के लिए सही-सही रिकार्ड किया जाय जिससे की शुद्धि करने का कोई अवसर ही न रहे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मेरी कोई विभाजन संख्या नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक पर्ची दें दे । आपके मतदान के लिए व्यवस्था की जायेगी । (व्यवधान)

मैं आपको संक्षेप में स्मरण करा दूं कि ज्यों ही अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा की जाती है कि "अब मत विभाजन" होगा और स्वचालित मत अभिलेख यंत्र को क्रियाशील किया जाता है तो एक घंटा बजता है जो सदस्यों के लिए मतदान करने का संकेत होता है । प्रत्येक सदस्य को पुश स्विच को दबाना होता है और उसके बाद अपनी इच्छानुसार तीनों पुश बटनों, अर्थात् 'हां' के लिए 'ना' के लिए या मतदान में भाग न लेने के लिए, में से एक को दाबना होता है । पुश स्विच और पुश बटन तब तक के लिए दबे रहने चाहिए जब तक कि 10 सेंकन्ड के बाद घंटा दूसरी बार नहीं बजता ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सहयोग दें ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या : 3

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
अब्दुल समद, श्री
अहमद, श्री मोहम्मद असरार
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अमरीन्द्र सिंह, श्री
आनन्द सिंह, श्री
अनबारासु, श्री ईरा
अंकिनीडू, श्री एम०
अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गौदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एम०
अरावकल, श्री जेवियर
अर्जुनन, श्री के०
अरूणाचलम, श्री एम०
अशफाक हुसैन, श्री
आजाद, श्री भागवत झा
अजीज इमाम, श्री
बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन
बैठा, श्री डूमर लाल
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बन्सी लाल, श्री
बनवारी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भीखा भाई, श्री
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चरणजीत सिंह, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चव्हाण, श्री एस० बी०
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चेन्नपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री के० बी०
चौधरी, श्रीमती उषा प्रकाश
दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
दलवीर सिंह, श्री
डामोर, श्री सोमभाईजी
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री के० पी० सिंह
देव, श्री सन्तोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
डूंगर सिंह, श्री
दुबे, श्री विन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ
एक्का, श्री कस्टोफर
इरा मोहन, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री वी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड, श्री आर० पी०
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव
गमित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्रीमती इंदिरा
गांधी, श्री संजय
गंगवार, श्री हरीश कुमार
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
गुरबिन्दर कौर, श्रीमती
हुकम सिंह, श्री
हेमूबरम, श्री सेत
जदेजा, श्री दोलतसिंह जी
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जय नारायण, श्री
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री विरधी चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
झा, श्री कमल नाथ
चितेन्द्र प्रसाद, श्री
काह्नडोल, श्री जैड० एम०
कलानिधि, डा० ए०
कामाशैया, श्री डी०
कमला कुमारी, कुमारी
कंडास्वामी, श्री एम०
कौशल, श्री जगन नाथ
कैंयूर भूषण, श्री
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कृष्ण, श्री एस० एम०
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुलनदईवेलू, डा० वी०
कुंवर राम, श्री
लकप्पा, श्री के०
महाबीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री वाई० एस०
महाला, श्री आर० पी०
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री ए० आर०
माने, श्री आर० एस०
मायातेवर, श्री के०
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्रा, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्त राव
मोहसिन, श्री एफ० एच०
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखर्जी, श्री आनन्द गोपाल
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मूर्ति, श्री कसुम कृष्ण
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नहाटा, श्री बी० आर०
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री स्वरूप सिंह हिरया
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नारायण, श्री के० एस०
नायक, श्री मृत्युंजय
नेगी, श्री टी० एस०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
निहाल सिंह, श्री
निखरा, श्री रामेश्वर
नित्यानन्द, श्री
ओंडदरा, श्री मालदेवजी एम०
पलानीअप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री केदार
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर०
पार्थसारथी, श्री पी०
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई ह०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विधे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्री जानकी बल्लव
पत्तुस्वामी, श्री डी०
पवार, श्री बालासाहिब
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रभु, श्री आर०
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्नकुमार, श्री एस० एन०
पुलय्या, श्री दारुर
कादरी, श्री एस० टी०
राही, श्री रामलाल
राय, श्री नगीना
राय, श्रीमती सहोदरा बाई
राजामल्लू, श्री के०

राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन० कुदतई
राममूर्ति, श्री के०
रणवीर सिंह, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री जलगाम कोन्डाला
राव, श्री एम० नागेश्वर
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पट्टाभिराम
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
रेड्डी श्री क० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वायपा
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
रेड्डी, श्री टी० दामोदर
रोथुअमा, डा० आर०
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री शिव प्रसाद
संगमा, श्री पी० ए०
सिन्धिया, श्री माधवराव
सेलवानाजू, श्री एन०
सेठी, श्री अर्जन

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शाकद्वार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०
शान्ताराम, श्री
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री मुंडेर
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शर्मा, डा० शंकर दयाल
शर्मा, श्री विश्वनाथ
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
शिगंडा, श्री डी० बी०
शिव शंकर, श्री पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंगारावाडिवेल, श्री एम०
सिंह, श्री सी० पी० एन०
सिंह, श्रीमती माधुरी
सोलंकी, श्री बाबू लाल
सोलंकी, श्री नटवरसिंह
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोरन, श्री हरिहर
श्रीनिवास प्रसाद, श्री बी०
स्टाफन, श्री सी० एम०
सुब्बुरमण, श्री ए० जी०
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुन्दर सिंह, श्री
सूर्यवन्शी, श्री नरसिंहराव
स्वामी, श्री के० ए०
तपेश्वर सिंह, श्री

तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
थुंगोन, श्री पी० के०
तिवारी, श्री नारायण दत्त
तिवारी, श्री रामगोपाल
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
टुडू, श्री मनमोहन
टाईटलर, श्री जगदीश
वायरले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेल, श्री ए० एम०
वेंकटरमन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री राम सिंह
येल्लैया, श्री नन्दी
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशरे, श्री

विपक्ष में

अब्दुला, डा० फारूक
आचार्य, श्री बसुदेव
अग्रवाल, श्री सतीश
आजमी, श्री ए० यू०
बागड़ी, श्री मनीराम
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
बसु, श्री ज्योतिर्मय
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री मोतीभाई आर०
चौबे, श्री नारायण
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दास, श्री आर० पादा
देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हंसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
*जेना, श्री चिन्तामणि
जेठमलानी, श्री राम
कोडियान, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री धनिक लाल
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल

*गलती से विपक्ष में पत दिया।

मोदक, श्री विजय	साहा, श्री गदाधर
मुखर्जी, श्रीमती गीता	सेन, श्री सुबोध
मुखर्जी, श्री समर	शास्त्री, श्री रामावतार
पाल, प्रो० रूप चन्द	शेजवलकर, श्री एन० के०
पासवान, श्री राम विलास	सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण
पाठक, श्री आनन्द	*सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी
प्रधान, श्री अमर राय	स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम
राय, श्री एम० रामन्ना	तिरकी, श्री पीयूष
राजन, श्री के० ए०	विलोक चन्द, श्री
राजदा, श्री रतनसिंह	उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
रियान, श्री बाज बन	वाजपेयी, श्री अटल विहारी
राय, श्री ए० के०	वर्मा, श्री रवीन्द्र
राय, डा० सरदीश	वर्मा, श्री फूल चन्द
साहा, श्री अजित कुमार	जायलन अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 271

विपक्ष में : 67

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

* गलती से विपक्ष में मत दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा महाराष्ट्र राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा उड़ीसा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राजस्थान राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उदघोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आधे घंटे की चर्चा

सोने की नीलामी का जांच

डा० फारुक अब्दुल्ला (श्रीनगर) : 14 मार्च, 1980 को मैंने भूतपूर्व सरकार द्वारा सोने की बिक्री किए जाने के बारे में वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा था तथा उन्होंने एक पंक्ति में इसका उत्तर दिया था । उन्होंने कहा था कि इस मामले की सरकार जांच कर रही है ।

सोने की बिक्री सम्बन्धी निर्णय 3 मई, 1978 को किया गया था तथा 12.95 टन सोने की नीलामी करने के पश्चात् उसी वर्ष अक्तूबर में पांच महीने के पश्चात् इसे समाप्त किया गया था । उस समय की सरकार ने कहा था कि यह नीति तस्करी रोकने के लिए बनाई गई है । जैसे किसी भी उपलब्ध अपमार्जक से या दवाई से आप कव्वे का रंग नहीं बदल सकते इसी तरह से आप तस्करों को भी कभी नहीं बदल सकते । जिन लोगों ने पिछली सरकार को तस्करी न करने का वचन दे दिया था वे आज भी तस्करी कर रहे हैं तथा देश 12.95 टन सोने से हाथ धो बैठा है । क्या इससे तस्करी बन्द हो गई थी । जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने सोने की यह नीलामी शुरू की थी वह सिद्ध हो गया था तथा यह सोना नीलामी द्वारा चन्द एक लोगों को ही बेचा गया था । हमें इस सभा के सदस्यों को यह जानने का अधिकार है कि वे लोग कौन थे जिन्होंने वह सोना खरीदा और 6 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया । यह सोना उन लोगों का नहीं है, यह सब का है । आज स्थिति यह है कि मेरी भी पुत्रियां हैं किन्तु मैं उनके लिए सोना नहीं खरीद सकता तथा आज जब हम मंगलसूत्र की बात सोचते हैं तो उसके लिए सोना कहां है, तथा उसके दाम कितने हैं ? जबकि पहले सोने का दाम 200 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ करता था किन्तु आज इसका दाम चार अंकों तक पहुंच गया है तथा इसको इस तरह से बेचा गया है । चौदह बार बोली की गई तथा यह तस्करी रोकने के लिए थी ।

हमारे यहां दो टन सोने का उत्पादन होता है तथा 1939 तक हमारे देश में सोने का आयात निर्बाध रूप से किया जाता था । किन्तु 1939 में अंग्रेजों की सरकार ने भारत रक्षा अध्यादेश के अन्तर्गत इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जो आज तक लगा हुआ है ।

[श्री गुलशेर अहमद, पीठासीन हुए]

आज इस आशंका से कि किसी भी समय एक हजार रुपये के नोट का विमुद्रीयकरण किया जा सकता है, उसे वापस लिया जा सकता है, वे व्यक्ति जिनके पास काला धन होता है वे उसे रुपये में न रखकर सोने के रूप में रख रहे हैं । इसलिए सोना कुछ व्यक्तियों के हाथ में चला गया है तथा सामान्य लोगों के पास नहीं रहा है । इसीलिए मैं इस नीति का विरोध कर रहा हूं और चाहता हूं कि एक उच्च स्तरीय जांच की जाए, ऐसी नहीं जिसमें पांच वर्ष लग जाएं बल्कि ऐसी जो कुछ एक महीनों में ही इस बात का पता लगा ले कि कसूर किस का है तथा इस नीलामी से किसे लाभ पहुंचा है । यदि इसमें किन्हीं ऐसे राजनीतिज्ञों का हाथ हो जो पहले राजनीति से सम्बन्ध रखते थे या भविष्य

में सम्बन्ध रखना चाहते हैं तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए तथा उनके दोषों को लोगों के सामने रखा जाना चाहिए । अमेरिका में भी एक बार 11,000 टन सोना बेचा गया था क्योंकि वे लोग डालर की स्थिति मजबूत करना चाहते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि 11,000 टन सोना बेचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी नीति गलत है तथा वे डालर की स्थिति मजबूत नहीं कर पायेंगे तथा उन्होंने इसे छोड़ दिया । सरकार यह नहीं कह सकती कि उसके पास साधन न थे तथा उसके पास अधिकारी या व्यवस्था नहीं थी जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता कि क्या बात गलत है और क्या सही । क्या उन्हें उस समय इस बात का पता न था कि अमेरिका ने 11,000 टन सोना बेचा था जिसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिला । किन्तु हम जिनके पास सीमित साधन थे बहुत कम सोना था, जो बड़ी कठिनाई से इकट्ठा किया गया था तथा जो दे दिया गया था । जब चीन से युद्ध हुआ तो मैं चिकित्सा विद्यार्थी था तथा मुझे मालूम है कि मेरे जो मित्र पाकिस्तान से आये थे उनके पास कुछ न था । जब पंडित जी ने कहा कि आप लोग जो कुछ भी आप के पास है दे दें तो इससे टैंक और बन्दूकें खरीदी जा सकती हैं तो उन्होंने सोने की अंगूठी, बालियां आदि जो भी उनके पास था उन्होंने दिया । वही सोना आज कुछ व्यक्तियों की जेबों में चला गया है जिसका वे लाभ उठा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ऐसा करने का अधिकार था ? वे तथा वर्तमान सरकार भी उन गलतियों के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जो उन्होंने की तथा उन्हें इसका उत्तर देना होगा । उन्हें उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने गलत निर्णय किए जिनके कारण कुछ लोगों को गलत लाभ पहुंचा है ।

पिछली सरकार का यह विचार था कि सोने को बाजार में लाने से तस्कर विरोधी गतिविधियों को सहायता मिलेगी । परन्तु इसका कारण कोई और ही था । भारत में मूल्य पहले ही अधिक थे और उस समय अन्य स्थानों में मूल्य कम थे जबकि सोने को बाजार में लाया गया । परन्तु एक मोटे अनुमान के अनुसार पता चलता है कि 90 से 100 टन तक सोना चोरी छिपे लाया गया । किसी भी अनुमान से क्या यह बहुत बड़ी राशि नहीं है ? क्या यह सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी कि जो सोना सोने के आभूषणों के रूप में देश से निर्यात किया गया उसे किन्हीं अन्य स्रोतों से देश में लाया जायेगा ? हमारे पास चांदी बड़ी मात्रा में है । हम चांदी का उपयोग आभूषणों अथवा अन्य कार्यों में नहीं करते । क्या उस चांदी के बदले में सोना प्राप्त नहीं किया जा सकता और इस प्रकार भूतकाल में लिये गये विनाशकारी निर्णय से अपने आप को बचाया नहीं जा सकता ?

आपकी जानकारी में मैं जो एक बात और लाना चाहता हूं वह यह है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सोना बेचने की नीति से यह हानि हुई है कि सोना केवल कुछ ही व्यापारियों के हाथ में चला गया तथा अधिकतर व्यापारी उसका लाभ नहीं उठा सकते । जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था और अब भी माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे लोग कौन से थे जिन्होंने यह सोना खरीदा और इस सोने से लाभ उठाया । एक अनुमान के अनुसार केवल 4 मास के थोड़े से समय में 6 करोड़ रुपये का लाभ कमाया गया और जब सरकार को यह पता पड़ा तो उसने इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया ।

सरकार द्वारा सोने के बेचे जाने से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ हो सकता था यदि यह उन्हें सीधे बेचा जाता । यदि यह सोना 20 अथवा 40 ग्राम की सिल्लियों के रूप में बैंकों के द्वारा बेचा जाता तो हम लोग शादियों में इसका अच्छा उपयोग कर सकते थे।

लोगों द्वारा की गई गलत घोषणाओं के लिये समुचित दण्ड की व्यवस्था की जा सकती है । जिन लोगों ने सरकार से अथवा बैंक से सोना खरीदा हो और गलत घोषणाएं की हों तो सरकार उन्हें आसानी से पकड़ सकती थी । परन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

सोने की सप्लाई बढ़ाने के लिये चांदी के बदले में इसका आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिये । इससे एक बहुमूल्य धातु के बदले में दूसरी बहुमूल्य धातु के भंडार को बढ़ाने में मदद मिलेगी । इसके अतिरिक्त सोने के आभूषणों के निर्यात के बदले में उतनी ही मात्रा में सोने के आयात की अनुमति दी जानी चाहिये । इसके साथ ही साथ इसकी मांग पर रोक लगाई जाये अथवा उसे नियंत्रित किया जाये । इस सीमा को इस समय विद्यमान 2000 ग्राम प्रति व्यक्ति और 4000 ग्राम प्रति परिवार को कम करके आधा किया जा सकता है ।

इन सबसे सोने की तस्करी में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बड़ा अन्तर है । इसे रोकने का एकमात्र उपाय कठोर कदम उठाना है । खेद है कि कानून का भय एक बीते युग की बात हो गई है । यह देखना सरकार का काम है कि कानून का उल्लंघन न किया जाये । मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार जिसे लोगों ने भारी समर्थन दिया है इस संबंध में कुछ करेगी । लोगों ने आपको भारी समर्थन दिया है और वे आशा करते हैं कि आप कुछ करें, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें । यदि आपने उनकी आशाओं को झुठलाया तो इस देश में लोकतंत्र का भगवान ही रखवाला है ।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का दूतावास खोलकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । मेरा दल नेशनल कांफ्रेंस और जम्मू और काश्मीर सरकार इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिये आपको धन्यवाद देती है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम एक दिन फिलिस्तीन को स्वतंत्र देखें ।

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सभापति महोदय, मेरी इस समय बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि विपक्ष में बैठकर मैंने सरकार की सोने की बिक्री की इस नीति की निन्दा की है । तत्कालीन वित्त मंत्री ने जब अपने बजट भाषण में यह कहा कि हम सोने को बेचने का विचार कर रहे हैं, मैंने कहा था यह एक घातक नीति होगी और इससे देश अपनी बहुमूल्य सम्पदा को खो बैठेगा । 1978 में लागू की गई इस नीति की निन्दा करने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं । सोने की नीलामी 4 महीने तक की गई और इस बीच 13 टन सोना कोष से निकल गया । उस समय मैंने कहा था कि सरकार ने राष्ट्रीय सम्पत्ति को कुएं में डाल दिया है ।

इससे कुछ ऐसी बातें उठी हैं जिनकी और आगे जांच की जानी आवश्यक है। पहली तो यह क्या ऐसा जानबूझकर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये किया गया अथवा इसका उपयोग कुछ लोगों के लाभ के लिये किया गया ? दूसरे कि क्या जिस प्रकार बोलियां लगाई गईं और स्वीकार की गईं उसमें कुछ त्रुटि थी ? इन सब बातों की गहराई से जांच किये जाने की आवश्यकता है। कुछ समय पहले जब यह प्रश्न सभा के समक्ष आया तो मैंने, बल्कि प्रधान मंत्री ने सभा को बताया था कि इस सब की जांच की जायगी। दुर्भाग्यवश 10 बजट पेश करने और इसके साथ ही अपना भी बजट पेश करने के अत्यधिक कार्य के कारण मुझे इस संबंध में जांच किये जाने की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस प्रश्न पर शीघ्र ही विचार करूंगा और सोने की बिक्री के संबंध में यह जानने के लिये जांच करवाऊंगा कि क्या इसमें कोई अनियमितता थी; क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य था और क्या इसका उपयोग कुछ लोगों के लाभ के लिये किया गया ? क्योंकि मेरे पास और जानकारी नहीं है इसलिये मैं नहीं कह सकता कि आरोप सही हैं अथवा गलत। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उस अवधि में बहुत सी बोलियां थीं और यह सब बोलियां एक समिति द्वारा खोली गई थीं जिसे तत्कालीन सरकार ने रिजर्व बैंक के डिप्टी चेयरमैन की अध्यक्षता में बनाया था।

इन तथ्यों के साथ मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मैं इस संबंध में शीघ्र जांच कराऊंगा।

मुख्य मामले को निपटाने के बाद अब मैं उन बातों पर आता हूं जो डा० फारूख ने उठायी हैं। उन्होंने कहा कि चांदी का निर्यात किया जाना चाहिये और इसके बदले में सोना लिया जाना चाहिये। श्रीमन, इस सम्बन्ध में बहुत से विचार व्यक्त किये गये हैं और सरकार के लिये इस सम्बन्ध में फैसला करना कठिन होगा। इस प्रश्न में बहुत सी कठिनाइयां हैं। अतः चूंकि उन्होंने इस मामले को उठाया है, मैं नहीं चाहता कि बाजार में अटकल बाजी हो। इसलिये मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सरकार के सामने इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वरना लोग सट्टेबाजी शुरू कर देंगे तब या तो तस्करी में वृद्धि होगी या ऐसी कुछ अन्य बातें होंगी।

दूसरी बात यह कही गई है कि झूठी झोषणाओं के लिये दण्ड निर्धारित किया जाना चाहिये। कानून में झूठी झोषणाओं के लिये दण्ड की व्यवस्था पहले से ही है। स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जिसके पास अधिक सोना है उसकी घोषणा करनी पड़ती है और यदि यह झोषणा घूठी होती है तो दण्ड लगाया जाता है।

तब उन्होंने निर्यात की पूर्ति के बारे में पूछा है। यह भी एक जटिल प्रक्रिया है जिसका बहुत दुरुपयोग होता है। जैसी कि सरकार को इस समय सलाह दी गई है वह ऐसी किसी प्रणाली को नहीं चाहती। इस प्रणाली के अन्तर्गत कुछ लोगों को बाहर आभूषणों को निर्यात करने की इजाजत दे दी जाती है और फिर इसके बदले में सोना खरीदने की अनुमति दी जाती है। हमें आयात किये गये सोने पर अधिक मूल्य मिलेगा। परन्तु थोड़ा सा अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिये हम दुरुपयोग के बहुत से रास्ते खोल देंगे और

इसलिये हम यह नहीं करना चाहते । मुझे विश्वास है कि सभा मेरे उत्तर को स्वीकार करेगी ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : माननीय मंत्री ने बताया है कि सोने की नीलामी की नीति जिस पर पिछली सरकार चल रही थी बहुत खराब नीति थी और इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी । लेकिन मैं और आगे नहीं कहना चाहता क्योंकि माननीय मंत्री ने हमें जांच कराने का आश्वासन दे दिया है ।

परन्तु मैं कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं । मेरा प्रश्न यह है : क्या माननीय मंत्री हमें उन व्यक्तियों के नाम बतायेंगे जिनको सोने की नीलामी से लाभ हुआ है ।

दूसरे, सरकार सोने का मूल्य कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है जिससे कि हम कम से कम विवाह आदि के लिए कुछ सोना प्राप्त कर सकें ।

सभापति महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो--वह उपस्थित नहीं हैं । श्री लकप्पा ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : थोड़े दिन पहले जब इस मामले पर प्रश्नों और बाद में अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से चर्चा हो रही थी, सोने की नीलामी में कतिपय अनियमितताओं का प्रश्न उठाया गया था और यह भी सत्य है कि उस समय माननीय मंत्री तथा बाद में प्रधान मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप किया और कहा कि सोने की बिक्री सम्बन्धी सट्टेबाजी के सभी मामलों की जांच की जायेगी । प्रधान मंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि मामले की पूरी छानबीन की जायेगी ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य कृपया प्रश्न पूछेंगे ?

श्री के० लकप्पा : मैं प्रश्न के लिए ही भूमिका बना रहा हूं और मुझे तथ्य भी सभा के समक्ष रखने हैं ।

सभापति महोदय : हम उन्हें जानते हैं ।

श्री के० लकप्पा : इसकी पृष्ठभूमि को भी यह चर्चा श्री संजय गान्धी द्वारा उठाये गये मुख्य प्रश्न तथा मेरे और अन्य सदस्यों के अनुपूरक प्रश्नों से उत्पन्न हुई थी । श्रीमन्, जब पिछली सरकार ने यह फैसला किया था तब हम सब विपक्ष में थे और इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा के बावजूद माननीय सदस्य ने संगत प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उस समय मेरे मित्र ने तथा अन्य मित्रों ने अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से बहुत सी बातें उठायी थीं ।

लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कीमती पीली धातु इस देश की आर्थिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण बात है । पिछले ढाई वर्षों में स्वर्ण नियंत्रण या नीलामी द्वारा तथा अन्य तरीकों से उसे बेचने की आड़ में काफी कुछ किया गया है । पिछली सरकार ने तस्करी को गंभीरता से नहीं लिया जिसके कारण उसमें बहुत बढ़ावा हुआ ।

इस स्थिति से न केवल यह हुआ कि वे बहुत सी पीली धातु ले गये बल्कि तस्करों की गतिविधियों में भी वृद्धि हुई । तस्करों के लिए तो यहां स्वर्ग बन गया । इसके लिए स्वर्ण बिक्री को नियंत्रण में लेने के लिए एक सिंडीकेट बन गया । वे बड़े व्यापारी थे जो भूतपूर्व

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई तथा उनके बेटे की सहायता करते थे । मैं तो कहूंगा कि उनके अनेक सम्बन्धी भी इसमें शामिल थे और वे सभी भारत के किसी अन्य स्थान से न होकर बम्बई और गुजरात के थे । इस सिंडीकेट में समस्त स्वर्ण नीलामी पर अधिकार कर लिया । जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ा गई । अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में हुई स्थिति को देखते हुए क्या वे इस पद्धति में कुछ परिवर्तन करेंगे । उन्हें सोने की नीलामी के सम्बन्ध में आमूल परिवर्तन करने चाहिएं ।

इस मामले में अत्यधिक रुचि रखने के कारण तथा इस बात को देखते हुए कि स्वयं प्रधान मंत्री ने गहरी रुचि लेकर इस प्रश्न पर टिप्पणी करते हुए सारे मामले पर उच्चतम स्तर पर जांच किये जाने और छः मास के भीतर सभा को रिपोर्ट देने की बात कही है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सारी स्थिति को ठीक करने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं और सोने की नीलामी के बारे में जो देश भर में सन्देह पैदा हो गए हैं उन्हें दूर करने और तस्करी गतिविधियों को पूरी तरह रोकने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : जनता पार्टी ने सोना बेचने का धंधा अपनाया था। इसके समर्थन में तर्क यह दिया गया था कि इससे स्मगलिंग में रुकावट आएगी, कमी आएगी। इस नीति के कारण लोगों में बड़ा असन्तोष भी पैदा हुआ था । अभी भी लोगों के मन में गलतफहमियां मौजूद हैं । लोग यह जरूर जानना चाहते हैं कि सोने की बिक्री के पीछे क्या राज छिपा हुआ था ? मंत्री जी ने कहा है कि वह शीघ्र ही इस बात को प्रकाश में लाने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों के हाथों में सोना गया और इसके पीछे कौन-सी नीति काम कर रही थी । यह वह जब बताएंगे तब मालूम होगा । लेकिन अभी मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच में सोने की बिक्री से स्मगलिंग में कोई कमी आई थी और अगर आई थी तो इसकी जानकारी सदन को और देश को मिलनी चाहिए । अगर कमी नहीं आई और तस्करी चलती रही और आज भी चल रही है तो उस तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने अभी कौन-सी कार्यवाही की है और उसका क्या नतीजा निकला है ?

सभापति महोदय : मंत्री जी ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, प्रश्नकर्ता यह जानना चाहते हैं कि कितनी बोलियां लगाई गई । मैं कहता हूं कि 18316 बोलियां लगीं जिनमें से 8577 स्वीकार कर ली गईं बोलियों की पूरी सूची जो लग चुकी हैं सदस्यों की जानकारी के लिए ग्रन्थालय में रख दी गई हैं । यह तो पिछली सरकार ने ही कर दिया था । यदि आप नमूना देखना चाहते हैं तो जिन लोगों की बोली स्वीकार की गई हैं मैं उनमें से कुछ के नाम पढ़ देता हूं ।

1. मद्रास के वुमिडी एंगरू चेट्टी
2. बम्बई के चन्द्रकान्त
3. प्रोदातुर, हैदराबाद के मल्ला रेड्डी
4. बम्बई के देवाजी

5. भीमजी जावेरभाई एण्ड कम्पनी, बम्बई

6. गोकुलदास एण्ड कम्पनी आदि आदि ।

इनकी संख्या तो बहुत है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अनेक स्थानों के लोगों ने बोलियां लगाई। हमें 18,000 बोलियां प्राप्त हुई और उनमें से लगभग 8,700 स्वीकार की गईं।

दूसरा प्रश्न यह पूछा गया कि स्वर्ण की कीमत कैसे कम हुई ? स्वर्ण मूल्य अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित होता है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्वर्ण मूल्य बहुत बढ़ रहा है । वास्तव में 1979 के बाद की छमाही में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य पचास प्रतिशत से साठ प्रतिशत बढ़ गये । मैं जनवरी–फरवरी तथा उसके बाद के अन्तर्राष्ट्रीय या लन्दन बाजार और भारत में आंकड़े दे सकता हू । जनवरी, 1980 में बम्बई में दस ग्राम का सर्वाधिक मूल्य 1700 रुपए था जबकि लन्दन बाजार में यह 2173 रुपए था । अतः मेरे विचार से कोई भी तस्कर उस स्थान पर सोना नहीं ले जायेगा जहां मूल्य दो हजार हो । फरवरी में बम्बई में 1400 और लन्दन बाजार में 1800 रुपए था । मार्च में यह बम्बई में 1370 और लन्दन में 1676 था । इस मार्च 1980 को यह 1320 बम्बई में था और 1383 लन्दन में ।

अतः हम स्वर्ण मूल्य पर नियंत्रण नहीं रख सकते । यह तो अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है । अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लोगों द्वारा अधिक मात्रा में स्वर्ण बेचने और खरीदने से तय होता है ।

श्री लकप्पा ने एक बात यह कही है कि सिंडीकेट बन गया था जिसने सारा स्वर्ण अपने नियंत्रण में ले लिया । मैंने कहा है कि इसी बात की जांच कराई जायेगी । मैं इसकी जांच करूंगा । वह पूरी नीति के बारे में भी जानना चाहते थे । बजट के दौरान मैंने कहा था कि सरकार नीलामी बिल्कुल नहीं करेगी और सोना बिल्कुल नहीं बेचेगी । इसे विशेष रूप से कहा गया है । इसलिए इस बात में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहना चाहिए ।

श्री शास्त्री जानना चाहते थे कि क्या तस्करी कम हो गया है । यह तो अपने-अपने विचार की बात कही है । मेरे विचार से स्वर्ण बिक्री के बाद तस्करी कम नहीं हुई थी । उस समय भी मैं कहता था कि सोना जब्त किये जाने की मात्रा से यह नहीं लगता कि स्वर्ण तस्करी कम हो गई है । केवल इतना ही हुआ है कि कि हमारा स्वर्ण भंडार कम हो गया है । दूसरी ओर जनता वाले कहते थे कि तस्करी कम हुई । अब इसका निर्णय हो नहीं सकता । तब श्री शास्त्री ने पूछा कि क्या तस्करी पर इसका प्रभाव पड़ा । मेरे विचार से ऐसा नहीं हुआ है । केवल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से ही इसका निर्धारण हो सकता है। यदि अन्य देशों में भारत की अपेक्षा स्वर्ण मूल्य कम है तो लोग भारत में स्वर्ण लायेंगे और यदि विपरीत है तो यहां से सोने की तस्करी की जायेगी । किन्तु हमारी स्थिति

कि देश में स्वर्ण लाना देश से स्वर्ण बाहर ले जाने की अपेक्षा कुछ आसान है । अतः मेरे विचार से इस तस्करी में कोई वृद्धि नहीं हुई । इसमें मैं सरकार के लिए कोई बड़ाई का दावा नहीं करता लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण ऐसा हुआ है । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं ।

7 बज कर 6 मिनट म० प०

[इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 27 मार्च, 1980/7 चैत्र, 1902 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।]

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो०न० दि०—एल० एस—III— 57 एल० एस०—13—6—80—110